अष्टम माला, खंड 10, अंक 2

मंगलवार, 19 नवम्बर, 1985

28 कार्तिक, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc No 55
Date 6/8/86

(खंड 10 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 10, चौथा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 2, मंगलवार, 19 नवम्बर, 1985/28 कार्तिक, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—27
*तारांकित प्रश्न संख्या : 22 से 26	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	27—264
तारांकित प्रश्न संख्या : 21 और 27 से 40	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 213 से 223, 225 से 230, 232 से 273, 275 से 286, 288 से 335, 337 से 344 और 346 से 442	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	264—269
प्राक्कलन समिति	269—270
चौदहवां प्रतिवेदन	
कार्य-मन्त्रणा समिति	270
तेरहवां प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	270—274
(एक) बम्बई में गंदी बस्तियों में पटरी पर रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा त्वरित आवास कार्यक्रम आरम्भ करने की आवश्यकता	
श्री शरद दिघे	270

* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय				पृष्ठ
(दो) उड़ीसा में निर्माणाधीन पांच रेल परियोजनाओं के तीन प्रभारी मुख्य अभियन्ताओं के मुख्यालयों को उड़ीसा में ही किन्हीं स्थानों पर स्थानान्तरित करने और महाप्रबन्धक के एक पद का सृजन करने की आवश्यकता				
श्रीमती जयन्ती पटनायक	...	...	...	271
(तीन) सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम और अन्य अभिकरणों द्वारा धान की वसूली किये जाने की आवश्यकता				
श्री जैनुल बशर	...	...	...	271
(चार) देश में दो बांधों के टूट जाने और उन पर आई भारी लागत को देखते हुए, बड़े बांधों के निर्माण की नीति की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता				
श्रीमती डी० के० भण्डारी	...	...	...	272
(पांच) पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के चक्रवात पीड़ित लोगों को राहत देने और उनके पुनर्वास हेतु और अधिक धनराशि देने की आवश्यकता				
श्री नारायण चौबे	...	...	...	273
(छः) आतंकवादी तत्वों की हिंसात्मक कार्यवाहियों को रोकने के लिए उचित उपाय करने की आवश्यकता				
श्री बी० वी० देसाई	...	...	...	273
(सात) कोयले के उत्पादन में प्रभावी समन्वय के लिए उड़ीसा राज्य में कोयला संसाधनों का विकास करने और एक कोयला विकास प्राधिकरण की स्थापना करने की आवश्यकता				
श्री हरिहर सोरन	...	...	...	273
भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक	...	...	...	274—294
विचार करने के लिए प्रस्ताव				
श्री जनार्दन पुजारी	...	...	...	274
खंड 1 से 11				
पारित करने के लिए प्रस्ताव				
श्री जनार्दन पुजारी	...	...	...	280

विषय | | पृष्ठ

विषय				पृष्ठ
कमजोर वर्गों की दशा सुधारने की योजनाओं के बारे में वक्तव्य				294—296
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	...	...	...	294
देश के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा	...	...	...	296—332
सरदार बूटा सिंह	...	...	...	296
राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण विधेयक		...	...	322—376
विचार करने के लिए प्रस्ताव				
श्री जगदीश टाइटलर		...	...	322
श्री चिन्ता मोहन	...	...	...	324
श्री पी० नामग्याल	...	...	...	325
श्री एन० टोम्बी सिंह	...	...	...	332
श्री अजित कुमार साहा	...	...	...	334
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	...	...	...	336
श्री सी० पी० ठाकुर	...	...	...	338
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	...	...	...	339
श्री शान्ताराम नायक	...	...	...	342
श्री मूलचन्द डागा	...	...	...	343
डा० दत्ता सामन्त	...	...	...	347
डा० गौरी शंकर राजहंस	...	...	...	349
श्री नारायण चौबे	...	...	...	353
श्री डालचन्द्र जैन	...	...	...	355
डा० ए० कलानिधि	...	...	...	358
श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी	...	...	...	360
श्री जी० एम० बनातवाला	...	...	...	361
श्री दिग्विजय सिंह	...	...	...	363
श्री सी० जंगा रेड्डी	...	...	...	365

विषय				पृष्ठ
श्री जगदीश टाइटलर	...	...	...	366
खंड 1 से 42				
पारित करने के लिये प्रस्ताव				
श्री जगदीश टाइटलर	...	...	...	375
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को रेल पास जारी करने के बारे में वक्तव्य			...	357
श्री पी० ए० संगमा	...	...	...	357

लोक सभा

मंगलवार, 19 नवम्बर, 1985/28 कार्तिक, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

सरदार त्रिलोचन सिंह तुर (तरन तारन)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 21, श्री अनन्त प्रसाद सेठी। वह उपस्थित नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या सदन में कोई हथियार लेकर आ सकता है। अभी जिन माननीय सदस्य ने ओथ ली, मैंने देखा कि उनकी बगल में शायद कोई हथियार है। आप इसकी व्यवस्था दें कि क्या कोई शस्त्र लेकर सदन में आ सकता है?

अध्यक्ष महोदय : वह शस्त्र नहीं है, शस्त्र लेकर नहीं आ सकते हैं और न ही कोई शस्त्र लेकर आया है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको कृपाण के सम्बन्ध में निर्णय देना होगा।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : मैंने देखा है कि अभी जो माननीय सदस्य ओथ ले रहे थे, उनकी बगल में चाहे कटार हो या कोई और हथियार हो, वे लिए हुए थे। इसलिए आप व्यवस्था दें ताकि हम लोग भविष्य में उसका अनुकरण करें।

अध्यक्ष महोदय : इसमें ऐसा है कि यह तो वैधानिक है और यह रिलीजस है। कोई दूसरा हथियार नहीं है।

श्री राम नगीना मिश्र : और भी धर्मों में व्यवस्था है। क्या उनके लिए भी छूट देने को तैयार होंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जो विधान लिखा है, वही होगा।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : संविधान के अनुसार कृपाण की अनुमति है। इसलिए इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कृपाण वैधानिक तौर पर है, तलवार वगैरह की बात नहीं है। वैधानिक तौर पर जो रिलीजस चीज हमारे बीच में है, वही है।

प्रश्न संख्या 22।

[हिन्दी]

"मुस्लिम पर्सनल ला" में संशोधन

*22. **श्री अमर राय प्रधान**
श्री काली प्रसाद पाण्डेय } : क्या **विधि और न्याय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का "मुस्लिम पर्सनल ला" में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अपेक्षित विधेयक कब पुरः स्थापित किया जाएगा ?

[अनुवाद]

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) मुस्लिम स्वीय विधि का संशोधन करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकार की यह निर्विवाद और घोषित नीति रही है कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय की स्वीय विधि में कोई परिवर्तन तब तक नहीं किया जाना चाहिये जब तक कि स्वयं उस समुदाय से इसके लिये कोई पहल न की जाय और ऐसे परिवर्तन के लिए स्पष्ट सहमति प्राप्त न कर ली जाये।

श्री अमर राय प्रधान : महोदय, शाहबानो के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अब एक नाजुक और भावात्मक मसला बन गया है। मालूम नहीं सरकार इस मामले को बहुत समय से क्यों लटकाये हुए है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शरीयत की पिछली बैठक में उन्होंने न केवल दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में संशोधन की मांग की बल्कि उन्होंने यह भी मांग की

कि भारतीय संविधान का 44वां अनुच्छेद मुसलमानों पर लागू न हो। उनका तर्क है कि मुसलमान पूर्णतः भिन्न हैं। उनका अपना अस्तित्व तथा पहचान है और वे शरीयत के पवित्र निर्देश के अनुसार ही चलते हैं।

अब यह धार्मिक ही नहीं, भाषाई मसला भी बन गया है। आप देखेंगे कि शरीयत सम्मेलन अर्थात् उस विशिष्ट बैठक की कार्यवाही में उन्होंने कहा था, "हैदराबाद के नवाब का शासन समाप्त होने का तात्पर्य है उर्दू के स्थान पर हिंदी को प्रोत्साहित किया जाना।" अध्यक्ष महोदय आप मुझसे सहमत होंगे कि जब मुस्लिम धर्मान्धता जारी है उसी समय ··

अध्यक्ष महोदय : कौन कहता है कि उर्दू को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है ?

श्री अमर राय प्रधान : मेरे पास कागजात हैं। शरीयत सम्मेलन में, या जो भी इसे कहिये, ऐसा कहा गया है।

अध्यक्ष महोदय : किसी मूर्ख का काम होगा।

श्री अमर राय प्रधान : मैं 8 अक्तूबर 1985, के "**इंडियन एक्सप्रेस**" से उद्धृत कर रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह किसी ने लिख दिया होगा।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान : जो भी हो, मेरा मुद्दा यह है कि ऐसे नाजुक मसले में इस तरीके से विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये। एक ओर तो मुसलमानों की धर्मान्धता जारी है तो दूसरी ओर हिन्दुओं की धर्मान्धता सिर उठा रही है जो कि राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से खतरनाक है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि इस मामले को आप कब तक टाल सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय पर अडिग रहेगी या संविधान के अनुच्छेद 44 या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में संशोधन करेगी। मैं इसका "हां" या "नहीं" में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 को सही परिप्रेक्ष्य में समझ लें। इसका किसी स्वीय विधि से सम्बन्ध नहीं है। धारा 125 का पूरा अध्याय उन बच्चों के भरण-पोषण, माता-पिताओं के भरण-पोषण तथा पत्नियों के भरण-पोषण से सम्बन्धित है जो स्वयं अपना भरण-पोषण नहीं कर सकते। अगर आप इस धारा को ठीक से समझें और मैं चाहता हूं कि अन्य भी इसे समझें तो यह एक सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित धारा है। अगर कोई पत्नी या कोई ऐसी महिला जो किसी की पत्नी रह चुकी है अपना भरण-पोषण नहीं कर सकती, उसकी ऐसी असहाय स्थिति है और वह समाज पर आश्रित है तो आप क्या सोचते हैं कि हम ऐसी महिलाओं को कोई राहत नहीं देंगे ? धारा 125 में इसी की व्यवस्था है। उदाहरण के लिए बच्चों का मामला लीजिए। हो सकता है वे अवैध हों लेकिन वे देश की सन्तान रहेंगे अतः उनका

भरण-पोषण करना देश का सामाजिक दायित्व है। बूढ़े और असहाय माता-पिता का उदाहरण लीजिए। उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए क्योंकि वे बच्चों को पालते-पोसते हैं और उन्हें पढ़ाते-लिखाते हैं लेकिन अन्त में अगर उन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है तो कानून में व्यवस्था है कि वे अदालत में जाकर राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो धारा 125 के अन्तर्गत तीन श्रेणी के व्यक्तियों की सुरक्षा की जाती है और एक प्रतिष्ठित और सभ्य समाज को ऐसा करना भी चाहिए। सभी धर्म इसे स्वीकार करते हैं। जहां तक शाहबानो के मामले का सम्बन्ध है यह उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। अगर आप शाहबानो मामले का इतिहास देखें तो पाएंगे कि यही एकमात्र ऐसा मामला नहीं है जिस पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है। इससे पूर्व भी ऐसे दो निर्णय लिए गये थे और उन निर्णयों में नौ न्यायाधीशों ने भाग लिया था। यह उतना आसान नहीं है, जितना कि आप कह रहे हैं, कि एक विवाद एक राजनैतिक विवाद के परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय का निर्णय बदल जाएगा। इस सदन में इस पर चर्चा जारी है। इस मामले पर बोलने वाले प्रत्येक सदस्य को हम सुन रहे हैं और हमारे दिलो-दिमाग स्पष्ट रूप से खुले हैं। अगर कहीं भी सर्वसम्मति की जरूरत पड़ी तो हम इस पर विचार कर सकते हैं। इस समय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को बदलने का सवाल नहीं होता। सरकार ऐसा नहीं कर सकती। सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय को बदल नहीं सकती।

श्री अमर राय प्रधान : अध्यक्ष महोदय, ऐसे नाजुक मसले में, देश-हित में, बहुत समय तक विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस मसले पर सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए विपक्षी दलों के साथ विचार-विमर्श करेगी।

श्री एच० आर० भारद्वाज : सभी जानते हैं कि श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर विपक्षी दल भी बोल रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : श्री बनातवाला स्वयं एक विपक्षी नेता है।

श्री पी० कुलन्दई वेलू : आज, श्रीमती इंदिरा गांधी के 68वें जन्म दिन पर सरकार को शपथ लेनी चाहिए ...

प्रो० मधु दंडवते : यह भी सूचना मांगिए कि क्या जन्म दिन है।

श्री पी० कुलन्दई वेलू : जी हां, निश्चय ही उनका जन्म दिन है। सरकार को शपथ लेनी चाहिए कि महिलाओं के साथ किए जाने वाले अन्याय को सदैव के लिए समाप्त किया जाएगा। हम देखते हैं कि दो विभिन्न धर्मों के लिए भिन्न-भिन्न स्तरों पर भरण-पोषण तथा सम्पत्ति के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में अनेक कानून हैं। इन सभी मामलों के लिए हम समान सिविल संहिता क्यों नहीं बना सकते? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ऐसा करने के लिए पहल करेगी।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने याद दिलाया है कि आज श्रीमती इन्दिरा गांधी का जन्म दिन है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि श्रीमती गांधी ही 1983-84 में सारे विधान लाईं। हमने भारतीय दण्ड संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता विशेष तौर पर भारतीय दण्ड संहिता 498 में संशोधन किया। ये संशोधन वहां किया गया है जहां यह परिकल्पना की गई थी अगर दहेज के कारण कोई मृत्यु होती है तो परिकल्पना इस मृत्यु के लिए जिम्मेवार व्यक्ति के विरुद्ध

जाएगी। जहां तक परिवार, अदालतों तथा अन्य अनेक उपायों का सम्बन्ध है श्रीमती गांधी महिलाओं की दशा सुधारने की अत्यधिक इच्छुक थीं। महिलाओं की स्थिति सुधारने का जहां तक संबंध है समान सिविल संहिता संविधान का वांछित लक्ष्य है। संविधान की धारा 44 से सभी परिचित हैं। लेकिन जहां तक समान सिविल संहिता का संबंध है, माननीय सदस्य भी सहमत होंगे कि इस देश में भिन्नता के साथ-साथ एकता भी। और जहां तक किसी स्वीय विधि में संशोधन का सम्बन्ध है हमने और सभा ने भी इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया है —चाहे कोई भी सरकार सत्ता में रही हो, उसने इस देश में रहने वाले समुदायों की सर्वसम्मति प्राप्त की है। अगर आप किसी समुदाय विशेष के किसी नाजुक मसले को उठाते हैं तो ऐसा करके आप देश का भला नहीं कर रहे हैं। हमें इस मामले में बहुत धैर्य से काम लेना चाहिए और जल्दी नहीं करनी चाहिए। हम जानते हैं कि जब वांछित लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं तो आरम्भ में कुछ कठिनाइयां आती ही हैं। मैं निवेदन कर चुका हूं कि इसके लिए पहल उस समुदाय की ओर से की जानी चाहिए। जो परिवर्तन चाहती है। मैं हिन्दू हूं। मैं अपने धर्म के बारे में बता सकता हूं लेकिन अन्य धर्मों के बारे में बेहतर ढंग से नहीं बता सकता क्योंकि हो सकता है मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं।

श्री जाफर शरीफ : मुझे खुशी है कि सरकार ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया है कि स्वीय विधि में संशोधन करने की उसकी कोई मंशा नहीं है। विपक्ष के मेरे मित्रों ने हमें श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्मदिन को स्मरण कराया है और वे चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय किए जाएं। शायद किसी भी व्यक्ति या सरकार ने महिला बच्चों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उतना नहीं कि ा है जितना श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया है। लेकिन मैं शाहबानो के मामले में देखता हूं कि बहुत से लोगों की सहानुभूति अपनी औरतों की अपेक्षा मुस्लिम महिलाओं के प्रति अधिक है। (**व्यवधान**) यह बहुत ही अजीब बात है। (**व्यवधान**) सभी महिलाएं समान हैं। श्रीमती गांधी ने यह सब किया था। लेकिन आज के विवाद में मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों पर आक्रमण के समय नहीं चिल्लाए। किंतु आज अचानक उन्हें उनकी चिंता हो गई है। यह उन्होंने सही कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे दिया है तथा और भी अनेक निर्णय हैं। लेकिन यह महसूस किया जा रहा है कि किसी न किसी रूप में सरकार पर यह जोर डाला जा रहा है कि इस पर चर्चा की जाए और न्यायालय के इस निर्णय पर चर्चा की जाए और सरकार ऐसा निर्णय ले (**व्यवधान**) जिससे अल्प संख्यक समुदाय में असुरक्षा की भावना पैदा हो और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। अतः क्या मन्त्री महोदय स्पष्टतया यह बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणापत्र में जो भी वायदे किए हैं वह उनको पूरा करेगी और वह स्वीय विधि में हस्तक्षेप नहीं करेगी।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं बार-बार यह दोहरा रहा हूं कि किसी स्वीय विधि में हस्तक्षेप करने का प्रश्न ही नहीं उठता, भले ही वह मुस्लिम वैयक्तिक विधि क्यों न हो, क्योंकि यह अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित है। प्रश्न यह है, यदि आप धारा 125 पर ध्यान दें, तो वकील होने के नाते मैं यह महसूस करता हूं कि इस धारा में कुछ गलत नहीं कहा गया है, क्योंकि यह धारा सभी महिलाओं को संरक्षण देती है और यह सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विधान है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने उस पर आपत्ति नहीं की है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : इस धारा में भी वही बात कही गई है। मैं माननीय सदस्यों को और बातें बताऊंगा। शाहबानो के मामले में मुख्य मुद्दा क्या है? उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे कुछ राशि दिलाई गई थी। मैं तो कहूंगा, जहां कहीं भी ऐसा होता है यह एक राजनैतिक विवाद है।

श्री भागवत झा आजाद : हमें सभी महिलाओं से सहानुभूति है।

श्री जी० एम० बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1972 में दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने के बाद धारा 125 को स्वीकार किया गया था। उस समय, इस धारा 125 का आज जो रूप है, उसकी बात की गई थी। मैं बीती बातें नहीं बता रहा हूं। मंत्री महोदय यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। उस समय यह कहा गया था कि जहां तक तलाकशुदा के अधिकारों के बनाये रखने का सम्बन्ध है, यह धारा 125 मुस्लिम वैयक्तिक विधि में बड़ी बाधक है। उस समय प्रतिनिधिमंडल ने भी हमारी तत्कालीन प्रधान मन्त्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी से भेंट की और उन्होंने मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल के विचारों पर सहमति प्रकट की और स्वर्गीया प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के अनुदेशों के परिणामस्वरूप, संसद में यह मामला पुनः उठाया गया और धारा 127 की उप-धारा 3 के खंड (ख) जोड़ा गया और तत्कालीन गृह राज्य मन्त्री श्री राम निवास मिर्धा ने विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से इस सभा में बताया कि सरकार की या इस संसद की ऐसी मंशा नहीं है कि वह दंड प्रक्रिया संहिता के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से मुस्लिम वैयक्तिक विधि में हस्तक्षेप करे। अतः स्थिति यह है। अब शाहबानो के मामले में निर्णय दिया गया है और अधिकांशतः सभी मुसलमानों—पुरुषों और स्त्रियों दोनों में सिवाय कुछेक को छोड़कर तथा मुस्लिम विधिवेत्ताओं का भी सर्वसम्मति से यह मत है कि शाहबानो के मामले में दिए गए निर्णय में, न्यायालय ने शरीयत तथा मुस्लिम वैयक्तिक विधि की व्याख्या करने में गम्भीर त्रुटि की है और इसलिए मुस्लिम वैयक्तिक विधि का अतिक्रमण हुआ है, उसमें हस्तक्षेप हुआ है, और उसमें परिवर्तन हुआ है और यह सरकार के कारण नहीं अपितु उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के परिणामस्वरूप हुआ है।

इसे ध्यान में रखते हुए मेरा प्रश्न यह है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी त्रुटि की है और हमारे मुताबिक मुस्लिम वैयक्तिक विधि में हस्तक्षेप हुआ है, क्या सरकार मुस्लिम वैयक्तिक विधि की सुरक्षा के लिए मेरे विधेयक का समर्थन करेगी अथवा अपना ही कोई विधेयक पेश करेगी या कोई कानून बनायेगी, क्योंकि विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह उचित समझा गया है कि मुस्लिम औरतों और तलाकशुदा औरतों की देखभाल करने के लिए मुस्लिम वैयक्तिक विधि में पर्याप्त उपबंध हैं और इसलिये समूचे मामले के इस विशेष परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार को दूर करने के लिए स्वयं कोई कार्यवाही करने के लिये आगे आयेगी।··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला आपकी बात बहुत लम्बी हो गई है। कृपया अब इसे समाप्त कीजिए।

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या सरकार इस धारणा को दूर करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही करेगी कि मुस्लिम वैयक्तिक विधि के अनुसार महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : यह असंगत है। मुझे आपको बोलने से मना करना होगा। मैं आपको ऐसा कहने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह बहुत ही संगत प्रश्न है। मैं इस पर रोष व्यक्त करके इस बात पर बल देना चाहता हूं कि इसमें सरकार ने नहीं अपितु न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है। अत: क्या सरकार कोई कार्यवाही करने के लिए आगे आयेगी ? जब तक प्रश्न···

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही बता चुके हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप बड़े अनुचित तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। यह उचित नहीं है।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप अनुचित बात कह रहे हैं। आप अनावश्यक लाभ उठा रहे हैं। आपने सब बातें स्पष्ट की हैं। अब बैठ जाइए। अपने शब्द वापस लीजिए। अपनी गलती मानिए।

श्री जी० एम० बनातवाला : इसका उत्तर दिया जाना चाहिए। महोदय, आपको मेरे अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं रक्षा कर रहा हूं। आप उन अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं जो मैंने आपको दिए हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं कोई दुरुपयोग नहीं कर रहा हूं। मैं कभी दुरुपयोग नहीं करता। मेरा रिकार्ड देख लीजिए।···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस समय आप अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आप अपना 'अनुचित' शब्द वापस लीजिए।···(**व्यवधान**)

श्री जी० एम० बनातवाला : यह मेरी अनुभूति है और मेरी अनुभूति सही है।···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से मामले को बढ़ा रहे हैं। क्या आपने उन शब्दों को वापस लिया ?

श्री जी० एम० बनातवाला : निश्चित रूप से नहीं। मेरी यही अनुभूति है। मेरे विरुद्ध कार्यवाही कीजिए। मुझे लगा कि आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं।··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको मौका दिया, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैंने बार-बार आपको चेतावनी दी और फिर भी आपने कोई ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मैंने कहा···

(**व्यवधान**)

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं मामले को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसका प्रश्न ही नहीं है। हर बात कही जा चुकी है। आप जो कह रहे थे मैंने वह भी समझा। आप बात को दोहरा रहे थे। मुश्किल यही थी···(**व्यवधान**)

श्री जी० एम० बनातवाला : सदन को यह गलतफहमी थी···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपने जो बात कही, सदन उसे अच्छी तरह समझ गया। और आपने जो कहा उसे मैं जानता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला : आपको मेरे अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए···

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके अधिकारों की रक्षा करने का प्रयत्न किया लेकिन आपने स्वतंत्रता का गलत अर्थ लगाया तथा सदन के समय का दुरुपयोग किया। आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए।

श्री जी० एम० बनातवाला : यदि आप मन्त्री महोदय से मेरे प्रश्न का जवाब देने के लिए कहें तो मैं समझूंगा कि मेरे साथ न्याय किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें पहले ही इसका जवाब देने के लिए कह चुका हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला : तब मैं समझता हूं कि मेरे साथ न्याय किया जा रहा है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : श्री जी० एम० बनातवाला संसद के एक बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने संसद में बहुत उपयोगी योगदान दिया है। आज उनको आवेश में आते हुए देखकर मुझे सचमुच बहुत हैरानी हुई है। उन्हें यह मामला अध्यक्षपीठ पर छोड़ देना चाहिए था।

आपने यह बताकर मुझ पर बहुत कृपा की कि इस धारा में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के कहने पर संशोधन किया गया था। उसी से स्पष्ट हो जाएगा कि अल्पसंख्यकों के मामले हम कितनी सावधानी से निपटाते हैं। उस समय जो भी भावनाएं व्यक्त की गई थीं, उन्हें 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता में समावेश किया गया था। अब आप कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायायल ने उस मामले में, आपको भ्रम में डाल दिया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की सांविधिक पीठ ने कुछ ऐसा निर्णय दिया जिसमें उन्होंने पवित्र कुरान तथा शरीयत से कुछ उद्धरण शामिल हैं। और अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोग उससे क्षुब्ध हैं। यह बात सब जानते हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश के कानून इसी तरह बनाती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से आपके मन में कुछ भ्रांतियां पैदा हो गई हैं तो आप स्वयं सदन में उन्हें बता रहे हैं। लोकतंत्र में हमेशा वाद-विवाद होता है। सदन में हम कभी भी निर्णय की चर्चा नहीं करते। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक बार निर्णय दिए जाने के बाद हम सामान्य रूप से इस निर्णय को मानते हैं, मैं अपनी और सरकार की बात कर रहा हूं। लेकिन चूंकि यह अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित प्रश्न है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और आप इस वाद-विवाद में भाग ले रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसे शीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए तो वह अच्छा नहीं होगा। लोकतन्त्र में देश में मामलों पर बार-बार चर्चा की जानी चाहिए। जल्दी में लिया गया निर्णय न आपके हित में होगा और न मेरे।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : अपने विचार बड़े स्पष्ट रूप से निष्पक्ष रूप से और तर्कपूर्ण ढंग से व्यक्त करने के लिए हैदराबाद में मंत्री महोदय का घेराव किया गया था। सदन में अपने विचार व्यक्त करने के लिए मंत्री महोदय का घेराव करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? सर-

कार द्वारा यह देखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि धर्मान्धता अल्पसंख्यकों की आवाज का गला न दबाए।

श्री एच० आर० भारद्वाज : राजनैतिक जीवन में, लोगों को प्रदर्शनों का सामना करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि हम उन बातों पर ध्यान न दें।

श्री शान्ताराम नायक : महोदय, भारत के संविधान में बताए गए मुस्लिम कानून और वैय-क्तिक विधि से सम्बन्धित मामलों को देखते हुए, क्या भारत सरकार ने गोवा, दमन और द्वीव में विद्यमान कानून के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है? संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव में समान दंड संहिता है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने उस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : जैसा कि मैंने निवेदन किया है और चूंकि माननीय सदस्य गोवा के हैं, उन्हें भी इसकी जानकारी है कि गोवा का समाज बहुत ही उदार समाज है।

मंगलौर और करनाल तेल शोधन परियोजनाओं की स्थापना

***23. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर †**
श्री हन्नान मोल्लाह } : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के समक्ष सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संयुक्त क्षेत्र में मंगलौर और करनाल तेल शोधन परियोजनाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में बातचीत पूरी हो गई है; और

(ग) इन तेल शोधन परियोजनाओं की स्थापना का कार्य कब तक शुरू किया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) इन तेल शोधक कारखानों को संयुक्त क्षेत्र में स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है। इस बारे में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : महोदय मन्त्री द्वारा दिया गया उत्तर बिल्कुल अस्पष्ट है। मैं इस बात का एक निश्चित उत्तर चाहता हूं कि क्या सरकार ने मंगलौर तेल शोधक कारखाने के संबंध में कोई निर्णय लिया है। भारत सरकार के अनुरोध पर राज्य सरकार ने पहले ही इस मामले में कार्यवाही आरम्भ कर दी है। लगभग एक हजार चार सौ एकड़ भूमि अर्जित की गई और पानी और बिजली का आश्वासन दिया गया है। भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष ने हाल ही में कहा है कि भारतीय तेल निगम की करनाल तेल शोधक कारखाने में केवल 26 प्रतिशत इक्विटी रहेगी। परंतु मंगलौर तेल शोधक कारखाने के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने मंगलौर में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो क्या सातवीं

योजना में इस प्रयोजन के लिये कोई प्रावधान किया गया है। मैं मन्त्री महोदय से एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। इसका भी वही हाल नहीं होना चाहिए जो कर्नाटक में विजय नगर इस्पात संयंत्र का हुआ। मैं इस बात का एक स्पष्ट उत्तर चाहूंगा कि मंगलौर तेल शोधक कारखाना उसी प्रकार स्थापित किया जाएगा जिस प्रकार उन्होंने करनाल तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया है।

श्री नवल किशोर शर्मा : माननीय सदस्य ने मंगलौर में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया है। वास्तव में सरकार ने सातवीं योजना के दौरान दो आधार-भूत तेल शोधक कारखाने एक मंगलौर में और दूसरा करनाल में स्थापित करने का विचार किया है। परन्तु सातवीं योजना में इन परियोजनाओं के लिए प्रावधान करते समय यह देखा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में इन दो परियोजनाओं को शुरू करने में साधनों में गम्भीर रूप से रुकावट उत्पन्न होती थी। संसाधनों की कठिनाई अनुभव की जा रही है और इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इन तेल शोधक कारखानों को संयुक्त क्षेत्र में स्थापित करने का विचार किया है। करनाल और मंगलौर में ये तेल शोधक कारखाने स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें ये तेल शोधक कारखाने स्थापित करने वाली इच्छुक पार्टियों को अपनी शर्तों के साथ आमन्त्रित किया गया। उस प्रेस विज्ञप्ति के उत्तर में कुछ पार्टियों ने मंगलौर तथा करनाल दोनों तेल शोधक कारखानों के लिए रुचि दिखाई है। इस मामले पर आगे कार्यवाही हो रही है। यदि धन की कोई कठिनाई हो और यदि संयुक्त उद्यम व्यवहार्य प्रतीत हो तथा सरकार और देश के सर्वोत्तम हित में हो तो हम सचमुच इस प्रकार का तेल शोधक कारखाना मंगलौर में स्थापित करने की आशा करेंगे।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मन्त्री महोदय के उत्तर से मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने इन संयंत्रों को स्थापित करने का निर्णय कर लिया है, चाहे यह सार्वजनिक क्षेत्र में हो अथवा संयुक्त क्षेत्र में। यदि ऐसा है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि वे कौन-सी पार्टियां हैं जो ऐसा करने के लिए आगे आई हैं और क्या बातचीत के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है।

श्री नवल किशोर शर्मा : मंगलौर तेल-शोधक कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन इस प्रकार का तेल-शोधक कारखाना स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। मंगलौर तेल-शोधक कारखाने में जिन पार्टियों ने रुचि दिखाई है, वे निम्नलिखित हैं :

1. गल्फ कन्सोलीडेटिड कम्पनी
2. जुआरी एग्रो केमिकल्स लि०
3. एसर इन्वेस्टमेंट्स लि०
4. लार्सन एण्ड टूब्रो
5. रिलाएन्स इन्डस्ट्रीज लि०
6. शेल इन्टरनेशनल पेट्रोलियम

7. इंडियन रेयन कार्पोरेशन

8. दि सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०

9. यूनाइटेड ब्रेविरीज ग्रुप

10. कृष्णा स्टील इण्डस्ट्रीज

11. डा० बी० के० सिन्हा (फ्रांस)

श्री हन्नान मोल्लाह : मन्त्री द्वारा दिए गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कुछ निजी फर्मों ने इस सम्बन्ध में सरकार के साथ सहयोग करने में अपनी रुचि प्रदर्शित की है। मैं उन कम्पनियों के साथ बातचीत में हुई प्रगति को जानना चाहूंगा। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि वह किसके साथ सहयोग करेगी। मैं इस बारे में विस्तार से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार निजी क्षेत्र में भी संयुक्त सहभागिता चाहती है और इस सहभागिता में कितना हिस्सा होगा।

श्री नवल किशोर शर्मा : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि सरकार इन परियोजनाओं को संयुक्त क्षेत्र में लगाना चाहती है। इसी कारण संयुक्त क्षेत्र के लिए मार्गनिर्देश तैयार करने जारी कर दिए गये हैं। कुछ पार्टियों ने इसमें रुचि दिखाई है और विभिन्न तेल कम्पनियों को मूल्यांकन का काम सौंपा गया है। मंगलौर के सम्बन्ध में एच० पी० सी० तथा करनाल के मामले में आई० ओ० सी० प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रहे हैं। मूल्यांकन के पश्चात् सचिवों की समिति इस विषय में विचार करेगी; और जब सचिवों की समिति द्वारा विचार किये जाने के बाद ही सरकार इस मामले में निर्णय लेगी।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या मैं माननीय मन्त्री से यह पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने करनाल तेल-शोधक कारखाने की आधार-शिला रखने के लिए तारीख 16 नवम्बर निर्धारित की थी। यदि इसका उत्तर 'हां' में है तो क्या उस समय वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में नहीं रखा गया? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि तेल-शोधक कारखाने के लिए भारत सरकार ने भूमि अर्जित की है और धनराशि उपलब्ध की है।

अन्त में, जैसा कि माननीय मन्त्री ने मंगलौर तेल-शोधक कारखाने को संयुक्त क्षेत्र में स्थापित करने के लिए प्रस्ताव करने वाली पार्टियों के सम्बन्ध में जानकारी देने की कृपा की है, क्या उनके लिए यह सम्भव होगा कि वह हमें उन पार्टियों के नाम दें जिन्होंने करनाल तेल-शोधक कारखाने में सम्मिलित होने के लिए अपने प्रस्ताव भेजे हैं?

श्री नवल किशोर शर्मा : इस जानकारी के सम्बन्ध में कि क्या श्रीमती गांधी ने करनाल तेल-शोधक कारखाने की आधार-शिला रखना स्वीकार किया था मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात को देखना होगा। मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। किंतु यह सत्य है कि सरकार करनाल तेल शोधक कारखाने के बारे में आगे कार्यवाही करना चाहती है और भूमि अर्जित करने की प्रक्रिया तथा अन्य बातों पर विचार किया जा चुका है। किंतु सातवीं योजना में वित्तीय कठिनाइयों

के कारण यह सोचा गया कि इसे छोड़ दिया जाए। परन्तु चूंकि सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल-शोधक कारखाने को शुरू करने को उत्सुक है, इसलिए इसने एक संयुक्त उद्यम के रूप में इसे शुरू करने की बात सोची है।

उन पार्टियों के सम्बन्ध में जिन्होंने करनाल तेल-शोधक कारखाने में रुचि दिखाई है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए उन पार्टियों के नाम पढ़ता हूं। वे इस प्रकार हैं :

1. बी० डी० स्टील्स कास्टिंग्स लि०
2. शेल इन्टरनेशनल
3. दि सेंचुरी स्पिनिंग एण्ड मैनुफैक्चरिंग कं० लि०
4. मेसर्स जुआरी एग्रो केमिकल्स लि०
5. नेशनल इंजीनियरिंग कम्पनी, जयपुर
6. मेसर्स स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि०, नई दिल्ली
7. मेसर्स पुंज एण्ड सन्स लि०, नई दिल्ली
8. दि ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग (वीविंग) कं० लि०
9. मि० श्रीचन्द पी० हिन्दूजा, यू० के०
10. गोल्डन टुबैको कम्पनी
11. मेसर्स बजोरिया एजेंसी प्राइवेट लि०

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश में तेल एक प्रमुख उद्योग है, क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूं कि जहां तक प्रमुख उद्योगों का सम्बन्ध है क्या सरकार अपनी नीति पर पुनः विचार करने जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के तेल-शोधक कारखानों को सार्वजनिक क्षेत्र में ये नए उद्योग स्थापित करने के लिए आमन्त्रित करने की बजाय सरकार निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त सहयोग करने का निर्णय क्यों कर रही है? क्या यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण में सहायक होगा? इस देश की सरकार तथा लोगों ने इस देश में तेल उद्योग को एक आत्मनिर्भर उद्योग बनाने के लिए अधिक प्रयास किए हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखेगी और संयुक्त क्षेत्र की बजाय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी तेल शोधक कारखानों को इस प्रकार के तेल शोधक कारखाने स्थापित करने के लिए कहेगी।

श्री नवल किशोर शर्मा : सरकार को ये तेल शोधक कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करने में दिलचस्पी है। किंतु संसाधनों की कठिनाई के कारण यह ऐसा नहीं कर सकी। अतः या तो इन तेल शोधक कारखानों को ताक पर रख दिया जाए अथवा इन्हें स्थापित करने के लिए अर्थोपायों का पता लगाया जाए। निजी पार्टियों अथवा संयुक्त क्षेत्र में सम्मिलित होने के लिए, मैं यह कहना

चाहूंगा। सम्भवत: माननीय सदस्य ने 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प की ओर संकेत किया है। यह संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना, जिसकी हमने परिकल्पना की है, 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार जो इस प्रकार है इसे सदन तथा माननीय सदस्य के हित में मैं इसे पढ़कर सुनाता हूं। इसमें कहा गया है :

"यह वर्तमान निजी इकाइयों के विस्तार अथवा नई इकाइयों की स्थापना के लिये राज्य के निजी उद्योगों का सहयोग प्राप्त करने की सम्भावना से इन्कार नहीं करता है यदि राष्ट्रीय हित में इस प्रकार की आवश्यकता पड़े।"

श्री इन्द्रजीत गुप्त : प्रश्न का एक भाग जो मैं पूछना चाहता था वह पहले ही श्री पाणिग्रही ने पूछ लिया है। निस्सन्देह आपने उत्तर सुन लिया है; सभी ने इसे सुन लिया है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण वह काम हाथ में लेने के लिए मजबूर है—जिसे मैं समझता हूं कि नीति का बड़ा उत्क्रमण है। खैर, मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है : चूंकि सरकार इन नए तेल शोधक कारखानों को संयुक्त क्षेत्र में लगाने के लिए कृतसंकल्प है—यहां असम के एक कारखाने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है क्या वह कम से कम इस सदन को यह आश्वासन देंगे कि तेल शोधक कारखानों के परिचालन संबंधी नियंत्रण तथा प्रबन्ध में क्या सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सरकार को निर्णयात्मक अधिकार प्राप्त होगा ? क्योंकि सामने आने वाली पार्टियों के नामों की सूची जो उन्होंने हमें पढ़कर सुनाई है उसमें वे नाम भी हैं जिन्हें तेल तथा पेट्रोलियम क्षेत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। कपड़ा मिलें भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जिन्हें स्पष्टत: विदेशी सहयोग भी लाना है। अत: मुझे इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि यदि यह संयुक्त क्षेत्र में है, तो इन तेल शोधक कारखानों के दैनिक प्रबन्ध तथा नियन्त्रण के लिए कौन जिम्मेदार होगा।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प आगे पढ़कर सुनाता हूं। मैं इसे आपकी सुविधा के लिए पढ़कर सुनाता हूं। इसमें कहा गया है :—

"जब कभी निजी उद्यम के साथ सहयोग आवश्यक है राज्य पूंजी में या अन्यथा अधिक भागिता के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि इसके पास नीति के निर्देश के लिये और उपक्रम के कार्यों पर नियन्त्रण रखने के लिए अपेक्षित शक्तियां हों।"

अत: यह भी सरकार पर बन्धनकारी है। जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके सम्बन्ध में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परिचालन नियन्त्रण उन तेल कम्पनियों के हाथ में हो जो परियोजनाएं चला रही हैं।

श्री इंद्रजीत गुप्त : मैंने कभी "इक्विटी" भागिता के विषय में नहीं पूछा। जहां तक इक्विटी भागिता का सम्बन्ध है, एक संयुक्त क्षेत्र में वह स्पष्टत: 'अल्प भागीदार' होंगी। मैं प्रबन्ध नियन्त्रण के बारे में पूछ रहा था। बोर्ड में कुछ निदेशकों के बिना आप इसे सुनिश्चित नहीं कर सकते।

श्री नवल किशोर शर्मा : आपको मार्गनिर्देशों के अनुसार कार्य करना है। जो कुछ आपने कहा है हम सचमुच उसे ध्यान में रखेंगे।

श्री भागवत झा आजाद : श्री पाणिग्रही के प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री ने कहा कि—

वित्तीय कठिनाई के कारण इस परियोजना को संयुक्त क्षेत्र में लगाने के लिए विचार किया जा रहा है। उन्होंने हमें 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के बारे में जानकारी देने की कृपा की है। इस प्रावधान के बावजूद सरकार द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस परियोजना को संयुक्त क्षेत्र में केवल वित्तीय कठिनाई के कारण लगाया जा रहा है। अथवा क्या यह अब सरकार की नीति है, और क्या नीति में कोई परिवर्तन हुआ है, ताकि इस प्रकार की और अधिक परियोजनाएं हों जिन पर निजी क्षेत्र में ध्यान दिया जाएगा? मैं वह स्पष्टीकरण आप से चाहता हूं।

श्री नवल किशोर शर्मा : तेल-शोधक क्षेत्र में संयुक्त उद्यम के प्रश्न के सम्बन्ध में, पहले भी हमारे दो तेल-शोधक कारखाने संयुक्त प्रयास से चल रहे थे। अतः यह कोई नई संकल्पना नहीं है। जहां तक सरकारी नीति के प्रश्न का सम्बन्ध है। जहां तक मुझे अपने विभाग की जानकारी है यह केवल संयुक्त उद्यम के सम्बन्ध में है।

सातवीं योजना में औद्योगिक क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की भूमिका

*24. **श्री चित्त महाता** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय-योजना में औद्योगिक क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चित्त महाता : अध्यक्ष महोदय, 22 सितम्बर के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "बिग रोल फार प्राइवेट सैक्टर इन दी इंडस्ट्रीयल स्फीयर इन सेवंथ फाइव इयर प्लान" (सातवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र में गैर सरकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका) नामक शीर्षक से समाचार छपा था। मेरे प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में माननीय मन्त्री ने "जी नहीं" उत्तर दिया है। इसलिए मैं माननीय उद्योग मन्त्री से जानना चाहता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने लाइसेंस बड़े औद्योगिक गृहों और सरकारी क्षेत्र की यूनिटों को जारी किए गये हैं। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र के साथ-साथ गैर-सरकारी क्षेत्र को कितना धन आवंटित किया गया है और इसके क्या कारण हैं।

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : जहां तक बड़े औद्योगिक गृहों को जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस की संख्या का सम्बन्ध है, प्रारम्भ में हमने बड़े औद्योगिक गृहों के अलग आंकड़े नहीं रखे हैं। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष उद्योग की जानकारी चाहते हैं तो निस्सन्देह मुझे इसके लिए नोटिस चाहिए।

जहां तक धन राशि के आबंटन का सम्बन्ध है, गैर सरकारी क्षेत्र के लिए छठी योजना में जो प्रावधान किया गया है लगभग उतना ही प्रावधान सातवीं योजना में किया गया है। छठी योजना में

गैर-सरकारी क्षेत्र का परिव्यय कुल परिव्यय का औसतन 58.2 प्रतिशत है और सातवीं योजना में भी यह 59.4 प्रतिशत तक थोड़ा बढ़ा है। यह मामूली परिव्यय छोटे उद्योगों के लिए बढ़े हुए परिव्यय का द्योतक है जो अधिकांशतः गैर-सरकारी क्षेत्र में है।

श्री चित्त महाता : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : कार्यान्वियन के प्रभारी मन्त्री जी को इसका उत्तर देना चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी : इस मामले के बारे में इस तरह की कोई नीति नहीं है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह वास्तव में पिछले प्रश्न के सिलसिले में है।

क्या मैं माननीय मन्त्री से जान सकता हूं कि क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल करने और बिजली, तेल की खोज, तेल शोधन, पत्तन विकास, विमान परिवहन, दूर संचार, खनन, तथा सड़कों और पुलों के निर्माण सहित आधारभूत क्षेत्र को, जो औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 की अनुसूची 'क' के अन्तर्गत अभी तक सरकारी क्षेत्र के लिये सुरक्षित हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र को देने का निर्णय लिया है। 1956 की नीति के अनुसार ये सभी मामले सरकारी क्षेत्र में हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार की अब यह नीति है कि पहले की नीति में परिवर्तन किया जाये और गैर-सरकारी क्षेत्र के लाभ के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में इन सुरक्षित क्षेत्रों को शामिल किया जाए। और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : इसी सूची में सरकार को भी जोड़ा जाये।

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, सबसे पहले क्या मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हमारी औद्योगिक नीति की कसौटी तो 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प रहा है।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : अब इसका केवल मतलब है कि इस पर कोई कार्रवाई न की जाए। (व्यवधान) आप इसकी पहले ही उपेक्षा कर चुके हैं। (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : पालन करने की अपेक्षा नीति का उल्लंघन अधिक किया जाता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष 8 नवम्बर, 1985 को दिये गए प्रधान मन्त्री के उद्घाटन भाषण का उल्लेख करता हूं जिसमें उन्होंने सही उल्लेख किया है कि "सरकारी क्षेत्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। इसने पिछड़े क्षेत्रों के विकास में आधुनिक प्रौद्योगिकी को शुरू करने, व्यापक क्षेत्रों में औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी सहायता पहुंचाने और आर्थिक शक्ति के केन्द्रण को रोकने के लक्ष्यों को प्राप्त करने की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसकी पहल का श्रेय देशी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बड़े पैमाने के विकास को जाता है।"

महोदय, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराते समय हमें उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी के नये क्षेत्रों को स्वीकार करना चाहिए जो हमारे लिए खोले गए हैं। सारणी 'क' और सारणी 'ख' में ऐसी बहुत सी मदें हैं जिन पर अब गहराई और विस्तार से विचार किया जाना है। अतः हम केवल इस बात पर विचार कर रहे हैं कि गैर सरकारी क्षेत्र में कौन से विशिष्ट मामले रखे जा सकते हैं और ऐसा करते समय हम यह भी विचार कर रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र का महत्व किसी प्रकार कम न हो।

प्रो० मधु दण्डवते : शीर्ष स्थान वाले सरकारी क्षेत्र को अब सहायता की आवश्यकता हो रही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : लेकिन यह स्वीकार किया जाना होगा कि वहां राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। राज्यों के साथ वित्तीय संस्थाएं हैं। राज्यों के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। औद्योगिक विकास (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियां राज्य के पास हैं। हमारी नीति के उल्लंघन का कोई प्रश्न ही नहीं है।

जहां तक लाइसेंस को रद्द करने का सम्बन्ध है। माननीय सदस्य ने उन अधिसूचनाओं को देख लिया होगा जो समय-समय पर सदन के सभा पटल पर रखे गए हैं। यह अभी नहीं बल्कि पहले भी दूर-संचार उपकरण के क्षेत्र में गैर-सरकारी उद्यम के सहयोग को स्विचिंग और पारेषण उपकरणों के निर्माण में प्राप्त किया जाना था जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कम से कम 51 प्रतिशत शेयर थे और गैर-सरकारी क्षेत्र की पार्टियों के अधिक से अधिक 49 प्रतिशत शेयर थे। टेलीफोन उप-भोक्ताओं के परिसरों पर टेलीफोन उपकरण, पी० ए० बी० एक्स प्रणाली, टेलीप्रिंटर, आंकड़ा संचार, आदि बनाने के लिए दूर-संचार उपकरण के निर्माण की अनुमति गैर-सरकारी क्षेत्र को दी जाए। यदि मुझे सही याद है तो इस सुझाव का स्वागत सदन के सभी वर्गों द्वारा किया गया था, क्योंकि यह व्याव-हारिक था और यह हमें दूर-संचार के क्षेत्र में उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की ओर ले गया है। जहां तक सारणी 'क' और सारणी 'ख' का सम्बन्ध है हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं कि हम सारणी 'क' का और कहां तक विस्तार कर सकते हैं तथा उन मदों को कहां तक श्रेणीबद्ध कर सकते हैं। जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी के विशिष्ट मदों में गैर-सरकारी क्षेत्र को भी भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया जा सकता है।

श्री थम्पन थामस : मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस बात को जानती है कि अधिकांश गैर-सरकारी क्षेत्र को पूंजी सरकारी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त हो रही है और यदि हां, तो इसके क्या मानदण्ड हैं जिस पर सरकार गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र का निर्धारण कर रही है। यदि गैर-सरकारी उद्यमी अपना धन या पूंजी सरकारी वित्तीय संस्थान से प्राप्त करता है तो क्या आप ऐसे क्षेत्र को गैर-सरकारी क्षेत्र कहेंगे और उस आयाम में जो सरकारी पैसा फंसा हुआ है क्या उसके लिए सरकार इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए नियम और विनियम बनायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, गैर-सरकारी क्षेत्र की परिभाषा सर्वविदित है। इसकी परिभाषा औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में भी दी गई है। निस्सन्देह जब वित्तीय संस्थाएं कुछ धन

ऋण रूप में देती हैं तो वे वास्तव में कुछ शर्तें निर्धारित करती हैं जिसे सम्बन्धित गैर-सरकारी पार्टी को मानना होता है।

प्रो० मधु दंडवते : इसका मतलब यह हुआ कि कसौटी अभी भी बनी हुई है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को बकाया राशि का भुगतान करने में राज्य विद्युत बोर्डों की असफलता

* 25. श्री जी० एस० बसवराजू †
श्री एच० एन० नन्जे गौडा } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों पर बकाया राशि में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है और बोर्ड राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड की ओर बकाया राशि का पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड से बकाया राशि वसूल करने के लिए सरकार/राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को राज्य बिजली बाडों द्वारा देय बकाया राशियों में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

(ख) सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) एक स्कीम चालू की गई है, जिसमें राज्य बिजली बोर्डों को विद्युत की सप्लाई साख-पत्रों पर की जाएगी और अनेक बोर्डों ने साख-पत्र जारी कर दिए हैं। अन्य राज्य बिजली बोर्डों को ऐसा करने के लिए सहमत किया जा रहा है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को समय पर भुगतान का मामला राज्यों के विद्युत मंत्रियों के नोटिस में ला दिया गया है। जिन भुगतानों में विलम्ब हो जाता है उन पर अधिशुल्क भी लगाया जा रहा है।

विवरण

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को बकाया राशि का भुगतान करने में राज्य विद्युत बोर्डों की असफलता के बारे में विवरण

सुपर ताप विद्युत केन्द्र	राज्य बिजली बोर्ड	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की विद्युत के लिए बकाया राशि (करोड़ रु० में) 8 नवम्बर, 85 की स्थिति के अनुसार
1	2	3
सिंगरौली	1. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	61.94
	2. राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड	17.05

1	2	3
	3. दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	31.44
	4. हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड	8.08
	5. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	3.04
	6. चंडीगढ़ (यू० टी०)	0.14
	जोड़ :	103.69
कोरबा	1. मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड	19.24
	2. महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड	8.11
	3. गुजरात विद्युत बोर्ड	5.00
	4. गोआ	2.83
	जोड़ :	35.18
रामगुण्डम	1. आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	18.02
	2. केरल विद्युत बोर्ड	17.24
	3. तमिलनाडु विद्युत बोर्ड	0.74
	जोड़ :	36.00
	कुल जोड़ :	174.87

श्री जी० एस० बसवराजू : एन० टी० पी० सी० द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार राज्य विद्युत बोर्डों से कुल बकाया राशि 174.87 करोड़ रुपये है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सरकार और एन० टी० पी० सी० ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं कि एस० ई० बी० द्वारा भुगतान किया जाए। इन उपायों में एन० टी० पी० सी० और राज्य विद्युत बोर्डों के प्रतिनिधियों के बीच अनौपचारिक बैठकें करना विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों, विशेषकर भुगतान करने वाले बोर्डों के साथ अनौपचारिक पत्र-व्यवहार करना शामिल है। हाल ही में एन० टी० पी० सी० ने हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड तथा अन्य राज्य विद्युत बोर्डों को लिखा है।

एक माननीय सदस्य : केवल हरियाणा ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के विद्युत बार्डों को लिखा है। विद्युत विभाग ने भी विभिन्न राज्यों/राज्य विद्युत बोर्डों को एन० टी० पी० सी० स्टेशनों से विद्युत खरीदने के लिए उनके प्रति बकाया राशि को चुकाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। नवम्बर, 1985 के प्रथम सप्ताह में राज्य विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में सभी सम्बन्धित राज्यों से एन० टी० पी० सी० को तुरन्त भुगतान करने को कहा गया है।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : प्रत्येक परियोजना के मामले में हम सरकार से यह सुन रहे हैं कि इसमें वित्तीय अड़चने हैं। अब बकाया राशि लगभग 175 करोड़ रुपये है। क्या यह सही नहीं है कि पैसे की कमी के कारण अन्य परियोजनाओं में एन० टी० पी० सी० लक्ष्य के मुताबिक प्रगति नहीं कर सकी है और यदि हां, तो सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ? मुझे पता चला है कि पैसे की कमी के कारण एन० टी० पी० सी० अन्य परियोजनाओं के मामले में लक्ष्य के मुताबिक प्रगति नहीं कर सका है। दूसरी बात जो मैं जानना-चाहता हूं वह यह है कि एन० टी० पी० सी० के माध्यम से कुल कितना निवेश किया गया है और क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि एन० टी० पी० सी० लाभ में चल रहा है, क्या वह निवेश के अनुसार लाभ कमा रहा है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा एन० टी० पी० सी० को भुगतान न किए जाने के बारे में हमें बहुत चिन्ता है। एन० टी० पी० सी० और भारत सरकार राज्य सरकारों को यह बताने की भरसक कोशिश कर रहे हैं कि वे राज्य विद्युत बोर्डों को ये भुगतान करने के लिए निदेश दें।

एन० टी० पी० सी० के वित्तीय निष्पादन के बारे में, जिसे माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, निगम ने 1983-84 में 44.49 करोड़ रुपये की तुलना में 1984-85 के दौरान 87.54 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है। 1984-85 के दौरान लगाई गई पूंजी पर 9.53 प्रतिशत प्रतिलाभ हुआ है और वास्तविक इक्विटी पर 10.04 प्रतिशत प्रतिलाभ बैठता है। निगम की इक्विटी पूंजी पर प्रतिलाभ की निर्धारित दर 10 प्रतिशत है।

श्री एच० एन० नन्जे गौडा : अन्य परियोजनाओं के बारे में क्या स्थिति है जहां पैसे की कमी के कारण वे लक्ष्य के मुताबिक प्रगति नहीं कर सकीं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : एक मामले को छोड़कर जिसमें हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बीते गए समय को पूरा किया जाए, परियोजनाओं में विलम्ब नहीं हुआ है।

श्री अमल दत्त : विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों से बकाया राशि की एक सूची हमें दी गई है। ये बकाया राशि एक दिन में नहीं हुई है। वे कई वर्षों ये इकट्ठी हुई है। और तब से सरकार क्या कर रही है ? बकाया राशि जमा हो रही है। उन्होंने केवल एक ही काम किया है कि हाल में उन्होंने पत्र भेजे हैं। स्पष्ट रूप से यह एक प्रकार की राज-सहायता है जो कुछ राज्यों को दी गई है। यह अप्रत्यक्ष रूप से दी गई है। लेकिन इस तरह की राज-सहायता ऐसे अन्य राज्यों को नहीं दी गई है जो न तो

एन० टी० पी० सी० के लाभभोगी हैं और न उनके साथ सम्बद्ध हैं। क्या मन्त्री जी इसे स्पष्ट करेंगे कि यदि इस प्रकार की अप्रत्यक्ष राज-सहायता एक और वर्ष के लिए भी जारी रहती है तो अन्य राज्यों, जो इसके लाभभोगी नहीं हैं, को भी अपने 'जनरेटिंग स्टेशन' स्थापित करने के लिए वही पैसा दिया जाएगा।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह पैसा किसी भी तरह से राज-सहायता नहीं है। जैसा कि मैंने अपने उत्तर में पहले ही बताया है कि ये भुगतान करने के लिए सरकार राज्य सरकारों को बताने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। यद्यपि समय-समय पर राज्य विद्युत बोर्ड एन० टी० पी० सी० को भुगतान कर रहे हैं फिर भी भुगतान एन० टी० पी० सी० के बिलों के अनुरूप नहीं है जिसके परिणामस्वरूप बकाया राशि में वृद्धि हुई है। कुछ और अन्य कदम हैं जिन्हें हम राज्य सरकारों के साथ उठा रहे हैं। और हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा एन० टी० पी० सी० को ये भुगतान किए जाएं।

श्री अमल दत्त : यदि वे भुगतान नहीं करते हैं तो क्या होगा ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : लेकिन क्या आप इसकी सलाह देंगे ? प्रश्न यह है।

केवल यही एक सक्रिय कदम है जो हमारे विवेकाधीन है और जिसे हम उठा सकते हैं। परन्तु क्या यह राष्ट्र और सम्बन्धित राज्यों के हित में होगा कि अदायगी न करने के लिए बिजली देने से मना कर दिया जाए ? हम उनके साथ बैठे हुए हैं। हम उन पर दबाव डाल रहे हैं और हम यह देखने के लिए कुछ और कदम उठाएंगे कि ये भुगतान कर दिए जाएं। लेकिन हम राष्ट्र के हित में इस पर विचार नहीं करते हैं कि चूककर्त्ता राज्यों की बिजली काट दी जाए।

श्री अमल दत्त : मैं आपसे यह करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे कुछ और करने के लिए कह रहा हूं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अच्छा, राज्य सरकारों को राजी करने के लिए हमें आपकी आवश्यकता है।

अधिष्ठापित क्षमता का कम उपयोग

*** 26. श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी †**
प्रो० के० वी० थामस } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियुक्त किये गये एक कार्य दल ने उत्पादक संयंत्रों के एक ग्रुप का सर्वेक्षण करने के पश्चात् रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि उद्योगों में अधिष्ठापित क्षमता से कम का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार का क्या कारंवाई करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) यह मालूम नहीं है कि माननीय सदस्य किस कृतिक-बल विशेष का उल्लेख कर रहे हैं। फिर भी, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 1984 के दौरान चुने हुए उद्योगों में क्षमता के उपयोग को दर्शानेवाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। यदि अवस्थापना और कच्चे माल सम्बन्धी रुकावटें, मांग संबंधी बाधाएं, प्रतिकूल औद्योगिक सम्बन्ध तथा अपर्याप्त प्रौद्योगिकीय उन्नयन आदि जैसे कुछ कारक न होते तो भारतीय उद्योग में क्षमता का और अधिक उपयोग हो गया होता।

क्षमता का इष्टतम उपयोग औद्योगिक नीति की महत्त्वपूर्ण विशेषता बनी रही है और क्षमता का बेहतर उपयोग करके उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय किये गये हैं। इसे अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक लाइसेंसिंग और आयात सम्बन्धी नीतियों में उपयुक्त परिवर्तन करके और मौद्रिक तथा राजकोषीय उपाय करके तथा अवस्थापना में सुधार करके प्राप्त किया जा रहा है।

विवरण

चुने हुए उद्योगों में क्षमता उपयोग का प्रतिशत

क्रम संख्या	उद्योग	1984
1	2	3
1.	एल्युमीनियम	74
2.	तांबा	83
3.	जस्ता	58
4.	सीसा	51
5.	सीमेन्ट	74
6.	नाइट्रोजन युक्त उर्वरक	75
7.	फासफेटिक उर्वरक	73
8.	बी० एच० सी० (तक०)	76
9.	डी० डी० टी०	86
10.	कागज और गत्ता	63
11.	अखबारी कागज	83
12.	कास्टिक सोडा	78

1	2	3
13.	तरल क्लोरिन	58
14.	ऑक्सीजन गैस	75
15.	सोडा एश	92
16.	डी/ए गैस	53
17.	वैट रंजक पदार्थ	68
18.	औद्योगिक विस्फोटक सामग्री	79
19.	मोटरगाड़ियों के टायर	78
20.	बायसिकिल टायर	81
21.	विस्कोस टायर कोर्ड	33
22.	नायलोन टायर कोर्ड	123
23.	नायलोन फिलाटमेंट यार्न	107
24.	पोलिएस्टर फाइबर	85
25.	विस्कोस फिलामेंट यार्न	76
26.	पी० वी० सी० रेजिन्स	58
27.	पोलिस्ट्रीन	71
28.	एल० डी० पी० ई०	90
29.	एच० डी० पी० ई०	130
30.	संश्लिष्ट रबर	76
31.	वाइन्डिंग वायर	67
32.	पी० वी० सी०/वी० आई० आर० केबल्स्	41
33.	एल्यूमीनियम कन्डक्टर	35
34.	बॉल और रोलर बियरिंग	84
35.	शिशु आहार	85
36.	बिस्कुट	89
37.	साबुन	109
38.	संश्लिष्ट प्रक्षालक	57
39.	दियासलाई	80
40.	चमड़े के जूते	66

1	2	3
41.	रबर के जूते	70
42.	सिगरेट	68
43.	पेन्सीलिन	43
44.	स्ट्रेप्टोमाइसिन	57
45.	शुष्क बैटरियां	68
46.	स्टोरेज बैटरियां	75
47.	जी० एल० एस० तथा अन्य लैम्प	!01
48.	फ्लोरेसंट ट्यूब	97
49.	बिजली के पंखे	104
50.	घरेलू रेफ्रिजरेटर	100
51.	बायसिकिल	82
52.	सिलाई मशीन	70
53.	टाइपराइटर	74
54.	रेजर ब्लेड	63
55.	हाथ की घड़ियां	75
56.	रेडियो रिसीवर	46
57.	मशीन टूल्स	87
58.	टिव्स्ट ड्रिल	94
59.	विद्युत और परिक्षण ट्रांसफार्मर	71
60.	बिजली की मोटरें	75
61.	स्ट्रेक्चरल	28
62.	परिक्षण स्तम्भ	60
63.	कृषि ट्रेक्टर	92
64.	डीजल इंजिन (अचल)	56
65.	पॉवरचालित पम्प	61
66.	एअर/गैस कम्प्रेसर	191
67.	रोड रोलर	17
68.	मिट्टी हटाने वाले उपकरण	33

1	2	3
69.	वाणिज्यिक वाहन	73
70.	कार	81
71.	जीपें	121
72.	स्कूटर	67
73.	मोटर सायकिल	88
74.	स्कूटर/मोपेड	90
75.	तिपहिया	63
76.	रेल वैगन	50
77.	स्टील पाइप और ट्यूब गेल्वेनाइज्ड	38
78.	बिना जोड़ के स्टील के पाइप और ट्यूब	34
79.	वेल्डिंग इलेक्टराड	75
80.	वायर रोप	75
81.	गढ़े हुए हाथ के औजार	58
82.	ग्राइन्डिग व्हील	78
83.	पॉवर केबल	—
84.	मोटर स्टार्टर और कन्टेकटर	52
85.	कैल्सियम कार्बाइड	58
86.	गेहूं का आटा	64
87.	बीयर	140
88.	लैदर क्लाथ	36
89.	लिनोलियम	69
90.	पोलिएस्टर फिलामेंट	148
91.	विस्कोस स्टेपल फाइबर	100
92.	सेलुलोस फिल्म	54
93.	एमोडाइज	69
94.	पेन्ट्स और वार्निश	87
95.	मैलेमिन	37
96.	सल्फा औषधियां	67

1	2	3
97.	विटामिन "ए"	79
98.	क्लोरेम्फनीकोल	46
99.	आप्टीकल व्हाइटनिंग एजेन्ट	77
100.	स्टील कास्टिंग	49
101.	स्टील फोरजिंग	48
102.	एल्युमीनियम शीट् और सर्किल	68
103.	एल्युमीनियम फाइल्स	94
104.	एल्युमीनियम से निकाले गये उत्पाद	89
105.	तांबा/पीतल की पट्टियां/सर्किल	56
106.	सी० आई० स्पन पाइप	41
107.	बोल्ट, नट और रिवेट	35
108.	हेरीकेन लालटेन	34
109.	बॉयलर	112
110.	चीनी मशीनरी	59
111.	खनन मशीनरी	97
112.	धातुकर्मी मशीनें (इस्पात संयंत्र उपकरण सहित)	75
113.	रसायन मशीनें	68
114.	कागज और लुगदी मशीनें	38
115.	सीमेन्ट मशीनें	66
116.	छपाई मशीनें	73
117.	रबर मशीनें	105
118.	क्रेन	31
119.	लिफ्ट	98
120.	ए० सी० एस० आर० के लिये वायर रॉड	49
121.	ग्रेफाइट इलेक्टराड और एनोड	89
122.	हाउस सर्विस मीटर	71
123.	दीवार घड़ियां	36
124.	जिप फासनर	42

1	2	3
125.	रबर और प्लास्टिक का सहायक सामान	92
126.	केपरोलेक्टम	82
127.	डी० एम० टी०	82
128.	रूम एअर कन्डीशनर	58
129.	पेन्सिल	104

श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी : इसमें कितना समय लगेगा···

श्री एम० अरुणाचलम : माननीय सदस्या की बात सुनने में नहीं आ रही है।

श्रीमती एन० पी० झांसी रानी : स्थापित क्षमता के उचित उपयोग करने में कितना समय लगेगा ?

श्री पी० कुलनदेई वेलू : आपको अधिकतम उपयोग करने में कितना समय चाहिए ? यह प्रश्न है।

श्री एम० अरुणाचलम : अभी भी सुनाई नहीं पड़ रहा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी आप भी कुछ बोल दीजिए।

[अनुवाद]

मन्त्री महोदय आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं। कृपया अपना प्रश्न थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिये। आप तो युवा महिला हैं।

श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी : मैं यह जानना चाहती हूं कि क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में उन्हें कितना समय लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय : क्षमता का अधिकतम उपयोग करने में कितना समय चाहिए ? माननीय सदस्या यही जानना चाहती हैं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी अपनी तरफ से जोड़ कर बोला है।

[अनुवाद]

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : यह क्षमताओं पर निर्भर करता है। जोकि इकाई—इकाई में भिन्न होती है। ऐसी हजारों इकाइयां हैं जो इस प्रश्न से सम्बद्ध हैं और सम्बन्धित

अलग-अलग इकाइयों पर निर्भर करता है कि वे उचित योजना बनाएं और संतुलनकारी उपस्कर रखने, बाधाएं दूर करने और आरक्षित सुविधाओं के प्रावधान आदि की दिशा में आवश्यक प्रयास करने चाहिए। ये सभी महत्त्वपूर्ण और संगत कदम हैं जिन्हें प्रत्येक इकाई उठा सकती है।

प्रो० के० वी० थामस : हमारे बहुत से उद्योग···

अध्यक्ष महोदय : आप तो उन महिला सदस्य के समान ही बोल रहे हैं जिन्होंने इस ओर से प्रश्न किया था।

कृपया थोड़ा ऊंचा बोलिये।

प्रो० के० वी० थामस : पुरानी मशीनों और अप्रचलित तकनीकों को अपनाये जाने के कारण सरकारी क्षेत्र के हमारे बहुत से उद्योग भारी घाटा उठा रहे हैं। क्या सरकार मशीनों के आधुनिकी-करण और प्रौद्योगिकी को नवीनतम स्तर तक लाने हेतु सरकार कोई समयबद्ध कार्यक्रम लागू करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि निम्न क्षमता उपयोग का एक कारण मशीनरी और मुख्य उपस्कर का पुराना होना भी है। हम उपस्कर के स्तर को आधुनिक बनाने के लिए कदम उठाते रहे हैं और सातवीं योजना में भी हमारा यही प्रयास होगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

उड़ीसा के लिए मिट्टी के तेल का अतिरिक्त कोटा और खाना पकाने की गैस

*21. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा को और अधिक मिट्टी का तेल आबंटित करने और खाना पकाने की गैस की बकाया मात्रा सप्लाई करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा राज्य को मिट्टी के तेल का अतिरिक्त आबंटन किया गया है। तेल उद्योग ने उड़ीसा में एल० पी० जी० की सप्लाई में सुधार लाने के उपाय भी किये हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान दूरसंचार नेट-वर्क का विस्तार

*27. श्रीमती जयन्ती पटनायक
श्री एम० रघुमा रेड्डी
: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरसंचार नेट-वर्क के विस्तार की योजनाएं कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना अवधि के दौरान दूरसंचार नेट-वर्क के विस्तार के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) उक्त योजना अवधि के दौरान दूरसंचार नेट-वर्क को कार्यान्वित करने के लिए योजना आयोग द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(घ) उक्त योजना अवधि में कार्यान्वित की जाने वाली दूरसंचार योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) योजना आयोग ने दूरसंचार सेवाओं के लिए 7वीं योजना के दौरान 4010 करोड़ रुपये परिव्यय की मंजूरी दी है।

(घ) मोटे शब्दों में इससे निम्नलिखित सुविधाएं बढ़ाना संभव होगा :—

(एक) लगभग 11 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें ।

(दो) लगभग 9000 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन।

(तीन) लगभग 13,000 रूट कि० मी० माइक्रोवेव प्रणाली तथा 4000 रूट कि०मी० फाइबर आप्टिकता प्रणाली।

(चार) लगभग 3,000 टेलेक्स लाइनें।

(पांच) 15 गौण स्विचन क्षेत्रों में (एक या उससे अधिक राजस्व जिलों से संबद्ध) ग्रामीण इंटिग्रेटिड डिजिटल नेटवर्क।

तेल की खोज हेतु विदेशी कम्पनियों से नये प्रस्ताव

*28. श्री सोम नाथ रथ
श्री अमल दत्त
: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल की खोज तथा उत्पादन के लिए विदेशी कम्पनियों से नए प्रस्ताव आमंत्रित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) कौन कौन सी विदेशी कम्पनियों को आमंत्रित किया गया है और किन शर्तों पर ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) बोलियां आमंत्रित किये जाने व उनसे उत्तर प्राप्त होने के बाद ही विदेशी कम्पनियों के नाम उपलब्ध होंगे। शर्तों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

राजस्थान और मध्य प्रदेश में तेल की खोज

***29. श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री वी० शोमनाद्रीश्वर राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश में तेल की खोज के लिए इस समय परीक्षण किए जा रहे हैं;

(ख) क्या इन राज्यों में किसी स्थान पर तेल और गैस के भण्डार मिले हैं; और

(ग) प्रत्येक योजना पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) राजस्थान के घोटारू तथा मनहरा टिब्बा में गैस प्राप्त हुई है।

(ग) राजस्थान में अन्वेषण संबंधी कार्यों पर 31 मार्च, 1985 तक लगभग 56 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में खोज संबंधी कार्यों पर किये गये व्यय का विवरण एकत्र किया जा रहा है तथा सूचना सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

गैर-सरकारी एजेन्सियों द्वारा डाक वितरण कार्य

***30. प्रो० पी० जे० कुरियन**
श्री के० कुन्जम्बू : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक वितरण कार्य में गैर-सरकारी एजेन्सियों को लगाने का कोई निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इन्दौर में गुप्त तेल शोधक कारखानों का चलाया जाना

***31. श्री सुभाष यादव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अक्तूबर, 1985 के "ब्लिटज" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि कुछ धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति इन्दौर में मोबिल तेल का परिशोधन करने और नकली उत्पादों को इंडियन आयल, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम तथा भारत पेट्रोलियम के ब्रांड नामों से सील बन्द डिब्बों में बाजार में बेचने हेतु तीन गुप्त तेल शोधक कारखाने चलाने में सफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के अन्य भागों में भी इसी तरह के नकली उत्पाद सील बन्द डिब्बों में बेचे गये हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) देश के अन्य भागों में मुहरबन्द डिब्बों में नकली उत्पादों की बिक्री के बारे में छुट-पुट रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं।

(ग) सामान्यत: ऐसा सुनिश्चित करने के लिए कि तेल कम्पनियों के फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्द्रों और मिट्टी के तेल एल० डी० ओ० के एजेन्टों के ज़रिए नकली तेल न बेचे जाएं, इन बिक्री केन्द्रों/एजेन्टों पर कम्पनी द्वारा व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से नियमित निरीक्षण किये जाते हैं। विपणन अनुशासन मार्ग निर्देशनों के अधीन ऐसे भ्रष्टाचारों में रत कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी की जाती है।

राज्य सरकारें और संघ शासित प्रशासन भी आकस्मिक निरीक्षण करते हैं, और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सम्बद्ध नियमों के अधीन कार्रवाई भी की जाती है। तत्कालिक मामले में अतिरिक्त कलेक्टर, इंदौर ने छापे मारे और नौ व्यक्तियों को पकड़ा जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई आरम्भ की गई है।

उद्योग में कर्मचारियों की भागीदारी

***32. श्री एस० एम० भट्टम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक आकस्मिकता के महानिदेशक ने हाल ही में एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उद्योगों में कर्मचारियों की भागीदारी का भी उल्लेख है; और

(ख) क्या उपर्युक्त रिपोर्ट देश के 100 सरकारी तथा चुनिन्दा गैर सरकारी एककों को उनकी राय जानने और विचार बताने के लिए परिचालित की गई है; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) औद्योगिक आकस्मिकता के महानिदेशालय ने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उद्योगों में कार्य करने के लिये स्वस्थ वातावरण के विकास हेतु कर्मचारियों की भागीदारी भी सम्मिलित है।

(ख) इस रिपोर्ट को 226 सरकारी और 260 चुने हुए गैर-सरकारी संस्थानों में परिचालित किया गया था। अनेक सरकारी व गैर-सरकारी संस्थान रिपोर्ट में उल्लिखित विभिन्न योजनाओं के बारे में पूछताछ कर रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि अतिरिक्त जानकारी इस विषय में उन्हें दी जाए जिससे कि ये योजनाएं लागू की जा सकें।

ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में दूर-संचार के लिए बुनियादी ढांचा

***33. श्री चिंतामणि पाणिग्रही**
श्रीमती कृष्णा साही } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अगले पांच वर्षों के दौरान ग्रामीण दूरसंचार व्यवस्था पर 885 करोड़ रुपये का निवेश करने का विचार है;

(ख) क्या ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में दूरसंचार के लिए एक कुशल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने का भी विचार है, जो अनेक सामाजिक, आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख साधन के रूप में कार्य करेगा; और

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार कितने धन का आवंटन किया गया है और इस प्रकार के क्षेत्रों के लिए क्या प्राथमिकता निर्धारित की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। यह परिव्यय दूरसंचार विभाग द्वारा 11.282 करोड़ रुपये के न्यूनतम कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है। दूरसंचार सेवाओं के लिए 4,010 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है तथा तदनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लिए परिव्यय को घटा कर 220 करोड़ रुपये करना पड़ा।

(ख) और (ग) जी हां। 15 गौण क्षेत्रों में (एक या उससे अधिक राजस्व जिलों से संबद्ध) इंटिग्रेटिड डिजिटल नेटवर्क चालू करने का प्रस्ताव है और इससे 100 करोड़ रुपये आबंटित किये गये

है। राज्य यूनिटों की परामर्श से राज्य-वार योजनाएं तैयार की जा रही हैं।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी क्षेत्र में लघु विद्युत-संयंत्र लगाना

* 34. **श्री उमा कान्त मिश्र :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सरकार का गैर-सरकारी क्षेत्र में लघु विद्युत-संयंत्र लगाने की अनुमति पर विचार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां ऐसी अनुमति देने का विचार है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सरकार की वर्तमान नीति में मिनी विद्युत संयंत्रों सहित निजी क्षेत्र में कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की प्रतिष्ठापना की अनुमति है।

(ख) राज्य प्राधिकारी मिनी विद्युत संयंत्रों सहित 25 मेगावाट तक की क्षमता के कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को अनुमति देने के लिए सक्षम हैं।

[अनुवाद]

औषधियों को लाइसेंस मुक्त करना

35* **डा० चिंता मोहन**
श्री मानवेन्द्र सिंह } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औषधि निर्माता संघ ने आयात के लिए औषधियों और इंटरमिडिएट्स की सीमा बढ़ाने सहित औषधियों को लाइसेंस मुक्त करने के सम्बन्ध में पुनर्विलोकन करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो की गई मांग का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(ग) फार्मूलेशनों और पेटेन्टों के सम्बन्ध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय औषध निर्माता संघ (आई० डी० एम० ए०) ने अन्य बातों के साथ-साथ लाइसेंस समाप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रखने का सुझाव दिया है :—

1· औषध एवं मध्यवर्ती जहां इस समय अधिक मात्रा में आयात किया जाता है (250 लाख रुपये से अधिक)।

2. वे औषधें जिनके लिए प्रौद्योगिकी आसानी से उपलब्ध नहीं है अथवा देश में विकसित नहीं की जा सकती।

3. वे औषधें जिनके लिए एकाधिकार अथवा लगभग एकाधिकार विद्यमान हैं।

4. वे औषधें जिनमें अधिक निवेश —10 करोड़ रुपये अथवा अधिक अपेक्षित है।

आई० डी० एम० ए० ने आगे सुझाव दिया है कि जो औषध लाइसेंस समाप्त करने वाली सूची में सम्मिलित नहीं है, वे सार्वजनिक क्षेत्र तथा राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिए जाने चाहिए।

सरकार ने अभी तक औषध नीति जिसकी आजकल समीक्षा हो रही है पर प्राप्त विभिन्न प्रतिवेदनों पर अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

(ग) फार्मूलेशनों के उत्पादन से सम्बन्धित सरकार की नीति 29 मार्च, 1978 को लोक सभा पटल पर प्रस्तुत औषध नीति से सम्बन्धित विवरण.पत्र में निर्दिष्ट की गई है। पेटेन्ट्स से संबंधित सरकार की नीति भारतीय पेटेन्ट अधिनियम 1970 में निहित है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल उत्पादन संबंधी आकलन

*** 36. श्री महेन्द्र सिंह**
श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने चालू वर्ष के दौरान तेल की कितनी मांग होने का आकलन किया है;

(ख) इसमें से कितने प्रतिशत मांग स्वदेशी स्रोतों से पूरी होने की सम्भावना है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त में अनुमानतः कितना तेल उपलब्ध होगा; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) चालू वर्ष के दौरान लगभग 47 मि० मी० टन पेट्रोलियम उत्पादों (कच्चे तेल के समतुल्य) के उपभोग का अनुमान लगाया गया है।

(ख) लगभग 64 प्रतिशत।

(ग) 1989-90 के दौरान लगभग 34.5 मि० मी० टन तेल के उत्पादन का अनुमान है।

(घ) इस सम्बन्ध में उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :—

(i) वृद्धिशील तेल वसूली विधियों का प्रयोग।

(ii) वर्क ओवर कार्य संचालनों को तीव्र करना।

(iii) तेल की खोज के कार्य में वृद्धि जिसके परिणामस्वरूप अन्ततः तेल के उत्पादन में वृद्धि होगी; तथा

(iv) विकसित प्रौद्योगिकी का प्रयोग आरम्भ करना।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में घाटे की राज्य बिजली बोर्डों को क्षतिपूर्ति

*37. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यान्वयन में सबसे बड़ी रुकावट यह है कि राज्य बिजली बोर्डों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में घाटा होता है, जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जाती;

(ख) यदि हां, तो क्या खामियों का पता लगाने के लिए कोई गहन अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) ग्राम विद्युतीकरण संबंधी कार्यों का राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय कार्यनिष्पादन पर प्रभाव पड़ता है। जो बोर्ड इस कार्य की वजह से हानि उठाते हैं उनके लिए संबंधित राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि वे हानियों के लिए आर्थिक सहायता दें तथा टैरिफ के ढांचे को युक्तिसंगत और कारगर बनाएं।

ग्राम विद्युतीकरण कार्य में तेजी लाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को सलाह दी गई है कि वे सामग्री की प्रबन्ध व्यवस्था के लिए अपनी एजेंसियों को टोन-अप करें, लेखे की वाणिज्यिक प्रणाली लागू करें। और अधिक कारगर ढंग से प्रगति.को मानीटरिंग करें। ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के कार्यनिष्पादन और संगठनात्मक व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है।

कावेरी बेसिन में तेल का पता लगाने के लिए धन का श्राबंटन

***श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कावेरी बेसिन में तेल मिलने की काफी सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 में इस प्रयोजन के लिए कितना धन आबंटित किया गया है; और

(ग) इस भारी भंडार का उपयोग करने हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या प्रावधान किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) कावेरी बेसिन में तेल मिलने की आशा है।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान अन्वेषण सम्बन्धी प्रयासों के लिए 47.22 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है।

(ग) सातवीं योजना के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :—

	(करोड़ रुपयों में)
सर्वेक्षण	24.87
अन्वेषी व्यधन	144.44
	169.31

ग्राटोमोबाइल उद्योग सम्बन्धी उदारवादी नीति

***39. श्री एच० एम० पटेल**
श्री थम्पन थामस } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आटोमोबाइल उद्योग सम्बन्धी उदारवादी नीति पर पुनर्विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने देश में निर्माण और विशेषकर यात्री कार के स्वदेशीकरण की प्रगति का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) क्या निकट भविष्य में कोई और संरक्षण देने पर विचार किया गया है?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) दुपहिया और वाणिज्यिक वाहन क्षेत्रों में कार्यक्रम के अनुसार स्वदेशीकरण हो रहा है। किन्तु यात्री कारों के मामले में सहायक उद्योगों के विकास में कुछ कमियां रही हैं। अच्छी किस्म के मोटरगाड़ियों के हिस्से-पुर्जों की उपलब्धता में सुधार करने की दृष्टि से नये सहायक एककों की स्थापना और विद्यमान एककों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए सरकार पूरा समर्थन दे रही है। इसके अलावा मोटरगाड़ी उद्योग को गैर एम० आर० टी० पी० एककों के लिए लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

जलकुम्भी से बिजली का उत्पादन

*40. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में "जलकुम्भी" पानी में होने वाला (एक विशेष प्रकार का पौधा) से बिजली का उत्पादन करने के लिए किसी तकनीक का विकास किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब और कहां पर और सरकार का विचार इसे किस रूप में कार्यान्वित करने का है?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी हां। अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान और विकास प्रयत्नों के परिणामस्वरूप वातनिरपेक्षी पाचन द्वारा जल हायासिन्थ) जलकुम्भी से बायोगैस उत्पन्न करने के लिए तकनीकें विकसित की जा चुकी हैं। प्रयोग की जाने वाली सामग्री के रूप में जल हायासिन्थ के साथ प्रयोगात्मक संयंत्रों पर क्षेत्रीय परीक्षण किए जा रहे हैं। इस प्रौद्योगिकी को पुन: विकसित करने के लिए जल हायासिन्थ पर टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है और चार अनुसंधान और विकास संस्थाओं में परिवर्ती कार्यचालन पैरामीटरों के साथ चार प्रायोगिक संयंत्रों का प्रतिष्ठापन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

बंगाल पेपर मिल्स लिमिटेड का पुनरुद्धार

213. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

बंगाल पेपर मिल्स लिमिटेड, जो दो वर्षों से अधिक अवधि से बन्द पड़ी है और जिसके परिणाम-स्वरूप हजारों कामगार बेरोजगार हो गए हैं, के पुनरुद्धार के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : बंगाल पेपर मिल्स लि० के प्रवर्तक सिद्धान्त रूप में इसके किसी दूसरे स्वस्थ संगठन में विलय के लिए सहमत हो गए हैं और विलय की एक योजना वित्तीय संस्थानों को प्रस्तुत कर दी गई है। इस योजना पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा सरकारी विभागों तथा अन्य अभिकरणों से विचार विमर्श करके आगे कारवाई की जा रही है।

बिहार सहरसा में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज का खोला जाना

214. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में सहरसा में एक स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज के लिए वर्ष 1979 में स्वीकृति दी गई थी लेकिन इसको अभी तक भी तैयार नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) विलम्ब का कारण विभागीय भूमि एक्सचेंज भवन का उपलब्ध नहीं होना है। भूमि का मामला अभी तक राज्य सरकार के पास लंबित पड़ा है।

गैस का उपयोग न किए जाने के कारण गैस का प्रज्वलन

215. **डा० ए० के० पटेल**
श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1980 से लेकर पांच वर्षों के दौरान तट दूर तेल उत्पादन में अधिकांशतः पांच गुणा वृद्धि हुई है परन्तु तेल के साथ निकलने वाली अधिक मात्रा में गैस को प्रज्वलित करना पड़ता था क्योंकि इस गैस को प्रयोग में लाने (मुख्य तौर पर घरेलू उपयोग के लिए एल०पी० जी० के रूप में तथा विद्युत के लिए) के संयंत्र वहां उपलब्ध नहीं थे;

(ख) 1980-85 के दौरान प्रज्वलित गैस की मात्रा और कीमत क्या है;

(ग) क्या उर्वरक संयंत्रों में गैस के उसी समय प्रयोग और गैस की उपलब्धता की योजना तैयार की गई थी, यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) कितनी गैस उपलब्ध होने और उर्वरक संयंत्रों में गैस के उपयोग शुरू करने के लिये कितने दिनों/वर्षों का समय लगेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) अपतटीय क्षेत्रों से तेल का उत्पादन 1980 से पांच वर्षों के दौरान लगभग पांच गुणा बढ़ गया है। सम्बद्ध गैस के अधिक भाग को उत्तरोत्तर उत्पादन-कार्यों में प्रयुक्त किया जा रहा है जबकि 1980-81 में बम्बई हाई में उत्पादित करीब 54% सम्बद्ध गैस को जला दिया गया, 1984-85 में यह मात्रा घटकर 42.8% रह गई थी। बम्बई हाई में मार्च-अप्रैल, 1986 तक सम्बद्ध गैस को सुरक्षा की दृष्टि से जलाने के अतिरिक्त सम्बद्ध गैस को जलाया जाना उस समय कम से कम हो जाने की सम्भावना है जब बम्बई हाई में अतिरिक्त सुविधायें आरम्भ हो जायेंगी।

(ख) पिछले पांच वर्षों, अर्थात् 1980-81 से 1984-85 के दौरान, बम्बई हाई अपतटीय क्षेत्रों से कुल 5316 मि० घन मीटर सम्बद्ध गैस को जला दिया गया था। इस प्रकार जलाई गई गैस के सांकेतिक मूल्य का अनुमान 53.16 करोड़ रुपए है, जबकि इसी अवधि के दौरान, कच्चे तेल का उत्पादन 63.5 मि०मी० टन था जिसका देशी मूल्य करीब 8700 करोड़ रुपए था।

(ग) "फ्री" गैस यथा दक्षिणी बेसिन गैस के मामले में गैस के उत्पादन और सप्लाई सिड्यूल को आरम्भ किये जाने वाले उर्वरक सिड्यूल के अनुसार तैयार किया जा रहा है। सम्बद्ध गैस के मामले में कार्यक्रमों को अनुरूपी बनाना इसलिए कठिन है, क्योंकि गैस का उत्पादन कच्चे तेल के साथ-साथ ही होता है।

(घ) गैस की खोज और इसके उपयोग के बीच लगने वाला समय इसके उत्पादन पर किए जाने वाले निवेशों, परिवहन और प्रोसेसिंग सुविधाओं में न लगने वाले समय और उपभोक्ता एककों के सिड्यूल पर निर्भर होता है।

गुजरात में बिजली की गम्भीर स्थिति

216. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में बिजली की गम्भीर स्थिति बनी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) गुजरात में ऊर्जा की वर्तमान उपलब्धता लगभग 36.3 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है जबकि इसकी प्रत्याशित आवश्यकता लगभग 37.6 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा की कमी लगभग 3 प्रतिशत है। गुजरात में प्रमुख रूप से ताप विद्युत प्रणाली है। इसलिए विद्युत की उपलब्धता की स्थिति ताप विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन पर निर्भर करती है। जबरन बन्दी वाले ताप विद्युत यूनिटों की मरम्मत शीघ्र करके, ताप विद्युत केन्द्रों को उचित गुणवत्ता वाले तथा समुचित मात्रा में कोयले की सप्लाई करके,

ताप विद्युत यूनिटों का निवारक अनुरक्षण आदि करके ताप विद्युत उत्पादन अधिकतम करने के लिए हर संभव उपाय किये जा रहे हैं।

कागज के नये कारखानों की स्थापना

217. **श्री चिन्तामणि जेना**
श्री अमर सिंह राठवा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कागज का उत्पादन कितना होता है;

(ख) देश में कागज की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ग) निर्माणाधीन नए कागज कारखानों की संख्या क्या है तथा उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है;

(घ) देश में नए कागज मिल स्थापित करने हेतु लाइसेंस देने के लिए कितने आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ङ) कागज की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए कागज का उत्पादन करने हेतु देश में नये कागज मिल स्थापित करने के बारे में सरकार की नीति क्या है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान 13.61 लाख मी० टन कागज के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान 14.30 लाख मी० टन कागज की आवश्यकता होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) दिनांक 1-1-1985 को 23.50 लाख मी० टन की अधिष्ठापित क्षमता के अतिरिक्त देश में कागज और गत्ते के निर्माण के लिए लगभग सभी राज्यों में 610 एककों को 29.91 लाख मी० टन क्षमता की और मंजूरी दी गई है।

(घ) कागज और गत्ते के निर्माण के लिए नए एककों की स्थापना करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस के लिए कोई आवेदन इस समय सरकार के पास विचारार्थ लंबित नहीं है।

(ङ) कृषि अपशिष्टों रद्दी और खोई से लिखाई, छपाई और रैपिंग के लिए कागज के निर्माण को लाइसेंसयुक्त कर दिया गया है और उद्यमी इस संबंध में निर्धारित की गई शर्तों के अधीन इन मदों के लिए क्षमता स्थापित करने के लिए स्वतन्त्र हैं।

कच्चे तेल के उत्पादन में कमी

218. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो मात्रा का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वर्ष कच्चे तेल के उत्पादन में कितनी कमी आने का अनुमान है; और

(घ) आगामी वर्षों के दौरान तेल की खोज के लिए विचारार्थ लिये गए नए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं। छठी योजना के निर्धारित लक्ष्य 93.4 मिलियन टन की तुलना में 102.7 मिलियन टन का उत्पादन हुआ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) चालू वर्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने की उम्मीद है।

(घ) 1986-87 के दौरान निम्नलिखित बेसिनों में तेल की खोज करने का प्रस्ताव है :—

कैम्बे

राजस्थान

कुछ

अप्पर असम

असम-अराकन फोल्ड बैल्ट

बंगाल

कृष्णा गोदावरी

कावेरी

हिमालयन फुटहिल्स एण्ड गंगा वैली

विंध्या बेसिन

महानदी एण्ड नार्थ ईस्ट कोस्ट

वैस्ट कोस्ट

अंडनमा।

[हिन्दी]

बिहार की विद्युत आवश्यकता

219. **श्री सरफराज अहमद**
श्रीमती प्रभावती गुप्त } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत की वर्तमान उत्पादन क्षमता को दुगना करने का है;

(ख) यदि हां, तो बिहार को विद्युत की कुल आवश्यकता के मुकाबले इस समय वहां कितनी बिजली सप्लाई की जा रही है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस राज्य की विद्युत की आवश्यकता कितनी होगी; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्धारित किए गए राज्य-वार लक्ष्य क्या हैं और इसके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी जाएगी ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग 42,440 मेगावाट थी। सातवीं योजना के दौरान 22,245 मेगावाट क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना है।

(ख) अप्रैल से अक्तूबर, 1985 तक की अवधि के दौरान बिहार में विद्युत की सप्लाई 1806 मिलियन यूनिट थी जबकि इसकी तुलना में आवश्यकता 2533 मिलियन यूनिट थी। बारहवें विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बिहार को ऊर्जा की आवश्यकता 6348 मिलियन यूनिट होगी।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित करने के लिए राज्यवार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है तथा वह किसी विशिष्ट कार्यक्रम/परियोजना से सम्बद्ध नहीं होती है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित किए जाने के लिए राज्यवार लक्ष्य :—

राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता मेगावाट
1. हरियाणा	488
2. हिमाचल प्रदेश	143.5
3. जम्मू तथा कश्मीर	76
4. पंजाब	767.4
5. राजस्थान	385.1
6. उत्तर प्रदेश	1794
7. गुजरात	1085
8. मध्य प्रदेश	947
9. महाराष्ट्र	1739.5
10. आन्ध्र प्रदेश	838.5
11. कर्नाटक	593.25
12. केरल	530
13. तमिलनाडु	1416
14. बिहार	478.9
15. उड़ीसा	483.5
16. सिक्किम	3.5
17. पश्चिम बंगाल	814.7
18. असम	285
19. मणिपुर	6.9
20. मेघालय	——
21. नागालैण्ड	1
22. त्रिपुरा	21

संगठित औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर

220. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगठित औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार वृद्धि की दर इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में धीमी रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार संगठित औद्योगिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) 1984 (वह अवधि जिसके नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं) के दौरान 1983 की तुलना में संगठित विनिर्माण क्षेत्र में वार्षिक रोजगार में 1.0% की नाममात्र गिरावट दर्ज की गई। यह गिरावट मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में रोजगार की नकारात्मक वृद्धि दर के कारण हुई थी।

(ग) से (ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में निवेश और उत्पादन के उपयुक्त ढांचे को अपना कर, उपयुक्त प्रकार की प्रौद्योगिकी और उत्पादन की मिश्रित तकनीकों एवं संगठनात्मक सहायता द्वारा उत्पादक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने पर बड़ा महत्व दिया गया है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में सांगली जिले के उपमंडलीय मुख्यालयों को जोड़ा जाना

221. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सांगली जिले के सभी उप-मण्डल मुख्यालयों को टेलीफोन तथा टेलीग्राफ व्यवस्था द्वारा जिला मुख्यालय से जोड़ दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कौन-कौन से स्थानों पर अभी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ग) इन स्थानों को कब तक इस व्यवस्था के अन्तर्गत लाया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

"एन्टी हिस्टामिन बल्क ड्रग्स" का उत्पादन और खपत

222. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन—"एन्टी-हिस्टामिन्स बल्क ड्रग्स" के नाम क्या हैं जो देश में गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उत्पादित किये गये है और उनके उत्पादन के क्या-क्या नाम हैं और उनकी लाइसेंस क्षमता और उत्पादन क्या है;

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा प्रत्येक बल्क ड्रग के लिए क्या मूल्य निर्धारित किया गया; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार उनकी रक्षित खपत और गैर-सम्बन्ध फार्मूलेटर्स की कितनी बिक्री हुई है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) निगरानी किये जाने वाले एन्टी हिस्टामिन्स प्रपुंज औषधों के उत्पादकों के विवरण लाइसेंस की क्षमता तथा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार उत्पादन तथा निर्धारित मूल्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) प्रपुंज औषधों की रक्षित खपत के विवरणों तथा अन्य गैर फार्मूलेटरों को की गई बिक्री की निगरानी नहीं की जाती है।

विवरण

बल्क औषध/कम्पनी का नाम	लाइसेंस शुदा क्षमता (टनों में)	उत्पादन 1982-83	1983-84	1984-85	नियोजित मूल्य रु०/कि०ग्रा०
I. **फीनाइरमाइन मिलियंट**					
(क) हाचेस्ट इंडिया	4.00	12.66	11.82	18.60	582.72
(ख) सीयरल इंडिया	5.00	1.72	0.48	0.01	
II. **डाइफनहाईड्रामाइन**					
(क) पारेक-डेविस	6.00	0.36	1.32	1.44	215.30
(ख) यूनीकेम लेबस	3.60	12.30	10.36	10.12	
III. **क्लोफेनरामाइन मलियट**					
(क) सीयरल इंडिया	5.00	1.70	—	—	747.37

गैस के लिये वैकल्पिक प्रबन्ध

223. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई से कितनी अनुमानित अवधि तक गैस निकलेगी; और

(ख) वर्तमान स्रोत के समाप्त होने के पश्चात उर्वरक संयंत्रों तथा गैस के अन्य उपभोक्ताओं के लिए कौन-सी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा): (क) वर्तमान संकेतों के अनुसार करीब 2010 ई० सन् तक बम्बई हाई क्षेत्र से कच्चे तेल और सम्बद्ध गैस का क्रमशः घटती हुई दर पर उत्पादन होने की सम्भावना है। तथापि, इसी बीच और अधिक संसाधनों के बढ़ जाने की सम्भावना है।

(ख) सम्बद्ध गैस के अतिरिक्त, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में "फ्री गैस" के बड़े भण्डार भी हैं। उर्वरक संयंत्र और अन्य उपभोक्ता सम्बद्ध और "फ्री गैस" की समेकित पाइप लाइन प्रणाली द्वारा प्राप्त करेंगे।

टेलीफोन स्विचिंग उपस्करों के निर्माण में गैर-सरकारी क्षेत्र को शामिल करना

225. **श्री अमर सिंह राठवा**
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार टेलीफोन स्विचिंग उपस्करों के निर्माण में गैर-सरकारी क्षेत्र को लाने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में टेलीफोन स्विचिंग उपस्करों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(घ) देश में टेलीफोन स्विचिंग उपस्करों का वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ङ) क्या सरकारी क्षेत्र में भी एक नया टेलीफोन यूनिट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) स्विचिंग और ट्रांसमीशन उपस्करों के निर्माण के लिए गैर-सरकारी उद्यमियों का सहयोग लेने का निश्चय मार्च, 1984 में किया था जिसके अनुसार कम से कम 51 प्रतिशत की भागीदारी केन्द्र/राज्य सरकार की और अधिक से अधिक 49 प्रतिशत की भागीदारी गैर-सरकारी निकायों की हो सकती है। टेलीमैक्स (सी-डाट) के विकास के लिए मार्च, 1985 में सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा स्वदेश में विकसित तकनीक का इस्ते-

माल करते हुए इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली का कारखाना स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा जिसमें सरकारी निवेश 26 प्रतिशत तक सीमित रहेगा। निजी क्षेत्र की संस्थाएं 25 प्रतिशत और 49 प्रतिशत निवेश आम जनता के लिए खुला रहेगा।

(ग) दूरसंचार विभाग की सातवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में दी लागत के आधार पर टेलीफोन स्विचिंग उपस्कर की औसत आवश्यकता का अनुमान लगभग चार लाख लाइनें प्रतिवर्ष है।

(घ) स्विचिंग उपस्कर का निर्माण दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज (आई० टी० आई०) लिमिटेड द्वारा किया जाता है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ने वर्ष 1984-85 में स्विचिंग उपस्कर की 2,50,000 तुल्य लाइनों का निर्माण किया।

(ङ) सरकार ने इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के उत्तर प्रदेश में मनकापुर स्थित कारखाने में डिजिटल स्विचिंग उपस्कर की पांच लाख लाइनें बनाने की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर अब कार्य चल रहा है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधीन बंगलौर में इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली बनाने के लिए एक कारखाने की स्थापना करना सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है।

[हिन्दी]

बिहार शरीफ में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज के भवन का निर्माण

226. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के नालन्दा जिले में बिहार शरीफ में निर्माणाधीन स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज के भवन के निर्माण कार्य की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त भवन के निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) उपर्युक्त स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज के नए भवन में कब तक कार्य आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

(ख) मार्च, 1986 तक।

(ग) उपस्कर के 1986-87 में आने की संभावना है। उपस्कर आने के बाद इसमें एक वर्ष और लग जाएगा।

[अनुवाद]

विजयवाड़ा टेलीफोन एक्सचेंज में प्रतीक्षा सूची

227. **श्री के० एस० राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विजयवाड़ा टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता का उपयोग नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतीक्षा सूची पूरी न करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। 11400 की सज्जित क्षमता में से 10652 टेलीफोन कनेक्शन कार्य कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना किया जाना

228. **श्री जैनुल बशर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश जैसे औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य में "उद्योग रहित जिलों" में तथा औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों, जहां अनेक रियायतें उपलब्ध हैं, में उद्योग स्थापित नहीं किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) से (ग) किसी क्षेत्र का औद्योगीकरण ग्रामीण एवं लघु उद्योगों, मझोले और बड़े उद्योगों के विकास माध्यम से किया जाता है। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों को सहायता देने और प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सरकार ने प्रोत्साहन, रियायतें, आदि प्रदान की हैं। उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय निवेश राजसहायता की निम्नलिखित धनराशि 1982-83 से 1985-86 (अक्तूबर तक) तक मंजूर की गई :—

1982-83	—	1.38 करोड़ रु०
1983-84	—	1.26 करोड़ रु०
1984-85	—	3.20 करोड़ रु०
1985-86 (अक्तूबर तक)	—	8.18 करोड़ रु०

आशयपत्र और औद्योगिक लाइसेंस के मामले में वर्ष 1982 से 1985 (सितम्बर, 1985 तक) और तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पंजीकरणों के मामले में जून, 1985 तक, उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित आशयपत्र, औद्योगिक लाइसेंस और तकनीकी विकास महानिदेशालय के पंजीकरण जारी किए गए :—

वर्ष	आशयपत्र	औद्योगिक लाइसेंस	तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पंजीकरण
1982	111(62)	22(5)	195(57)
1983	128(95)	98(33)	325(158)
1984	132(97)	80(35)	339(186)
1985	151(83)	61(37)	37(21)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए हैं।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना करने में उद्यमी पर्याप्त और सन्तोषजनक रूप में रुचि ले रहे हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में शाखा डाकघर खोलना

229. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है और उनमें से लखनऊ, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी तथा सीतापुर जिलों में खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(ख) दर्जा बढ़ाये जाने वाले प्रस्तावित शाखा डाकघरों की संख्या कितनी है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समूचे देश में 6000 ग्रामीण डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। इस व्यापक लक्ष्य को देखते हुए, प्रत्येक वार्षिक योजना के अन्तर्गत प्रत्येक डाक सर्किल के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। वार्षिक योजना 1985-86 के अधीन समूचे उत्तर प्रदेश सर्किल में 212 ग्रामीण डाकघर खोलने का प्रस्ताव था। पदों के सृजन पर लगी रोक को मद्देनजर रखते हुए, ग्रामीण डाकघर खोलने के कार्य को अभी तक आरम्भ नहीं किया जा सका।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर में जिस रोक का हवाला दिया गया है, उसे मद्देनजर

रखते हुए, शाखा डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का इस समय कोई कार्यक्रम नहीं है।

[अनुवाद]

जिला मुख्यालयों पर गैस एजेंसियां खोलना

230. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी जिला मुख्यालयों में गैस एजेन्सियों की व्यवस्था करने को प्राथमिकता देने का कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार उन जिलों की संख्या क्या है, जहां गैस एजेन्सियों का आबंटन कर दिया गया है;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां अभी आबंटन किया जाना है; और

(घ) किस तारीख तक शेष जिलों/मुख्यालयों में गैस एजेन्सियों की व्यवस्था कर दिये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) तेल उद्योग, जिला मुख्यालयों में एल० पी० जी० की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले को प्राथमिकता देता है बशर्ते कि एल० पी० जी० वितरण केन्द्र आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों।

(ख) देश में 414 जिला मुख्यालयों में से, 351 में एल० पी० जी० विपणन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अन्य 39 क्षेत्रों में तेल उद्योग की वार्षिक विपणन योजनाओं के अन्तर्गत इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की योजना है।

(ग) और (घ) उपलब्ध विपणन क्षमता के अनुसार बचे हुए क्षेत्रों में एल०पी०जी० वितरण केन्द्रों का खोला जाना युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता है इसलिये इन सुविधाओं को उन 24 जिला मुख्यालयों में प्रदान करने की योजना नहीं बनाई गई है जिनके नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं। यह बताना कि क्षमता में कब तक पर्याप्त मात्रा में इतनी वृद्धि हो पायेगी कि इन क्षेत्रों में एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलना युक्ति संगत होगा, व्यवहारिक नहीं होगा।

विवरण

क्रम सं०	जिला मुख्यालय का नाम
1	2
1.	चन्द्रपुर
2.	अहवा

1	2
3.	कलपा
4.	बदगाम
5.	कुपवारा
6.	पैनावा
7.	कालपेट्टा
8.	सैनापति
9.	तमेनगलाग
10.	चन्देल
11.	नानगस्टोइन
12.	फेक
13.	मंगन
14	नमची
15.	ग्यालशिग
16.	पोर्ट ब्लैयर
17.	अनीनी
18.	सेप्पा
19.	जीरो
20.	दपोरिजो
21.	बोमदिला
22.	छिमतुलपुई
23.	मैंह
24.	यानम

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड को लाभ

232. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उटकमंड स्थित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड लाभ पर चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 से 1984-85 में लाभ में कितनी वृद्धि हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी हां।

(ख) 1983-84 और 1984-85 में कर-पूर्व लाभ निम्नलिखित रहा :—

1983-84	496.13 लाख रुपये
1984-85	631.22 लाख रुपये

[हिन्दी]

बांसवाड़ा में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन

233. **श्री प्रभु लाल रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांसवाड़ा राजस्थान में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन का कोई कार्यक्रम सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक कार्यान्वित होगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) बांसवाड़ा जिले के बादीसर्वा गांव में प्रतिष्ठापन के लिए एक सौर प्रकाशवोल्टीय सामुदायिक रोशनी प्रणाली प्रदान की जा चुकी है। यह प्रणाली प्रत्येक 20 वाट की 8 ट्यूब लाइटों को विद्युत प्रदान करती है।

[अनुवाद]

तामलुक (मिदनापुर जिला, पश्चिम बंगाल) टेलीफोन एक्सचेंज का नवीकरण

234. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूरसंचार विभाग का तामलुक टेलीफोन एक्सचेंज (मिदनापुर जिला, पश्चिम बंगाल) के नवीकरण करने के बारे में क्या कार्यक्रम है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : इस समय तामलुक में 200 लाइनों का मनुअल एक्सचेंज कार्य कर रहा है। जिसमें 188 चालू कनेक्शन हैं तथा 14 नाम प्रतीक्षा सूची में हैं। इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक इस एक्सचेंज का 200 से 300 लाइनों में विस्तार करने का प्रस्ताव है।

सातवीं योजना के दौरान इस एक्सचेंज को आटोमेटिक बनाने की भी योजना है बशर्ते कि भूमि और उपस्कर मिल जाएं।

सीमेंट की कालाबाजारी

235. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टाकिस्टों/निर्माताओं द्वारा सीमेंट जैसी वस्तुओं के जान-बूझकर उत्पन्न किए गए नकली अभाव के कारण सीमेंट की समय-समय पर कालाबाजारी होती रहती है;

(ख) क्या सरकार का विचार सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचने वाले दोषी व्यक्तियों को दंड देने के लिए आदेश/अध्यादेश जारी करने या कानून लाने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस समस्या से निबटने के लिए चलते फिरते न्यायालय (मोबाइल कोर्ट) बनाने का है; और

(घ) क्या सरकार का विचार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का है क्योंकि न केवल सीमेंट के मामले में ही बल्कि वाहनों के पुर्जों, औषधियों और अन्य वस्तुओं के मामले में भी गंभीर स्थिति बनी हुई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) सीमेंट पर आंशिक विनियंत्रण है। इसका कुछ भाग लेवी सीमेंट के रूप में दिया जाता है और शेष भाग नान लेवी सीमेंट के रूप में बेचा जाता है। चूंकि लेवी सीमेंट, सीमेंट नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत निर्धारित किए गए अधिसूचित मूल्यों पर बेचा जाता है इसलिए निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य लेना दंडनीय है। नान लेवी सीमेंट मूल्य और वितरण नियंत्रण से मुक्त है। फिर भी सीमेंट उत्पादक संघ ने सीमेंट की बिक्री के लिए अनौपचारिक आधार पर अधिकतम मूल्य निश्चित किया हुआ है सीमेंट उत्पादक संघ द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य लेने के कई मामले पीछे सरकार के ध्यान में लाए गए थे। ऐसी स्थितियों में इस विषय पर सीमेंट उत्पादक संघ के साथ विचार-विमर्श किया जाता है और उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

उपभोक्ताओं को जमाखोरों और चोरबाजारियों आदि से बचाने के लिए अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 और चोरबाजारी रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बनाए रखने संबंधी अधिनियम 1980 (प्रिवेंशन आफ ब्लैक मार्किटिंग एंड मेन्टीनेंस आफ असेंशियल कमाडिटीज एक्ट, 1980) अमल में लाए जा रहे हैं। आवश्यकता वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 बनाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की दण्ड विषयक व्यवस्था को और कठोर बना दिया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों की न्यायिक जांच करने के लिए विशेष अदालतें भी गठित की गई हैं। इस समय आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत सीमेंट और औषधियों सहित 67 वस्तुएं शामिल की गई हैं।

केरल में किलिमानूर टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार

236. **श्री टी० बशीर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में किलिमानूर टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आबंटित की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) किलिमानूर में 200 लाइनों के आटोमेटिक एक्सचेंज का संस्थापन कार्य प्रारम्भ हो गया है। इस एक्सचेंज के मार्च, 1986 तक चालू हो जाने की संभावना है। एक्सचेंज के लिए विशेष रूप से निधि का आबंटन नहीं किया गया है क्योंकि सर्किल के लिए निर्धारित एकमुश्त अनुदान से ही निधि आबंटित की जाती है।

पश्चिम बंगाल में कोयला भंडारों वाले खनन ब्लाक

237. **श्री अजित कुमार साहा**
श्री गदाधर साहा
श्री मतिलाल हंसदा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल माइन्स एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट ने पश्चिम बंगाल में पुरूलिया जिले में लगभग 392 मिलियन टन के कोयला भंडार वाले दो खनन ब्लाकों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कथित खनन क्षेत्रों का शीघ्र उपयोग करने के लिए आवश्यक योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त स्थानों का उपयोग करने के लिए योजना कब तक बनाई जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा उपकरणों का आयात

238. **श्री रेणुपद दास :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम ऑयल इंडिया लिमिटेड ने उपकरणों के आयात के लिए सरकार से अनुमति मांगी है क्योंकि उसने देश में बने उपकरणों को घटिया पाया है; और

(ख) यदि हां, तो तथ्य क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) ऑयल इंडिया लि० निम्नलिखित परिस्थितियों में उपकरणों के आयात के लिए सरकार से समय-समय पर स्वीकृति प्राप्त करती है :—

(i) यदि उपकरण देश में नहीं तैयार किया जाता है।

(ii) यदि देशी प्रस्ताव निविदा में दी गई तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करते हों।

(iii) यदि सुपुर्दगी अवधि आयल इंडिया लि० की तत्काल आवश्यकताओं के अनुरूप न हो।

(iv) यदि देशी पार्टियों द्वारा दिए गये मूल्य सरकार की मूल्य प्राथमिकता स्कीम के अधीन निर्धारित सीमाओं से अधिक हो।

(ख) सरकार प्रत्येक मामले को उसके गुणावगुणों के आधार पर निश्चित करती है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नियोजित पेट्रो-रसायन परियोजनायें

239. **श्री गदाधर साहा :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन नियोजित पेट्रो-रसायन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका निर्माण कार्य सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान प्रारम्भ किया जायेगा;

(ख) कौन-कौन से राज्य अथवा राज्यों के लिए परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं; और

(ग) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) निम्नलिखित चालू परियोजनाओं को सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में कार्यान्वित करने की योजना है :—

परियोजना का नाम	राज्य	अनुमानित पूंजी लागत
1	2	3
1. महाराष्ट्र गैस क्रेकर कम्पलेक्स (आई० पी० सी० एल०)	महाराष्ट्र	1167 करोड़ रुपये

1	2	3
2. बेंजीन रिकवरी यूनिट कोचीन रिफाइनरीज लि०, कोचीन	केरल	59.40 करोड़ रुपये
3. केपरोलेक्टम प्रोजेक्ट (फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०	केरल	147.94 ,, ,,
4. संयंत्रों का विस्तार (आई० पी० सी० एल०) बड़ौदा	गुजरात	
—पोली प्रोपिलेन		58.65 ,, ,,
—एकरिलिक फाइबर		85.03 ,, ,,
— एक्सीलीन्स		59.36 ,, ,,
—डी० एम० टी०		13.15 ,, ,,
—लेब		18.38 ,, ,,
5. पोलिस्टर स्टेपल फाइबर प्रोजेक्ट (कोगेगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लि०)	आसाम	139.38 ,, ,,
6. मद्रास रिफाइनरी लि०, मद्रास का प्रोपिलान प्रोजेक्ट	तमिलनाडु	13.80 ,, ,,

रानीगंज कोयला क्षेत्र की टेलीफोन सेवा में सुधार

240. **श्री पूर्णचन्द मलिक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार रानीगंज कोयला क्षेत्र की टेलीफोन सेवाओं के कार्यकरण में सुधार के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से दीर्घकालीन और अल्पकालीन कार्यक्रम तैयार किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : रानीगंज कोयला क्षेत्र में टेलीफोन सेवा को सुधारने के लिए निम्नलिखित अल्पकालिक कारंवाई की जा रही है :—

(एक) आसनसोल और कलकत्ता के बीच स्थाई कोएक्सिअल माध्यम से मैनुअल और एस० टी० डी० दोनों किस्म की ट्रंक काल लगाना।

(दो) एस० टी० डी० काल लगाने के लिए पी० सी० एम० चैनल पर आसनसोल ट्रंक स्वचल एक्सचेंज से बाराकेर टेलीफोन एक्सचेंज को सीधा जोड़ना।

(तीन) आंडल और पंडेश्वर स्थित छोटे स्वचल एक्सचेंजों को 100 लाइनों के मुख्य स्वचल एक्सचेंज (एम० ए० एक्स-II) द्वारा बदलना तथा 1986-87 के दौरान उन्हें ग्रुप

डायलिंग नेटवर्क से जोड़ना। मैसर्स आई० टी० आई० रायबरेली को 1982-83 के सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रय आदेश दे दिए गए हैं।

(चार) सितम्बर 86 तक 2400 लाइनों की क्षमता के आसनसोल टेलीफोन एक्सचेंज का 7000 लाइनों में विस्तार।

दीर्घकालिक कार्यक्रम इस प्रकार हैं :—

(एक) सातवीं पंचर्षीय योजना के दौरान बाराकेर टेलीफोन एक्सचेंज का 600 लाइनों से 700 लाइनों की क्षमता में तथा बर्नपुर टेलीफोन एक्सचेंज का 400 लाइनों से 500 लाइनों में विस्तार।

(दो) सातवीं योजना अवधि के अन्त तक रानीगंज में 2000 लाइनों के क्रासबार एक्सचेंज की स्थापना।

पेट्रोल डीजल तथा मिट्टी के तेल का मूल्य ढांचा

241. **श्री बाजुबान रियान** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 से 1985 तक पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल का वर्षवार प्रति लीटर मूल्य क्या था; और

(ख) इन वस्तुओं के मूल्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्ष 1982 से 1985 के दौरान बम्बई में पेट्रोल, डीजल तथा मिट्टी के तेल का खुदरा विक्रय मूल्य नीचे दिया गया है :—

(रुपये / लीटर)

यथा स्थिति को मूल्य	पेट्रोल	डीजल	एस० के० ओ०
1.4.82	6.15	2.96	1.66
15.2.83	6.21	3.21	1.70*
1.4.83	6.21	3.21	1.80
1.4.84	6.32	3.21	1.81
1·6.84	6.41	3.27	1.85
17.3.85	7.34	3.52	2.10
1.4.85	7.34	3.45	2.03

* 18.3.83 से 1.80

(ख) इसके मूल्य में कई कारणों से वृद्धि हुई है, जैसे कच्चे तेल (स्वदेशी तथा आयातित) के मूल्य में वृद्धि, पेट्रोल की किस्म में सुधार, पेट्रोलियम उत्पादों के अन्वेषण, शोधन तथा विपणन की लागतों में वृद्धि।

जेलीफिल तथा स्थलपथ तार का उपयोग

242. **श्री वासुदेव आचार्य :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूर संचार विभाग उच्च श्रेणी तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की 40 पौंड वाली तार के बजाय 8 पौंड/6 पौंड जेलीफिल तथा स्थलपथ तार का उपयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस व्यवस्था में परिवर्तन किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी हां। विभाग $6\frac{1}{2}$ पौण्ड और 10 पौण्ड गेज के जैली भरे तार इस्तेमाल कर रहा है। यह अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हैं। एक बार विभाग की आवश्यकता के अनुरूप स्थलपथ केबिल आयात करके इस्तेमाल की गई थी। 40 पौण्ड के केब्रिल बिर्लें ही इस्तेमाल की जाती है और इन्हें केवल विशेष आवश्यकता पड़ने पर ही इस्तेमाल किया जाता है।

(ग) और (घ) केबिल नेटवर्क में जैली भरे केबिल इस्तेमाल करने की प्रणाली में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय मानक और प्रक्रियाओं के अनुरूप है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में डाकघर खोलना

243. **श्री के० एन० प्रधान :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1985-86 के दौरान मध्य प्रदेश में कितने डाकघर और कहां-कहां खोलने का प्रस्ताव है?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : प्रारम्भ में 1985-86 की वार्षिक योजना में मध्यप्रदेश में 183 ग्रामीण डाकघर खोलना शामिल था जिममें से 118 डाकघर सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों, 25 पिछड़े क्षेत्रों तथा 40 जनजातीय क्षेत्रों के थे।

तथापि, नए पदों के सृजन पर लगी पाबंदी के कारण, यह कार्यक्रम कार्यान्वित करना संभव नहीं हो सका।

[अनुवाद]

नये डाकघर खोलने पर प्रतिबन्ध

244. **श्री आई० रामा राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये डाकघर खोले जाने पर इस समय प्रतिबन्ध है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिबन्ध कब तक हटाया जाएगा; और

(ग) क्या डाक सुविधा की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु उन स्थानों पर जहां इस समय डाकघरों की व्यवस्था नहीं की जा सकती, कमीशन एजेन्ट नियुक्त करने की कोई योजना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। पाबंदी नए पदों के सृजन पर लगी है। चूंकि डाकघर खोलने के अधिकांश मामलों में नए पदों का सृजन करना पड़ता है, अतः पाबंदी के कारण आमतौर से डाकघर नहीं खोले जा रहे हैं। जब भी नए पदों के सृजन पर लगी पाबंदी को हटा लिया जाएगा या उसमें ढील दी जाएगी, तो नए डाकघर खोलने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां।

दिल्ली में रेडियो पेजिंग तथा मोबाइल रेडियो टेलीफोन सेवा आरम्भ करना

245. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग दिल्ली में शीघ्र ही रेडियो पेजिंग मोबाइल रेडियो टेलीफोन सेवा आरम्भ करने जा रहा है;

(ख) यदि हां, इस परियोजना में कुल कितनी पूंजी लगेगी;

(ग) किस देश से उपकरणों तथा तकनीकी जानकारी का आयात किया गया है;

(घ) क्या इस नई रेडियो टेलीफोन सेवा की क्षमता तथा इसकी व्यवहार्यता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं तथा भविष्य में इसके विस्तार की संभावनाएं क्या हैं;

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) इन दोनों परियोजनाओं का पूंजीगत निवेश लगभग 1!0 लाख रुपये है।

(ग) दोनों परियोजनाओं के उपस्कर तथा तकनीकी जानकारी संयुक्त राज्य अमरीका के मे० मोटेरोला से प्राप्त की गयी है।

(घ) और (ङ) देश में पहली बार दिल्ली में चलती-फिरती रेडियो टेलीफोन सेवा चालू की जा रही हैं। इसे अन्य शहरों में भी बढ़ाया जा सकता है जो कि इसकी व्यवहार्यता और लोकप्रियता पर निर्भर होगा।

हल्के इस्पात वाले जस्तेदार सिंचाई पम्पों के बारे में शिकायतें

246. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद
श्री जी० एस० बसव राजू } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कंपनियों की छिड़काव (स्प्रिंकल) सिंचाई प्रणाली के लिए हल्के इस्पात वाले जस्तेदार सिंचाई पाइपों के निर्माण के लिए लाइसेंस दिए गए थे;

(ख) क्या इन पाइपों की चादर की मोटाई कम होने के कारण इन लाइसेंसों से हल्के इस्पात वाली (जोड़ रहित ट्यूब तथा ए० पी० आई० के विशिष्ट विवरण के अनुरूप ट्यूबों को छोड़कर) (गुण प्रकार नियंत्रण) आदेश, 1978 का उल्लंघन हो रहा है;

(ग) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ऐसे पाइप विभिन्न सरकारी विभागों को पेय जल तथा निर्माण, इत्यादि तक के लिए खुलेआम सप्लाई किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इन लाइसेंसों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कारंवाई की है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करके कुछ निर्माता पीने के पानी और निर्माण के प्रयोजनों, आदि के लिए हल्के नरम इस्पात वाली जस्तेदार पाइपों की सप्लाई कर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में एक समावेश याचिका भी दायर की गई है। मामला न्यायाधीन है।

पश्चिम बंगाल में विद्युत संयंत्रों का आधुनिकीकरण कार्यक्रम

247. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की कुछ विद्युत परियोजनाओं और विद्युत संयंत्रों के आधुनिकीकरण कार्यक्रमों को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं और कार्यक्रमों पर कितना धन व्यय होगा;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल इन विद्युत परियोजनाओं और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है/दिए जाने का विचार है; और

(घ) राज्य सरकार ने छठी योजनावधि के दौरान वास्तव में इस प्रयोजन के लिए कितने धन का उपयोग किया ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई पश्चिम बंगाल की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं और विद्युत परियोजनाओं के नवीकरण का ब्यौरा तथा उनका अनुमोदित परिव्यय एवं छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया वास्तविक परिव्यय और सातवीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय संलग्न विवरण में दिया गया है।

पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड के बन्डेल और संतालडीह ताप विद्युत केन्द्रों तथा दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड के विद्युत केन्द्र को केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत विस्तृत नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित किया गया है।

(ग) केन्द्रीय सहायता राज्यों को ब्लाक ऋणों तथा ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है। यह किसी विशिष्ट कार्यक्रम/परियोजनाओं से सम्बद्ध नहीं होती है।

बन्डेल, सन्तालडीह तथा दुर्गापुर परियोजना लि० के विद्युत केन्द्र के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत लगभग 37 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की सिफारिश की गई है।

विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	राज्य सरकार की छठी योजना में अनुमोदित परिव्यय	राज्य सरकार द्वारा छठी योजना में वास्तविक व्यय	राज्य सरकार की सातवीं योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय
1	2	3	4	5
	विद्युत उत्पादन परियोजनाएं पूरी हो चुकी परियोजनाएं			
1.	सन्तालडीह ताप विद्युत केन्द्र	511.00	822.23	200.00
2.	बन्डेल ताप विद्युत केन्द्र (5वीं यूनिट)	2168.00	3409.79	366.00

1 2	3	4	5
3. गैस टर्बाइनें	—	436.05	482.00
4. कुरसंग फजी चरण-1 का विस्तार	21.00	63.07	1.00
5. जलढ़का जल वि० परि० चरण-2	421.00	1049.70	126.00
6. दुर्गापुर परि० वि० केन्द्र छठी यूनिट	3238.00	5152.00	1393.00
* सातवीं योजना के दौरान लाभ के लिए अनुमोदित स्कीमें			
1. कोलाघाट ताप वि० केन्द्र चरण-1	15900.00	19271.00	496 .00
2. रामन जल वि० परि० चरण-2	1980.00	1639.48	3300.00
3. कोलाघाट ता० वि० केन्द्र विस्तार	30000.00	5247.60	32000.00
4. फजी विस्तार		76.15	151.00
5. रिंचिंगटन विस्तार		32.63	104.00
सातवीं योजना के दौरान लाभ के लिए नई स्कीमें			
1. तीस्ता नहर प्रपात	—	135.81	4500.00
2. माइक्रोजल विद्युत	—	—	300.00
3. बक्रेश्वर ताप विद्युत केन्द्र	—	—	12600 00
4. रामन चरण-एक	—	—	
5. जलढाका चरण-1 विस्तार	—	—	
6. जलढाका चरण-2 विस्तार	—	—	
सातवीं योजना के बाद लाभ के लिए नई स्कीमें			
1. सागरडीहताप विद्युत केन्द्र	—	—	
2. पुरूलिया पम्प स्टोरेज स्कीम	—	—	
3. रामन चरण-तीन और चार	—	—	
4. दुर्गापुर परियोजना वि० परि०	—	—	
विद्युत परियोजनाओं का नवीकरण			
1. संतालडीह ता० वि० केन्द्र यूनिट 1 से 4	—	—	3000.00
2. बंडेल ता० वि० केन्द्र यूनिट 1 से 4	—	—	200.00
3. जल वि० परि० की मरम्मत	—	—	
4. दुर्गापुर परियोजना वि० केन्द्र	700.00	337.00	150.00

दुपहिया, मोटर साइकिल और मोपेड के लिये विदेशी सहयोग

248. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनों जैसे दुपहिये, मोटर साइकिल और मोपेड के लिए आटोमोबाइल उद्योग में गत तीन वर्षों के दौरान किये गये विदेशी सहयोगों का ब्योरा क्या है;

(ख) प्रत्येक आटोमोबाइल उद्योग का वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ग) सरकार ने विभिन्न प्रकार के मोटर वाहनों के निर्माण हेतु लाइसेंस कब स्वीकृत किए और ये किन शर्तों पर स्वीकृत किए गए ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) (हजार नग में)

	82-83	83-84	84-85
स्कूटर	264	276	314
मोटर-साइकिल	134	165	186
मोपेड	234	343	396
योग	632	784	896

(ग) 1982 तक विभिन्न एककों को दुपहियों का निर्माण करने हेतु लाइसेंस देने की मानक शर्तों पर समय-समय पर नये लाइसेंस/आशयपत्र दिए गए थे।

विवरण

क्रमांक	भारतीय कम्पनी का नाम	बिदेशी सहयोगी का नाम	उत्पाद का नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लि०, हैदराबाद	मेसर्स पियाजियो, इटली	स्कूटर
2.	काइमेटिक होन्डा मोटर्स लि०, इन्दौर	मेसर्स होन्डा मोटर कम्पनी, जापान	स्कूटर
3.	लोहिया मशीन्स लिमिटेड, कानपुर	मेसर्स पियाजियो, इटली	स्कूटर
4.	वैस्ट बंगाल स्कूटर्स लिमिटेड, कलकत्ता	मेसर्स बेनेल्ली एस० पी० ए०, इटली	स्कूटर
5.	बजाज आटो लिमिटेड, पुणे	मेसर्स कावापाकी हेवी इन्डस्ट्रीज, जापान	मोटर साइकिलें
6.	एन्फील्ड इण्डिया लिमिटेड, मद्रास	मेसर्स जुण्डप वर्क, प० जर्मनी	मोपेड तथा मोटर-साइकिलें
7.	आइडियल जावा (इण्डिया) लि०, मैसूर	मेसर्स पोली टेक्नो, चेकोस्लोवाकिया	मोटर साइकिल इंजन
8.	एस्कोर्ट्स लिमिटेड, फरीदाबाद	मेसर्स यमाहा मोटर कम्पनी, जापान	मोटर साइकिलें
9.	हीरो होन्डा मोटर्स लि०	मेसर्स होन्डा मोटर कम्पनी, जापान	मोटर साइकिलें
10.	इन्डो-सुजुकी मोटर साइकिल्स लि०, मद्रास	मेसर्स सुजुकी मोटर कम्पनी, जापान	मोटर साइकिलें
11.	चामुण्डी मोपेड्स, बंगलौर	मेसर्स साइकिल्स पीगाट, फ्रांस	मोपेड
12.	केल्विनेटर आफ इण्डिया, फरीदाबाद	मेसर्स अगराती गरेलेजी इटली	मोपेड
13.	बलराज अग्रवाल, करनाल	मेसर्स ट्रांसपोर्ट मशीनन एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट जी० डी० आर०	मोपेड

भोपाल में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ को स्थापना

249. **श्री अजीज कुरेशी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, नो इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है और भोपाल में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ भोपाल में स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

राज्य सरकार ने इसके पूर्व सुझाव दिया था कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने की मांग जसवंत सिंह आयोग को निर्देशित कर दी जाए। केन्द्रीय सरकार ने, तदनुसार जसवंत सिंह आयोग के विचारार्थ विषयों में इसे भी जोड़ दिया था। सामान्य रूप से उच्च न्यायालयों की और विशेष रूप से कुछ उच्च न्यायालयों की (जिनमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भी सम्मिलित है) न्यायपीठों की स्थापना के विषय में आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और केन्द्रीय सरकार इस पर विचार कर रही है।

यह बताना संभव नहीं है कि इस विषय में कोई विनिश्चय कब तक कर लिया जाएगा।

औषधि कंपनियों द्वारा बल्क औषधियों के उत्पादन क्षमताओं का पुर्नअनुमोदन/विनियमन

250. **श्री विष्णु मोदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औषधि कम्पनियों के लिए जो केवल फार्मूलेशनों का उत्पादन करती हैं और बल्क औषधियों का निर्माण नहीं करती हैं कुछ शर्तों पर फार्मूलेशनों की क्षमताओं का पुनः अनुमोदन किया गया है।

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और इन फार्मूलेशनों के नाम क्या हैं जिनके लिये क्षमताओं का पुनः अनुमोदन और क्षमताओं के विनियमन की मंजूरी दी गयी है तथा उनकी मूल मंजूर शुदा क्षमताएं और पुनः अनुमोदित/विनियमित क्षमताएं कितनी-कितनी हैं;

(ग) प्रत्येक मामले में क्या शर्तें लगाई गई हैं और क्या कम्पनियों ने उन्हें पूरा किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर०के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण—1 में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) शर्तों के ब्यौरे संलग्न विवरण—2 में दिए गए हैं। शर्तों का अनुपालन न करने के लिए मै० अबोट लेबोरेटरीज (इंडिया) लि० और मै० डाबर (डा० के० बर्मन) प्रा० लि० को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। मै० अमृतांजन से यह स्पष्ट करने लिए कहा गया है कि क्या उन्होंने शर्तों का अनुपालन किया है। मै० लेबोरेटरीज याइफर (इं) प्रा० लि० के पास अनुपात मापदण्डों से संबंधित शर्तों का अनुपालन करने हेतु 24.2.1987 तक का समय है।

विवरण — 1

क्रम सं०	कंपनी का नाम	लाइसेंसशुदा क्षमता		पुनः पृष्ठांक्ति क्षमता	
		निर्माण का मद	वार्षिक क्षमता	निर्माण का मद	वार्षिक क्षमता
1	2	3	4	5	6
1.	मै० अबोट लेबोरेटरीज (इंडिया) प्रा०लि०	1. इन्जेक्टेबल्स			
		(क) विजेक्टेल		गोलियां	
		(ख) विजेक्टेल सी विलर	18,79,000 इकाई	1. इरीथ्रोमाइसिन स्टीरेट	19,054 किग्रा०
		(ग) बिजेक्टेल टी	(9449 लिटर)	2. सोडियम एसकोरबेट	58,621 ,,
		(घ) बीवीडोक्स		3. पाइराडोक्सिन एचसीएल	719.1 ,,
		2. तरल		4. रिबोफलेबिन	1,092 ,,
		(क) केलसिड्रिन		5. थियामाइन मेनीट्रेट	2,349 ,,
		(ख) सिकन ड्राप्स		6. थियामाइन एचसीएल	333 किग्रा०
		(ग) इबीरोल तरल		7. विटामिन बी 12 ओरल	1,227 ,,

1	2	3	4	5	6
		(घ) कालटिन सी नियोमाइसिन		8. विटामिन बी 12 क्रिस्टेलाइन	1,5 किग्रा०
		(ङ) सेलसन सस्पेंशन		9. निकोटिनामाइड	10,327 ,,
		(च) सरवेक्स सिरप		10. विटामिन ए एसिटेट	155 ,,
		(छ) टरफिन	2,36,000 लिटर	11. विटामिन डी3 कोएटेड ग्रेन्यूल्स	120 ,,
		(ज) विडेलिन			
		(झ) विडेलिन एम		12. कोलीकेलफिरोल (विटा०डी 3 क्रिस्टेलाइन्स)	0.79 ,,
		(ट) विडेलिन एम ड्राप्स			
		(ठ) विडेलिन ड्राप्स		तरल	
		(ड) इबोरट सी		13. नियोमाइसिन सल्फेट	1,930 ,,
		3. गोलियां		14. एसिड एसकोरबिक	17,651 ,,
		(क) बेवीडोक्स		15. फाइरीडोक्सिन एचसीएल	117.1 ,,
		(ख) सिकोन 500 मिग्रा०		16. रिबोफलेबिन	45 ,,
				17. रिबोफलोबिन 5 फास्फेट	197 ,,
		(ग) एरिथ्रोमाइसिन 100 मिग्रा०		18. थियामाइन एचसीएल	330 ,,
		(घ) एरिथ्रोमाइसिन 250 मिग्रा०		19. विटामिन बी 12 क्रिस्टेलाइन	0.532 ,,
		(ङ) इबीरल			
		(च) ओप्टीलेटस			
		(छ) ,, एम	100 मिलियन गोलियां		
		(ज) प्रामीलेटस			
		(झ) सक्राइल			
		(ट) सरबेक्स सरार कोएटेड			
		(ठ) सरबेक्स टी			

1	2	3	4	5	6
		4. कैपसूल (क) नेम्बुटल (ख) ट्राइडियन	8,00,000 सं०	20. निकोटिनामाइड 21. विटामिन ए पालमीटेट 22. विटामिन डी3 आरचीज तेल में	1,403 किग्रा० 406 " 38 "
		5. ग्रेन्यूल्स (क) एरिथ्रोसिन (ख) पेन्टोथल सोडि०	5,737 किग्रा०	23. विटामिन डी3 आरचीज तेल में (3एमआईयू)	65.3 किग्रा०
				ग्रेन्यूल्स	
				24. एरिथ्रोमाइसिन इथाइल सक्सीनेट	1,794 "
				25. पेन्टोथल सोडियम	78 "
				इन्जेक्टेबल्स	
				26. ट्राइडीनो एचसीएलओरल	157 "
				27. रिबोफलेविनं	0.501 "
				28. रिबोफलेबिन 5फास्फेट	34 "
				29. थियामाइन एचसीएल	679 "
				30. विटामिन बी 12 क्रिस्टेलाइन	5 "
				31. निकोटिनामाइड	887 "
2.	मै० डाबर (डा० एस०के० बरमन) प्रा०लि०	(22) फार्मास्यूटिकल्स और ड्रग्स	—	बल्क औषध खपत के रूप में प्रतिवर्ष पुनः पृष्ठांकित/नियमित की गई क्षमता	

1	2	3	4	5	6
			निर्माण की मद	बल्क औषध का नाम	मात्रा
			1. तरल आधारित	1. फिनोल आईपी	115.052 लिटर
				2. क्लाब आयल आईपी	76.301 ,,
				3. कम्फर आईपी	57.732 किग्रा०
				4. क्लोरोफार्म आईपो	76.701 लिटर
				5. पिपरमाइन आयल	76.701 लिटर
				6. अजोविन आयल आईपी	9 484 लिटर
			2. तरल पर आधारित	1. जिंक सल्फेट	0.475 किग्रा०
				2. बोरिक एसिड आईपी	19.206 किग्रा०
				3. बरबेरिन सल्फेट आईपी	2.377 किग्रा०
			3. तरल पर आधारित	1. मेग० सल्फेट आईपी	2291.94 ,,
				2. फेरस सल्फेट आईपी	28.65 ,,
				3. क्वीनीन सल्फेट आईपी	229.194 ,,
				4. अरसेनिक ट्राईओक्साइड	0.655 ,,
			4. तरल पर आधारित	1. फोरमेल्डीहाइड आईपी	3.732 लिटर

1	2	3	4	5	6
			5. तरल पर आधारित	1. केल० हाइपोफोस्फाइट बीपीसी	213.518 किग्रा०
				2. सोडि० ,, ,,	142.345 ,,
				3. पोटा० ,, ,,	142.345 ,,
				4. सोडि० बेन्जोएट आईपी	29.846 ,,
			6. गोलियों पर आधारित	1. एसपरिन आईपी	2786.805 किग्रा०
				2. पेरासिटामोल आईपी	995.287 ,,
				3. केफिन आईपी	238.8t9 ,,
			7. गोलियों पर आधारित	1. फिनोलपेथोलिन बीपी	27.205 ,,
			8. गोलियों पर आधारित	1. केल० सल्फाइड बीपीसी	3.901 ,,
			9. ,, ,, ,,	1. सेन्टोनिन आईपी	21.938 किग्रा०
				2. करक्यूरस क्लोराइड आईपी	21.938 ,,
			10. तरल पर आधारित	1. अमोनियम क्लोराइड आईपी	7854.72 ,,
				2. केमफर आईपी	52358.4 ,,
				3. टरपेन्टिंग आयल आईपी	10128.960 ,,
				4. अमोनियम सोल स्ट्रांग आईपी	11782.08 किग्रा०
				5. सोप चिप्स	4527.36 किग्रा०

1	2	3	4	5	6
			11. तरल पर आधारित	1. एलकोस आईपी	71.546 किग्रा०
				2. पोटा० ब्रोमाइड आईपी	429.277 ,,
				3. एब्सोल्यूट एलकोहल कनटेन्ट	2790.30 ,,
			12. तरल पर आधारित	1. ओपियम टिंक आईपी	113.728 लिटर
				2. एकोनाइट टिंक आईपी	142.16 लिटर
				3. ग्लाइसिरिन आईपी	312.752 ,,
			13. तरल पर आधारित	1. कम्फर आईपी	176.47 किग्रा०
				2. अबसोल्यूट एलकोहल	325.61 लिटर
			14. तरल पर आधारित	1. गफेनसिन यूएसपी	52.948 किग्रा०
				2. कोडिन फास्फेट आईपी	6353 ,,
				3. मेन्थोल आईपी	1.058 ,
				4. सोडि० बेन्जोएट आईपी	10.589 ,,
				5. ग्लाइसिरिन आईपी एक्सट्रेक्ट आईपी	264.740 लिटर
				6. वासक तरल एक्सट्रेक्ट आईपी	52.948 लिटर
				7. एबसोल्यूट एलकोहल	185.318 लिटर

1	2	3	4	5	6
			15. तरल पर आधारित	1. मोन्था आयल आईपी	1283.708 लिटर
				2. स्पीरमिन्ट आयल बीपीसी	27.302 लिटर
				3. क्लोरोफार्म आईपी	68.853 लिटर
				4. एबसोल्यूट एलकोहल	30653.39 लिटर
			16. तरल पर आधारित	1. टिन्क मेरिथ आईपी	73.154 लिटर
				2. टिन्क गुआसिम	4.529 लिटर
				3. ओपियम टिंक आईपी	9.333 लिटर
				4. केपसीकम टिंक आईपी	9.333 लिटर
				5. केमफर आईपी	4.308 लिटर
				6. एबसोल्यूट एलकोहल	111.173 लिटर
			17. तरल पर आधारित	1. पोटा० आयोडाइड आईपी	18,635 किग्रा०
				2. क्लोरोफार्म	1.108 लिटर
				3. एबसोल्यूट एलकोहल	100.225 लिटर
			18. तरल पर आधारित	1. टोनिक एसिड आईपी	43.475 लिटर
				2. क्लोब्र आयल आईपी	1.982 लिटर
				3. फिनोल आईपी	2974 लिटर
				4. टिंक आफ मेरिथ आईपी	59.483 लिटर
				5. वीक आयोडीन सोल० आईपी	29.989 लिटर
				6. ग्लाइसिरिन आईपी	479.090 लिटर
				7. मेन्थोल आईपी	1.983 किग्रा०
				8. एलकोहल	78.691 लिटर

1	2	3	4	5	6
3.	मै० अमृतांजन लि०	1. अमृतांजन पेन बाम 5.25 ग्राम	21.65 लाख बाम पर आधारित	कम्फर	41,040 किग्रा०
				थाइमोल	4,104 किग्रा०
		2. अमृतांजन पेन बाम 12 ग्राम	20.57 मिलियन सं०	इयूकेलाइपटस आयल	69,768 किग्रा०
				सिनामेन लीफ आयल	4,104 ,,
		3. अमृतांजन पेन बाम 24 ग्राम	2.60 लाख सं०	लेमन ग्रास आयन	20,520 किग्रा०
				तारपीन का तेल	28,728 किग्रा०
		4. डरमल मलहम	1.80 लाख	मेन्थोल	18,468 ,,
				मेन्था आयल	6,156 ,,
				पेराफिन वेक्स	64,302 ,,
				बेस वेक्स	61,060 ,,
				माइक्रो वेक्स	12,312 ,,
				कोस पाउडर	36 किग्रा०
			पर आधारित मलहम	लेम्फर	74.4 किग्रा०
				थिमल	49.6 ,,
				कुमालिपुटा आयल	49.6 ,,
				सिनेमन लीफ आयल	49.6 किग्रा०
				डिथ्रेनोल	12.4 किग्रा०
				सेलिसाइलिक एसिड	99.2 किग्रा०
				अजोवन आयल	198.4 किग्रा०

1	2	3	4	5	6
				सिट्रेनोला आयल	595.2 किग्रा०
				पेराफिन वेक्स	1078.8 ,,
				बेस वाक्स	272.8 ,,
				जेली सफेद	2480.0 ,,
4.	मै० लेबोरेटरीज बिफर (आई) प्रा० लि०	फलैन्स फ्लास (बेम सैट सहित सम्पूर्ण पीवीसी इनफ्यूजन)	18 लाख केवल	फलैक्स फ्लास (बेम सेटे सहित सम्पूर्ण पीवीसीइनफ्यूजन)	63 लाख केवल
		5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत शक्ति वाले ग्लूकोस सेलीन के ट्रान्सफ्यूजन सोल्स और 500 से 1000 सीसी के पैंक में अन्य उसी प्रकार की सम्पाक।		5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत शक्ति वाले ग्लूकोस सेलीन के ट्रान्सफ्यूजन सोल्स और 500 से 1000 सीसी के पैंक में अन्य उसी प्रकार के सम्पाक।	

विवरण—2

क्रम सं०	कंपनी का नाम	पत्र जारी करने की तिथि जिस समय तक अनुपात प्राप्त करना था	शर्तें
1	2	3	4
1.	मै० अबोट लेब्स (आई) लि०	18.8.1982 17.8.1984	यह पुनः पृष्ठांकन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया है कि कंपनी क्षमता के पुनः पृष्ठांकन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के उत्पादन के मूल्य के बीच 1 : 10 का अनुपात प्राप्त करेगी जिसके न होने पर कंपनी को अपने समग्र फार्मूलेशनों अथवा फार्मूलेशनों के ऐसे भाग का निर्यात करना होगा जो 1 : 10 के अनुपात से अधिक होगा।
2.	मै० डाबर (डा० एस०के० बरमन) प्रा० लि०	26.9.1983 25.9.1985	1. कंपनी को अनुमोदन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के उत्पादन के मूल्य के बीच 1:10 का निर्धारित अनुपात प्राप्त करना पड़ेगा जिसके न होने पर अधिक उत्पादन अथवा मार्च 1977 से पूर्व प्राप्त किए गए स्तर का निर्यात, उचित अनुपात प्राप्त करने तक करना होगा। 2. कंपनी आयातित/सरणीबद्ध बल्क औषधों और स्वदेशी बल्क औषधों की खपत के मूल्य के बीच सदैव 1 : 2 का अनुपात बनाए रखेगी। 3. कंपनी इन मदों का निर्माण केवल औषध और प्रसाधन अधिनियम के अधीन निरन्तर निर्माण अनुमति की शर्त के साथ ही कर सकती है।

1	2	3	4
3.	मै० अमृतांजन लि०	8.8.83/28.10.83 27.10.1985	1. कंपनी को दो वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के उत्पादन के मूल्य के बीच 1 : 10 का निर्धारित अनुपात प्राप्त करना होगा जिसके न होने पर उक्त अनुपात से अधिक उत्पादन का निर्यात उक्त अनुपात के प्राप्त किए जाने तक करना होगा। 2. कंपनी आयातित/सरणीबद्ध बल्क औषधों और स्वदेशी बल्क औषधों की खपत के मूल्य के बीच सदैव 1 : 2 का अनुपात बनाए रखेगी। 3. यह पुनः पृष्ठांकन औषध और प्रसाधन अधिनियम के अधीन निरन्तर निर्माण की अनुमति की शर्त के साथ प्रदान किया गया है।
4.	मै० लेबोरेटरीज विफर (आई) प्रा० लि०	25.2.85 25.2.87	1. कंपनी को दो वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के उत्पादन के मूल्य के बीच 1 : 10 का अनुपात करना चाहिए ताकि अनुपात मापदण्डों का पालन हो सके। दो वर्ष की अवधि में कंपनी द्वारा निर्धारित अनुपात प्राप्त करने में असमर्थ रहने के मामले में उसे फार्मूलेशन के अधिक उत्पादन का निर्यात करना पड़ेगा। 2. कंपनी आयातित/सरणीबद्ध और स्वदेशी बल्क औषधों की खपत के मूल्य के बीच सदैव 1:2 का अनुपात बनाए रखेगी। 3. इस पर, औषध और प्रसाधन अधिनियम, 1940 के अधीन निरन्तर निर्माण अनुमति की उपलब्धता की शर्त भी लागू है।

किराया रहित टेलीफोन लगाना

251. श्री पी० आर० कुमारमंगलम
श्री मानिक रेड्डी } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई पश्चिमी देशों में टेलीफोन बिना किसी किराये के लगाये जाते हैं और की गई टेलीफोन कालों के आधार पर प्रभार वसूल किये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव जापान और अमरीका आदि की भांति टेलीफोन लगाने की योजना पर विचार करने का है जिससे टेलीफोन लगाने और उसके रखरखाव पर होने वाले ऊपरी खर्चों में भारी कमी आएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। सरकार की जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई है।

(ख) जी नहीं।

औद्योगिक विकास दर का कम होना

252. श्री आनन्द सिंह
श्री महेन्द्र सिंह } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान औद्योगिक विकास दर में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो बजट में अनुमानित दर की तुलना में औद्योगिक विकास की वास्तविक दर कितनी कम रही है; और

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) औद्योगिक उत्पादन के सी० एस० ओ०, सूचकांक के अनुसार, अप्रैल-अगस्त, 1985 के दौरान विकास दर पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान की 8.0 प्रतिशत और सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में परिकल्पित यही औसत वार्षिक विकास दर की तुलना में विकास दर 6.3 प्रतिशत थी।

यदि बिजली और खनन क्षेत्रों में कम विकास दर एवं अवस्थापना संबंधी रुकावटें, क्षमता का कम उपयोग, अपर्याप्त प्रौद्योगिकीय उन्नयन आदि जैसे कारक न होते तो चालू वित्त वर्ष के दौरान विकास दर अधिक रही होती।

दिल्ली में यमुना पार क्षेत्रों में जाली हस्ताक्षरों पर टेलीफोन कनेक्शन देना

253. श्रीमती गीता मुखर्जी
डा० गौरी शंकर राजहंस
श्री मुकुल वासनिक
श्री कमला प्रसाद सिंह
श्री सनत कुमार मंडल
: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि दिल्ली और विशेषकर यमुना पार क्षेत्रों में जाली हस्ताक्षरों से बीमारी के आधार आदि पर टेलीफोन मंजूर करते हुए डिमांड नोट भेजने की धोखाधड़ी चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार जाली हस्ताक्षरों के कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये गये हैं;

(ग) विभाग में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या टेलीफोन प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी इस धोखाधड़ी में शामिल हैं; और

(ङ) क्या ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दूरसंचार विभाग द्वारा की गई जांच के उपरांत यह पता चला है कि दिल्ली टेलीफोन प्रणाली के अन्तर्गत अनियमित रूप से दी गई मंजूरी के आधार पर कुछ टेलीफोन कनेक्शन लगाए गए थे अथवा टेलीफोन कनेक्शनों की अवधि बढ़ाई गई थी।

(ख) से (ङ) इस मामले की अभी जांच की जा रही है तथा पूरी जानकारी अभी प्राप्त होनी है।

रासायनिक संयंत्रों से रिसाव

254. डा० गौरी शंकर राजहंस
श्री मुकुल वासनिक
श्री लक्ष्मण मलिक
: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल में राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में स्थित रासायनिक संयंत्रों के विरुद्ध अति कड़ी कार्यवाही करने और रासायनिक संयंत्रों से रिसाव को रोकने के लिए अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में जारी किए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई जिम्मेवारी निश्चित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ङ) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे खतरनाक प्रक्रियाओं पर आधारित संयंत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कसर बाकी न छोड़ें। इसमें उन कार्यकारी दलों/विशेषज्ञ दलों की सिफारिशों पर उपयुक्त अनुवर्ती कार्यवाही सम्मिलित होगी जिनको खतरनाक रसायनों का निर्माण करने वाले अथवा उनका प्रयोग करने वाले औद्योगिक एककों का सर्वेक्षण तथा निर्धारण करने हेतु स्थापित करने के लिए पहले अनुरोध किया गया था, खतरे के इन सभी सुरक्षात्मक पहलुओं जिसमें पर्यावरण का पहलू भी सम्मिलित है, का ध्यान रखने हेतु एक बहु-अनुशासनात्मक जांच एजेंसी का गठन करना तथा इस प्रकार की एजेंसी में बाह्य विशेषज्ञों को सम्मिलित करना, इस प्रकार के एककों की जांच को और अर्थपूर्ण एवं प्रभावकारी बनाने हेतु नियमित जांच एजेंसियों की सहायता करने के लिए चेक लिस्ट में सम्मिलित किये जाने वाले नाजुक क्षेत्रों का निर्धारण करना, यह सुनिश्चित करना कि प्रपुंज भंडारण अथवा संयंत्रों में प्रक्रियाधीन सभी खतरनाक रसायनों का प्रबन्धकों द्वारा शीघ्र विस्तारण किया जाता है।

राजकोट में नया स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

255. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये राजकोट स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की आयोजना परियोजना तथा अनुमानित खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ख) एक्सचेंज पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की जा चुकी है;

(ग) क्या उपर्युक्त टेलीफोन एक्सचेंज ने आयोजना परियोजना और प्राक्कलन के अनुसार लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है;

(घ) क्या उक्त परियोजना और प्राक्कलनों के अनुसार लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है;

(ङ) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(च) इस टेलीफोन एक्सचेंज में कब से कब तक कार्य आरम्भ होने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) राजकोट में 10,000 लाइनों का एक नया टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना थी। जापान की मै० एन० ई०सी० कम्पनी से उपस्कर दो किश्तों में प्राप्त किया गया था। इस परियोजना का कुल अनुमानित व्यय लगभग 10.5 करोड़ रु० है।

(ख) लगभग 7 करोड़ रुपये।

(ग) जी हां।

(घ) उक्त परियोजना को पूरा करने में विलम्ब के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं :—

1. भवन, विद्युत संस्थापन तथा वातानुकूल संस्थापन कार्य पूरा करने में विलम्ब।

2. भूमिगत केबिलों की सप्लाई में विलम्ब।

3. केबिल डक्ट के निर्माण तथा बिछाने के सम्बन्ध में न्यायालय का स्थगन आदेश (स्टे-आर्डर)।

4. केबिल सप्लाइसरों के चयन/भर्ती के सम्बन्ध में न्यायालय का स्थगन आदेश तथा बाद में स्टाफ की कमी।

(ङ) से (च) दिसम्बर, 1985 तक 5000 लाइनों की क्षमता का टेलीफोन एक्सचेंज चालू करने की सम्भावना है। मार्च, 1985 तक और 5000 लाइनों द्वारा इसका विस्तार करने की सम्भावना है।

सातवीं योजना के दौरान उद्योग स्थापित करने के लिए चुने गए पिछड़े क्षेत्र

256. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बड़े, मध्यम और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों को चुना गया है और किस प्रकार के उद्योगों के लिए लाइसेंस जारी किए जायेंगे ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : किसी विशेष राज्य के चुनाव का प्रश्न नहीं है। औद्योगिक छितराव और विकास के लिए सारे राज्यों तथा विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों को सम्मिलित करने का उद्देश्य है। स्थापित किए जाने वाले उद्योगों की किस्म प्राप्त हुए अभ्यावेदनों पर निर्भर होगी।

उर्वरक संयंत्रों के लिए गैस के मूल्य निर्धारित करना

257. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह**
श्री तुलसी राम } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन में प्रयोग में लाई जाने वाली गैस के मूल्य की तुलना में

उर्वरक संयंत्रों को सप्लाई की जाने वाली प्राकृतिक गैस का कम मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न प्रयोक्ताओं के लिए क्या मूल्य निर्धारित किया गया है और अलग-अलग मूल्य का क्या औचित्य है; और

(ग) इस संबंध में विशेषज्ञ पैनल की सिफारिश का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) देश भर में विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए गैस के मूल्य निर्धारण का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

पश्चिम बंगाल में नई कोयला खानों में स्थानीय लोगों को रोजगार देना

258. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 अक्तूबर, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपी खबर के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अपनाये गये रुख के कारण पश्चिम बंगाल में नई कोयला खानों को शुरू करने से सरकार के कार्यक्रम को क्षति पहुंची है;

(ख) क्या कोयला खानों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने के बारे में कोई विवाद है; और

(ग) यदि हां, तो इस विवाद को समाप्त करने और कोयला खानों को खोलने के लिए क्या कारंवाई की गई है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) यह सच है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० द्वारा पश्चिम बंगाल में नई खानें शुरू करने के कार्यक्रम पर स्थानीय नवयुवकों द्वारा नई खानों में रोजगार की मांग का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । उनकी मांग कम्पनी की जनशक्ति आवश्यकता से अधिक है। राज्य सरकार के परामर्श एवं सहायता इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास किया गया है और परिणामस्वरूप पिछले दो वर्षों में ग्यारह खानों को चालू किया गया है।

राज्यों में लोक अदालत स्कीम की कानूनी प्रास्थिति

259. **श्री उत्तम रावत पाटिल :** क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक अदालत स्कीम का क्रियान्वयन देश के सभी राज्यों में किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन अदालतों को कानूनी प्रास्थिति प्राप्त होगी;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उसके द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों में लोक अदालतों का आयोजन, एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह कुछ राज्यों जैसे गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक में लोकप्रिय हो गया है। देश के अन्य भागों में लोक अदालतें आयोजित करने के प्रयत्न भी किए जा रहे हैं।

(ख) लोक अदालतों का कोई कानूनी आधार नहीं है। वे स्वैच्छिक अभिकरणों के रूप में कार्य कर रही हैं।

(ग) और (घ) इस विषय पर एक व्यापक विधान प्रारूप समिति के विचाराधीन है, जिसमें लोक अदालतों से सम्बन्धित उपबंध भी सम्मिलित किए जा सकते हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में व्यर्थ व्यय
को समाप्त करने के लिए उपाय

260. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के मुनाफा कमाने वाले अधिकांश उपक्रम बहुत-सा व्यर्थ व्यय करते हैं;

(ख) क्या इसको रोकने के लिए कोई व्यवस्था है;

(ग) क्या इन उपक्रमों के मनोरंजन आदि के खर्च की कोई सीमा निश्चित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन उपक्रमों के व्यर्थ-व्ययों को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) यह सही नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के मुनाफा कमाने वाले अधिकांश उपक्रम बहुत-सा व्यर्थ व्यय करते हैं। किन्तु, सरकारी उद्यम कार्यालय, सरकारी उद्यमों को खर्च में किफायत बरतने के लिए समय-समय पर सलाह देता रहा है। जिन विषयों में उन्हें खासतौर से संयम बरतने के लिए कहा गया है, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं—विदेश यात्रा, अतिथि-गृहों, स्टाफ कारों का अनुरक्षण एवं साज-सम्भाल, प्रधान कार्यालयों का अनुरक्षण एवं साज-सम्भाल, विदेशी अतिथियों सहित मेहमानों का सत्कार सम्बन्धी व्यय, बधाई-पत्रों की खरीद एवं प्रचार सम्बन्धी व्यय। हालांकि सरकार द्वारा यह निर्धारित नहीं किया गया है कि इन सरकारी उद्यमों द्वारा सत्कार व्यय पर कितनी विशिष्ट अधिकतम

राशि खर्च की जा सकती है तथापि निदेशक मण्डल को इसके लिए उपयुक्त सीमा निर्धारित करने की सलाह दी गई है। ऐसे अनुदेश भी जारी किए गये हैं कि आतिथ्य सत्कार के लिए सरकारी क्षेत्र के होटलों का अधिकतम उपयोग किया जाये। सरकार द्वारा वर्तमान मार्ग-निर्देशों की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है। व्यर्थ व्यय को समाप्त करने के लिए निदेशक मण्डल इन मदों पर किए गये खर्च की आवधिक रूप से समीक्षा करते हैं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में उद्योग विहीन जिले

261. **श्री आर० एम० भोये** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में ऐसे "उद्योग विहीन जिलों" की संख्या कितनी है जहां महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उद्योग स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ख) उनमें से ऐसे पिछड़े क्षेत्रों की संख्या कितनी है जहां पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) महाराष्ट्र में केवल जिला गढ़चिरोली को "उद्योग रहित जिला" घोषित किया गया है। इस जिले में उद्योग स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोई निवेदन नहीं किया गया है। चालू वर्ष के दौरान इस जिले में एक औद्योगिक यूनिट स्थापित करने के लिए एक आशय पत्र जारी किया गया है।

इस मन्त्रालय द्वारा उन पिछड़े हुए क्षेत्रों के बारे में जानकारी नहीं रखी जाती है जहां पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं।

कोयला मूल्य में वृद्धि के कारण रायल्टी दर में संशोधन करने हेतु राज्य सरकारों के सुझाव

262. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोयला मूल्यों में वृद्धि के फलस्वरूप रायल्टी दर में वृद्धि करने के लिए कुछ राज्यों द्वारा की गई मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों के सुझावों को स्वीकार कर लिया है क्योंकि रायल्टी दर में उत्तरोत्तर संशोधन न करने के कारण कोयला सप्लाई करने वाले राज्यों को घाटा हो रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, हां। आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि कुछ राज्यों ने कोयला पर स्वामिस्व दर में वृद्धि के लिए अभिवेदन दिया है।

(ग) और (घ) कोयले पर स्वामिस्व दर में पिछली बार संशोधन 13.2.1981 से किया गया था। कोयले की स्वामिस्व दर में पुनः संशोधन के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक अध्ययन दल का गठन नवम्बर, 1984 में किया गया था। इस अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा वह भारत सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए लंबित पड़े आवेदन पत्र

263. **श्री के० राम मूर्ति** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक जोन में कितने टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं तथा कब से पड़े हैं और आवेदन पत्रों को स्वीकार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) देश में लगाए गए इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इससे टेलीफोन कनेक्शन के लिए लम्बित पड़े आवेदन पत्रों को स्वीकार करने में सहायता मिली है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 30.9.1985 तक की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर 30 इलेक्ट्रानिक स्थानीय टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं। इनमें 9 लाइनों की कम की क्षमता के छोटे एक्सचेंज शामिल नहीं हैं।

(1) दिल्ली (7)	(2) बम्बई (5)	(3) कलकत्ता
(4) मद्रास	(5) अहमदाबाद	(6) कानपुर
(7) पठानकोट	(8) कोसीकलां	(9) नैनीताल
(10) उझानी	(11) अलमोड़ा	(12) सिरसा
(13) गुड़गांव	(14) कुरनूल	(15) करूर
(16) गुलबर्गा	(17) इम्फाल	(18) डिब्रूगढ़
(19) गांधीधाम	(20) वीरावल	

(ग) इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलने से प्रत्येक स्थान के एक्सचेंज में जो अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हुई है उससे प्रतीक्षा सूची को निपटाने में मदद मिली है। कुछ इलाकों में नये कनेक्शन देने की प्रक्रिया भी चल रही है।

विवरण

अनुबन्ध

क्र० सं०	राज्य को सेवा प्रदान करने वाले दूरसंचार सर्किल सहित टेलीफोन जिले	30-9-85 तक प्रतीक्षा सूची	सबसे पुराना लंबित आवेदन
1	2	3	4
	पूर्वी क्षेत्र :		
1.	बिहार (पटना)	8,561	3-11-1979
2.	उत्तर पूर्व (गुवाहाटी जिला)	7,970	3-11-1978
3.	उड़ीसा	4,512	21-5-1980
4.	पश्चिम बंगाल (कलकत्ता)	33,235	26-6-1966
	कुल :	54,278	
	उत्तरी क्षेत्र		
5.	जम्मू और कश्मीर	9,025	29-10-1975
6.	मध्य प्रदेश (इन्दौर सहित)	26,972	जुलाई 1980
7.	उत्तर पश्चिम (अमृतसर, चंडीगढ़, जालंधर और लुधियाना सहित)	60,190	15-4-1977
8.	उत्तर प्रदेश (आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ कानपुर और वाराणसी सहित)	39,725	19-11-1977
9.	राजस्थान (जयपुर जिले सहित)	28,569	19-12-1979
10.	दिल्ली	1,51,819	21-7-1965
	कुल :	3,16,280	

1	2	3	4
	दक्षिण क्षेत्र :		
11.	आन्ध्र प्रदेश (हैदराबाद, विजयवाड़ा जिला सहित)	58,377	28-7-1977
12.	कर्नाटक (बंगलूर)	44,584	28-2-1979
13.	केरल (कालीकट, एर्नाकुलम और त्रिवेन्द्रम सहित)	63,782	2-9-1974
14.	तमिलनाडु (कोयम्बतूर, मद्रास और मदुरै सहित)	72,979	29-2-1978
	कुल :	2,39,682	
	पश्चिमी क्षेत्र :		
15.	गुजरात (अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, सूरत सहित)	99,613	5-5-1978
16.	महाराष्ट्र (बम्बई, नागपुर और पुणे सहित)	2,69,436	5-4-1971
	कुल :	3,69,049	
	कुल योग :	9,79,289	

मौजूदा प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए जहां कहीं व्यवहार्य होता है, मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया जा रहा है और नए एक्सचेंज खोले जा रहे हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

दिल्ली क्षेत्र में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन के लिए आवेदन कर्त्ताओं की प्रतीक्षा सूची

264. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली और दिल्ली क्षेत्रों में 30 सितम्बर, 1985 तक कितने आवेदक खाना पकाने

की गैस के कनेक्शन लेने के लिए प्रतीक्षा सूची में थे; और

(ख) क्या सरकार का देश के अन्य भागों में सप्लाई में रुकावट डाले बिना इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने का कोई समयबद्ध कार्यक्रम है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) दिल्ली में 30.9.1985 तक एल० पी० जी० कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या करीब 5 लाख है।

(ख) दिल्ली/नई दिल्ली में नये कनेक्शनों की रिलीज तेल उद्योग के ऐसे कनैक्शनों के लिए अखिल भारतीय वार्षिक लक्ष्य के अन्दर ही की जाती है। इन लक्ष्यों का निर्धारण और इसकी प्राप्ति एल० पी० जी० की उपलब्धता, बाटलिंग क्षमता में वृद्धि, नई डिस्ट्रीब्यूटरशिप जैसे अन्य इन्फास्ट्रक्चर की उपलब्धता आदि द्वारा निश्चित की जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में दिल्ली/नई दिल्ली के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम रखना व्यवहारिक नहीं है।

[हिन्दी]

राजस्थान में डाक-घर खोलना

265. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कितने गांवों में डाकघर खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान राजस्थान में कितने डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना से 6000 ग्रामों में नए डाकघर खोलने का प्रस्ताव है। तथापि, नये पदों के सृजन पर लगी पाबंदी के बने रहने के कारण इस लक्ष्य में संशोधन किया जा सकता है।

(ख) वार्षिक योजना 1985-86 के दौरान राजस्थान में 106 ग्रामीण डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव था। तथापि, नये पदों के सृजन पर पाबंदी के कारण जिसका उल्लेख ऊपर (क) में किया गया है, इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करना संभव नहीं हो सका।

औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो का प्रतिवेदन

266. **श्री शांति धारीवाल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के बड़े औद्योगिक एककों के स्वरूप, कुशलता उत्पादन, मूल्य तथा लागत ढांचे का अध्ययन करने और तत्सम्बन्धी आंकड़े संकलित करने हेतु औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में क्षेत्रवार उन बड़े उद्योगों के क्या नाम हैं जिनके सम्बन्ध में ब्यूरो ने आंकड़े संकलित करने का कार्य प्रारम्भ कर लिया है; और

(ग) सरकार द्वारा कब तक ब्यूरो का प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकार द्वारा औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो का गठन लागत में कमी करने से संबंधित विभिन्न मामलों, औद्योगिक कार्यकुशलता में सुधार तथा औद्योगिक लागतों के सम्बन्ध में मूल्य निश्चित करने के बारे में लगातार परामर्श देना है। ब्यूरो द्वारा किए गए अध्ययन में उद्योगो से प्राप्त आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण शामिल है।

(ख) इस समय जिन प्रमुख उद्योगों का अध्ययन किया जा रहा है उन्हें संलग्न विवरण में क्षेत्रवार सूचीबद्ध किया गया है।

(ग) ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों के लिए लिया गया समय अध्ययन के स्वरूप और उसकी जटिलता पर निर्भर करता है और यह समय एक मास से लेकर लगभग दो वर्ष तक हो सकता है।

विवरण

1. महाराष्ट्र गैस क्रैकर कम्पलैक्स।
2. कीटनाशक।
3. आटोमोबाइल टायर।
4. छपाई का सफेद कागज।
5. कोयला।
6. एलूमीनियम।
7. विनायल एसीटेट मोनोमेर।
8. सरकारी क्षेत्र के शिपयार्ड में बने समुद्र में चलने वाले जलयानों का मूल्य निर्धारित करना।
9. अमोनियम क्लोराइड।
10. केपरोलेक्टम।
11. मेथानोल।

12. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लकड़ी पर आधारित उद्योग।

13. कम्प्रेसर्स।

14. पोलिएस्टर फिल्म।

15. थोक (बल्क) औषधियां।

16. रुग्ण सीमेंट संयन्त्र तथा नए सीमेंट संयंत्र।

17. भारत में अखबारी कागज संयंत्रों की कार्यकुशलता।

18. निर्यात प्रोत्साहनों से संबंधित अध्ययन।

19. विस्कोस स्टेपल फाइबर।

20. लाइसेंस मुक्त उद्योगों का प्रशुल्क से संबंधित अध्ययन।

21. पेट्रो-रसायन, सीमेंट, एलूमीनियम, इस्पात, कागज, उर्वरक और रिफाइनरीज की ऊर्जा लेखा परीक्षा।

[अनुवाद]

एरनाकुलम में अग्रतर पाइपलाइनों में रिसाव

267. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एरनाकुलम में अग्रतर पाइप लाइन के साथ-साथ पाइप लाइन जो कि पेट्रोलियम उत्पादों को बाहर निकालती है, में बड़ी मात्रा में रिसाव देखा गया है;

(ख) क्या यह रिसाव घटिया रख-रखाव के कारण हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या वर्तमान पाइप लाइन के स्थान पर एरनाकुलम में नई पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) 20 अगस्त, 1985 को कोचीन रिफाइनरी से एच०पी० सी०एल०/बी पी०सी० एल० अधिष्ठापन की एच० एस० डी० के स्थानांतरण के दौरान अग्र-तटीय पाइपलाइन में दो स्थानों पर हो रहे रिसाव को देखा गया।

(ख) पाइपलाइन अंदर व बाहर दोनों तरह से सीमेंट से आवृत होती है। नगर के नालों से

गुजरने वाली पाइप लाइन के अंगों में क्षय होने के कारण पाइप लाइन में रिसाव हुआ। पाइप लाइन का निरीक्षण किया गया है, दबाव की जांच की गयी है तथा क्षतिग्रस्त भागों को बदल दिया गया है।

क्षतिग्रस्त भागों को बदलने के पश्चात् पाइप लाइन की जलीय-जांच की गई तथा इसको दुबारा चालू कर दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

टेलीफोन एक्सचेंजों में नवीकरण की योजनायें

268. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में टेलीफोन एक्सचेंजों के नवीकरण की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्यकरण को सुधारने और प्रयोक्ताओं का दोष-मुक्त सेवा प्रदान करने के लिए उनका कार्य अध्ययन कराया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) देश में टेलीफोन एक्सचेंजों की कार्यप्रणाली सामान्यतः संतोषजनक है। एक्सचेंज के उपस्करों को ठीक हालत में रखने के लिए व्यापक अनुरक्षण कार्यक्रम बनाए गए हैं और अनुरक्षण स्टीन के लिए हिदायतें जारी की गई हैं, जिनका नियमित रूप से पालन किया जाता है।

(ख) टेलीफोन एक्सचेंजों की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(एक) अब तक प्रयोग किये जा रहे इलेक्ट्रोमैगनेटिक स्विचन उपस्कर में निहित दिक्कतों को दूर करने के लिए उन्नत इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली आरम्भ करना।

(दो) जिस उपस्कर की सेवा अवधि समाप्त हो चुकी है, उसे बदलना।

(तीन) एक्सचेंज उपस्कर की विशेष जांच, विशेषकर अन्तर एक्सचेंज कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए अन्तर एक्सचेंज जंक्शनों की जांच।

(चार) विविध एक्सचेंजों में वातानूकूलन संयंत्र की कार्यप्रणाली को नियमित रूप से मोनिटर किया जाता है ताकि वे उचित ढंग से कार्य करते रहें।

(पांच) अक्सर पावर सप्लाई फेल होने की दिक्कत से बचने के लिए जहां संभव है वहां अतिरिक्त इंजन आल्टरनेटरों और उच्च क्षमता की बैटरियों तथा सीधे पावर फिल्टर की स्थापना।

(छ) उपस्कर में विभिन्न स्तरों पर संकुलन की समस्या को दूर करने के लिए ट्रैफिल रिलिफ उपस्कर की व्यवस्था।

कागज उत्पादन के लिये लाइसेंस

269. श्री विजय एन० पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न किस्मों के कागज जिनकी आगामी दशक में आवश्यकता हो सकती है, का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त लाइसेंस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) गन्ने की खोई पर आधारित कागज संयंत्रों की तुलना में अन्य कच्चे माल (जैसे बांस, कपास तथा रद्दी कागज इत्यादि) पर आधारित कागज संयंत्रों से आगामी वर्षों में सम्भावित उत्पादन की प्रशितता क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) अनुमान है कि 1989-90 तक कागज और गत्ते की अनुमानित मांग 17.38 लाख मी० टन होगी जबकि 1.1.1985 को उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता 23.5 लाख मी० टन है। इसके अलावा कागज और गत्ता बनाने के लिए 29.91 लाख मी० टन की अतिरिक्त क्षमता अनुमोदित की जा चुकी है जो कि कार्यान्वियन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ग) केवल खोई को ही कच्चे माल के रूप में उपयोग करके कागज और गत्ता बनाने की कल्पना किसी भी एकक द्वारा नहीं की गई है। अनेक छोटी मिलों ने सूचित किया है कि वे अन्य द्वितीयक कच्ची सामग्रियों जैसे कि गेहूं के सरकण्डे, रद्दी कागज आदि के साथ खोई का उपयोग भी एक कच्ची सामग्री के रूप में करेंगे। कुछ बड़ी मिलें भी अपनी कच्ची सामग्री की आवश्यकता का एक भाग खोई खरीद कर पूरा करने के प्रयास में हैं। अनुमान है कि कागज और गत्ते का 50 प्रतिशत उत्पादन अपारम्परिक कच्ची सामग्री जिसमें खोई सम्मिलित है पर निर्भर होगा।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए टर्बोजेनेरेटरों में दोष उत्पन्न होना

270. प्रो० राम कृष्ण मोरे : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा सोवियत सहयोग से बनाए गए 200/210 मेगावाट क्षमता के अधिकांश टर्बो-जेनेरेटरों में गम्भीर दोष उत्पन्न हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए कुल जेनेरेटरों में से कितने जेनेरेटरों में गंभीर दोष उत्पन्न हो गए हैं तथा इसके परिणामस्वरूप यदि कोई हानि हुई है तो वह कितनी है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा सोवियत सहयोग से निर्मित किए गए तथा विभिन्न यूटिलिटियों को सप्लाई किए गए 200/210 मेगावाट की निर्धारित क्षमता वाले 52 सेट अभी तक चालू किए गए हैं। इनमें से 23 यूनिटों में टर्बो-जेनेरेटरों में हाइड्रोजन लीक होने की समस्या सामने आई है। इस समस्या के कारण ऊर्जा उत्पादन में हुई हानि नीचे दिए अनुसार है :—

1982-83	604 मिलियन यूनिट
1983-84	3198 मिलियन यूनिट
1984-85	4375 मिलियन यूनिट
1985-86 (अप्रैल-अक्तूबर)	4061 मिलियन यूनिट

(ग) उपर्युक्त खराबी को दूर करने के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० ने यू०एस०एस०आर० के सहयोग से जेनेरेटर स्टेटरों के संशोधन का एक कार्यक्रम पहले ही तैयार कर लिया है। अब तक 14 चालू की जा चुकी तथा 5 निर्माणाधीन यूनिटें संशोधित कर दी गई हैं। 6 सेटों पर संशोधन कार्य चल रहा है। शेष यूनिटों के संशोधन के लिए भी एक सोपानबद्ध कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु तैयार कर लिया गया है।

बार एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा निर्णयज विधि (केस ला) आदि के कम्प्यूटरीकरण के लिए दिए गए सुझाव

271. **श्री भोला नाथ सेन : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बार एसोसिएशन आफ इंडिया से विधि सम्बन्धी मामलों, जिसमें विधायन, न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण, निर्णय के लिए रोके गए मामलों पर निर्णय देने के लिए समय सीमा का निर्धारण करना, बकाया पड़े मामलों का तेजी से निपटाना, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की परिलब्धियां और पेंशन सम्मिलित हैं, कम्प्यूटरीकरण के लिए कुछ सुझाव प्राप्त हुए है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) 31 अगस्त, और 1 सितम्बर; 1985 को हुए राज्यों के न्यायमूर्तियों, मुख्य मंत्रियों और विधि मंत्रियों के सम्मेलन में न्यायाधीशों की सेवा-शर्तों में सुधार और न्यायालयों में सभी स्तरों पर मामलों की बकाया समाप्त करने के लिए विचार-विमर्श किया गया है। सम्मेलन के संकल्प राज्य

सरकारों को भेज दिए गए हैं। कम्प्यूटर तकनीक लागू करने का सुझाव, सरकार के ध्यान में है।

महाराष्ट्र के सिन्धु दुर्ग और रत्नागिरी जिलों में विन्ड मिल्स से बिजली उत्पादन की परियोजनायें

272. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विन्ड मिल्स से बिजली का उत्पादन करने हेतु समुद्र तटों और पर्वतीय क्षेत्र में परियोजनायें प्रारम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की योजना ऐसी परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र के पिछड़े कोंकण क्षेत्र के सिन्धु दुर्ग और रत्नागिरि जिलों में स्थानों के चयन करने की है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी हां। अन्य पवन फार्म परियोजनाओं के साथ-साथ महाराष्ट्र के सिन्धु दुर्ग में देवगढ़ तालुका के जम्साण्डे गांव में पवन विद्युत जनित्रों से 550 किलोवाट विद्युत के उत्पादन के लिए एक परियोजना पहले ही कार्यान्वियन के अन्तर्गत है।

आन्ध्र प्रदेश में लघु और छोटे सीमेंट संयंत्र शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र

273. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 में कुल कितने तथा कुल कितनी उत्पादन क्षमता के लघु सीमेंट संयंत्रों के लिए आशय-पत्र दिए गए हैं;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1985 में लघु और छोटे सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के कुल कितने आवेदन-पत्रों की जांच की जा रही है और विधाराधीन हैं;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक से एक हजार टन की दैनिक क्षमता वाले 21 लघु और छोटे सीमेंट संयंत्रों का वित्त पोषण करने के लिए अनुमति मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने आन्ध्र प्रदेश वित्त निगम को लघु और छोटे सीमेंट संयंत्रों का वित्तपोषण करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) अब तक 1985 के दौरान आंध्र प्रदेश में मिनी सीमेंट संयंत्रों को स्थापित करने के लिए कुल 1,32,000 मी० टन वार्षिक क्षमता के लिए दो आशय पत्र जारी किए गए हैं। इसके अलावा प्रति वर्ष 5,61,000 मी० टन की कुल क्षमता के लिए आन्ध्र प्रदेश में मिनी सीमेंट संयंत्रों को स्थापित करने हेतु तकनीकी विकास के महानिदेशालय के 16 पंजीकरण प्रदान किए गए हैं।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में मिनी सीमेंट संयंत्रों को स्थापित करने के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय में औद्योगिक लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्रदान करने के लिए भी आवेदन लंबित नहीं है। लघु क्षेत्र में, मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी आवेदनों पर (जिनमें संयंत्र और मशीनरी पर 35 लाख रु० से अधिक का निवेश नहीं है) पंजीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाता है।

(ग) और (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने पहले ही 21 मिनी और बहुत छोटे सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम से प्राप्त प्रस्तावों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की मंजूरी दे दी है।

[हिन्दी]

प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना

275. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार प्रदूषण रहित उद्योगों की स्थापना करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ऐसे उद्योग स्थापित किए जायेंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में प्रदूषण रहित उद्योग स्थापित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) औद्योगिक अनुज्ञप्ति प्रक्रिया के अधीन उद्योगों के लिए यह आवश्यक है कि सीधे आशय-पत्र जारी होने की अवस्था से लेकर वे यह बतायें कि प्रदूषण निवारण के लिए सरकार की संतुष्टि के अनुसार समुचित प्रयास किया जाएगा। प्रदूषण-रोधी उपाय भी निर्धारित जल-मल निस्सारण मानकों के अनुरूप होने चाहिए। प्रदूषणकारी उद्योगों के आशय-पत्र को औद्योगिक अनुज्ञप्ति के रूप में बदले जाने से पहले उन्हें सम्बद्ध राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से स्वीकृति लेनी पड़ती है। यह प्रक्रिया देश भर में स्थापित होने वाले उद्योगों पर लागू होती है।

(ग) और (घ) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

गुजरात के कच्चे तेल पर रायल्टी की दरों में वृद्धि

276. श्री रणजीत सिह गायकवाड़
श्री छीतू भाई गामित } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कच्चे तेल पर रायल्टी की दरों में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात को कच्चे तेल पर रायल्टी की वृद्धि दर क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में गुजरात सरकार को सूचित कर दिया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मध्य प्रदेश में स्थापित खनिज पर आधारित उद्योग

277. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में खनिज पर आधारित कितने उद्योगों की स्थापना की गई है; और

(ख) ये उद्योग कहां-कहां पर स्थापित हैं और इन उद्योगों में सीधे रोजगार पर लगाए गए लोगों की संख्या क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) तथा (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन द्वारा पूरी की गई तथा चल रही परियोजनाएं

278. **श्री श्रीहरि राव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन० एच० पी० सी०) भारत सरकार के उन कुछ उपक्रमों में से एक है जिसने वर्ष 1984-85 के दौरान 8.56 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है;

(ख) नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन द्वारा वर्ष 1984-85 में राज्य-वार पूरी की गई पन-बिजली परियोजनाओं तथा इसके द्वारा पूरी की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन द्वारा कुछ नए संभाव्यता प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने 1984-85 के दौरान 856.34 लाख रुपये का निवल लाभ कमाया।

(ख) 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के द्वारा कोई जल विद्युत परियोजना पूरी नहीं की गई थी। वे परियोजनाएं जो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के निर्माणाधीन है, निम्नानुसार हैं :—

1. जम्मू व कश्मीर में सलाल जल विद्युत परियोजना (345 मेगावाट)
2. हिमाचल प्रदेश में चमेरा जल विद्युत परियोजना, चरण-1 (540 मेगावाट)
3. जम्मू व कश्मीर में दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (390 मेगावाट)
4. उत्तर प्रदेश में टनकपुर जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)
5. बिहार में कोयला कारो जल विद्युत परियोजना (710 मेगावाट)

(ग) और (घ) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने हाल ही में निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए भी व्यवहार्यता रिपोर्टें प्रस्तुत की है : —

1. जम्मू व कश्मीर में उरी जल विद्युत परियोजना (480 मेगावाट)
2. सिक्किम में रणजीत विद्युत परियोजना (60 मेगावाट)
3. मिजोरम में धालेश्वरी जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)
4. उत्तर प्रदेश में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना चरण-एक (260 मेगावाट)
5. जम्मू व कश्मीर में सलाल जल विद्युत परियोजना चरण-2 (345 मेगावाट)
6. दुलहस्ती पारेषण प्रणाली

[हिन्दी]

दिल्ली में बिजली की दैनिक खपत

279. **श्री भरत सिंह :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में विद्युत की दैनिक खपत कितनी है और इस मांग को सरकार कहां तक पूरी कर पाती है/कर पाने में सफल हुई है तथा इस मांग को पूरा करने के लिए भावी योजना क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : दिल्ली को वर्तमान औसत दैनिक विद्युत की खपत लगभग 12 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है। यह आवश्यकता दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के विद्युत केन्द्रों, बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के विद्युत उत्पादन और बैरास्यूल और सिंगरौली के केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों में दिल्ली के हिस्से से पूरी की जाती है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की प्रणाली में विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए 30-30 मेगावाट की छः गैस टर्बाइन यूनिटें प्रतिष्ठापित की जा रही हैं जो कि 1986 में प्रचालन में आ जायेंगी। राजघाट विद्युत केन्द्र में प्रतिष्ठापित किए जाने के लिए 67.5-67.5 मेगावाट की दो ताप विद्युत यूनिटें भी स्वीकृत की गई हैं। इन यूनिटों को 1988 में चालू किए जाने की आशा है।

दीर्घकालिक उपाय के रूप में दिल्ली की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मुरादनगर में 210-210 मेगावाट की 4 यूनिटों वाली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ताप विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही हैं। उत्तरी क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे कुछ केन्द्र सरकार के केन्द्रों से भी दिल्ली को विद्युत मिलने की आशा है।

[अनुवाद]

पेट्रोल के मूल्यों में वृद्धि

280. **श्री मूल चन्द डागा**
श्री थम्पन थामस } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1973 में पेट्रोल का मूल्य 1.69 रुपये प्रति लीटर था और 1985 में बढ़कर 7.34 रुपये प्रति लीटर हो गया;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान मूल्य में कितनी बार वृद्धि हुई है; और इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के कारण क्या हैं ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान हमने पेट्रोल की कुल कितनी मात्रा का आयात किया, यह

आयात किन-किन देशों से किया गया और कितनी राशि खर्च हुई; और

(घ) क्या सरकार द्वारा मन्त्रालयों द्वारा उनके उपक्रमों द्वारा पेट्रोल की खपत में मितव्ययता बरतने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) अगस्त, 1973 में बम्बई में पेट्रोल का खुदरा मूल्य, 1.66 रु० प्रति लिटर था। बम्बई में इसका आजकल का प्रचलित मूल्य 7.34 रु० प्रति लिटर है।

(ख) इस अवधि के दौरान मोटर स्प्रिट की कीमतों में सोलह बार संशोधन किया गया था। मूल्य में वृद्धि के कई कारण थे यथा क्रूड ऑयल (देशी तथा आयातित) की कीमत में वृद्धि होना, पेट्रोल की गुणवता में सुधार होना, पेट्रोलियम पदार्थों के अन्वेषण शोधन तथा विपणन की लागत बढ़ जाना आदि।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पेट्रोल का आयात नहीं किया गया।

(घ) वित्त मन्त्रालय ने भी मन्त्रालयों तथा विभागों को स्टाफ कारों में पेट्रोल के खर्च को न्यूनतम रखने के निर्देश जारी किए हैं। केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों/विभागों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को भी उनकी स्टाफ कारों में पेट्रोल की खपत को कम करने का परामर्श दिया गया।

दूरसंचार कार्य के लिए बनाए गए टावरों से दूरदर्शन प्रसारण

281. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार कार्य के लिए बनाए गए सूक्ष्म तरंग (माइक्रोवेव) टावरों का दूरदर्शन प्रसारण के लिए उपयोग किया जा सकता है;

(ख) क्या उन्नतशील देशों में दूरसंचार और दूरदर्शन नेट वर्क एक ही टावर से कार्य कर रहे हैं; और

(ग) भारत में संचार मन्त्रालय द्वारा अपने सूक्ष्म तरंग टावरों से दूरदर्शन प्रसारण के लिए इस तरह की सुविधा न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) टेलीविजन के लिए लाइटवेट डाइपोल का इस्तेमाल करके कुछ क्षेत्रों में ही टेलीविजन प्रसारण के लिए माइक्रोवेव टावरों का इस्तेमाल करना संभव है।

(ख) जी हां। विकसित देशों में, सामान्य टावर का इस्तेमाल होता है।

(ग) माइक्रोवेव टावरों के जरिए टी० वी० प्रसारण की व्यवहार्यता का अध्ययन किया गया है तथा यह पाया गया कि माइक्रोवेव स्टेशनों पर संरचना तथा सुविधाओं की सीमित उपलब्धता के कारण अनेक प्रेक्षण गति के प्रचलन तथा तकनीकी दिक्कतें उत्पन्न होंगी, जिससे यह प्रस्ताव जटिल और अव्यावहारिक हो जायेगा।

गुजरात के बलसाड, बड़ौदा और सूरत जिलों में नये टेलीफोन एक्सचेंज तथा डाकघर खोलना

282. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1.1.1983 से 30.9.1985 की अवधि के दौरान गुजरात राज्य के बलसाड, बड़ौदा और सूरत जिलों में कुछ नये टेलीफोन एक्सचेंज तथा डाकघर खोले गये;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) उनकी वास्तविक योजनाएं, परियोजनायें तथा प्राक्कलन क्या थे; और

(घ) 1985 तथा 1986 के दौरान इन जिलों में खोले जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों तथा डाकघरों की संख्या कितनी है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण—एक में दी गई है।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण - दो में दी गई है।

(घ) (एक) टेलीफोन एक्सचेंज : 1985 और 1986 के दौरान इन जिलों में कुल 9 एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है।

(दो) डाकघर : नये पदों के सृजन पर लगी रोक के कारण प्रस्तावित जिला-वार विकास कार्यक्रम लंबित पड़ा है।

विवरण-एक

बुलसाड, बडोदरा और सूरत जिलों में 1-1-1983 से 30-9-1985 के दौरान नये टेलीफोन एक्सचेंजों और डाकघरों का विवरण

(क) **टेलीफोन एक्सचेंज**

एक्सचेंज का नाम	क्षमता	जिले का नाम	राशि रुपये
1	2	3	4
1. अचारी	25 लाइन एस०ए०एक्स०	बुलसार जिला	2,54,152
2. रोनवेल	—वही—		

1	2	3	4
3. कामरेज	200 लाइन सी०बी०एन०एम०	सूरत	7,07,65
4. साचिन	50 लाइन एस०ए०एक्स०		
5. जंकवाव	25 लाइन एस०ए०एक्स		
6. बांधन	—वही—		
7. उमारपाड़ा	—वही—		
8. आँजल	—वही—		
9. केलनपुर	25 लाइन एस०ए०एक्स०	बडोदरा	3,24,354
10. खाखरिया	—वही—		
11. गोध बौरियाड	—वही—		

(ख) डाकघर	डाकघर का नाम
सूरत जिला ((बारडोली और सूरत जिला)	1. इसानपुर शाखा डाकघर
	2. धालीकुई
	3. वेगी
	4. अंकदोद
	5. काधैया
	6. रतनिया
	7. नागामा
	8. सवगवन
	9. बाबरघाट
	10. अन्तापुर
	11. व्यावल
	12. पद्म डुंगरी
	13. पाडवा
	14. टोकरवा
वलसाड जिला (नवसारी और वलसाड)	
	15. पति
	16. नवताड

1	2	3	4
			17. रजावानी
			18. रुवनिया
			19. जमनपारा
			20. दाबखाल
			21. असरौना
			22. बोंटा
			23. गिरनाल
			24. गुंडला
	बडोवरा जिला (बडोदरा)		
			25. मोती मानक
			26. मनमोघपुरा
			27. वनियाड
			28. उचाड
			29. पुछुपुड़ा
			30. बारौली
			31. कालम्बा
			32. कामसोली
			33. रोधा
			34. देना
			35. जेर
			36. वन्ता
			37. नानपुरा
			38. कान्तेश्वर
			39. पालसन्वा
			40. मिथिबार
			41. पीपललाई
			42. असार

विवरण—दो

योजना, परियोजना और प्राक्कलनों का ब्यौरा

(एक) वापी, नवसारी, भड़ौच और अनलेश्वर के लिए योजना प्राक्कलनों की मंजूरी दे दी गई है।

(दो) बुलसार और बिल्ली मोरा के लिए योजना प्राक्कलनों की मंजूरी देने की कार्रवाई की जा रही है।

(तीन) 1986 के अन्त तक सूरत टेक्सटाइल मार्केट में 10,000 लाइनों का एक्सचेंज चालू हो जाएगा।

(चार) 1986-87 के दौरान अल्कापुरी, वडोदरा में 7000 लाइनें चालू हो जाएंगी।

(पांच) 1986-87 के दौरान अल्कापुरी वडोदरा का 3000 लाइनों में विस्तार।

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड को हुई हानि

283. **श्री अनादि चरण दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसे कितना घाटा हुआ है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा विदेशों में हाथ में ली गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड में 31-3-1985 को कुल अनुमानित हानि 108.36 करोड़ रुपये की थी। कम्पनी को अपनी दो मुख्य समुद्र-पार परियोजनाओं अर्थात् अल-फिरदौस आवासीय परियोजना, कुवैत तथा मंत्रि-परिषद भवन परियोजना, इराक में हानि हुई है। हानियां होने के मुख्य कारण ये हैं, परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान कीमतों में भारी वृद्धि, निर्माण कार्यों को स्वीकृति देने के मामले में ग्राहकों का प्रतिकूल रवैया, दावों का निपटारा और बकाया राशि का भुगतान, भारी ब्याज बोझ और गारन्टी प्रभार, ईरान और इराक के बीच भारी युद्ध तथा कठोर प्रतियोगिता के कारण क्रयादेश में गिरावट।

(ग) आज तक ई० पी० आई० इराक के बगदाद में मंत्रिपरिषद भवन परियोजना पर कार्य कर रहा है जिसके तीन हिस्से हैं; अर्थात् मुख्य परियोजना, स्थल कार्य और संशोधन कार्य जिसका कुल मूल्य 92 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

गुजरात और राजस्थान में तेल की खोज पर व्यय और निर्धारित लक्ष्य

284. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा राजस्थान और गुजरात में तेल तथा गैस की खोज के लिए सर्वेक्षण, छिद्रण आदि के लिए छठी योजना में कितनी धन-राशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई और इस संबंध में उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त राज्यों में गैस और तेल का पता लगाने हेतु पृथक-पृथक खोज, सर्वेक्षण और छिद्रण के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये और उसके लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) गुजरात तथा राजस्थान में छठी योजना में सर्वेक्षण, खुदाई आदि पर किये गये व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :—

	दी गई राशि (करोड़ रु०)		वास्तविक व्यय (करोड़ रु० में)	
	ओ० एन० जी० सी०	ओ० आई० एल०	ओ० एन० जी० सी०	ओ० आई० एल०
(I) गुजरात	261.10	—	257.81	—
(II) राजस्थान	23.85	50.00	31.73	12.41

(ग) सातवीं योजना के लिए परीक्षात्मक अन्वेषण तथा विकास कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है :—

	राजस्थान		गुजरात (कच्छ और सौराष्ट्र को सम्मिलित करके)	
	ओ० एन० जी० सी०	ओ० आई० एल०	ओ० एन० जी० सी०	ओ० आई० एल०
	1	2	3	4
(I) सर्वेक्षण	18 पार्टी वर्ष	102000 लाईन कि० मी०	73 पार्टी वर्ष	

	1	2	3	4
(II) अन्वेषी खुदाई (000 मीटरों में)	60 21	29	567.05	
(III) विकासी खुदाई (000 मीटरों में)	—	—	824.95	

इन कार्यक्रमों के लिए प्रारंभिक रूप से दी गई राशि निम्नलिखित है :

(करोड़ रु० में)

	ओ० एन० जी० सी०	ओ० आई० एल०
(I) राजस्थान	60.42	68.65
(II) गुजरात	959.16	—

[अनुवाद]

खतरनाक उद्योगों को बम्बई से बाहर ले जाना

285. **श्री वी० तुलसी राम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने खतरनाक उद्योगों को बम्बई से बाहर ले जाने का निर्णय किय है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से बातचीत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और यदि केन्द्रीय सरकार ने कोई दिशा-निर्देश दिये हों, तो वह क्या हैं;

(घ) उद्योगों को किन स्थानों पर ले जाया जायेगा; और

(ङ) महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश की सीमा पर ले जाये जाने वाले उद्योगों का व्यौरा क्या है और इस प्रकार के खतरनाक उद्योग आन्ध्र प्रदेश के लोगों के लिए कितने खतरनाक साबित होंगे ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

लोक उद्यम कार्यालय की भूमिका

286. **श्री वाई० एस० महाजन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोक उद्यम कार्यालय को लोक उद्यम विभाग बनाये जाने के पश्चात् तथा इस पर नियंत्रण वित्त मंत्रालय से हटाकर उद्योग मंत्रालय को सौंपने से उसकी नई भूमिका क्या है; और

(ख) क्या लोक उद्यम कार्यालय सभी केन्द्रीय लोक उद्यमों के सम्बन्ध में प्रबंध विकास, लोक उद्यम चयन बोर्ड की सहायता करना, वरिष्ठ प्रबंध कर्मचारियों के आंकड़े रखना, निवेश और मूल्यांकन कार्य आरम्भ करना, परियोजनाओं के कार्यान्वियन की निगरानी रखना, कार्योपरान्त अध्ययन संचालित करना, सरकार की नीतियों के कार्यान्वियन के लिये मार्गनिर्देश जारी करना जारी रखेगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम्) : (क) और (ख) सरकारी उद्यम कार्यालय को वित्त मंत्रालय से हटाकर उद्योग मंत्रालय को सौंपने के परिणामस्वरूप उसकी भूमिका एवं कार्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी उद्यम विभाग के भीतर एक पृथक प्रशासनिक एकक के रूप में बना रहेगा।

राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम के कार्य निष्पादन के बारे में राज्य सरकारों की शर्त

288. **श्री जायनल अबेदीन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम की शुल्क प्रणाली और संयंत्र के सम्बन्ध में कुछ राज्य सरकारों ने शर्तें रखी हैं;

(ख) यदि हां, तो उन शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शर्तों का समाधान करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई विचार विमर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसा विचार विमर्श कब किया गया और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का ऐसा विचार-विमर्श अब करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (च) रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र से विद्युत की बल्क सप्लाई के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के साथ समझौतों को अन्तिम रूप देते समय दक्षिण क्षेत्र के राज्यों ने पूंजी लागतों, ईंधन तेल की खपत, लाभ की दर तथा उत्पादित ऊर्जा की प्रति यूनिट ऊष्मा दर के विशेष संदर्भ में प्रस्तावित टैरिफ पर आशंकाएं व्यक्त की हैं। पूर्वी क्षेत्र के राज्यों ने (विशेष रूप से पश्चिम बंगाल ने) सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र के सम्बन्ध में बल्क सप्लाई के समझौतों में संयंत्र भार अनुपात 63% निर्धारित किया जाना चाहिए भले ही पूर्वी क्षेत्रों में इसे प्राप्त करने में कुछ बाधाएं ही क्यों न हों। इन मामलों पर दिसम्बर, 1984, फरवरी, 1985 और जुलाई 1985 में विचार-विमर्श किया

गया था। इन विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों के बीच बल्क सप्लाई समझौते मार्च और अगस्त, 1985 के बीच संपन्न हो गए हैं।

कुछ राज्यों ने यह भी सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के सुपर ताप विद्युत केन्द्रों से विद्युत की सप्लाई के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक समान टैरिफ अपनाए जाने चाहिएं। टैरिफ की इस समानता के मामले की जांच करने के लिए केन्द्र सरकार ने फरवरी, 1985 में एक समिति का गठन किया था, जिसे बाद में अन्य बातों के साथ-साथ कुछ राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों के साथ विचार-विमर्श किया है। इस समिति द्वारा शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है।

भारत साइकिल निगम का उत्पादन

289. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय साइकिल निगम लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण के बाद उसकी अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में उसका वर्ष-वार उत्पादन कितना है;

(ख) क्षमता का कम उपयोग करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या निकट भविष्य में क्षमता का पूरा उपयोग करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) साइकिल कारपोरेशन आॅफ इण्डिया का उत्पादन इसके राष्ट्रीयकरण के बाद से नीचे दिया गया है जबकि इसकी उत्पादन क्षमता 3,16,000 साइकिलों की है :—

वर्ष	उत्पादन
1980-82 ($17\frac{1}{2}$ माह)	4,28,560
1982-83	2,51,191
1983-84	2,70,442
1984-85	2,55,446

(ख) मशीनों का पुरानापन, श्रमिक समस्याएं, क्षेत्र में बिजली की अत्यधिक कमी, श्रमिकों की संख्या, लोचशीलता का पुरानापन और कमी के मुख्य कारणों से क्षमता का उपयोग कम रहा।

(ग) से (ङ) 17 अगस्त, 1985 से कार्यभार संभालने वाले एक नए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक विभिन्न उपायों का मूल्यांकन कर रहे हैं जो इस कारपोरेशन को उन बेहतर सुसंगठित गैर-सरकारी एककों से प्रतियोगिता करने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं जिन्हें निम्नलिखित लाभ प्राप्त है :—कम मजदूरी, उत्पादन के बेहतर मानदण्ड और सस्ते पुर्जे खरीदने के मामले में लोचशीलता आदि ।

पश्चिम बंगाल और बिहार में कोयले से बिजली उत्पादन की नई प्रक्रिया

290. **डा० सुधीर राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल और बिहार में कोयलों से सीधे बिजली उत्पादन की नई प्रक्रिया शुरू की जायेगी; और

(ख) क्या यह प्रक्रिया भारत में किसी अन्य स्थान पर शुरू की जा चुकी है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत के रूप में कोयले से चुम्बक द्रव गतिक सिद्धान्त का प्रयोग करते हुए, जिसमें कि गर्मी (ऊष्णता) का सीधे विद्युत में परिवर्तन हो सकता है, उससे संबंधित अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा प्रायोजित परियोजना के अधीन तिरुचिरापल्ली में एक प्रायोगिक संयंत्र की स्थापना की गई है । इस समय दो वर्ष के प्रायोगिक कार्य का कार्यक्रम प्रगति पर है । इसके पश्चात् वाणिज्यिक पैमाने के संयंत्रों की स्थापना की जांच भारत वर्ष के किसी भी भाग में की जा सकती है ।

औद्योगिक सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए पैरिस सम्मेलन का विरोध

291. **श्री आनन्द पाठक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने औद्योगिक सम्पत्ति की सुरक्षा सम्बन्धी पैरिस सम्मेलन के निर्णयों को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या इस मामले पर देश में कुछ विरोध हुआ है; यदि हां, तो इस विरोध का आधार क्या, है और

(ग) तत्सम्बन्धी प्रतिक्रिया क्या है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) भारत पेरिस कन्वेशन में शामिल हो या नहीं इस प्रश्न का अध्ययन किया जा रहा है। इस प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष दोनों में ही मत व्यक्त किए गए हैं। राष्ट्र हित में अन्तिम

निर्णय लेते समय सभी मतों को ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

कुमार बाग (बेतिया) बिहार में पेपर मिल की स्थापना

292. : **श्री कुंवर राम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुमार बाग (बेतिया) में अभी तक पेपर मिल स्थापित न करने के क्या कारण हैं जबकि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन को सात वर्ष पहले इस हेतु आशय पत्र दिया गया था और बिहार सरकार ने कारपोरेशन को 500 एकड़ भूमि आवंटित की थी;

(ख) क्या इस मिल के सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 में इस मिल के लिए कितनी राशि आवंटित करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) कुमार बाग (बेतिया) बिहार में कागज मिल लगाने के लिए हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन को अब तक कोई आशय पत्र नहीं दिया है और न ही इस कारपोरेशन को उक्त परियोजना के लिए आवश्यक भूमि आवंटित की गई है।

(ख) तथा (ग) संसाधनों की कमी को देखते हुए हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में परियोजना स्थापित कर पाना शायद संभव नहीं हो सकेगा।

[अनुवाद]

डी० एम० टी० के उत्पादन में वृद्धि

293. **श्री राधाकान्त डिगाल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में डिमिथाइल टेराफेलेट (डी एम० टी०) के उत्पादन में वृद्धि करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजना के अन्त तक वृद्धि के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पैट्रो-रसायन विभागों में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह : (क) से (घ) डाइमेथिल टेरेफ्यालेट (डी० एम० टी०) और पी टीए पालिस्टर के निर्माण के लिये वैकल्पिक कच्चे माल हैं। योजना आयोग ने 1989-90 तक डी० एम० टी०/पी० टी० ए० की मांग 224,000 टन वर्ष होने का अनुमान लगाया है। डी० एम० टी० और पी० टी० ए० के० निर्माण की वर्तमान अनुमोदित क्षमता क्रमश: 1.49000 टन और 75,000 टन है। डी० एम० टी० और पी० टी० ए० की अतिरिक्त क्षमता के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन मदों के लिये अतिरिक्त क्षमता के सृजन करने का प्रश्न, पालिस्टर के निर्माण के लिये सामने आने वाली क्षमता पर निर्भर करेगा। अतिरिक्त क्षमता के सृजन हेतु उचित समय पर उपयुक्त कदम उठाये जायेंगे।

दोलारा, जिला सूरत (गुजरात) में नया टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

294. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोलारा, जिला, सूरत (गुजरात) मे एक नया टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त टेलीफोन एक्सचेंज को मंजूरी कब तक दे दी जायेगी और वहां पर टेलीफोन सेवा कब से उपलब्ध हो जायेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां

(ख) दोलारा में नया एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव लाभप्रद नहीं पाया गया।

(ग) इस प्रस्ताव की तब पुनरीक्षा की जाएगी जब मांग पर्याप्त हो जाएगी और यह परियोजना स्वीकार्य क्षति सीमा के अन्तर्गत होगी।

[हिन्दी]

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स द्वारा प्रचार पर खर्च की गई राशि

295. **डा० ए० के० पटेल**
श्री सी० जंगा रेड्डी } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तथा चालू वर्ष के दौरान प्रचार पर कितनी राशि खर्च की गई और इसमें से विज्ञापनों पर कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) जिन प्रत्रिकाओं और समाचार पत्रों में ये विज्ञापन छपे हैं उनके क्या नाम हैं तथा उपर्युक्त वर्षों के दौरान प्रत्येक द्वारा कितनी राशि प्राप्त की गई; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान विदेशों में प्रचार पर कितनी राशि खर्च की गई ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कारों और स्कूटरों के निर्माताओं द्वारा एकत्र की गई धन राशि

296. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिएट, मारुति गाड़ियों और बजाज स्कूटरों के लिए डीलर-वार और डिलीवरी सेन्टर-वार कितनी अग्रिम बुकिंग की गई है और प्रत्येक कम्पनी द्वारा हाल ही में कितनी धन राशि एकत्र की गई है;

(ख) तीनों कम्पनियों ने वाहनों के आवंटन के लिए वरीयता सूची किस प्रकार तैयार की है;

(ग) वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के दौरान प्रत्येक माडल के कितने-कितने वाहनों का उत्पादन किया जाएगा;

(घ) इनमें से प्रत्येक कम्पनी की वाहनों की चालू लाइसेंस क्षमता क्या है और 1984-58 के दौरान इन कम्पनियों के प्रत्येक माडल/किस्म के वाहनों का वास्तविक उत्पादन कितना हुआ; और

(ङ) क्या प्रत्येक डीलर द्वारा इस प्रकार एकत्र की गई राशि का सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार निवेश किया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) विवरण-एक संलग्न है।

(ख) सभी तीनों कम्पनियों ने कम्प्यूटर पर स्यूडो रैन्डम जनरेशन टेक्नीक द्वारा प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण किया है।

(ग) और (घ) विवरण-दो संलग्न है।

(ङ) हां, ब्यौरे संलग्न विवरण-एक में दिये जाते हैं।

विवरण-एक

क्रमांक	निर्माता का नाम	माडल	डीलरों की संख्या/ डिलीवरी केन्द्र	बुकिंगों की संख्या	इकट्ठी की गई राशि (करोड़)	सरकारी संस्थाओं जैसे यू० टी० आई० आदि में लगाई गई राशि का प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मेसर्स प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड	118-एन० ई० कारें	73	1,07,309	118.04	83.16	इनका सम्बन्ध 10-5-1985 से 29-6-85 की अवधि तक की गई बुकिंगों से है।
2.	मारुति उद्योग लिमिटेड	ऊंची और नीची छत वाली वैनें और चार पहियों से चलने वाली जिप्सी गाड़ियां	38	1,42,588	142.58	100.00	इनका सम्बन्ध अगस्त, 1985 में की गई बुकिंगों से है जो मारुति वैनों और चार पहियों से चलने वाली जिप्सी गाड़ियों के लिए थी।

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बजाज आटो लिमिटेड	सुपर स्कूटर	78	4,95,197	24.76	58.19	इसमें बजाज चेतक स्कूटर शामिल नहीं हैं जिनके लिए कोई अग्रिम राशि इकट्ठी नहीं की जाती है। इन आंकड़ों में बजाज कब स्कूटर भी शामिल नहीं है जिनके लिए अक्तूबर, 1985 में अलग बुकिंग शुरू की गई थी और प्राथमिकता संख्याओं का निर्धारण किया जा रहा है।

विवरण-दो

क्रमांक	कम्पनी का नाम	लाइसेंस प्राप्त क्षमता	1984-85 में उत्पादन	1985-86 में बनाई जाने वाली गाड़ियों की संख्या 1986-87 और 1987-88 के लिए विस्तृत उत्पादन योजनाओं को कम्पनी द्वारा अभी तैयार किया जाना है।
1	2	3	4	5
1.	प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि०	यात्री कारें 28,600 वाणिज्यिक गाड़ियां 15,000	प्रीमियर पद्मिनी 28,014 ड्राइव अवे चेसिस 126 वाणिज्यिक गाड़ियां 791	118 एन० ई० 2,000

1	2	3	4	5
2.	मारुति उद्योग लिमिटेड			
		1,40,000	कारें 20,353	कारें 32,000
			वैंने 2,016	वैंने 16,000
				जिप्सी 2,000
3.	बजाज आटो लिमिटेड			
		दुपहिए 6,39,700	वर्ष जुलाई 1984—जून 1985 के लिए	
		(सी० के० डी० पैकों सहित)	बजाज सुपर 1,05,037	बजाज सुपर 1,80,000
			चेतक 90,830	
		तिपहियों के लिए 33,000	अन्य 1,28,736	
			योग : 3,24,603	

न्यायालयों में लम्बित मामलों के निपटारे के लिए समय सीमा

297. डा० ए० के० पटेल
श्री के० एस० राव
: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों से दो वर्ष के भीतर सभी मामलों को निपटा देने के लक्ष्य को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से सुसंगत प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया था, यदि हां, तो इस संबंध में प्रतिक्रिया क्या है; और

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समस्त तंत्र को सक्रिय बनाने की दृष्टि से दो वर्ष की अधिकतम समय सीमा प्राप्त है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) फरवरी, 1985 में हुए मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में, उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तियों से अपने-अपने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या का इस आधार पर पुनर्विलोकन करने के लिए कहा गया था कि कोई भी सिविल मामला 2 वर्ष से अधिक समय तक और कोई भी दांडिक मामला एक वर्ष से अधिक समय तक लम्बित न रहे। जून, 1985 में कुछ उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों और संबद्ध मुख्य मंत्रियों को लिखा गया था कि इस बात पर विचार करें कि क्या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए जिससे कि बकाया मामले दो वर्ष में निपटाए जा सकें और ऊपर दर्शित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उनसे न्यायालयों के लिए स्थान और न्यायाधीशों के लिए निवास-स्थान की उपलभ्यता और न्यायाधीशों की संख्या आदि में वृद्धि करने से हुए रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की संभावना, जैसे सुसंगत पहलुओं पर विचार करके इस विषय की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया था।

सुसंगत बातों पर विचार करके उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं जबकि अन्य प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

बकाया मामलों के लिए दो वर्ष के लक्ष्य का सुझाव इसलिए दिया गया था जिससे कि उच्च न्यायालयों में बकाया मामलों का निपटारा शीघ्र हो जाए।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति और राज्यों के मुख्य मंत्रियों और विधि मंत्रियों के अगस्त-सितम्बर, 1985 में हुए सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित किया गया था कि सभी न्यायालयों में बकाया मामले अतिशीघ्र निपटाए जाएं और इस कार्य के लिए सभी उपाय किए जाएं। राज्य सरकारों से अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न प्रवर्गों के मामलों के निपटारे के लिए समय सीमा के संबंध में स्वीकृत सिद्धान्तों को ध्यान में रख कर अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा गया है।

बेहतर कोयला वितरण प्रणाली शुरू करना

298. **श्री मोहन भाई पटेल**
श्री अमर सिंह राठवा } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयला वितरण की वर्तमान प्रणाली सन्तोषजनक नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कोयले की कमी के कारण प्रति वर्ष अनेक रेलगाड़ियों को रद्द करना पड़ता है और बिजली के उत्पादन में भी कमी आई है जिसके कारण उत्पादन में घाटा उठाना पड़ा है।

(ग) कोयले की कमी की समस्या को हल करने के लिए बेहतर कोयला वितरण प्रणाली शुरू करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) यह समस्या कब तक हल हो जायेगी ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) वर्ष 1967 से, केवल धातुकर्मी उद्देश्यों के लिए प्रयोग होने वाले कोककर कोयले को छोड़कर, कोयले के वितरण पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है। लेकिन उपभोक्ताओं को कोयले का काफी बड़ा भाग चूंकि रेल द्वारा भेजा जाता है, इसलिए रेलवे वैगनों के आवंटन के सम्बन्ध में कोयले की वास्तविक सप्लाई का विनियमन प्रायोजन प्रणाली के अधीन किया जाता रहा। रेल द्वारा प्रेषण के मामले में, महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उद्योगों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है। कम प्राथमिक वाले अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उद्योगों को रेल सप्लाई के अलावा कोयला सड़क से ले जाने की भी अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, उन निर्दिष्ट कोलियरियों से कोयले की बिक्री को उदार बना दिया गया है जहां कोयले का भारी स्टाक है। इस योजना के अधीन कोल इंडिया लि० ने सड़क द्वारा बिक्री के लिए सात मिलियन टन से भी अधिक कोयला उपलब्ध कराया है। इस योजना के अधीन कोई भी उपभोक्ता एक बार में 500 टन तक कोयला इस उद्देश्य के लिए निर्धारित कोलियरियों से किसी भी प्रायोजन के बिना ले सकता है।

कुल मिलाकर, कोयले के वितरण की वर्तमान प्रणाली संतोषजनक रूप से काम कर रही है।

(ख), (ग) और (घ) पिछले कुछ वर्षों में विद्युत और रेलवे जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को कोयले की सप्लाई अधिकांशतः संतोषजनक रही है, जैसा कि अगले पृष्ठ पर दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है :—

	1982-83		1983-84		1984-85	
	लक्ष्य	वास्तविक सप्लाई	लक्ष्य	वास्तविक सप्लाई	लक्ष्य	वास्तविक सप्लाई
विद्युत	52.00	51.61	58.5	58.11	66.00	64.3
रेलवे	12.00	10.98	11.00	10.39	11.00	9.13

	1985-86 (अप्रैल-सितम्बर)	
	लक्ष्य	वास्तविक सप्लाई
विद्युत	38.09	36.30
रेलवे	4.81	4.70

फिर भी, कभी-कभी इन कारणों से कोयले की कुछ कमी हो जाती है—कोयले के परिवहन की समस्याएं, बिजली घर पर कोयले के वैगनों के रख-रखाव की पर्याप्त सुविधायें न होना और मांग की तुलना में अच्छे किस्म के कोयले का पर्याप्त उत्पादन न होना।

बिजली घरों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को कोयला सप्लाई की स्थिति की पुनरीक्षा लगातार की जाती है और सप्लाई बेहतर करने के लिए सुधार की कार्रवाई की जाती है।

मारुति गाड़ी का नया माडल

299. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1986 के अन्त तक मारुति गाड़ी का एक नया माडल तैयार हो जायेगा; और

(ख) यदि, हां तो उस माडल की गाड़ी का मूल्य, इसकी क्षमता और नये उपकरणों आदि का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) मारुति 800 कार का एक अद्यतन माडल 1986 के मध्य तक शुरू किए जाने की आशा है।

(ख) कार में वैसा ही 800 सी० सी० इंजन, सम्पूर्ण लम्बाई और चौड़ाई होगी जैसे विद्यमान माडल में है। नये माडल की कार की कीमत मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा अभी निश्चित की जानी है।

बदरपुर ताप बिजली केन्द्र के कर्मचारियों की समस्याएं

300. श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री बदरपुर ताप बिजली केन्द्र के कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में 28 मार्च, 1985 और 8 अगस्त, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1414 और 2536 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 28 मार्च, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1414 के भाग (ख) में बदरपुर ताप विजली केन्द्र के जिन कर्मचारियों का उल्लेख है उनकी कार्मिक समस्याओं की जांच के संबंध में नियुक्त समिति के निष्कर्ष क्या हैं, तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोम्हमद खां) : बदरपुर के कर्मचारियों के संबंध में, जिन्होंने अभी तक राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में खपाए जाने के लिए विकल्प नहीं दिया है, समिति द्वारा कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की गई है। इसलिए ये कर्मचारी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में प्रतिनियुक्ति पर बने रहेंगे तथा वे केन्द्रीय सरकार के नियमों के अधीन उन्हें स्वीकार्य वेतन तथा भत्तों से कम प्राप्त नहीं करेंगे।

महाराष्ट्र में सांगली जिले के गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन

301. श्री प्रकाश बी० पाटिल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सांगली जिले के कम से कम ऐसे प्रत्येक गांव में जहां सहकारी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था करने के लिये योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु एककों के लिए बल्क औषधियों के उत्पादन पर निगरानी

302. श्री वी० सोमनाद्रीश्वर राव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद् ने सरकार से सिफारिश की है कि वह लघु एककों द्वारा बल्क ड्रग्स के निर्माण और फार्मुलेशन पर पृथकरूप से निगरानी रखें;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्योरा क्या है, और

(ग) इसके क्रियान्वयन के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय औषध एवं भेषज विकास परिषद् की रिपोर्ट संसद पुस्तकालय में रख दी गई है।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय औषध एवं भेषज विकास परिषद की रिपोर्ट पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

राज्यों में बिजली उत्पादन के लक्ष्य

303. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राजवाडियर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में वर्ष 1984-85 के दौरान बिजली उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) उस वर्ष बिजली उत्पादन में कितनी वास्तविक उपलब्धि हुई;

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान विभिन्न राज्यों में बिजली उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख). 1984-85 के दौरान राज्यवार विद्युत उत्पादन का लक्ष्य तथा वास्तविक विद्युत उत्पादन दिखाने वाला विवरण-एक संलग्न है।

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान विभिन्न राज्यों के लिए विद्युत उत्पादन का लक्ष्य दिखाने वाला विवरण दो संलग्न है।

(घ) वर्ष 1985-86 के लिए निर्धारित किया गया विद्युत उत्पादन का लक्ष्य चालू वर्ष के दौरान निर्धारित निर्माणाधीन परियोजनाओं को चालू करके तथा वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता के कार्यनिष्पादन में सुधार करके पूरा किया जाएगा।

विवरण-एक

वर्ष 1985-86 के दौरान राज्यवार विद्युत उत्पादन का कार्यक्रम तथा वास्तविक विद्युत उत्पादन

राज्य/प्रणाली का नाम	श्रेणी	विद्युत उत्पाद कार्यक्रम	वास्तविक विद्युत उत्पादन
1	2	3	4
भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड	जल विद्युत	10490	10056
दिल्ली	ताप विद्युत	1450	1062
जम्मू और कश्मीर	ताप विद्युत	5	0
	जल विद्युत	850	862
	जोड़	856	862
हिमाचल प्रदेश	जल विद्युत	560	468
हरियाणा	ताप विद्युत	1410	1261
राजस्थान	ताप विद्युत	850	1103
	जल विद्युत	582	847
	जोड़	1432	1950
पंजाब	ताप विद्युत	3350	2942
	जल विद्युत	990	968
	जोड़	3340	3910
उत्तर प्रदेश	ताप विद्युत	7850	6790
	जल विद्युत	4320	4545
	जोड़	12170	11335
गुजरात	ताप विद्युत	11680	11689
	जल विद्युत	1130	626
	जोड़	12810	12515
महाराष्ट्र	ताप विद्युत	19080	18583
	जल विद्युत	5980	5726
	जोड़	25060	24309
मध्य प्रदेश	ताप विद्युत	10540	9857
	जल विद्युत	288	438
	जोड़	10828	10295

1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	ताप विद्युत	5900	5838
	जल विद्युत	5913	7037
	जोड़	11817	12875
कर्नाटक	जल विद्युत	7475	8364
केरल	जल विद्युत	4905	4886
तमिलनाडु	ताप विद्युत	4490	4937
	जल विद्युत	3895	4452
	जोड़	8385	9389
बिहार	ताप विद्युत	2760	2492
	जल विद्युत	135	274
	जोड़	2895	2766
उड़ीसा	ताप विद्युत	1500	1326
	जल विद्युत	2217	2269
	जोड़	3717	3595
पश्चिम बंगाल	ताप विद्युत	6720	6628
	जल विद्युत	87	122
	जोड़	6807	6750
दामोदर घाटी निगम	ताप विद्युत	6200	6146
	जल विद्युत	170	362
	जोड़	6370	7508
सिक्किम	जल विद्युत	18	16
असम	ताप विद्युत	1100	848
मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा	जल विद्युत	1120	811
केन्द्रीय परियोजनाएं			
बदरपुर (दिल्ली)	ताप विद्युत	3275	3014
बैरा स्यूल (हिमाचल प्रदेश)	जल विद्युत	875	656
सिंगरौली (उत्तर प्रदेश)	ताप विद्युत	4600	5315
कोरवा (मध्य प्रदेश)	ताप विद्युत	2350	2851

1	2	3	4
रामागुडम (आन्ध्र प्रदेश)	ताप विद्युत	1170	1491
नेवेली (तमिलनाडु)	ताप विद्युत	3220	4057
न्यूक्लीय परियोजनाएं			
राजस्थान परमाणु वि० केन्द्र (राजस्थान)		850	1078
तारापुर (महाराष्ट्र)		1720	1930
कलपक्कम (तमिलनाडु)		930	1070
अखिल भारतीय	ताप विद्युत	98500	98770
	न्यूक्लीय		
	जल विद्युत	3500	4078
		52000	53785
	जोड़	154000	156633

विवरण-दो

1985-86 के लिए श्रेणीवार विद्युत उत्पादन कार्यक्रम

बोर्ड/निगम	विद्युत उत्पादन कार्यक्रम (मैगा० पावर			
	ताप विद्युत	न्यूक्लीय	जल विद्युत	जोड़
भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड	—	—	9900	9900
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	14360	—	—	14360
राष्ट्रीय जल विद्युत निगम	—	—	1165	1165
डेसू	1610	—	—	1610
जम्मू और कश्मीर	—	—	870	870
हिमाचल प्रदेश	—	—	570	570
हरियाणा	1409	—	25	1434
राजस्थान	1105	—	792	1897
राजस्थान परमाणु वि० केन्द्र	--	1150		1150
पंजाब	4100	—	1770	5870
उत्तर प्रदेश	8755	—	4780	13535

1	2	3	4	5
गुजरात	10961	—	950	11911
अहमदाबाद ई० कम्पनी (निजी)	1900	—	—	1900
महाराष्ट्र	15865	—	4375	20240
रेलवे (चोला)	170	—	—	170
तारापुर	—	1750	—	1750
मध्य प्रदेश	12135	—	448	12583
आन्ध्र प्रदेश	6180	—	7425	36051
कर्नाटक	150	—	8810	8960
केरल	—	—	4990	4990
तमिलनाडु	4840	—	4120	8960
नेवेली	3216	—	—	3216
कलपक्कम	—	1100	—	1100
बिहार	3050	—	190	3240
उड़ीसा	1550	—	2440	3990
पश्चिम बंगाल	4290	—	125	4415
दुर्गापुर परियोजना (लि०)	850	—	—	850
सी० ई० एस० सी० (प्रा०)	2484	—	—	2484
दामोदर घाटी निगम	6200	—	250	6450
सिक्किम	—	—	20	20
असम	920	—	—	920
खानडोंग (केन्द्रीय)	—	—	210	210
मेघालय	—	—	370	370
त्रिपुरा	—	—	55	55
अखिल भारतीय	110000	4000	56000	170000

गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाएं

304. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निष्पादित की जाने वाली गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाओं की संख्या क्या है;

(ख) इनमें से कितने में काम आरम्भ हो गया है;

(ग) उन विद्युत परियोजनाओं में से प्रत्येक की कुल क्षमता क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं की कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) उन परियोजनाओं के निष्पादन में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ङ) क्वास (गुजरात) में 560 मेगावाट, औरैया (उत्तर प्रदेश) में 560 मेगावाट, अन्टा (राजस्थान) में 370 मेगावाट, लकवा (उत्तर पूर्वी क्षेत्र) में 280 मेगावाट और काठलगुडी (उत्तर पूर्वी क्षेत्र) में 280 मेगावाट के संयुक्त साइकिल गैस पर आधारित पांच विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन कर लिया है और इन पर निवेश संबंधी निर्णय के लिए विचार किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, दो परियोजनाओं नामशः लकवा-सोपान-एक (उत्तर पूर्वी क्षेत्र) 1 × 15 मेगावाट की चौथी यूनिट तथा बारामूरा (त्रिपुरा) 2 × 5 मेगावाट का निर्माण कार्य चल रहा है। इन परियोजनाओं के 1985-86 के दौरान पूरा हो जाने की सम्भावना है।

राजस्थान में 1 × 3 मेगावाट की रामगढ़ परियोजना तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 4 × 5 मेगावाट की लकवा (सोपान-दो) को मंजूरी दे दी गई है। मुख्य संयंत्र और उपस्कर के लिए आर्डर अभी दिए जाने हैं।

दिल्ली में पुनः प्रारम्भ करने योग्य और गैर-परम्परागत ऊर्जा योजनाओं को शुरू करना

305. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में कोई पुनः प्रारम्भ करने योग्य और गैर-परम्परागत ऊर्जा योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस प्रकार की योजनाएं चालू वित्तीय वर्ष में चलाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी हां, इस प्रकार की कुछ परियोजनाएं पहले ही प्रारम्भ की जा चुकी हैं

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा विभिन्न राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के अतिरिक्त बायोगैस की राष्ट्रीय परियोजना के अधीन, उन्नत प्रकार के चूल्हों के विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के अन्य कार्यक्रमों पर चालू वित्तीय वर्ष (1985-86) के लिए एक करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। परिवार पर आधारित बायोगैस संयंत्र उन्नत प्रकार के चूल्हों, केन्द्रीय आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यय आदि के लिए राशि, निर्मित संयंत्रों के आधार पर दी गई व्यवस्था के अनुसार दी जाएगी।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एक लाख लीटर क्षमता वाले सौर जल तापीय प्रणालियों की स्थापना, 5000 सौर कुकरों के आवंटन, 25 जलपम्पों की स्थापना, 150 बायोगैस संयंत्रों के निर्माण, 50,000 लकड़ी के चूल्हों का आबंटन और 5000 उन्नत प्रकार के चूल्हों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। प्रदूषण को कम करने की दृष्टि से पुरानी दिल्ली के घनी आबादी वाले क्षेत्र के लिए चार बैट्री से चलने वाली बसें परीक्षण के अधीन हैं। नगर के कूड़ा करकट से प्रायोगिक संयंत्र हेतु विद्युत के लिए एक संयंत्र की स्थापना तिमारपुर में की जाने वाली है, इसके लिए इस समय सिविल कार्य प्रगति पर है और उपकरण का निर्माण कार्य दिसम्बर, 1985 से प्रारम्भ होगा। जब उपकरण अपना कार्य शुरू करेगा तो वह प्रतिदिन 300 मीटरी टन कूड़े करकट को भस्म करेगा और 3.75 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेगा।

गाजीपुर में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

306. **श्री जैनुल बशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय तार कार्यालय और माइक्रोवेव स्टेशन खोलने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : इस संबंध में स्थिति यह है कि मकान मालिक से बातचीत चल रही है और मकान मालिक द्वारा मकान में आवश्यक फेरबदल करने के बाद, फरवरी, 1986 में विभागीय तारघर खोल दिए जाने की संभावना है। जहां तक माइक्रोवेव स्टेशन का संबंध है इसके सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित कर दिये जाने की आशा है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 किलोमीटर के प्रत्येक षटभुज में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

307. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 किलोमीटर के प्रत्येक षटभुज में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र के प्रावधान के लिए किसी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया है,

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को कितने षटभुजों में विभाजित किया गया है और योजना के पहले वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने की सम्भावित तारीख क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सीमित योजना निधि के कारण जिन बाकी 5 कि० मी० षटभुजाकार क्षेत्रों में अभी टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है उसके लगभग एक तिहाई (9000) क्षेत्रों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

31-3-1985 को अधिकांश आबादी वाले षटभुजाकार क्षेत्र तथा
1985-86 के लिए लक्ष्य।

सर्किल	अधिकांश आबादी वाले षटभुजाकार क्षेत्रों की कुल संख्या	1985-86 के लिए लक्ष्य
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	4991	150
बिहार	4740	250
गुजरात	2387	100
जम्मू और काश्मीर	727	30
कर्नाटक	3648	200
केरल	546	—
मध्य प्रदेश	6103	10

1	2	3
महाराष्ट्र	4842	200
उत्तर पूर्व	3308	50
उत्तर पश्चिम	2023	120
उड़ीसा	2110	100
राजस्थान	6193	220
तमिलनाडु	1672	50
उत्तर प्रदेश	6318	200
पश्चिम बंगाल	2602	120
	योग : 52210	2000

टिप्पणी : महाप्रबंधक, दूरसंचार अधिकांश आबादी वाले षटभुजाकार क्षेत्रों की कुल सं० की पुनः जांच कर रहे हैं तथा कुछ मामलों में अन्तिम संख्या में मामूली परिवर्तन होने की संभावना है।

नये शाखा डाक घर खोलना

308. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए नये शाखा डाकघर खोलने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में वर्ष-वार कितने शाखा डाकघर खोले गए और गिरावट के क्या कारण हैं;

(ग) क्या शाखा डाकघर खोलने में इस प्रकार के उन सभी स्थानों को जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के दौरान इस प्रयोजन के लिए मंजूर किए गए, तरजीह दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 के दौरान कितने शाखा डाकघर खोलने का लक्ष्य था और ऐसे कितने थे जो छठी योजना में मंजूर किए गए किन्तु उस अवधि के दौरान खोले नहीं जा सके ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) छठी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नये शाखा डाकघर खालने के लक्ष्य प्रत्येक डाक सर्किल के लिए वार्षिक योजना आधार पर निर्धारित किए गये थे।

(ख) छठी योजना के सर्किलवार वार्षिक योजना लक्ष्य और कमियां संलग्न विवरण-एक में दी गई हैं। 1983-84 और 1984-85 के दौरान जो कमी रही वह नये पदों पर सृजन पर सरकार द्वारा लगाई रोक के कारण आई। वर्ष 1980-81 में दिल्ली सर्किल में दो डाकघर की कमी का कारण पर्याप्त मात्रा में योग्य प्रस्तावों का अभाव था तथा 1982-83 में बिहार सर्किल में एक डाकघर की मामूली-सी कमी आई। इसका कोई विशेष कारण नहीं था।

(ग) सामान्यतया जब प्रत्येक वार्षिक योजना के लिए लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं तो पिछले वर्ष अनुमोदित उन मामलों को जिन्हें क्रियान्वित न किया गया हो नये मामलों में पहले प्राथमिकता दी जाती है।

(घ) वार्षिक योजना 1985-86 के अन्तर्गत डाकघर खोलने का सर्किलवार लक्ष्य विवरण-दो में दिया गया है। तथापि, उन गांवों के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है, जिनमें पदों के सृजन पर रोक लगी होने के कारण इन लक्ष्यों के अधीन डाकघर खोले जाने हैं।

विवरण—एक

क्रम सं०	सर्किल का नाम	वार्षिक योजना									
		1980-81		1981-82		1982-83		1983-84		1984-85	
		लक्ष्य	कमी	लक्ष्य	कमी	लक्ष्य	कमी	लक्ष्य	कमी	लक्ष्य	कमी
1.	आन्ध्र प्रदेश	160	—	105	—	49	—	150	03	120	119
2.	बिहार	125	—	175	—	122	—	311	99	220	214
3.	दिल्ली	10	02	05	—	03	—	—	—	02	02
4.	गुजरात	80	—	60	—	45	—	100	02	90	89
5.	जम्मू कश्मीर	50	—	50	—	25	—	40	08	40	37
6.	कर्नाटक	90	—	85	—	50	—	50	—	53	51
7.	केरल	75	—	55	—	15	—	88	15	55	54
8.	मध्य प्रदेश	105	—	181	—	100	—	278	16	195	189
9.	महाराष्ट्र	115	—	145	—	80	—	225	09	140	173
10.	उत्तर पूर्व	100	—	105	—	101	—	209	40	165	159
11.	उत्तर पश्चिम	110	—	65	—	49	—	120	21	180	134
12.	उड़ीसा	140	—	65	—	45	—	135	12	90	85
13.	राजस्थान	155	—	94	—	55	—	165	21	120	115
14.	तामिलनाडु	75	—	85	—	40	—	110	05	105	104
15.	उत्तर प्रदेश	100	—	220	—	160	—	343	12	270	262
16.	पश्चिम बंगाल	75	—	105	—	61	—	180	36	130	126

विवरण—दो

क्रम सं०	सर्किल का नाम	वार्षिक योजना 1985-86 के अन्तर्गत डाकघर खोलने का लक्ष्य
1.	आन्ध्र प्रदेश	107
2.	बिहार	198
3.	दिल्ली	02
4.	गुजरात	73
5.	जम्मू एवं कश्मीर	38
6.	कर्नाटक	49
7.	केरल	45
8.	मध्य प्रदेश	183
9.	महाराष्ट्र	133
10.	उत्तर पूर्व	184
11.	उत्तर पश्चिम	91
12.	उड़ीसा	92
13.	राजस्थान	106
14.	तमिलनाडु	65
15.	उत्तर प्रदेश	212
16.	पश्चिम बंगाल	122

राज्य विद्युत बोर्डों को वित्तीय सहायता

309. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब तथा हरियाणा राज्य विद्युत बोर्डों को वित्तीय सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और इस बारे में उन योजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें मंजूरी दी गई है; और

(ग) उनके चालू किए जाने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के राज्य बिजली बोर्डों को ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा तथा चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्ष के दौरान अनुमोदित स्कीमों के नाम विवरण-एक और विवरण-दो के रूप में संलग्न हैं। स्कीमों के बारे में उपलब्धि दिखाने वाला विवरण-तीन संलग्न है।

विवरण—एक

राज्य बिजली बोर्डों को दी गई वर्षवार सहायता दिखाने वाला विवरण

क्रम सं०	वर्ष	राज्य बिजली बोर्ड			
		हिमाचल प्रदेश	जम्मू और कश्मीर	हरियाणा	पंजाब
1.	1982-83	1018	402	655	1651
2.	1983-84	·901	457	776	1590
3.	1984-85	644	259	588	1013
4.	1985-86 (31.10.85 तक)	360	34	233	945

विवरण—दो

ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्तीय सहायता हेतु स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के नाम

हिमाचल प्रदेश

1982-83

क्रम सं०	स्कीम का नाम	जिला	क्रम सं०	स्कीम का नाम	जिला
1.	पंचरुखी	कांगड़ा	16.	चोन्तरासु (एच०)	मंडी
2.	नागरोटा	कांगड़ा	17.	नदोन	हमीरपुर
3.	इन्दौर	कांगड़ा	18.	सिओनी	शिमला
4.	पुं० नुरपुर	कांगड़ा	19.	नालागढ़	सोलन
5.	रैत	कांगडा	20.	हसोली	पूना
6.	लम्बागम	कांगड़ा	21.	थिओग	शिमला
7.	नुरपुर	कांगड़ा	22.	धर्मपुर	मंडी
8.	पालमपुर	कांगड़ा	23.	भेरज	हमीरपुर
9.	पालमपुर	कांगड़ा	24.	लाहोल	लाहोल तथा स्पीती
10.	मंडी सदर	मंडी	25.	गोपालपुर	मंडी
11.	दरांग	मंडी	26.	आर्की	सोलन
12.	हमीरपुर	हमीरपुर	27.	ए० एम० बी० (पं०)	सिरमुर
13.	बंगाना	पूना	28.	ऊना	ऊना
14.	दरांग (पं०)	मंडी	29.	कमरसैन	शिमला
15.	काशुमपति	शिमला			

क्र० सं०	गांव	जिला	क्रम सं०	गांव	जिला
	1983-84				
1.	सोलसोलन	सोलन	7.	नारायणपुर	हमीरपुर
2.	चौपाल	शिमला	8.	सोनी	शिमला
3.	कोठा	शिमला	9.	गंगवाल	कांगड़ा
4.	जुब्बल	शिमला	10.	कुसुमपति	शिमला
5.	कंडक	सोलन	11.	सुन्दरनगर	मंडी
6.	ए० एम० बी०	पूना	12.	विलासपुर	विलासपुर

क्रम सं०	गांव	जिला	क्रम सं०	गांव	जिला
13.	रामपुर	शिमला	21.	परागपुर	कांगड़ा
14.	करसोग	मंडी	22.	छछोट	मंडी
15.	चुरखा	चंबा	23.	हमीरपुर	हमीरपुर
16.	भट्टिया	चंबा	24.	छोहरा	शिमला
17.	बरमोर	चंबा	25.	रोहरू	शिमला
18.	चम्बा	चम्बा	26.	कुल्लू	कुल्लू
19.	गुमरवीन	विलासपुर	27.	डेहरा (पं०)	कांगड़ा
20.	पच्छड़	सिरमुर	28.	डेहरा	कांगड़

1984- 5

1.	नँदौन	हमीरपुर	16.	सालोनी	चम्बा
2.	राजगढ़	सिरपुर	17.	मंडी सदर पं०	मण्डी
3.	पं० पालमपुर	कांगड़ा	18.	मंडी सदर पं०	मण्डी
4.	पं० पनौटा	सिरपुर	19.	निच्छर	किन्नौर
5.	शिमला	शिमला	20.	रामपुर द०	शिमला
6.	पनौटा (पूर्वी)	सिरपुर	21.	रामपुर (उ०)	शिमला
7.	पालमपुर (पूर्वी)	कांगड़ा	22.	नातागढ़	सोलन
8.	पूर्वी डेरा	कांगड़ा	23.	कलपा	किन्नौर
9.	शिल्लाई	सिरमूर	24.	बंजर	कुल्लू
10.	पूर्वी डेरा	कांगड़ा	25.	रोहरु	शिमला
11.	मदौन	हमीरपुर	26.	बंजर	कुल्लू
12.	बरसर	हमीरपुर	27.	चूरहा	चंबा
13	नुरपूर पं०	कांगड़ा	28.	पच्छड़	सिरमुर
14.	नुरपूर	कांगड़ा	29.	सुन्दरनगर	मंडी
15.	टिरसा	चम्बा	30.	भारमौर	चम्बा

1985-86

कोई नहीं

जम्मू तथा कश्मीर

1982-83

क्रम सं०	योजना का नाम	जिला	क्रम सं०	योजना का नाम	जिला
1.	विलावर	कथुवा	11.	दनसन	जम्मू
2.	भिसोली	कथुवा	12.	दनसन एच० पी०	जम्मू
3.	विलावर	कथुवा	13.	अखनूर	जम्मू
4.	अखनूर	जम्मू	14.	उधमपुर एच० वी०	उधमपुर
5.	हवेली	पुंच	15.	दनसन	जम्मू
6.	मंधर	पुंच	16.	हिरंगर एच० वी०	कथुवा
7.	बिलावर	कथुआ	17.	बसोली	कथुवा
8.	गुरज	वारामुल्ला	18.	विल्लावर	कथुवा
9.	होड़ा	जम्मू	19.	कथुआ	कथुआ
10.	कुलगम	अनन्तनाग	20.	रिसाई	उधमपुर

1983-84

क्रम सं०	योजना का नाम	जिला	क्रम सं०	योजना का नाम	जिला
1.	मौसेरा	राजौरी	10.	राजौरी	राजौरी
2.	धराल	राजौरी	11.	मारड़	जम्मू
3.	नावेली 4	पुंच	12.	वोलवोल	जम्मू
4.	सुन्दरवानी	राजौरी	13.	उधमपुर	उधमपुर
5.	मंधार 4	पुंच	14.	रामनगर	उधमपुर
6.	सुरनकोटा-1	पुंच	15.	गोयल गुलाबगढ़	उधमपुर
7.	रैयासी	उधमपुर	16.	रम्बन-1	डोडा
8.	रामनगर	उधमपुर	17.	रम्बन-2	डोडा
9.	उधमपुर एच० बी०	उधमपुर			

1984-85

क्रम सं०	योजना का नाम	जिला	क्रम सं०	योजना का नाम	जिला
1.	अखनूर	जम्मू	7.	वसौली	कथुआ
2.	अनन्तनाग	अनन्तनाग	8.	गुल-गुलाबगढ़	उधमपुर
3.	डुरु	अनन्तनाग	9.	उधमपुर-4	उधमपुर
4.	अखनूर	जम्मू	10.	गुल-नायवट	उधमपुर
5.	पहलगांव	अन्नतनाग	11.	छेनानी-1	उधमपुर
6.	विल्लोवर (एस० बी०)	कथुआ	12.	छेनानी-2	उधमपुर

1985-86

कुछ नहीं।

पंजाब (1982-83)

क्रम सं०	योजना का नाम	जिला	क्रम सं०	योजना का नाम	जिला
1.	राजपुरा	पटियाला	29.	कोट-कपूरा	फरीदकोट
2.	राजपुरा	पटियाला	30.	संगरूर	संगरूर
3.	बसियां	लुधियाना	31.	वटाला एस० पी० ए०	गुरदासपुर
4.	बसियां	संगरूर	32.	उधनवाल एस० पी० ए०	पटियाला
5.	जानोइल्ला	जालंधर	33.	भीखो	भटिंडा
6.	शंकर-ओपरेशन	कुहिना	34.	गुरदासपुर एस० पी० ए०	गुरदासपुर
7.	नूरमहल	जालंधर	35.	सुधार	लुधियाना
8.	नवानदेहर	जालंधर	36.	लुधियाना एस० पी० ए०	लुधियाना
9.	करतारपुर	जालंधर	37.	आनन्दपुर साहिब	रोपड़
10.	नाभा	संगरूर	38.	रीथखेड़ी	पटियाला
11.	नकोदर	जालंधर	39.	सरना एस० पी० ए०	गुरदासपुर
12.	अमरगढ़	संगरूर	40.	दीनानगर एस० पी० ए०	गुरदासपुर
13.	गजूखेड़ा	पटियाला	41.	हम्बान एस० पी० ए०	लुधियाना
14.	नखोदर	जालंधर	42.	लोहियां	कपूरथला
15.	मजीठा	अमृतसर	43.	मुक्तसर एस० पी० ए०	फिरोजपुर
16.	राजपुर	पटियाला	44.	बहादुर	संगरूर
17.	मल्लोर	फिरोजपुर	45.	वरनाला	संगरूर
18.	विमोवाल एस० पी० ए०	कपूरथला	46.	धुन	संगरूर
19.	आदमपुर	जालंधर	47.	महल कलां एस० पी० ए०	संगरूर
20.	लाम्बरा एस० पी० ए०	जालंधर	48.	मोगा	फरीदकोट
2 .	पट्ट-1 तथा 2	अमृतसर	49.	सिदवान	लुधियाना
22.	भवानीगढ़-2	संगरूर	50.	समाना	पटियाला
23.	नारंगवाल	लुधियाना	51.	खरार	रोपड़
24.	धूरी	संगरूर	52.	गोविन्दगढ़ एस० पी० ए०	अमृतसर
25.	भवानीगढ़	संगरूर	53.	मुकन्दपुर एस० पी०ए०	जालन्धर
26.	भिखीवील	अमृतसर	54.	कठुनागल एस० पी० ए०	अमृतसर
27.	दोरदियन एस० पी० ए०	गुरदासपुर	55.	छाहरता	अमृतसर
28.	पंडोरी पी० एस० ए०	गुरदासपुर	56.	अमरकोट	अमृतसर

क्रम सं०	स्कीम का नाम	जिला	क्रम सं०	स्कीम का नाम	जिला
57.	पट्टी एस० पी० ए०	अमृतसर	81.	अहमदगढ़	संगरूर
58.	खेमकरण	अमृतसर	82.	फतहगढ़	पटियाला
59.	कारीरांड खालड़ा	अमृतसर	83.	शाहकोट एस० पी० ए०	जालंधर
60.	डासुया	होशियारपुर	84.	कोटीसेखन	फरीदकोट
61.	होशियारपुर	होशियारपुर	85.	सुनाम	संगरूर
62.	मनसा	भटिंडा	86.	समराला एस० पी० ए०	लुधियाना
63.	बरनाला एस० पी० ए०	संगरूर	87.	धनौक	पटियाला
64.	भटिंडा	भटिंडा	88.	धरमकोट	फरीदकोट
65.	सुनाम	संगरूर	89.	राजपुरा	पटियाला
66.	खनौरी	संगरूर	90.	शेरवानीकोट	संगरूर
67.	फरीदकोट	फरीदकोट	91.	अजिलवाल एस० पी० ए०	फरीदकोट
68.	रोपड़	रोपड़	92.	खन्ना	लुधियाना
69.	अबोहर	फिरोजपुर	93.	कहनुवान	गुरदासपुर
70.	लुधियाना पूर्व एस० पी० ए०	लुधियाना	94.	बस्तियां	जालंधर
71.	दोरेहा	लुधियाना	95.	लोंगोवाल	संगरूर
72.	सिविल लाइन्स एण्ड सिटी	लुधियाना	96.	धारीवाल	गुरदासपुर
73.	फिरोजपुर	फिरोजपुर	97.	सुल्तानपुर	कपूरथला
74.	नवांशहर	जालंधर	98.	कल्याण	पटियाला
75.	परजियान	जालंधर	99.	भोगपुर	जालंधर
76.	महेलपुर	होशियारपुर	100.	लासो	संगरूर
77.	होशियारपुर	होशियारपुर	101.	गोहलबार	अमृतसर
78.	डेराबस्ती	पटियाला	102.	कल्याण	पटियाला
79.	शेरपुर एस० पी० ए०	संगरूर	103.	रीथखेड़ी	पटियाला
80.	कपूरथला	कपूरथला			

1983-84

1.	अलवालपुर	जालंधर	3.	काकीपिंड	जालंधर
2.	दरोली कलां	जालंधर	4.	चोगावन	अमृतसर

क्रम सं०	गांव	जिला	क्रम सं०	गांव	जिला
5.	झाबहल	अमृतसर	32.	जलालाबाद	फिरोजपुर
6.	नाकोदर एस० एल०	जालंधर	33.	तलवंडी भाई एस० पी० ए०	फिरोजपुर
7.	बुधलदा	भटिंडा	34.	माख	फरीदकोट
8.	अजनाला	अमृतसर	35.	फरीदकोट	फरीदकोट
9.	लोंगोवाल	संगरूर	36.	टिक्का	कपूरथला
10.	रामदास	अमृतसर	37.	बारेट्टा	संगरूर
11.	कोहरा	लुधियाना	38.	खेरामंदिर	कपूरथला
12.	शानेवाल	लुधियाना	39.	सुरसुंह एस० पी० ए०	अमृतसर
13.	अड्डा दाखा	लुधियाना	40.	रेहाना जट्टा एस० पी० ए०	होशियारपुर
14.	फिरोजशाह	फिरोजपुर	41.	सुलतानपुर एस०पी०ए०	कपूरथला
15.	लुधियाना	लुधियाना	42.	हरसाचिन्ना एस०पी०ए०	अमृतसर
16.	बन्दी कलां	फिरोजपुर	43.	कपूरथला एस० पी० ए०	कपूरथला
17.	गुरुहर सहाय	फिरोजपुर	44.	सुल्तानपुर 1 एस०पी०ए०	कपूरथला
18.	सुनाम 2 एस० पी० ए०	संगरूर	45.	नाभा	पटियाला
19.	अजनाला	गुरदासपुर	46.	देवीगढ़	पटियाला
20.	मिल्लेरगंज	लुधियाना	47.	फिरोजपुर	फिरोजपुर
21.	भोगपुर एस०/डी० 2 एस० पी० ए०	जालंधर	48.	फिरोजपुर	फिरोजपुर
22.	भोगपुर एस०/डी० 1 एस० पी० ए०	जालंधर	49.	लाधुका	फिरोजपुर
23.	फोकल	लुधियाना	50.	मनदोत	फिरोजपुर
24.	जालंधर	जालंधर	51.	निचलखेड़ा	फिरोजपुर
25.	घरोंदा	पटियाला	52.	फाजिल्का शहरी	फिरोजपुर
26.	कलानपुर	कलानौर	53.	आदमपुर	जालंधर
27.	जोरा	गुरदासपुर	54.	जीरा एस० पी० ए०	फिरोजपुर
28.	फतेहगढ़	गुरदासपुर	55.	सुल्तानविंड	अमृतसर
29.	माडल टाउन	जालंधर	56.	चावा	लुधियाना
30.	भटिंडा	भटिंडा	57.	भारी	लुधियाना
31.	मौर	भटिंडा	58.	राजपुतान	अमृतसर

क्रम सं०	गांव	जिला	क्रम सं०	गांव	जिला
59.	फतेहबाद	अमृतसर	69.	बेहरान	जालंधर
60.	नौशेरा पनुआं	अमृतसर	70.	बंगासिटी	जालंधर
61.	कपूरथला	कपूरथला	71.	मुकन्दपुर	जालंधर
62.	श्री हरगोविन्दपुर	गुरदासपुर	72.	बेहराम	जालंधर
63.	कला सङ्घिआं	कपूरथला	73.	सनौर	पटियाला
64.	तारन	अमृतसर	74.	डेराबाबा नानक	गुरदासपुर
65.	हदिआबाद	कपूरथला	75.	लेहरागागा	संगरूर
66.	फगवाड़ा	कपूरथला	76.	ममदोत	फिरोजपुर
67.	समराला	कपूरथला	77.	मुनक	संगरूर
68.	खन्ना	लुधियाना			

1984-85

1.	अट्टारी सिद	अमृतसर	17.	मल्लांवाला	फिरोजपुर
2.	पालदी	होशियारपुर	18.	मेहलान	संगरूर
3.	मियानी	होशियारपुर	19.	मच्छीवाड़ा	लुधियाना
4.	पतरान	पटियाला	20.	वेहलोलपुर	लुधियाना
5.	चौरवाला	पटियाला	21.	मलसिआं	जालंधर
6.	सेहोरा	संगरूर	22.	नकोदार	जालंधर
7.	मदौर	संगरूर	23.	नकोदार सिटी	जालंधर
8.	लाम्बी	फरीदकोट	24.	नवांशहर	होशियारपुर
9.	राहान	जालंधर	25.	दसुया सिटी	होशियारपुर
10.	और	जालंधर	26.	मुकेरियां सिटी	होशियारपुर
11.	नकोदर	जालंधर	27.	कोटकापुरा-शहरी	फरीदकोट
12.	पारीजन	जालंधर	28.	कोटकापुरा-सिटी एस० डी०	फरीदकोट
13.	विलगा	जालंधर	29.	वरगड़ी	फरीदकोट
14.	सिधवान	लुधियाना	30.	तलवंडी-भाई	फिरोजपुर
15.	मोगा साउथ	फरीदकोट	31.	जलालाबाद	फिरोजपुर
16.	दिरबा	संगरूर	32.	समराला	लुधियाना

क्रम सं० गांव	जिला	क्रम सं० गांव	जिला
33. फाजिल्का	फिरोजपुर	49. भगता भाईका	फरीदकोट
34. भिडरकलां	फिरोजपुर	50. रामपुरा	भटिंडा
35. जलालाबाद	फिरोजपुर	51. रूपना	फिरोजपुर
36. धरमकोट	फिरोजपुर	52. बाघापुराना	फरीदकोट
37. माहिलपुर	होशियारपुर	53. बाजा खाना	फरीदकोट
38. गढ़शंकर	होशियारपुर	54. मेहलकलां	संगरूर
39. शेरवानी-कोट	संगरूर	55. नथाना	भटिंडा
40. टापा	संगरूर	56. बेरुवाला	फरीदकोट
41. मलौद	संगरूर	57. फत्तांवाला	फरीदकोट
42. धुरी	संगरूर	58. बरनाला	संगरूर
43. अमृतसर-वेस्ट	अमृतसर	59. शेरपुर-मलेरकोटा	संगरूर
44. सरहिन्द	लुधियाना	60. गुरुहरसहाय	फिरोजपुर
45. पत्तोहिरा	फरीदकोट	61. गुरुरंशाई	फिरोजपुर
46. धनौला	संगरूर	62. ममदोत	फिरोजपुर
47. बाघापुरना	फरीदकोट	63. फिरोजपुर	फिरोजपुर
48. समध भाई	फरीदकोट		

1985-86

1. पटियाला एम० पी० सी०	पटियाला
2. नूरमहल क-ग	जालंधर

हरियाणा

1982-83

क्र० सं० योजना का नाम	जिला	क्र० सं० योजना का नाम	जिला
1. धारूहेड़ा एस०पी०ए०	गुड़गांव	7. कैथल	जिन्द
2. नुह	गुड़गांव	8. गल्हा	कुरूक्षेत्र
3. ईस्माइलाबाद	करनाल	9. झुंडला	करनाल
4. घांड	करनाल	10. मानेसर	गुड़गांव
5. कैथल	कुरूक्षेत्र	11. पटौदी	गुड़गांव
6. वारल्ली	महेन्द्रगढ़	12. पालूवाल	फरीदाबाद

क्र० सं० योजना का नाम	जिला	क्र० सं० योजना का नाम	जिला
13. नरवाणा	जिन्द	32. बावल	महेन्द्रगढ़
14. लाडवा	कुरूक्षेत्र	33. बावल-1	महेन्द्रगढ़
15. करनाल	करनाल	34. नांगल एस०पी०ए०	महेन्द्रगढ़
16. सोनीपत राई	सोनीपत	35. बबयाल	अम्बाला
17. असंध	करनाल	36. बिलासपुर	अम्बाला
18. पिंजौर	अम्बाला	37. थाना सागर	कुरूक्षेत्र
19. पेहवा	कुरूक्षेत्र	38. बेरी	रोहतक
20. थानेसर	कुरूक्षेत्र	39. महेन्द्रगढ़	महेन्द्रगढ़
21. मडलौडा	करनाल	40. पुंडरी	करनाल
22. घरौंडा	करनाल	41. मुस्तफाबाद	कुरूक्षेत्र
23. मुस्ताफाबाद	अम्बाला	42. समालका	करनाल
24. निसिंग	करनाल	43. गुमना नगर एच०बी०	अम्बाला
25. पानीपत	करनाल	44. अम्बाला एच०बी०	अम्बाला
26. फरख नगर	गुड़गांव	45. गुड़गांव एच०बी०	गुड़गांव
27. रानिया	सिरसा	46. पेहवा एच०बी०	कुरूक्षेत्र
28. जगाधरी	अम्बाला	47. फतेहबाद एच०बी०	हिसार
29. गनौर	सोनीपत	48. पलवल-दो	गुड़गांव
30. अलिनाबाद एस०पी०ए०	सिरसा	49. अम्बाला	अम्बाला
31. रिवाड़ी	महेन्द्रगढ़		

1983-84

1. खरखोदा	सोनीपत	8. डिगवान	भिवानी
2. कुण्डली एस०पी०ए०	सोनीपत	9. शाहबाद	कुरूक्षेत्र
3. सधौरा एस०पी०ए० 2	अम्बाला	10. जगाधरी	अम्बाला
4. भद्रा	भिवानी	11. रतिया	हिसार
5. झाईहुकलां	भिवानी	12. फतेहाबाद	हिसार
6. लाहारू	भिवानी	13. गुहला	कुरूक्षेत्र
7. सफीदों	जींद	14. रतिया-3	हिसार

क्रम० सं० योजना का नाम	जिला	क्रम सं० योजना का नाम	जिला
15. जीन्द एस०पी०ए०	जीन्द	34. दादरी	भिवानी
16. बरौली एस०पी०ए०	महेन्द्रगढ़	35. कनीना	महेन्द्रगढ़
17. सभौरा	अम्बाला	36. नरवाणा	हिसार
18. पेहवा एस०पी०ए०	कुरूक्षेत्र	37. फरीदाबाद	फरीदाबाद
19. साहोवाल	सिरसा	38. हथीन	फरीदाबाद
20. झज्जर	रोहतक	39. सिरसा-2	सिरसा
21. महम	रोहतक	40. रिवाड़ी-2	महेन्द्रगढ़
22. तोषाम	भिवानी	41. केसरी	अम्बाला
23. जूई	भिवानी	42. जुलाना	जीन्द
24. कनीना	महेन्द्रगढ़	43. सिरसा-1	सिरसा
25. टोहाना एस०पी०ए०	हिसार	44. नरवाणा	जीन्द
26. नरवाणा	जीन्द	45. बराड़ा	अम्बाला
27. दादरी-2	भिवानी	46. चीका-4	कुरूक्षेत्र
28. शिहाबपुर	अम्बाला	47. गुड़गांव	गुड़गांव
29. अम्बाला	अम्बाला	48. आदमपुर	भिवानी
30. झज्जर	रोहतक	49. अटेली	महेन्द्रगढ़
31. दादरी	भिवानी	50. सोहना	गुड़गांव
32. डबवाली	सिरसा	51. नुह	गुड़गांव
33. हांसी	हिसार		

1984-85

1. नीलोखेड़ी	करनाल	7. कुरूक्षेत्र	कुरूक्षेत्र
2. यमुना नगर	कुरूक्षेत्र	8. अम्बाला	अम्बाला
3. फिरमिच	कुरूक्षेत्र	9. बहादुरगढ़	रोहतक
4. सिरसा	सिरसा	10. बादशाहपुर	गुड़गांव
5. गुड़गांव	गुड़गांव	11. इसराना	करनाल
6. बहादुरगढ़	रोहतक	12. बेरी	रोहतक

क्र० सं० योजना का नाम	जिला	क्रम सं० योजना का नाम	जिला
13. समालका	करनाल	20. कुरूक्षेत्र सी०ई०एन०	कुरूक्षेत्र
14. बल्लभगढ़	फरीदाबाद	21. मुनाक	करनाल
15. रोहतक	रोहतक	22. घरौंडा	करनाल
16. सोनीपत	सोनीपत	23. बरोली	महेन्द्रगढ़
17. कैथल	कुरूक्षेत्र	24. राजौण्ड	कुरूक्षेत्र
18. पेहवा	कुरूक्षेत्र	25. पानीपत	करनाल
19. करनाल	करनाल		
1985-86			
1. रोहतक टी०आर०डब्लू०	रोहतक		
2. नारनौल टी० आर० डब्लू०	महेन्द्रगढ़		

विवरण—3

1982-83 से 1985-86 तक की अवधि के दौरान हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की प्रगति की उपलब्धि

क्रम सं०	राज्य	गांव शामिल, कुल गांव	31.3.85 तक की उपलब्धि (अनन्तिम)	पम्पसैट शामिल कुल पम्पसैट	31.3.85 की उपलब्धि (अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6
1.	हरियाणा	*	*	50,675	23,992
2.	हिमाचल प्रदेश	2268	1448	637	202
3.	जम्मू और कश्मीर	183	37	—	—
4.	पंजाब	*	*	1,35,294	62,981

*सभी गांव विद्युतीकृत कर दिए गए हैं।

इन्द्रप्रस्थ तापीय बिजली घर के तीनों एककों का प्रदूषण नियन्त्रण

310. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका की एयर करेक्शनल इन्टरनेशनल कम्पनी दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इन्द्रप्रस्थ तापीय बिजली घर के तीनों एककों से निकलने वाली राख तथा धुएं के प्रदूषण को रोकने में असमर्थ रही है;

(ख) यदि हां, तो इन्द्रप्रस्थ बिजली घर का प्रदूषण नियन्त्रण करने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की कम्पनी द्वारा सप्लाई किए गए उपकरण का मूल्य क्या है;

(ग) उक्त कम्पनी के साथ-सरकार की शर्तें क्या हैं; और

(घ) प्रदूषण का प्रभावी रूप से नियन्त्रण करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां। मैसर्स एयर करेक्शन इन्टरनेशनल द्वारा सप्लाई किए गए उपस्कर ठेके के अनुसार इन्द्रप्रस्थ ताप विद्युत केन्द्र की तीन यूनिटों से धूल निकलने को अपेक्षित स्तर तक कम करने में सफल नहीं रहे हैं।

(ख) उत्थापन प्रभारों सहित फर्म द्वारा सप्लाई किए गए उपस्कर की लागत 2.1 मिलियन अमरीकी डालर एफ० ए० एस० न्यूयार्क तथा स्वदेशी संघटकों और उत्थापन प्रभारों के लिए 56 लाख रुपये हैं।

(ग) ठेके के अनुसार फर्म से आशा की गई थी कि वह 99.78 प्रतिशत संग्रहण कार्य कुशलता की व्यवस्था करेगी बशर्ते उपस्कर कुछ प्रि-डिजाइन पैरामीटरों पर प्रचालित किया जाता है।

(घ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीकरण तथा आधुनिकीकरण स्कीम के अन्तर्गत नए अतिरिक्त इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रिसिपिटेटर प्रतिष्ठापित किए जाने का प्रस्ताव है।

गोबर गैस संयन्त्र

311. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गोबर गैस संयन्त्र की स्थापना को लोकप्रिय बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान ऐसी योजना को लोकप्रिय बनाने हेतु संघ सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है; और

(ग) उड़ीसा तथा अन्य राज्यों में गोबर गैस संयन्त्र स्थापित करने के लिए किसानों को क्या राजसहायता दिए जाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना का प्रारम्भ 1981-82 में, बायोगैस संयंत्रों को लोकप्रिय बनाने और उनकी स्थापना करने के लिए,

किया गया था और यह परियोजना सातवीं योजना की अवधि में भी जारी रखी जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत 1984-85 की समाप्ति तक 3,55,887 बायोगैस संयन्त्र लगाए जा चुके हैं जिनमें से 1,80,430 संयन्त्र 1984-85 में लगाए गए थे जोकि वर्ष 1983-84 में लगाये गए संयन्त्रों से 95 प्रतिशत अधिक थे। सितम्बर, 1985 के अन्त तक लगाए गए संयन्त्रों की संख्या 49,591 है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से 48.1 प्रतिशत ज्यादा है। बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना केन्द्रीय राजसहायता, टर्न-की जॉब-फीस, सेवा प्रभार, प्रोन्नतीय नकद प्रोत्साहन, प्रशिक्षण कार्यक्रम, मरम्मत प्रभार, मानीटरन और मूल्यांकन आदि की व्यवस्था करता है। सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयन्त्र एक अलग योजना के अन्तर्गत लोकप्रिय हैं।

(ग) बायोगैस संयन्त्रों के लिए वर्ष 1985-86 के लिए अनुमोदित केन्द्रीय सहायता का पैटर्न उड़ीसा सहित सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बायोगैस संयन्त्रों के लिए केन्द्रीय सहायता का पैटर्न

1. 1985-86 के लिए बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत पारिवारिक बायोगैस संयंत्रों के लिए केन्द्रीय राजसहायता

केन्द्रीय राजसहायता की राशि (रुपयों में)

संयंत्र की क्षमता (क्यूबिक मीटर)	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों, सिक्किम और अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्रों तथा बंजर जिलों के लिए	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन मजदूरों सहित छोटे एवं सीमांतक किसानों के लिए	अन्य सभी के लिए
1	1500	1250	830
2	2940	2350	1560
3	3660	2860	1900
4	4390	3220	2140
6	5350	3920	2610
8	6460	3100	3100
10	8080	3700	3700
15	11440	5430	5430
20	15260	7300	7300
25	17640	8190	8190

2. 1985-86 के लिए सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयन्त्रों का वित्तीय पैटर्न

(i) **सामुदायिक बायोगैस संयन्त्र** : नियन्त्रित कार्यचालन की लागत सहित भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत पूंजी लागत अधिकतम एक वर्ष के लिए (सामान्यतः 6 महीनों के लिए)।

(ii) **संस्थागत बायोगैस संयन्त्र** : केन्द्रीय, राज्य या सहकारी ट्रस्ट संस्थाओं या ऐसे निकायों से जुड़ी संस्थाओं के लिए पूंजीगत लागत का 75 प्रतिशत अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा तथा शेष आदाता संगठन द्वारा धर्मार्थ संगठन के सम्बन्ध में उपयुक्त मामलों में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा अधिक अंशदान पर भी विचार किया जा सकता है।

निजी लाभ कमाने वाली संस्थाओं के लिए भारत सरकार द्वारा $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत। सभी मामलों में आवर्ती लागत आदाता संस्थाओं द्वारा।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में घाटा

312. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय**
प्रो० पी० जे० कुरियन
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी
श्री ब्रजमोहन महन्ती
श्री अनन्त प्रसाद सेठी
: क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उपक्रम घोर घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके घाटे को पूरा करने और उनके कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार घाटे में चल रहे उपक्रमों को ऋण देने में कटौती करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है, यदि हां, तो उन उपक्रमों के नाम क्या हैं, जिनके मामले में इस प्रकार की कटौती की जायेगी; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जो मुनाफे में चल रहे हैं और उनमें से प्रत्येक का पिछले दो वर्षों के अपव्यय का ब्यौरा क्या है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) और (ख) 50 चालू उद्यमों (उद्योग मंत्रालय, सरकारी उद्यम विभाग के अधीन) जिनके 1984-85 वर्ष के अनन्तिम कार्यचालन परिणामों का ब्यौरा उपलब्ध है, में से 23 उद्यमों ने लाभ कमाया है और 27 उद्यमों ने घाटा उठाया है। सरकार इन सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सदुपाय करती रही है। इन किये गये सदुपायों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं—प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा कार्य-निष्पादन की नियमित समीक्षा करना, जहां कहीं आवश्यक समझे जाने पर विद्युत-उत्पादन के लिये आपाती व्यवस्था करना, संतोलक सुविधाओं में पूंजी लगाना, प्रौद्योगिकी

को समुन्नत बनाना, कार्मिकों को प्रशिक्षण एवं पुनर्प्रशिक्षण दिलाना तथा विभिन्न लागत-नियंत्रण उपाय अपनाना।

(ग) इस समय ऐसा कोई नीति सम्बन्धी निर्णय नहीं किया गया है।

(घ) अपेक्षित जानकारी, दिनांक 15-3-1985 को लोक सभा पटल पर रखे गये लोक उद्यम सर्वेक्षण —1983-84 के खण्ड-1 में विवरण संख्या 2.7 (क) में उपलब्ध है।

[अनुवाद]

विटामिनयुक्त दवाइयों तथा टानिकों का निर्माण

313. **श्री विष्णु मोदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विटामिनयुक्त दवाइयों तथा टानिकों की दस बड़ी उत्पादक कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) प्रत्येक कम्पनी के प्रत्येक उत्पाद की मूल लाइसेंस प्राप्त क्षमता पुनः अनुमोदित क्षमता यदि कोई हो, कितनी है और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कम्पनी के प्रत्येक उत्पाद का वर्षवार उत्पादन कितना था तथा प्रत्येक की बिक्री कितनी थी;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल बिक्री में प्रत्येक कम्पनी के टानिकों तथा विटामिन-युक्त दवाइयों की बिक्री का वर्षवार प्रतिशत क्या था; और

(घ) इन कम्पनियों को किन-किन बल्क औषधियों तथा सीरम टीकों के निर्माण के लिए लाइसेंस दिये गये हैं तथा प्रत्येक की लाइसेंस प्राप्त क्षमता क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक का वर्षवार कितना उत्पादन हुआ और प्रत्येक मामले में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) विटामिन सम्पाकों तथा टानिकों के मुख्य उत्पादक निम्नलिखित हैं : —

1. मैसर्स फेयरडोल कार्पोरेशन
2. मैसर्स साराभाई कैमिकल्स
3. मैसर्स ग्लेक्सो लेबोरेट्रीज
4. मैसर्स अबोट लेबोरेट्रीज
5. मैसर्स सेंडोज (इंडिया) लि०
6. मैसर्स फाइजर लि०
7. मैसर्स सिनामिड (इंडिया) लि०
8. मैसर्स ई० मर्क (इंडिया) लि०
9. मैसर्स जर्मन रिमेडीज लि०
10. मैसर्स रेलिस (इंडिया) लि०

(ख) औद्योगिक अनुमोदनों के ब्यौरे इंडिया इन्वेस्टमेंट सेण्टर के मासिक बुलेटिन में प्रकाशित किये जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद के ग्रन्थागार में उपलब्ध हैं। फार्मूलेशनों के उत्पादन पर निगरानी नहीं रखी जाती।

(ग) फार्मूलेशनों की बिक्री पर निगरानी नहीं रखी जाती।

(घ) निगरानी रखी जाने वाली प्रपुंज औषधों के सम्बन्ध में उपलब्ध सीमा तक सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रमांक संख्या	प्रपुंज औषध का नाम	इकाई	1-4-83 को लाइसेंस प्राप्त क्षमता	उत्पादन 1982-83	1983-84	1984-85	प्रतिशत 1984-85 में 1983-84 की तुलना में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**साइनामाइड**						
	(1) टेट्रासाइक्लीन	टन	10.00	8.91	2.19	11.10	*
2.	**फाइजर**						
	(1) आक्सीसाइक्लीन	टन	9.00	69.85	84.49	86.40	(+) 2.3
	(2) पी०ए०एस० और इसके लवण	टन	110.00	12.60	3.67	8.52	(+) 132.2
	(3) आइसोमियाजाइड	टन	80.00	72.92	56.56	80.01	(+) 41.5
	(4) क्लोरम्प्रोमामाइड	टन	6.50	10.85	13.61	11.89	(—) 12.6
3.	**साराभाई कैमिकल्स**						
	(1) अमोक्सीसिलीन	टन	—	—	—	0.17	**
	(2) विटामिन सी	टन	240.00	286.48	249.65	260.79	(+) 4.5

1	2	3	4	5	6	7	8
	(3) इथाम्बुटोल	टन		1.09	0.14	—	**
	(4) प्रेपोनेलोल	टन	0.75	0.69	0.49	0.68	(+) 38.8
4.	**फेयरडील कारपोरेशन**						
	(1) सल्फा मेथोक्साजोल	टन	5.00	9·62	1.50	2.52	(+) 68.0
	(2) मेदोनिडाजोल	टन	10.00	7.80	4.09	7.74	(+) 89.2
	(3) टीनीडाजोल	टन		0.06	0.01	0.05	*
	(4) सालबुटोमोल	कि० ग्रा०		115.00	165.00	156.00	(—) 5.5
	(5) मेवेन्डाजोल	टन	10.00	0.13	0.58	0.11	(—) 81.0
	(6) डाइजेपाम	टन	1.00	0.88	1.96	3.98	(+) 103.1
	(7) ट्राइमेथोप्रिम	टन	2.00	2.31	4.76	1.26	(—) 73.5
5.	**जर्मन रिमेडीज**						
	(1) सल्फामोक्सोल	टन	120.00	97.79	47.60	112.35	(+) 136.0
	(2) निकोटिनेट	टन		13.82	9.39	15.08	(+) 60.6
	(3) ट्राइमेथोप्रिम	टन	6.00	5.24	2.95	नगण्य	**
6.	**ग्लैक्सो लैब**						
	(1) विटामिन	एम० एम० यू०	30.00	14.25	19.51	16.56	(+) 15.1

1	2	3	4	5	6	7	8
	(2) इबुप्रोफिन	टन		—	—	0.15	**
	(3) बेटामेथासोन	कि० ग्रा०	300	583	613.88	712.64	(+) 16.1
	(4) ट्रिपल वेक्सीन	कि० लि०		1.20	1.43	1.50	(+) 84.9
7.	ई० मर्क						
	(1) विटामिन-ई०	टन	34.00	13.15	41.28	56.81	(+) 37.6
	(2) विटामिन-के०	टन	4.80	—	0.09	—	**
	(3) विटामिन-पी०	टन	5.00	1.51	0.49	0.64	(+) 30.6
8.	सेन्डोज						
	(1) इनटेस्टोपान सबस्टेंस	टन		56.83	33.69	35.82	(+) 6.3
	(2) डिगोक्सिन	कि० ग्रा०		0.74	1.73	7.21	*

*प्रतिशत वृद्धि बहुत अधिक है

**प्रतिशत अन्तर नहीं निकाला जा सकता ।

औषधि मूल्य नियन्त्रण आदेश 1979 के अनुसार कम्पनियों की कुल बिक्री

314. **श्री विष्णु मोदी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 1979 के अनुसार वार्षिक बिक्री की छूट सीमा पार कर ली है और अपने उत्पादों की मूल्य स्वीकृति नहीं ली है;

(ख) वर्ष 1980-81 और 1984-85 के दौरान प्रत्येक कम्पनी की कुल बिक्री कितनी है;

(ग) क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत मूल्य नियन्त्रण आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए किसी कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है और उस कम्पनी का नाम क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ) लगभग 200 कम्पनियों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन जारी किये गए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अन्तर्गत पिछले लेखा वर्ष के दौरान 50 लाख रु० की कुल बिक्री की सीमा पार करने के बावजूद मूल्य अनुमोदन प्राप्त न करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इस सीमा को पार करने वाली कम्पनियों की वास्तविक संख्या का पता इन नोटिसों का उत्तर पाने तथा उनकी जांच करने के बाद लगेगा।

भारतीय औषध प्राधिकरण की स्थापना

315. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों के निर्माण को नियन्त्रित करने और देश में बनाई जा रही औषधियों की किस्म को बनाए रखने के लिए एक पृथक भारतीय औषध प्राधिकरण की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मांडया नेशनल पेपर मिल्ज का बन्द किया जाना

316. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांडया नेशनल पेपर मिल्ज द्वारा कावेरी नदी में अवशिष्ट पदार्थों के बहाये जाने के कारण उसका जल प्रदूषित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मिल द्वारा कावेरी नदी में अवशिष्ट पदार्थों का बहाया जाना रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या न्यायालय द्वारा कावेरी नदी में बहि-स्राव गिराने के सम्बन्ध में दिए गए निर्देश पर कागज मिल कुछ समय तक बन्द पड़ा था; और

(घ) यदि हां, तो कितने दिनों तक मिल बन्द रही और इससे कितनी हानि हुई ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) मांडया नेशनल पेपर मिल्स में कार्यान्वित की गई और इस समय चल रही बहि-स्राव उपचार योजना (एफलुएंट ट्रीटमेंट स्कीम) की प्रथम प्रावस्था में 5-6 कि०मी० तक बहने वाले पास ही के नाले में अपशिष्ट पदार्थों को बहाने से पहले उनमें से निलंबित ठोस पदार्थों के निकाल लेने की व्यवस्था है। इसके फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थों के कावेरी नदी तक पहुंचने से पहले इसमें पर्याप्त वायुमिश्रण और अवमिश्रण हो जाता है। इस योजना की दूसरी प्रावस्था जिसमें वायु-मिश्रण लागून (एयरेशन लागून) की व्यवस्था होगी, कार्यान्वित की जा रही है और इसके 1986 के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(ग) और (घ) बहि-स्राव को बहाने पर रोक लगाने के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश के कारण यह मिल 19-8-85 से 6-9-85 तक 19 दिनों के लिए बन्द थी। न्यायालय द्वारा निदेश रद्द किये जाने के बाद 7 सितम्बर, 1985 से उत्पादन फिर शुरू हो गया। मिल के बन्द होने के कारण होने वाली अनुमानित हानि 28 लाख रु० है।

बंगलौर में चलते-फिरते (मोबाइल) डाकघर

317. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में कितने चलते-फिरते डाकघर काम कर रहे हैं;

(ख) इनमें से कर्नाटक और बंगलौर शहर में अलग-अलग कितने डाकघर हैं; और

(ग) क्या दूर-दराज के गांवों में चलते-फिरते डाकघरों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस समय देश में कार्य कर रहे चलते-फिरते डाकघरों की संख्या 37,807 है।

(ख) कर्नाटक सर्किल में 3191 चलते-फिरते डाकघर कार्य कर रहें हैं। इनमें से 28 बेंगलूर शहर में हैं।

(ग) चलते-फिरते डाकघरों द्वारा 69852 ग्रामों को सेवा प्रदान की जा रही है, इनमें कुछ गांव दूर-दराज के इलाकों में भी हैं। अन्य इलाकों में इस किस्म की सेवा की आवश्यकता होने पर, और अधिक गांवों को यह सेवा प्रदान की जा सकती है।

औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रम

318. **श्री चित्त महाता** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या उक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत उद्योगों के विकास के लिए वर्तमान रुग्ण एककों को पुनः स्थापित किया जाएगा, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों को सौंपी गई भूमिका का उल्लेख किया गया है जिससे औद्योगिक नीति के आधारभूत ढांचे की निरन्तर व्यवस्था हो पाती है, 1973 और 1980 के बाद नीति सम्बन्धी विवरणों से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों का उनके कार्य संचालन क्षेत्रों का वर्णन करते हुए उल्लेख किया गया है। ऐसे क्षेत्रों का जहां बड़े, मझौले और लघु क्षेत्र लगाए जाएंगे, पता लगा लिया गया है। तीव्र औद्योगिक विकास करने की दृष्टि से, सरकार ने चुने हुए उद्योगों में लाइसेंसमुक्तता और उत्पादन सीमा में व्यापक विस्तार करने और बड़े गृहों में निवेश की न्यूनतम सीमा 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करना जैसे कई उदार उपाय किए हैं। उत्पादन और उत्पादकता के उच्च स्तर प्राप्त करने की दृष्टि से औद्योगिक नीति को मांग के अनुरूप उदार बनाया जाना एक सतत प्रक्रिया है ताकि नियोजित अर्थव्यवस्था के सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

(ख) रुग्ण औद्योगिक एककों को पुनरुज्जीवित करने के बारे में सरकार द्वारा अक्तूबर, 1981 में जारी किए गए रुग्ण-उद्योग सम्बन्धी नीति विषयक मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है। इस बारे में दिनांक 6 अक्तूबर, 1981 को जारी किए गए प्रेस टिप्पण की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—1460/85]

वित्त मन्त्री ने लोक सभा में 29-8-85 को "दि सिक इंडस्ट्रियल कम्पनीज (स्पेशल प्रोवीजन) बिल, 1985" नामक विशेष कानून पेश किया था जिसमें औद्योगिक तथा वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड के रूप में जाने वाले एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय के गठन का प्रावधान है और इसे रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनर्स्थापन करने और औद्योगिक एककों में रुग्णता के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद, अजीव्यक्षम एककों को बंद करने तथा ऐसे एककों को पुनरुज्जीवित व पुनर्स्थापित करने के लिये वैकल्पिक सम्भावनाओं पर विचार करने और उपर्युक्त उपायों का सुझाव देने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

विद्युत की कमी को दूर करने के लिए विद्युत क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव

319. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विद्युत क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना अवधि के दौरान नई विद्युत क्षमता के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) उक्त योजना अवधि के दौरान बिजली उत्पादन की कौन-कौन सी बड़ी परियोजनाएं क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) देश में विद्युत की कमी को दूर करने हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त 22,245 मेगावाट विद्युत क्षमता की अभिवृद्धि किए जाने की परिकल्पना है।

(ग) सातवीं योजना अवधि में, जिन वृहत् विद्युत परियोजनाओं (100 मेगावाट और उससे अधिक) से लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(घ) विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार लाने के लिये अनेक उपाय किये जा रहे हैं, इन उपायों में ये शामिल हैं : प्रतिष्ठापित क्षमता से विद्युत की उपलब्धता अधिकतम करने के लिए संगठित कार्यवाही करना, ताप विद्युत केन्द्रों का नवीकरण तथा आधुनिकीकरण करना, निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा करना, लाइन हानियों को कम करना, मांग की प्रबन्ध व्यवस्था करना तथा ऊर्जा का संरक्षण करना।

विवरण

उन वृहत् विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के नाम (100 मेगावाट और उससे अधिक), जिनसे सातवीं योजना अवधि में लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है

क्रम संख्या	परियोजना
1.	पानीपत ताप विद्युत केन्द्र, चरण-दो
2.	पानीपत ताप विद्युत केन्द्र, चरण-3
3.	भाभा जल विद्युत स्कीम
4.	मुकेरियां जल विद्युत स्कीम
5.	रोपड़ ताप विद्युत केन्द्र, चरण-दो
6.	आनन्दपुर साहिब जल विद्युत स्कीम
7.	कोटा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार
8.	माही जल विद्युत स्कीम

क्रम संख्या	परियोजना
9.	मानेरी भाली जल विद्युत स्कीम चरण-दो
10.	अनपारा "क" ताप विद्युत केन्द्र
11.	टांडा ताप विद्युत केन्द्र
12.	ऊंचाहार ताप विद्युत केन्द्र
13.	सलाल जल विद्युत स्कीम
14.	चमेरा जल विद्युत स्कीम
15.	सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-1 फेज-2
16.	रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र
17.	नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना
18.	कदाना पम्प स्टोरेज जल विद्युत स्कीम
19.	वान कबोरी ताप विद्युत केन्द्र विस्तार
20.	सिक्का ताप विद्युत केन्द्र
21.	गांधी नगर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार
22.	हसदेव जल विद्युत स्कीम
23.	कोरवा पश्चिमी ताप विद्युत केन्द्र विस्तार
24.	संजय गांधी (बीरसिंहपुर) ताप विद्युत केन्द्र
25.	बाण सागर जल विद्युत स्कीम
26.	चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार
27.	उरान गैस केन्द्र विस्तार
28.	खापरखेड़ा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार
29.	पारली ताप विद्युत केन्द्र विस्तार
30.	उरान गैस टर्बाइन केन्द्र यूनिट सं० 8
31.	पेंच जल विद्युत स्कीम
32.	कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र
33.	कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार

क्रम संख्या	परियोजना
34.	विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र
35.	नागार्जुन सागर जल विद्युत स्कीम चरण-2
36.	श्री सेलम जल विद्युत स्कीम चरण-2
37.	विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार
38.	वराही केनाल जल विद्युत स्कीम
39.	सुपा बांध जल विद्युत स्कीम
40.	रायचूर ताप विद्युत केन्द्र
41.	इदूकी जल विद्युत स्कीम
42.	कदमपराय जल विद्युत स्कीम
43.	लोअर मैत्तूर जल विद्युत स्कीम
44.	मैत्तर ताप विद्युत केन्द्र
45.	मैत्तूर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार
46.	तूतिकोरिन ताप विद्युत केन्द्र विस्तार
47.	रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार
48.	नेवेली द्वितीय माइन कट ताप विद्युत केन्द्र
49.	नेवेली द्वितीय माइन कट ताप विद्युत केन्द्र विस्तार
50.	कलपक्कम परमाणु ऊर्जा परियोजना यूनिट-2
51.	पतरातू ताप विद्युत केन्द्र यूनिट-10
52.	मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्र यूनिट-2
53.	तेनुघाट ताप विद्युत केन्द्र
54.	अपर कोलाब जल विद्युत स्कीम
55.	रेंगाली जल विद्युत स्कीम
56.	रेंगाली जल विद्युत स्कीम विस्तार
57.	कोलाघाट ताप विद्युत केन्द्र

क्रम संया	परियोजना
58·	कोलाघाट ताप विद्युत केन्द्र विस्तार
59.	डी० पी० एल० ताप विद्युत केन्द्र विस्तार
60.	बोकारो (ख) ताप विद्युत केन्द्र
61.	बोकारो (ख) ताप विद्युत केन्द्र विस्तार
62.	फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण-1
63.	लोअर बोरपानी जल विद्युत स्कीम

उड़ीसा में भुवनेश्वर में टेलीफोन उद्योग की स्थापना

320. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में भुवनेश्वर में टेलीफोन उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत क्या होगी;

(ग) इसमें वाणिज्यिक उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा; और

(घ) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) सवाल पैदा ही नहीं होते ।

लोक अदालतें

321. **श्रीमती जयन्ती पटनायक**
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही
श्री जगन्नाथ पटनायक
श्री एस० एन० गुरुड़ी
श्री सनत कुमार मंडल
: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में लोक अदालतें स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से राज्य हैं जहां लोक अदालतों द्वारा विवादों को निपटाने के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है;

(ग) लोक अदालतों की स्थापना को अधिकाधिक क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाने के लिए कौन से कदम उठाने के प्रस्ताव हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार लोक अदालतों पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए राज्यों को पर्याप्त धन देने का है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) लोक अदालतें राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा आयोजित की जाती हैं न कि सरकार द्वारा स्थापित की जाती हैं। इस समय वे स्वैच्छिक अभिकरणों के रूप में कार्य कर रही हैं। फिर भी वे सरकार द्वारा गठित विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा अंगीकृत कार्यक्रम के भाग रूप हैं।

(ख) लोक अदालतें जनता में लोकप्रिय हो गई हैं और उन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में विशेष प्रभाव डाला है। विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात राज्य में निचले न्यायालयों में 2,000 से अधिक लम्बित मामले पिछले दो वर्षों के दौरान निपटाए गए थे। लोक अदालतें अन्य राज्यों की अपेक्षा गुजरात में अधिक संख्या में आयोजित की जा रही हैं। लोक अदालतें मोटर दुर्घटना दावों के निपटारे के लिए भी आयोजित की जा रही हैं। उनमें से दो मुम्बई में, एक दिल्ली में और तीन से अधिक गुजरात में आयोजित की गई थीं। गुजरात में अन्तिम लोक अदालत जामनगर में आयोजित की गई थी जहां दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को बीमा कम्पनियों ने 47 लाख रुपये दिये थे।

(ग) हाल ही में दिल्ली में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों, मुख्य मंत्रियों और विधि मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर विचार-विमर्श हुआ था। राज्य से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) सरकार, वार्षिक आधार पर विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति को बजट अनुदान दे रही है जो अपनी ओर से अन्य बातों के साथ-साथ लोक अदालतें आयोजित करने के लिए भी विभिन्न राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों आदि को सहायता अनुदान देती है।

डाक और तार कर्मचारियों के लिए पहाड़ी स्थलों पर अवकाश गृहों की स्थापना

322. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों के लिए पहाड़ी स्थलों पर कुछ अवकाश गृह स्थापित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पहाड़ी स्थलों के नाम क्या हैं जहां उनके मंत्रालय ने अवकाश गृह स्थापित किए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र० सं०	अवकाश गृहों का नाम	राज्य जिसमें स्थित हैं	कमरों की संख्या	नियंत्रण प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1.	शिमला	हिमाचल प्रदेश	2	जी० एम० टेलीकॉम एन० डब्ल्यू० अम्बाला
2.	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश	5	जी० एम० टेलीकॉम एन० डब्ल्यू० अम्बाला
3.	पचमढ़ी	मध्य प्रदेश	2	जी० एम० टेलीकॉम मध्य प्रदेश, भोपाल
4.	माउन्ट आबू	राजस्थान	1	जी० एम० टेलीकॉम राजस्थान जयपुर।
5.	मसूरी	उत्तर प्रदेश	7	पोस्टमास्टर जनरल, उत्तर प्रदेश सर्किल, लखनऊ।
6.	नैनीताल	—वही —	4	जी० एम० टेलीकॉम उत्तर प्रदेश सर्किल लखनऊ।
7.	श्रीनगर	जम्मू और काश्मीर	5 सूट	पोस्टमास्टर जनरल जम्मू और काश्मीर तथा जनरल मैनेजर दूरसंचार।
8.	कोडियाकनाल	तमिलनाडु	1	जनरल मैनेजर, दूरसंचार, तमिलनाडु, मद्रास।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में से सरकारी क्षेत्र में भारी उद्योगों की स्थापना

323. श्री सोम नाथ रथ : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में अब तक कितने भारी उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या इन उद्योगों को लाभ हो रहा है अथवा घाटा, 1984-85 का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन उद्योगों को लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई भारी उद्योग लगाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) भूतपूर्व भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के 20 उपक्रम हैं। निर्मित किये गये प्रमुख उत्पाद/शुरू की गई परियोजनाएं भारी उद्योग विभाग की 1984-85 की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है जिनकी प्रतियां लोक सभा पटल पर पहले ही रख दी गई हैं। 1984-85 में इन उपक्रमों की लाभ/हानि संलग्न विवरण में दी जाती है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के काम की सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है। हानि उठाने वाले उपक्रमों के कार्य/लाभदेयता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रबंधकीय कार्यकुशलता को उन्नत बनाने, संयंत्र तथा मशीनों को आधुनिक बनाने, वित्तीय राहतें देने और उनकी उत्पादन गतिविधियों में विविधता लाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में भारी इंजीनियरी उद्योग स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

भूतपूर्व भारी उद्योग विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को
1984-85 के दौरान लाभ (+)/हानि (—)

	(लाख रुपये)
बी० एच० ई० एल०	(+) 11369
बी० एच० पी० वी०	(+) 89
बी० पी० सी० एल०	(—) 267
ब्रेथवेट	(—) 297
बी० एस० सी० एल०	(+) 209.80
बी० बी० वी० एल०	(—) 149.42
बी० डब्ल्यू० ई० एल०	(+) 20 00
बी० पी० एम० ई०	(—) 163.89 (प्रत्याशित)
एच० ई० सी०	(—) 5392
एच० एम० टी०	(+) 2.00
जेसप	(—) 268

एम० ए० एम० सी०	(—)	1172	(प्रत्याशित)
मारुति	(+)	90	
आर० एण्ड सी०	(—)	593.00	
टी० एस० एल०	(—)	166.00	
टी० एस० पी०	(—)	34.35	
लगन जूट	(+)	101	
एस० आई० एल०	(—)	1380	
एच० डी० पी० ई०	(+)	1.22	(प्रत्याशित)
ई० पी० आई०	(—)	1492	

तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग के लिए तट-दूर क्षेत्र में ढांचों के निर्माण हेतु एक फर्म की स्थापना

324. श्री सोम नाथ रथ : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के बढ़ते हुए तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग के लिए विशिष्ट रूप से तट-दूर क्षेत्र में ढांचों की निर्माण हेतु एक फर्म की स्थापना करने का विचार है;

(ख) उन देशों के क्या नाम हैं जो इस योजना में सम्मिलित होंगे;

(ग) क्या इसके लिए कोई विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है और कोई करार किया गया है;

(घ) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के लिए वित्त व्यवस्था करने हेतु विश्व बैंक से अनुरोध किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि की मांग की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में तेल उत्पादन का लक्ष्य

325. श्री सोम नाथ रथ
श्री अमर राय प्रधान
श्री अमल दत्त

: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया था और उसके क्या परिणाम रहे; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य 93.4 मि० मी० टन था जिसकी तुलना में उत्पादन 102.7 मि० मी० टन था।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य 159 मि० मी० टन है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना

326. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री सुभाष यादव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश विशेषकर आदिवासी पिछड़े क्षेत्रों में, लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन स्थलों का चयन किया गया है;

(ग) ऐसे लम्बी दूरी के कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए यदि कोई राशि आबंटित की गई है तो वह कितनी है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) मध्य प्रदेश के इकतालीस पिछड़े/जन-जातीय जिलों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने का प्रस्ताव है, जैसा कि संलग्न विवरण में बताया गया है। इन टेलीफोनों को कहां लगाया जाए, इस बात को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) 1355 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(घ) लम्बी दूरी के इन सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को स्थापित करने के लिए धनराशि की व्यवस्था सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान सर्किल को दिये गये एक मुश्त अनुदान से पूरी की जाएगी।

विवरण

मध्य प्रदेश के पिछड़े/जन-जातीय जिलों में खोले जाने वाले प्रस्तावित लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या

क्रम सं०	जिले का नाम	खोले जाने वाले प्रस्तावित लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या	क्रम सं०	जिले का नाम	खोले जाने वाले प्रस्तावित लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	बालघाट	6/20	21.	मुरैना	3/27
2.	बस्तर	135/-	22.	नरसिंहपुर	3/13
3.	बेटूल	10/29	23.	पन्ना	3/15
4.	भिण्ड	-/20	24.	रायगढ़	30/13
5.	बिलासपुर	26/51	25.	रायपुर	10/63
6.	छतरपुर	-/27	26.	रायसैन	3/23
7.	छिंदवाड़ा	10/25	27.	राजगढ़	-/28
8.	अमोह	5/26	28.	रतलाम	2/10
9.	दातीया	-/5	29.	रेवा	3/15
10.	देवास	1/20	30.	सागर	2/35
11.	धार	15/8	31.	सतना	2/ 0
12.	दुर्ग	10/11	32.	सेहोड़	2/13
13.	गुना	2/50	33.	सियोनी	5/28
14.	होशंगाबाद	4/26	34.	शाडोल	30/23
15.	जबलपुर	5/-	35.	शाजापुर	-/11
16.	झाबुआ	18/-	36.	शिवपुरी	4/30
17.	खंडवा	4/8	37.	सिद्धी	5/40
18.	खारगांव	30/10	38.	सरगुजा	93/-
19.	मंड़ला	45/-	39.	तीलमगढ़	-/18
20.	मड़सौर	5/26	40.	विदिशा	-/22

टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा "पैकेट स्विचिंग नेटवर्क" चालू करना

327. श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री सुभाष यादव
: क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की टेलीकम्युनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में दिल्ली, बम्बई और मद्रास के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिए एक "पैकेट स्विचिंग नेटवर्क" चालू किया है, जिससे इन नगरों के बीच आंकड़ों के आदान-प्रदान हेतु कम्प्यूटर अन्तः सम्बन्ध के लिए सहायता प्राप्त हो सके;

(ख) क्या देश के कतिपय अन्य महानगरों को भी इस प्रणाली से जोड़ा जाएगा और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं;

(ग) इन नगरों को कब तक इस प्रणाली से जोड़ दिया जायगा;

(घ) उस पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दूर संचार विभाग, व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डेडीकेटिक डाटा संचार सर्किटों के बतौर डाटा संचार सुविधाएं प्रदान कर रहा है। बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक डाटा नेटवर्क स्थापित करना आवश्यक हो गया है। इस उद्देश्य के लिए टेली-कम्युनिकेशंस कंसलटेंट इंडिया लि० इस समय दिल्ली, बम्बई और मद्रास को जोड़ने के लिए पैकेट डाटा संचार नेटवर्क स्थापित कर रहा है ताकि यह इन शहरों के बीच डाटा संचारण के लिए कम्प्यूटर से पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने में सहूलियत हो। इस नेटवर्क में सीमित संख्या में उपभोक्ता होंगे समूचे देश में बड़े पैमाने पर नेटवर्क चालू करने से पहले, परियात प्रक्रिया मानीटर करने तथा जनता की प्रतिक्रिया जानने का प्रस्ताव है।

(ख) जी हां। कुछ समय बाद देश के कुछ बड़े शहरों को भी सार्वजनिक डाटा नेटवर्क के साथ जोड़ दिया जाएगा। अगले चरण में कलकत्ता, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, बैंगलूर, चण्डीगढ़, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना, भुवनेश्वर, रांची, नागपुर, भोपाल, बड़ौदा, कोचीन और त्रिवेन्द्रम शहरों को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा।

(ग) अगले कुछ महीनों में बम्बई, दिल्ली और मद्रास को सार्वजनिक डाटा नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। यह कहना कठिन है कि अन्य 17 शहरों में यह सुविधा कब तक प्रदान कर दी जाएगी। क्योंकि इस कार्य के लिए काफी वित्तीय तथा सामग्री निवेश की आवश्यकता है पूर्ण विकसित डाटा नेटवर्क के ही एक भाग के बतौर बाद में कुछ और शहरों को भी इससे जोड़ दिया जाएगा।

(घ) पहले चरण में दिल्ली, बम्बई और मद्रास को जोड़ने के लिए 1.5 करोड़ रु० का वित्तीय व्यय होगा।

बंगलौर और करनाल तेल-शोधक परियोजनाएं स्थापित करने के लिये निविदा

328. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री सुभाष यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच करनाल और मंगलौर में तेल-शोधक कारखाने स्थापित करने के लिए निविदाएं आमन्त्रित कर ली हैं;

(ख) उक्त परियोजनाओं को स्थापित करने में योगदान देने हेतु अपना सेवाएं प्रस्तुत करने वाली पार्टियों के नाम क्या हैं;

(ग) यह मामला इस समय किस स्थिति में हैं; और

(घ) इन तेल-शोधक कारखानों में कब से काम शुरू हो जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) इन तेल-शोधक कारखानों को संयुक्त क्षेत्र में स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है। इन सारे में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के बारे में शर्तें

329. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये उद्योगों का पंजीकरण करते समय यह शर्त लगाई जाती है कि इन्हें पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत नये उद्योग स्थापित किये गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूरसंचार विभाग में अधिकारियों के स्थानान्तरण

330. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि दूरसंचार विभाग में अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिए हाल ही में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) दूरसंचार सर्किलों तथा छोटे जिलों में कार्यरत दूरसंचार विभाग के समूह "क" तथा "ख" अधिकारी जिनकी एक स्थान पर 8 वर्ष/एक पद पर 4 वर्ष की सेवा हो गई है को सर्किल अध्यक्षों द्वारा सम्बद्ध सर्किल के अन्दर उसी स्थान पर/उसी स्थान पर दूसरे पद पर तबादला कर सकते हैं। फिर भी, यदि सर्किल अध्यक्ष चाहते हैं कि कुछ अधिकारियों को सेवाहित में सर्किल से बाहर शिफ्ट करना आवश्यक है तो वे उनके नामों के बारे में दूर संचार निदेशालय को अन्य सर्किल में उनके स्थानांतरण पर विचार हेतु सिफारिश कर सकते हैं।

महानगरीय एवं प्रमुख जिलों के समूह "क" तथा "ख" के अधिकारी जिनकी एक स्थान पर 10 वर्ष की सेवा हो गई हो, उन्हें टेलीफोन जिले से बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है वे अधिकारी जिनकी एक पद पर 4 वर्ष की सेवा हो गई, उन्हें उसी जिले में दूसरे पद पर शिफ्ट करना व्यवहार्य है। फिर भी यदि सर्किल अध्यक्ष चाहते हैं कि कुछ अधिकारियों को 10 वर्ष की अवधि से पूर्व सेवा के हित में सर्किल से बाहर तबादला करना जरूरी है तो उनके नामों के बारे में दूरसंचार निदेशालय को अन्य सर्किलों में उनके तबादले पर विचार करने के सम्बन्ध में सिफारिश कर सकते हैं।

राज्य विद्युत बोर्डों में घाटा

331. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों में (क) संप्रेषण (ख) चोरी और (ग) अन्य कारणों से कितना घाटा हुआ है;

(ख) उनकी वर्तमान वित्तीय स्थिति कैसी है और क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उनकी स्थिति सुधारने के लिए कोई सहायता दी गई है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार द्वारा इस बारे में कोई अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) देश में ऊर्जा की चोरी को शामिल करके पारेषण और वितरण हानियां 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान क्रमशः 20.88 प्रतिशत, 20.86 प्रतिशत और 21 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है।

(ख) विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति एवं 31 मार्च, 1984 तक के संचयी लाभ/हानियां संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं। राज्य बिजली बोर्डों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विभिन्न उपायों का सुझाव देती रही है, इनमें ये शामिल हैं :—

(1) ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना,

(2) पारेषण और वितरण हानियों को कम करना,

(3) निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करना,

(4) बिजली की टैरिफ को युक्तिसंगत बनाना,

(5) नियमितरूप से बिजली बनाने की प्रणाली और वसूली के द्वारा बकाया राशियों को कम करना।

वर्तमान 36 ताप विद्युत केन्द्रों के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम को क्रियान्वयन के लिए स्वीकृति दे दी गई है।

(ग) और (घ) वित्तीय कठिनाइयों, अतिरिक्त योजना निधियों के लिए आवंटन, नई परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृत करने आदि से सम्बन्धित मामलों के लिए राज्यों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते हैं और प्रत्येक मामले की गुण-दोषों के आधार पर जांच की जाती है।

विवरण

31 मार्च, 1984 तक के राज्य बिजली बोर्डों के संचयी लाभ/हानियां

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य बिजली बोर्ड	लाभ (+)/हानियां (—)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	+ 26.6
2.	बिहार	— 119.5
3.	गुजरात	— 28.4
4.	हरियाणा	— 238.6
5.	हिमाचल प्रदेश	— 70.7
6.	कर्नाटक	+ 113.1
7.	केरल	— 2.1
8.	मध्य प्रदेश	— 32.5
9.	महाराष्ट्र	— 29.4
10.	उड़ीसा	— 42.6
11.	पंजाब	— 89.5
12.	राजस्थान	— 88.2
13.	तमिलनाडु	+ 83.2
14.	उत्तर प्रदेश	— 607.2

1	2		3
15.	पश्चिम बंगाल	—	121.0
16.	असम	—	147.7**
17.	मेघालय	—	29.5*
संचयी	हानियां	—	1646.9
	लाभ	+	222.9
	निवल	—	1424.0

*अनुमानित

**बोर्ड से प्राप्त हुए अनन्तिम लेखों के आधार पर

[हिन्दी]

पूर्वी उत्तर प्रदेश में "उद्योग विहीन" जिलों के औद्योगिकीकरण के लिए की जा रही कार्यवाही

332. श्री उमाकान्त मिश्र : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी उत्तर प्रदेश में "उद्योग विहीन" जिलों के औद्योगिकीकरण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और उन "उद्योग विहीन" जिलों के नाम क्या हैं जिनके लिये उद्योग मंजूर किए गए हैं;

(ख) क्या जो तहसीलें और ब्लाक औद्योगिक रूप से पिछड़े हैं उन्हें भी शिवरामन समिति के आधार पर पिछड़ा घोषित किया जाएगा और वहां पर औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन दिया जायेगा; और

(ग) क्या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मिर्जापुर तहसील मुख्यालय में एक बड़ा उद्योग स्थापित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) क्षेत्रों का औद्योगीकरण मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि केन्द्रीय सरकार उद्यमियों को पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने हेतु केन्द्रीय प्रोत्साहन, रियायतें आदि प्रदान करके उनके प्रयत्नों को बढ़ाती है। उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय राजसहायता की निम्नलिखित राशि दी गई है :—

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
1982-83	1.38
1983-84	1.26
1984-85	3.20
1985-86 (अक्तूबर, 1985 तक)	8.18

पूर्वी उत्तर प्रदेश में—फतेहपुर, जौनपुर और सुलतानपुर जिलों को "उद्योग रहित जिलों" के रूप में निर्धारित किया गया है। 1982 से 1985 (सितम्बर तक) के वर्षों के दौरान, इन जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए निम्नलिखित आशय पत्र और औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं :—

जिलों के नाम	1982		1983		1984		1985	
	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1. फतेहपुर	4	—	4	—	2	3	3	1
2. जौनपुर	1	—	2	—	1	—	4	1
3. सुल्तानपुर	2	—	7	—	4	1	3	1

(ख) वर्तमान केन्द्रीय प्रोत्साहन योजना की समीक्षा और संशोधन करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीन समिति का गठन किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ शिवरामन समिति की सिफारिशों को भी ध्यान में रखेगी।

(ग) मिर्जापुर जिले में एल्युमीनियम धातु का निर्माण करने के लिए एक आवेदन विचाराधीन है।

[अनुवाद]

मोबाइल टेलीफोन, पेजिंग सर्विस और पैकेट स्विच्ड नेटवर्क आरम्भ करना

333. **डा० चिंता मोहन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मोबाइल टेलीफोन, पेजिंग सर्विस और पैकेट स्विच्ड नेटवर्क नामक तीन नई सेवाएं आरम्भ की हैं;

(ख) यदि हां, तो आरम्भ की गई इन सेवाओं और यूनिटों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये सेवायें देश में संतोषजनक टेलीफोन सेवा के परिप्रेक्ष्य में आरम्भ की गई हैं;

(घ) भारत में प्रति हजार व्यक्तियों पर कितने टेलीफोन हैं तथा इसकी तुलना में अमरीका/जापान में कितने हैं; और

(ङ) ये सेवाएं अमरीका/जापान में कब आरम्भ की गई थीं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दिल्ली में शीघ्र ही चल टेलीफोन तथा रेडियो पेजिंग सेवाएं प्रारम्भ की जा रही हैं। दिल्ली, बम्बई तथा मद्रास को जोड़ने वाला एक प्रायोगिक पैकेट स्विचशुदा डाटा नेटवर्क संस्थापनाधीन है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) ये सेवाएं देश में उपभोक्ताओं को आधुनिक दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से शुरू की जा रही हैं।

(घ) भारत में प्रति हजार जनसंख्या पर टेलीफोनों की संख्या (31-3-1985 को) 4.99 है, जबकि संयुक्त राज्य अमरीका तथा जापान में (ए० टी० एण्ड टी० द्वारा प्रकाशित डाटा के अन्तर्गत जनवरी, 1982 को) यह क्रमश: 787 तथा 510 है।

(ङ) यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

मोबाइल रेडियो टेलीफोन, रेडियो पेजिंग एवं पैकेट स्विच्ड डाटा नेटवर्क का ब्यौरा :

1. मोबाइल (चलता-फिरता) रेडियो टेलीफोन सेवा :

यह सेवा संघ क्षेत्र दिल्ली में उपलब्ध होगी और चलते-फिरते वाहनों से इस सेवा का उपयोग किया जा सकता है। ट्रांसमीटर रिसीवर वाहन में संस्थापित किया गया है और यह वाहन की बैटरी से काम करता है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायल कालों सहित सामान्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस टेलीफोन का किराया 2000/-रु० प्रति माह होगा। वाहन में संस्थापित ट्रांसमीटर रिसीवर के लिए 40,000 रुपये की प्रतिभूति जमा राशि ली जाएगी। सामान्य स्थानीय काल जिसकी अवधि प्रति काल 3 मिनट होगी, तथा एस० टी० डी० काल प्रभार वसूल किया जाएगा। प्रारम्भ में ऐसे टेलीफोन केवल सीमित संख्या में ही उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे।

2. रेडियो पेजिंग सेवा :

यह सेवा संघ क्षेत्र दिल्ली में उपलब्ध होगी। पेज्ड, उपभोक्ता को पेजिंग काल की सूचना देने के लिए उसके पेजर पर जो वह अपने साथ रखेगा ध्वनि संकेत दिया जाएगा। संदेश प्राप्त करने के लिए "पेज्ड" व्यक्ति द्वारा एक पूर्व-निर्धारित टेलीफोन नम्बर पर सम्पर्क करेगा। इस पेजर का किराया 300/-रु० प्रति माह होगा। इसके लिए 4000/-रु० की प्रतिभूति जमा राशि ली जाएगी। लगभग 400 उपभोक्ताओं द्वारा इस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है।

3. प्रायोगिक पैकेट स्विच्ड डाटा नेटवर्क :

दिल्ली, बम्बई और मद्रास को जोड़ते हुए पैकेट स्विच्ड डाटा संचार नेटवर्क इन शहरों के बीच डाटा संचारण के लिए कम्प्यूटर इंटर कनेक्शन प्रदान करेगा।

असंगठित क्षेत्र में कुटीर उद्योगों द्वारा सिले-सिलाये वस्त्रों का उत्पादन

334. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असंगठित क्षेत्र में सिले-सिलाये वस्त्रों का उत्पादन करने वाले ऐसे कुटीर उद्योगों एककों

की संख्या कितनी है, जो राज्य सरकारों के पास पंजीकृत नहीं हैं तथा प्रत्येक राज्य में इनमें कितने लोंगो के नियोजित होने का अनुमान है;

(ख) सरकार को नियोजित व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी देने के बारे में जांच पर्यवेक्षण ब्योरा क्या है; और

(ग) देश में सिले-सिलाये वस्त्र उद्योग के उत्पादन तथा उसके कार्यकरण के बारे में क्या मूल्यांकन है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) ऐसी जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

औषधियों से लाइसेंस समाप्त करना

335. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984 में 12 औषधियों को लाइसेंस मुक्त कर देने के बावजूद देश में औषधि उद्योग के विस्तार की दिशा में कोई सुधार नजर नहीं आया;

(ख) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान औषधि उत्पादन में लक्ष्य पूरा नहीं हुआ;

(ग) क्या वर्तमान मूल्य नीति इस गतिरोध के लिए उत्तरदायी है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) सरकार एक नई औषध नीति तैयार करने का विचार रखती है।

लघु सीमेंट संयंत्रों के लिये लाइसेंस जारी करना

337. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लघु सीमेंट संयंत्रों के लिए लाइसेंस जारी करने की नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे;

(ख) क्या एक उद्देश्य यह ही था कि इस प्रकार के संयंत्र सुदूर और पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किये जाएं;

(ग) अब तक जारी किये गए 70 लाइसेंसों में से पिछड़े क्षेत्रों के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(घ) कितने संयंत्रों में उत्पादन शुरू हो गया है और क्षमता का कितना उपयोग हो रहा है; और

(ङ) क्या आगे लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में पुनर्विचार किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) चूना पत्थर के छोटे भण्डारों का उपयोग करने, सीमेंट उत्पादन की क्षमता का देश भर में छितराव करने, रेल परिवहन पर दबाव कम करने, विशेष रूप से ग्रामीण, पहाड़ी और अन्य दूर-दराज क्षेत्रों में पूंजीगत लागतों को कम करने और शीघ्र मशीनें लगाने तथा अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने जनवरी, 1979 में मिनी सीमेंट संयंत्रों (200 मी० टन प्रति दिन अथवा 66000 मी० टन प्रति वर्ष तक सीमित क्षमता) की स्थापना के लिए नीति घोषित की थी।

(ख) हालांकि केन्द्रीय अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना सम्बन्धी प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाती है लेकिन यदि प्रस्ताव लागू नीति के अनुरूप हो तो अन्य क्षेत्रों में ऐसे संयंत्रों की स्थापना करने पर रोक नहीं है।

(ग) मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए अब तक जारी किए गये छत्तीस औद्योगिक लाइसेंसों में से छब्बीस लाइसेंस केन्द्रीय अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे संयंत्रों की स्थापना करने के लिए हैं।

(घ) 14.65 लाख मी० टन प्रति वर्ष की कुल क्षमता वाले तीस मिनी सीमेंट संयंत्रों (औद्योगिक लाइसेंस अथवा डी० जी० टी० डी० पंजीकरण धारी) ने उत्पादन होने या हाल ही में उत्पादन शुरू कर दिए जाने की सूचना दी है। इन अधिकांश संयंत्रों ने हाल ही में उत्पादन करना शुरू किया है इसलिए इनके उत्पादन में अभी तेजी नहीं आई है। जनवरी से जून, 1985 के दौरान मिनी सीमेंट संयंत्रों का कुल उत्पादन 2.93 लाख मी० टन था।

(ङ) जहां तक मिनी सीमेंट संयंत्रों का सम्बन्ध है फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है।

संयुक्त राज्य अमरीका के प्रौद्योगिकी का अन्तरण

338. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री की संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा के परिणामस्वरूप अमरीकी सरकार ने भारत को 65 नई प्रौद्योगिकी अन्तरण परियोजनाएं मंजूर की हैं;

(ख) क्या इन प्रौद्योगिकियों को चुनने में भारत सरकार के साथ परामर्श किया गया था; और

(ग) किन-किन प्रौद्योगिकियों को सरकार स्वीकार करने हेतु सहमत हुई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (ग) नवम्बर, 1984 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका प्रौद्योगिकी अन्तरण पर समझौते के ज्ञापन

के निष्कर्ष पर पहुंचे। मई, 1985 में दोनों सरकारों ने समझौते के ज्ञापन की कार्यान्वियन सम्बन्धी प्रक्रियाओं को अन्तिम रूप दे दिया। इन बातों के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने सरकार, सरकारी क्षेत्र, शैक्षिक और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कई संगणक प्रणालियों के लिए दिये गए क्रयादेशों के लिए निर्यात लाइसेंस जारी कर दिए हैं। दोनों सरकारें उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापार और सहयोग की इच्छुक हैं।

तकनोलोजी के स्रोतों का चयन करने की पहल करने का विकल्प भारतीय उद्यमियों के पास रहता है। वे तकनोलोजी के वैकल्पिक स्रोतों की खोज करते हैं, प्रस्तावित विदेशी सहयोग का तकनीकी-आर्थिक अध्ययन करते हैं और उस विदेशी सहयोगकर्ता को चुनते हैं जिसकी पेशकश उनसे सर्वाधिक मेल खाती हो।

घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई के कारण विद्युत केन्द्रों में असन्तोषजनक विद्युत उत्पादन

339. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ताप विद्युत जल विद्युत और डीजल विद्युत केन्द्रों की पृथक-पृथक संख्या और उनकी प्रतिष्ठापित क्षमता क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उनका वास्तविक विद्युत उत्पादन कितना था ;

(ख) क्या यह संयंत्र देश में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप बार-बार लोड शैडिंग आदि होती रहती है;

(ग) क्या यह असन्तोषजनक विद्युत उत्पादन घटिया किस्म के कोयले, जिसमें अपेक्षित स्तर तक क्लोरिफिक की मात्रा नहीं है, की सप्लाई के कारण है; और

(घ) यदि हां, तो अपेक्षित स्तर तथा क्लोरिफिक वाले अच्छे किस्म के कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। डीजल विद्युत केन्द्र और मिनी और माइक्रो जल विद्युत केन्द्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं, इनके कार्यनिष्पादन तथा अन्य ब्यौरे की केन्द्र द्वारा मानीटरिंग नहीं की जाती है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) कोयले की घटिया गुणवत्ता भी एक कारण है जिससे ताप विद्युत उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोयले की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) अपेक्षित गुणवत्ता और क्लोरीफिक वैल्यू वाले कोयले की सप्लाई के लिए बिजली बोर्डों और कोयला कम्पनियों से वाणिज्यिक समझौते करने के लिए अनुरोध किया गया है।

(2) समुचित आकार का कोयला सुनिश्चित करने के लिए कोयला खानों के पिट हैडों पर कोयला हैण्डलिंग संयंत्र प्रतिष्ठापित किए जा रहे हैं।

(3) सलेटी पत्थर, पत्थर तथा अन्य विजातीय सामग्री को श्रमिकों द्वारा अलग-अलग किया जा रहा है।

विवरण

विद्युत केन्द्रों की संख्या इनकी वर्षवार प्रतिष्ठापित क्षमता और 1982-83 से 1985-86 (अप्रैल-अक्तूबर) के दौरान वास्तविक विद्युत उत्पादन का ब्यौरा

वर्ष	किस्म	विद्युत केन्द्रों की संख्या	प्रतिष्ठापित/ह्रासित क्षमता (मेगावाट)	विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट)
1982-83	ताप विद्युत	62	20867.5	79686
	न्यूक्लीय	2	860	2824
	जल विद्युत	113	12710	48273
	जोड़ :	177	34,437.5	129983
1983-84	ताप विद्युत	66	23825.5	86535
	न्यूक्लीय	3	1095	3494
	जल विद्युत	119	13762.5	49867
	जोड़ :	188	38683	139896
1984-85	ताप विद्युत	70	26460	98770
	न्यूक्लीय	3	1095	4078
	जल विद्युत	122	14337.5	53785
	जोड़ :	195	41892.5	156633
1985-86	ताप विद्युत	70	27141	63042
(अप्रैल-अक्तू०)	न्यूक्लीय	3	1230	2779
	जल विद्युत	126	14571.5	30966
	जोड़ :	199	42942.5	96787

राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद की रिपोर्ट

340. श्री सी० माधव रेड्डी
श्री पी० आर० कुमारमंगलम
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री श्रीहरि राव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है;

(ख) उस रिपोर्ट की प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) क्या इस रिपोर्ट के अनुसार केवल 95 औषधियां ही मूल्य नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता सूची में शामिल की जाएंगी जबकि इसकी तुलना में औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 1979 के अन्तर्गत 360 औषधियां थीं; और

(घ) उपर्युक्त (ग) के सम्भावित प्रभावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ) राष्ट्रीय औषध एवं भेषज विकास परिषद की रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

सरकार ने नई औषध नीति पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

डाक व तार विभाग के विभागेतर कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट

341. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि डाक व तार विभाग के विभागेतर कर्मचारियों की सेवा शर्तों को अध्ययन करने के लिए पिछले सितम्बर में नियुक्त एक सदस्यीय आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) नवम्बर, 1984 में एक-सदस्यीय समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) और (ग) यह रिपोर्ट इसलिए प्रस्तुत नहीं की जा सकी क्योंकि समिति द्वारा भेजी गई प्रश्नावलियों के उत्तरों, जो कई हजार पृष्ठों में हैं, का विश्लेषण करने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके अलावा, यह समिति चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग से सम्बद्ध है, इसलिए भी अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत नहीं कर सकती।

डाक व तार विभाग के विभागेतर कर्मचारियों को बोनस

342. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि डाक व तार विभाग के विभागेतर कर्मचारियों को 52 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से बोनस दिया जा रहा है जबकि अन्य डाक कर्मचारियों को 25-28 दिन का बोनस दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों के साथ भेद-भाव बरतने के क्या करण हैं; और

(ग) विभागेतर कर्मचारियों को डाक व तार विभाग के अन्य कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अतिरिक्त विभागीय एजेंट, जब नियमित कर्मचारियों को बोनस का भुगतान किया जाता है तब उतने ही दिन के लिए तथा उसी फार्मूले के आधार पर बोनस की अनुग्रह राशि के भुगतान के पात्र होते हैं। इस प्रयोजनार्थ उनकी औसत परिलब्धियां 75 रुपये मानी जाती है।

(ख) और (ग) चूंकि वे केवल अंशकालिक कर्मचारी हैं, इसलिए बोनस के भुगतान की दृष्टि से उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान नहीं माना जा सकता।

[हिन्दी]

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज

343. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी
श्री राम स्वरूप राम } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तेल तथा प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता लगाने के लिए तेल खोज कार्य करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजना की रूप-रेखा क्या है तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम पर सरकार द्वारा कितना व्यय किये जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) सातवीं योजना के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का अनुमोदित परिव्यय 8752.67 करोड़ रुपये तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड का अनुमोदित परिव्यय 950 करोड़ रुपये था।

[अनुवाद]

गैस एजेन्सियों द्वारा ग्राहकों (उपभोक्ताओं) को निर्धारित समय में गैस सिलेण्डर पहुंचाना

344. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैस एजेन्सियों को निर्दिष्ट दिनों के भीतर-भीतर सिलेण्डर पहुंचाने के लिए निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एजेन्सियां इन निदेशों का पालन कर रही हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं/किये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) तेल कम्पनियों ने एल० पी० जी० वितरकों को उपभोक्ताओं से निवेदन प्राप्त होने के 48 घण्टों के अन्दर रिफिलों की सप्लाई करने के निर्देश तेल कम्पनियों द्वारा दिये हैं। हालांकि सामान्यतः ऐसा ही होता है, परन्तु कभी-कभी कुछ क्षेत्रों में बॉटलिंग, औद्योगिक सम्बन्धों, परिवहन आदि की समस्याओ के कारण सप्लाई में देरी हो जाती है। तेल कम्पनियां सप्लाई को सामान्य बनाने के लिए इन समस्याओं को शीघ्रातिशीघ्र सुलझाने का प्रयत्न करती हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान नये स्थानों पर सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा

346. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नये स्थानों पर सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा प्रदान करने का विचार कर रही है;

(ख) इस सम्बन्ध में योजना में किये गये प्रावधानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1985-86 में किन-किन स्थान पर सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा दी जायेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) 1-4-84 तक जिन जिला मुख्यालयों में अभी एस० टी० डी० प्रदान नहीं की गई है तथा 1,000 लाइनों से अधिक क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंजों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) (i) 1985-86 के दौरान अभी तक निम्नलिखित स्थानों में पहले ही एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जा चुकी।

1.	अमरेली	6.	कुरनूल
2.	धुनरी	7.	कारूर
3.	डिब्रूगढ़	8.	मुवात्तुपुझा
4.	गुलबर्गा	9.	मोरवी
5.	कोठामंगलम	10.	पैरंबवूर

(ii) 1985-86 की शेष अवधि के दौरान निम्नलिखित अतरिक्त स्थानों को एस० टी० डी० के साथ जोड़ने की सम्भावना है :—

1.	आरकोणम
2.	भिलाई
3.	चांगनाचेरी
4.	चन्द्रपुर
5.	डाल्टनगंज
6.	गांधीधाम
7.	गया
8.	होस्पैट
9.	हजारीबाग
10.	जोवई
11.	कोठागुडम
12.	कांगायाम
13.	कुम्भाकोणम
14.	लिंगमपल्ली
15.	महाबलिपुरम
16.	पठानकोट
17.	रामेश्वरम्
18.	रत्नागिरि
19.	तानुकू
20.	त्रिरूवन्नामलई

एल० पी० जी० सिलैण्डर निर्माण एककों को सहायता देने का प्रस्ताव

347. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री वी० शोमनाद्रीश्वर राव } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लगभग 66 एल० पी० जी० सिलैण्डर एकक बहुत अधिक निराशाजनक हालत में हैं और बहुत से एल० पी० जी० एककों में विविधीकरण की बहुत ही कम संभावना है तथा उनका भविष्य अंधकारमय है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय निर्माता एककों से एल० पी० जी० सिलेण्डर खरीद कर इस उद्योग की सहायता करने का है ताकि उन्हें बचाया जा सके; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) चूंकि देश में सिलिंडरों के निर्माण की स्थापित क्षमता तेल उद्योग की आवश्यकता से अधिक है अतः निर्माता इकाइयां अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रही हैं। सिलिंडर निर्माताओं को स्थिति से अवगत करा दिया गया है : तथा इनमें से कुछ निर्माताओं द्वारा उत्पादन की मदों में विविधता लाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) तेल उद्योग ने 1985-86 में सिलिंडरों की आवश्यकता के सम्बन्ध में देश के सिलिंडर निर्माताओं को आर्डर दिये हैं।

न्यू बाम्बे हाई तट-दूर क्षेत्र में तेल का पाया जाना

348. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री मणिक रेड्डी
श्री महेन्द्र सिंह } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 सितम्बर, 1985 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें बताया गया है कि अरब सागर में "न्यू बाम्बे हाई" तट-दूर क्षेत्र में खोदे गये कुएं में तेल प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कुएं से कितनी तेल की मात्रा प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(घ) यह किस अवधि तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) अरब सागर में बम्बई से 170 कि० मी० पश्चिम में डी-18 स्ट्रक्चर में खोदे गए कुएं से गैस तथा तेल उत्पादित हुआ। 14 मई, 1985 को कुएं की खुदाई आरम्भ हुई तथा 16-8-1985 तक इसे 4106 मीटर की गहराई तक खोदा गया।

इससे जांच के दौरान प्रतिदिन 3398 बैरल तेल तथा 20082 घन मीटर गैस का उत्पादन हुआ। इस कुएं से प्राप्त परिणाम तथा पहले से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, इस प्राप्ति को और आगे चित्रित करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

घाटे में चल रहे सार्वजनिक उद्योगों को बन्द करना

349. **श्री सरफराज अहमद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार घाटे में चल रहे सार्वजनिक उद्योगों को बन्द करने का है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों के नाम क्या हैं और प्रत्येक उद्योग को कितना घाटा हो रहा है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणालचम) : (क) सरकारी क्षेत्र के घाटे में चल रहे उद्योगों को बन्द करने का ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न (क) के उत्तर को देखते हुए भाग (ख) का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

[अनुवाद]

मुख्य न्यायमूर्तियों, मुख्य मंत्रियों तथा विधि मंत्रियों के सम्मेलन में किये गये निर्णय

350. **श्री आनन्द सिंह**
श्री के० राममूर्ति
श्री के० कुन्जम्बु
श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल
श्री मूल चन्द डागा
: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसाधारण को शीघ्र न्याय दिलाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए मुख्य न्यायमूर्तियों, राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा विधि मंत्रियों का नई दिल्ली में 31 अगस्त तथा 1 सितम्बर, 1985 को दो-दिवसीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उस दिशा में उक्त सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन में पारित संकल्प संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सम्मेलन में पारित संकल्पों की, जहां आवश्यक है राज्य सरकारों के परामर्श से समीक्षा की जा रही है।

विवरण

31 अगस्त और 1 सितम्बर, 1985 को नई दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्य न्यायमूर्तियों, मुख्य मंत्रियों और विधि मंत्रियों तथा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, संघ के विधि मंत्री और संघ के विधि राज्य मंत्री के सम्मेलन में अनुमोदित संकल्प

सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह संकल्प पारित किया गया कि सभी न्यायालयों में बकाया मामलों को अतिशीघ्र निपटाया जाए और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालयों और केन्द्रीय सरकार को सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

इस सम्बन्ध में उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सम्मेलन की आम सहमति निम्नलिखित है :—

(1) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नागरिकों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो जाने, सभी स्तरों पर नागरिकों के जीवन से सम्बन्धित विभिन्न विधियों के अधिनियमन, नए अधिकारों और बाध्यताओं के सृजन, देश में औद्योगिक विकास, व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि तथा सामाजार्थिक विधायी और प्रशासनिक—उपायों के क्रियान्वयन के कारण मुकदमों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई है तथा इस संख्या में आगे और वृद्धि होने की सम्भावना है, यह आवश्यक है कि मुकदमों की बढ़ती हुई संख्या के निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य के लिए न्यायालयों की पर्याप्त संख्या का, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, निर्धारण किया जाए :—

(i) कुल लम्बित मामले और पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्थित और निपटाए गए मामलों की औसत संख्या;

(ii) न्यायिक तंत्र के सभी स्तरों पर सभी न्यायिक अधिकारियों के लिए मामलों के निपटारे की बाबत निश्चित मानदण्ड; और

(iii) ऐसी समय-सीमा की बाबत स्वीकृत मानदण्ड, जिसके भीतर विभिन्न वर्गों के मामलों का निपटाया जाना आवश्यक है।

(2) राज्य सरकारों को पैरा (1) में किये गये निर्धारण के अनुसार न्यायालयों और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना।

(3) अधीनस्थ न्यायिक सेवा में सभी स्तरों के दर न्यायिक अधिकारियों के पदो में होने वाली रिक्तियों को अविलम्ब और किसी भी दशा में, ऐसी रिक्ति के होने के तीन मास के भीतर भरना।

(4) जब सभी अधीनस्थ न्यायिक सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यार्थियों के चयन के लिए किसी राज्य के लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया जाता है तब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नाम निर्दिष्ट एक कार्यरत न्यायाधीश को विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया जाए और, उसके द्वारा दी गई सलाह को प्रायः स्वीकार किया जाए।

(5) न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी संस्थान या अकादमी की स्थापना की जाए जिसके अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हों। संस्थान या अकादमी के कार्य का पर्यवेक्षण भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से गठित एक शासी-निकाय के अधीन हो। मुख्य न्यायमूर्ति ही इस शासी-निकाय का अध्यक्ष हो। शासी-निकाय इस प्रश्न का अवधारण करेगा कि प्रशिक्षण के लिए संस्थान या अकादमी की शाखाओं की किस प्रकार और कहां-कहां स्थापना की जाए।

(6) उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को अविलम्ब और विहित प्रक्रिया को अपनाते हुए, भरा जाना चाहिए तथा पद रिक्त होने से पूर्व ही, परामर्श सम्बन्धी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

(7) मामलों को शीघ्र निपटाने की दृष्टि से सिविल और दण्ड प्रक्रिया संहिताओं के उपबंधों के पुनरीक्षण की आवश्यकता है। इन विषयों के बारे में भारत सरकार द्वारा गठित किये जाने वाले न्यायिक सुधार आयोग को सलाह देने के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और केन्द्रीय विधि मन्त्री, मुख्य मन्त्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों में से एक कार्यकारी ग्रुप का गठन करेंगे।

(8) न्यायालयों के कार्यभार के विभाजन के लिये विवाद सुलझाने वाले वैकल्पिक तंत्र की स्थापना की और ऐसे विवाद सुलझाने वाले तंत्र को न्यायनिर्णयन के लिए सौंपे गए कार्यभार के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने की, आवश्यकता है। ऐसे विवाद सुलझाने वाले तंत्र में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित भी हो सकेंगे :—

(क) पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों के सिवाय, जिनमें प्रधानतः जनजाति के लोग रहते हैं, और जहां विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए ग्राम परिषदों या जनजाति परिषदों जैसे कोई रूढ़िजन्य तंत्र हैं तथा जहां इन विद्यमान तंत्रों के प्रतिस्थापन की बजाए उनके सुगठन की आवश्यकता है, यह वांछनीय है कि ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चल न्यायालयों की स्थापना की जाए।

ऐसे चल न्यायालयों की प्रारूप स्कीम, जिसे संयुक्त सम्मेलन में भाग लेने वालों में पहले ही परिचालित कर दिया गया है और जिसे भाग लेने वालों द्वारा सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया है, ऐसे चल न्यायालयों के स्थापित

किए जाने के लिए संसद द्वारा पारित किए जाने के लिए समुचित विधान का आधार होगी।

(ख) राज्य सरकारें, प्रारूप स्कीम के बारे में अपने विचार और टिप्पणियां आज से एक मास के भीतर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और केन्द्रीय विधि मन्त्री को प्रस्तुत कर देंगी और इन विचारों और टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात्, अगले संयुक्त सम्मेलन में समुचित विधान के बारे में सहमति हो जाएगी।

(९) गुजरात राज्य विधिक सहायता बोर्ड की स्कीम के अनुसार, जिसे विधि मंत्रालय के कार्यवृत्त टिप्पणों में उपबन्ध 12 के रूप में परिचालित किया गया है, लोक अदालत संस्था, पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों को छोड़कर, जहां परिस्थितियां भिन्न हैं, राज्यों में स्थापित की जानी चाहिए। इस संस्था को कानूनी आधार पर रखना आवश्यक है और आम सहमति यह है कि इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा विधि में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए जिसे संसद द्वारा पारित किए जाने का प्रस्ताव है। वे मामले जो न्यायालयों में लम्बित हैं, समझौता करने के प्रयोजन के लिए लोक अदालत को निर्देशित किए जा सकते हैं।

यह वांछनीय है कि राज्य सेवा अधिकरण, राज्यों और राज्य पब्लिक सेक्टर निगमों के कर्मचारियों से सम्बन्धित सेवा के मामलों के बारे में अपील न्यायपीठों के साथ स्थापित किये जाने चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकार को इस बाबत आवश्यक उपाय करने चाहिए।

(10) राज्य सरकारों को चाहिए कि वे उच्च न्यायालयों के परामर्श से, मोटर यान अधिनियम के अधीन अपराधों और अन्य छोटे-मोटे ऐसे अपराधों के, जो कारावास या 1,000 रुपये से अधिक के जुर्माने के न हों, निपटाने के प्रयोजन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 13 और 18 के अधीन विशेष मजिस्ट्रेटों की नियुक्तियां करें।

(11) बार के अग्रणी सदस्यों को, जैसा आवश्यक समझा जाए, दो वर्ष से अनधिक की अस्थायी अवधि के लिए उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।

(12) देश में विभिन्न स्तरों पर, जहां तक सम्भव हो, न्यायालय भवनों का/के मानक पैटर्न होना/होने चाहिए। पैटर्न अवधारित करने के लिए रूपरेखा आगामी संयुक्त सम्मेलन में रखी जाएगी। राज्य सरकारों को चाहिए कि वे अपने-अपने राज्यों के लिए न्यायालय भवनों और न्यायिक अधिकारियों के लिए पास सुविधा की अपेक्षाओं को निर्धारित करें और इस बाबत कार्रवाई के लिए समयबद्ध योजना बनाएं। उक्त कार्रवाई की ऐसी योजना में केन्द्रीय सरकार के भाग के बारे में आगामी संयुक्त सम्मेलन में विचार-विमर्श किया जाएगा।

(13) इस बात पर सहमति हो गई कि उच्च न्यायालय में टेलेक्स सेवा की व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य सरकारों को भी चाहिए कि वे प्रत्येक जिला न्यायालय के लिए चरण-बद्ध कार्यक्रम के अनुसार टेलेक्स प्रसुविधाओं की व्यवस्था करें। प्रत्येक उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में भी आधुनिक इलेक्ट्रानिक और इलेक्ट्रिकल साधित्र, जैसे फोटोकापी मशीन का प्रदाय चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार किया जाना चाहिए। जहां किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 20 से अधिक है, वहां उच्च न्यायालय को वर्ड प्रासेसरों का प्रदाय किया जाएगा और जहां संख्या 20 से कम है, वहां दो वर्ड प्रासेसरों का प्रदाय किया जाएगा।

(14) सम्मेलन में इस बात पर सहमति थी कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और परिलब्धियां और सेवा की शर्तों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है और केन्द्रीय सरकार और जम्मू-कश्मीर सरकार मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा प्रस्तावित और संयुक्त सम्मेलन में चर्चित रूपरेखा के आधार पर आवश्यक विधान लाएगी।

(15) सम्मेलन का यह भी विचार था कि सभी स्तरों पर अधीनस्थ न्यायपालिका के वेतन और परिलब्धियां और उनकी सेवा शर्तों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है, तथा उनकी पदावधि के दौरान और उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् आवासीय वास-सुविधा और स्टाफ कारों की व्यवस्था के तथा परिवहन के अन्य साधनों के बारे में भी पर्याप्त सुधार लाने तथा पुनरीक्षण की आवश्यकता है। मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन द्वारा किए गए प्रस्तावों पर विचार किया गया और उन पर अपनी-अपनी राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा और इस बाबत उनकी विनिश्चय आगामी सम्मेलन से पूर्व केन्द्रीय सरकार को सूचित किया जाएगा।

(16) सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह संकल्प किया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिनियम को यथासम्भव शीघ्र पारित किया जाना चाहिए जिससे कि साधारण व्यक्तियों, जरूरतमंदों और वंचित व्यक्तियों के लिए विधिक सहायता वस्तुतः उपलब्ध हो जाए।

(17) ऊपर उल्लिखित आम सहमति को सम्मेलन में सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

कैलीको इण्डस्ट्रीज, बम्बई में क्लोरीन गैस का रिसाव

351. **श्री आनन्द सिंह**
प्रो० के० वी० थामस } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 अगस्त, 1985 को कैलिको इंडस्ट्रीज चेंबूर, बम्बई में क्लोरीन गैस रिसाव की एक बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और एक संसद सदस्य सहित लगभग 150 व्यक्ति घायल हुए तथा गम्भीर वायु प्रदूषण के कारण उनका अस्पताल में इलाज किया गया;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या करण हैं;

(ग) क्या उक्त फैक्ट्री में इस प्रकार की दुर्घटनाएं रोकने हेतु सुरक्षा उपायों सम्बन्धी कोई जांच पड़ताल की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार मै० आई० एल० ए० सी० के चैम्बूर स्थित भण्डारण टैंक से क्लोरीन गैस के रिसाव के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तथा 139 व्यक्तियों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किया गया जहां से उन्हें आवश्यक चिकित्सा के पश्चात छुट्टी दे दी गई। दुर्घटना प्रभावित क्लोरीन भण्डारण टैंक के ऊपर स्थित फ्लेंज के गास्केट के बन्द हो जाने के कारण हुई। दुर्घटना के तुरन्त पश्चात राज्य सरकार ने टैंकों में भण्डार की गई क्लोरीन के सुरक्षित निस्तारण हेतु कार्यवाही करने के लिए राज्य श्रम सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसमें भाभा एटोमिक अनुसंधान केन्द्र, चीफ इन्स्पेक्टोरेट आफ फैक्टरीज महाराष्ट्र प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा बम्बई म्यूनिसिपल निगम के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। क्लोरीन राज्य के निस्तारण सम्बन्धी समस्त राज्य सरकार द्वारा गठित की गई उक्त समिति के निर्देशन में ही किया गया है। और विवरण सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना के निर्माण में देरी

352. **श्री आनन्द सिंह**
श्री मोहम्मद महफूज अली खां } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिहन्द सुपर विद्युत परियोजना के निर्माण में अत्यधिक विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या जैसा कि 5 सितम्बर 1985 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित हुआ है। ब्रिटेन सरकार की एजेंसी, ब्रिटिश इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेशनल ने नार्दर्न इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, जो उद्योगों में उत्पादन आरम्भ करने तक के ब्रिटिश "टर्न-की" ठेकेदार हैं और जिन्हें "टर्न-की" आधार पर कार्यान्वियन के लिए 1200 करोड़ रुपए की परियोजना दी गई है, को परियोजना प्रबन्ध क्षमताओं के बारे में "अत्याधिक सन्देह" व्यक्त किया है; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) 1982 में सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना, चरण-1 की पहली यूनिट को जून, 1987 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है। परियोजना की प्रगति की सरकारी स्तर पर जुलाई, 1985 में विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई थी और रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-I के लिए राष्ट्रीय ता० वि० निगम के परामर्शदाता मैसर्स ब्रिटिश इलेक्ट्रीसिटी इंटरनेशनल से परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में पूर्वानुमान लगाने के लिए कहा गया था। अगस्त, 1985 में मैसर्स

ब्रिटिश इलेक्ट्रीसिटी इंटरनेशनल द्वारा लगाये गए पूर्वानुमान के अनुसार पहली यूनिट को चालू करने की सर्वाधिक निष्पादन योग्य तारीख अप्रैल, 1988 है।

(ख) मैसर्स बी० ई० आई० ने अन्य बातों के साथ-साथ संगठन को और नार्दर्न इंजीनियरिंग उद्योग (एन० ई० आई०) के ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए सुझाव दिए हैं, जो कि परियोजना प्रबंध, गुणवत्ता नियंत्रण आदि के क्षेत्र में, उपस्करों की सप्लाई करने और लगाने के लिए मुख्य ठेकेदार हैं।

(ग) मैसर्स ब्रिटिश इलेक्ट्रीसिटी इंटरनेशनल द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर अनेक अनिर्णीत मामलों को हल करने के लिए अगस्त और सितम्बर, 1985 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और नार्दर्न इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के बीच समीक्षा बैठकें हुई थीं। भारत सरकार और यू० के० द्वारा रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना, चरण 1 की प्रगति की समुचित मानीटरिंग की जा रही है जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि मैसर्स ब्रिटिश इलेक्ट्रीसिटी इंटरनेशनल अपने परियोजना संगठन में आवश्यक सुधार करे तथा परियोजना के क्रियान्वयन में और आगे विलम्ब न हो।

अमोरफस सिलिकन सोलर सैलों के निर्माण के लिए प्रायोगिक संयंत्र

353. **श्री आनन्द सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपरम्परागत ऊर्जा साधनों सम्बन्धी विभाग ने देश में अमोरफस सिलिकन सोलर सैलों के निर्माण के लिए एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और परियोजना की लागत क्या है; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) एक 500 किलोवाट के अव्यवस्थित (अमोरफस) सिलिकन सौर सैल के प्रायोगिक संयंत्र को विदेश मुद्रा वाले 4.5 करोड़ रुपये के संघटकों सहित कुल लागत लगभग 7.25 करोड़ रुपये है। इस प्रकार के संयंत्र की स्थापना के लिए एक प्रारम्भिक परियोजना का दस्तावेज तैयार किया गया है और उसको सम्बन्धित विभागों में परिचालित कर दिया गया है। योजना आयोग ने इस परियोजना को एक प्रौद्योगिकी मिशन के रूप में स्वीकार कर लिया है तथा इसको उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। विशेष उपकरण की पूर्ति के लिए विभाग ने भी विश्वव्यापी नोटिस जारी कर दिया है और इस हेतु प्रस्ताव भी प्राप्त किये हैं, जिनका अध्ययन किया जा रहा है। इन प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के पश्चात् और सभी सम्बन्धित कारणों को दृष्टि में रखते हुए संयंत्र के वास्तविक आकार और उसकी निर्णायक लागत निर्धारण के परिणाम का पता चलेगा।

बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड की निवेश योजना

354. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड, जो कि एक सरकारी क्षेत्र की इंजीनियरी कम्पनी है, ने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए आफ शोर प्लेटफार्मों के निर्माण हेतु अपनी निवेश योजना के लिए सरकार की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी की निवेश योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कम्पनी की तत्काल वित्तीय आवश्यकताएं क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (घ) सरकार ने अप्रैल, 1985 में 8.44 करोड़ रुपये की कुल लागत से बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड को पश्चिम बंगाल के जिला मिदनापुर के जेलिंगहम में समुद्र तट से दूर के प्लेटफार्मों तथा सम्बद्ध उपकरणों के निर्माण में विविधीकरण करने के लिए निवेश योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कम्पनी का विचार 36 34 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 7,000 एम० टी० से 28,000 एम० टी० प्रति वर्ष की क्षमता में फैब्रीकेशन यार्ड का विस्तार करने का भी है। कम्पनी अभी प्रस्ताव तैयार कर रही है।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 का प्रवर्तन

355. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय विधिज्ञ परिषद से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 को शीघ्र प्रवृत्त करने के लिए कोई अभ्यावेदन/अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 को अभी तक प्रवृत्त नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) भारतीय विधिज्ञ परिषद ने तारीख 5-10-1985 के अपने पत्र में, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 को प्रवृत्त किये जाने की बाबत अपने पूर्व अनुरोध को दोहराया है।

(ग) और (घ) अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 को अभी तक प्रवृत्त नहीं किया गया है क्योकि उसके उपबन्धों के बारे में समाज के विभिन्न वर्गों ने भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किये हैं।

तेल उत्पादों के लिए डीलरों की नियुक्ति का मानदंड

356. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान तेल उत्पादों की डीलरशिप के लिए बकाया लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) तेल उत्पादों, विशेषतः तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल० पी० जी०) के डीलरों के चयन हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या हैं; और

(घ) वास्तविक शिक्षित बेरोजगार युवाओं को डीलरों के रूप में नियुक्त करने और/अथवा "बेनामी" डीलरों की नियुक्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) अन्तिम रूप से निर्णय लिए जाने वाले लम्बित मामलों का प्रतिशत 1-4-82 के 47% के मुकाबले 1-10-1985 को 43% था। लम्बित आवेदन पत्रों के राज्यवार आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) विपणन करने वाली तेल कम्पनियों सम्बन्धित तेल चयन बोर्डों की सिफारिशों के आधार पर (खुदरा बिक्री केन्द्र/एस० के० ओ०-एल० डी० ओ०) डीलरों/एल० पी० जी० वितरकों को नियुक्त करती हैं। पात्र प्रत्याशियों में से चयन करते समय तेल चयन बोर्ड निम्नलिखित घटक तत्त्वों को ध्यान में रखते हैं :—

(i) व्यक्तित्व

(ii) व्यापारिक योग्यता/बिक्रीकारिता

(iii) वित्त जुटाने की क्षमता/सुविधाएं प्रदान करने का सामर्थ्य

(iv) डीलर के रूप में पूर्णकालिक कार्य करने के लिए तैयार रहने की इच्छा

(v) सामान्य मूल्यांकन/पाठ्येतर कार्यकलाप

(घ) डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान करने के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत बेरोजगार स्नातकों (बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों सहित) के लिए 25% का पृथक् आरक्षण नियत है। सामाजिक उद्देश्य श्रेणी से सम्बन्धित "आशय पत्रों" के धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास भारतीय रिजर्व बैंक की एक योजना कार्यशील है।

रुग्ण एककों का अधिग्रहण

357. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि किसी एक एकक के रुग्ण तथा अधिग्रहण योग्य होने की स्थिति में उस सम्पूर्ण ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया जाए, जिससे वह एकक संबंधित है;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

अप्रैल-मई 1985 के दौरान अब-संरचनात्मक उद्योगों के उत्पादन में कमी

358. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद की इस आशय की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि अब-संरचनात्मक उद्योगों का कार्य-निष्पादन इस वर्ष अप्रैल-मई 1985 में केवल 4.35 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष यह उत्पादन 9.38 प्रतिशत था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद के अनुसार अवस्थापना सम्बन्धी उद्योगों, जिनमें बिजली, कोयला, बिक्री योग्य इस्पात, सीमेंट, कच्चा पेट्रोलियम और पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद शामिल हैं, के विकास की भारितदर अप्रैल-मई, 1984 की अपेक्षा अप्रैल-मई, 1985 में 4.35 प्रतिशत थी जबकि विकास की औसत दर 1983-84 की अपेक्षा 1984-85 में 9.35 प्रतिशत थी। अप्रैल-मई, 1985 केदौरान कम विकास का कारण कोयले के उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि तथा बिजली के उत्पादन में विकास की निम्न/कम दर होना है। तथापि अवस्थापना सम्बन्धी उद्योगों के, कार्य निष्पादन में चूंकिवृद्धि हुई है, इसलिए अप्रैल-अक्तूबर, 1985 की अवधि के दौरान विकास दर 7.7 प्रतिशत हो गई है।

जोखिमपूर्ण उद्योगों पर निगरानी रखना

359. **डा० गौरी शंकर राजहंस**
श्री श्री० श्रीनिवास प्रसाद
श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अक्तूबर, 1985 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "मूव टू मानिटर हजारड्स इण्डस्ट्रीज" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में जोखिमपूर्ण उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का देश में जोखिमपूर्ण उद्योग पर किस प्रकार निगरानी रखने का विचार है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग राज्य मंत्री में (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) जी, हां, खतरनाक प्रक्रिया पर आधारित रसायन, पेट्रो-रसायन और भेषज एककों में खतरे को नियंत्रित करने के लिये अपेक्षित उपायों के बारे में विचार करने और उसकी समीक्षा करने के लिये एक अन्तर-मंत्रालय दल गठित किया गया है इसमें एसिड जलकालीज/पेसटिसाइड्ज/बेसिक ड्रग्स/पेट्रोकैमिकल्स आदि का निर्माण करने वाले एकक शामिल होंगे।

दल ने सुझाव दिया है कि खतरे को नियंत्रित करने के लिये अपेक्षित उपायों का सुझाव देने हेतु चुनींदा एककों का सर्वेक्षण करने और उनका निरीक्षण करने के लिये छः विशेषज्ञ दल गठित किये जायें। इन निरीक्षणों के आधार पर राज्य बहु-उद्देश्य निरिक्षण अभीकरण की सहायता के लिये सुरक्षा मदों का एक विस्तृत निरीक्षण सूची तैयार की जायेगी ताकि ऐसे एककों के निरीक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जाये। इस निरीक्षण सूची की समय-समय पर पुनरीक्षा की जायेगी।

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा गैस का उपयोग न किया जाना

360. **डा० जी० विजय रामाराव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन ने कहा है कि बाजार की, 'गैर-तत्परता'' की स्थिति को सुधारने के लिए, जिसके कारण उत्पादित गैस के 80 प्रतिशत अंश को जलाया जा रहा है, प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा आयल इंडिया लिमिटेड को असंतोषजनक योजना के कारण है जबकि देश भर में उपभोक्ताओं की गैस की भारी मांग पूरी नहीं हो रही है;

(ग) क्या पिछले अनेक वर्षों से घरेलू उपयोग में आने वाली गैस, जिसका वर्तमान मूल्य द करोड़ रुपये से भी अधिक है, जला कर नष्ट की जा रही है और कुल हानि 3000 करोड़ रुपये से अधिक की हो चुकी है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने तथा इसकी जिम्मेदारी निर्धारित करने और दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए संसद सदस्यों को एक समिति गठित करने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) अब आयल इंडिया लिमिटेड के असम क्षेत्रों में उत्पादित करीब 40% गैस को जला दिया जाता है। अध्यक्ष, आयल इंडिया लिमिटेड ने बताया था कि उस बाजार द्वारा जिन्हें गैस देने की वचनबद्धता की गई है, उठान न किये जाने के कारण इस गैस के करीब 80% अंश को जला दिया जाता है (न कि उत्पादित गैस के 80% को)।

(ख) जी नहीं। अपर्याप्त कम्प्रेशन सुविधाओं के कारण और सुरक्षात्मक कारणों से गैस की कुछ मात्रा को जलाया जाता है। अतिरिक्त कम्प्रेसरों की स्थापना होने और उपभोक्ताओं को और

अधिक गैस की सप्लाई किये जाने पर इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक स्थिति में सुधार आने की सम्भावना है।

(ग) 100/-रुपये प्रति 1000 घन मीटर की सांकेतिक दर पर आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 1980-81 से 1984-85 के पांच वर्षों के दौरान जलाई गई संबद्ध गैस की कीमत करीब 28.53 करोड़ रुपये है।

(घ) जी नहीं। आगामी वर्षों में नये उपभोक्ताओं को गैस की सप्लाई दिये जाने का प्रस्ताव है जिससे गैस के प्रज्वलन को काफी कम किये जाने की संभावना है।

1985-86 के दौरान बहु-सुलभ ग्रामीण रेडियो प्रणाली के अधीन सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का प्रावधान

361. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985-86 की वार्षिक योजना में बहु-सुलभ ग्रामीण रेडियो प्रणाली के अधीन सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं; और

(घ) वार्षिक योजना की स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए शेष बची केवल 5 महीने कीअवधि को ध्यान में रखते हुए उक्त ब्यौरों को कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित जानकारी तत्सम्बन्धी ब्यौरे सहित (राज्यवार) संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1985-86 के दौरान मल्टीएक्सेस ग्रामीण रेडियो प्रणाली के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों का ब्यौरा

राज्य का नाम	बेस स्टेशन का नाम	वर्ष 1985-86 के दौरान स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1. निजामाबाद	5
	2. आरमूर	21

1	2	3
गुजरात	1. गोधरा	24
	2. सिंगापुर	23
मध्य प्रदेश	1. भिण्ड	18
महाराष्ट्र	1. धूलिया	6
	2. बेतवाड़	4
	3. जुनवाने	6
मणिपुर	1. इम्फाल	15
त्रिपुरा	1. अगरतला	15
हरियाणा	1. कैथल	23
	2. कुरुक्षेत्र	6
उत्तर प्रदेश	1. मिर्जापुर	5
	2. बान्दा	8
	3. अट्टारा	24
	योग :	203

[हिन्दी]

चुनाव सुधार संबंधी सिफारिशों का क्रियान्वयन

362. श्री सी० जंगा रेड्डी
डा० ए० के० पटेल
श्री विजय कुमार यादव } : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मई, 1985 में संसद में प्रस्तुत की गई निर्वाचन आयोग की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों (चुनाव सुधारों के बारे में) पर विचार किया है और यदि हां, तो प्रत्येक सिफारिश पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) सरकार का विचार चुनाव सुधारों को कब तक क्रियान्वित करने का है; और

(ग) इन सुधारों को किस प्रकार क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) निर्वाचन सुधारों के विषय में निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गये प्रस्तावों की जिनमें द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट में दिये गये प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं, मंत्रालय में अभी समीक्षा की जा रही है। यद्यपि सरकार का यही प्रयत्न रहा है कि निर्वाचन सुधार संबंधी प्रस्तावों को यथासंभव शीघ्र लागू किया जाए, तथापि ऐसी कोई निश्चित अवधि बताना संभव नहीं है जिसमें यह कार्य सम्पन्न हो जाएगा क्योंकि इन प्रस्तावों पर न केवल सावधानीपूर्वक विचार किया जाना है बल्कि राजनैतिक दलों, आदि से विचार-विमर्श करना भी आवश्यक है।

[अनुवाद]

विदेशी कम्पनियों द्वारा तेल का पता लगाने के लिए भारतीय शिष्टमण्डल का विदेशी दौरा

363. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 महीने पहले एक उच्च-शक्ति प्राप्त भारतीय शिष्टमंडल भारत में समुद्र तटवर्ती और तट-दूर क्षेत्रों में तेल की सम्भावनाओं का पता लगाने हेतु प्रमुख तेल तथा तेल का पता लगाने वाली कम्पनियों से बातचीत करने तथा इस कार्य के लिए उन्हें राजी करने के लिए विदेश गया था और वह इस बारे में कोई सहमत नहीं हुआ;

(ख) भारत में तेल की खोज करने की भावी योजनाएं और सम्भावनाएं क्या हैं; और

(ग) क्या तेल की खोज करने वाली पिछली कम्पनियों की एक शिकायत यह थी कि संविदाओं का निर्णय करने में बहुत विलम्ब किया जाता रहा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जो भारतीय शिष्ट-मंडल ह्स्टन में अपतटीय प्रौद्योगिकी सम्मेलन में भाग लेने हेतु गया था, उसने भारत में अन्वेषण में सहायता देने के संबंध में अनेक कम्पनियों से विचार विमर्श किया। ये विचार-विमर्श केवल खोज प्रकृति के थे।

(ख) ओ० एन० जी० सी० तथा ओ० आई० एल० ने विभिन्न बेसिनों में अन्वेषण करने के लिये व्यापक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। भारत में विदेशी कम्पनियों को अन्वेषण करने के लिये आमंत्रित करना केवल ओ० एन० जी० सी० तथा ओ० आई० एल० के प्रयासों को पूरा करने के लिये है।

(ग) जी नहीं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शिकायत निवारण पटल स्थापित करने के बारे में दिशा निर्देश

364. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम ब्यूरो कर्मचारियों और अधिकारियों की शिकायतों का शीघ्र निबटान सुनिश्चित करने हेतु सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को "शिकायत निवारण पटल" खोलने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी किये गये दिशा निर्देश क्या हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) सरकारी उद्यम कार्यालय ने सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए सितम्बर, 1985 में एक आदर्श शिकायत निवारण प्रक्रिया परिचालित की है और उन्हें इस आदर्श प्रक्रिया को सम्बद्ध उद्यम के लिये यथोपयुक्त संशोधन सहित अथवा रहित अपनाने की सलाह दी गई है। इस आदर्श प्रक्रिया के अन्तर्गत शिकायत निवारण समितियां, न कि शिकायत निवारण पटल स्थापित करने का सुझाव दिया गया है।

(ख) यह आदर्श शिकायत निवारण प्रक्रिया, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में, जो कर्मचारी फैक्टरी अधिनियम 1948 अथवा कर्मचारियों की ऐसी श्रेणियों पर लागू किसी अन्य कानून के अधीन कामगार/कर्मकार माने जाने वाले कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर लागू होती है। इस आदर्श शिकायत निवारण प्रक्रिया में वैयक्तिक किस्म की शिकायत निवारण पर विचार किया जाता है। इसमें किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी के वार्षिक कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन, प्रोन्नति, सेवामुक्ति अथवा बर्खास्तगी से उत्पन्न शिकायत अथवा ऐसी शिकायत जो किसी एक कर्मचारी अथवा अधिकारी से सम्बन्धित नहीं है, शामिल नहीं है। ऐसी शिकायत, शिकायत निवारण समिति को सौंपी जा सकती है जिसे मुख्य कार्यपालक द्वारा नामित किये जाने वाले निर्णायक प्राधिकारी के पास एक माह के भीतर अपनी सिफारिश भेज देनी आवश्यक है। अपवादात्मक परिस्थितियों में निर्णायक प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील या तो सम्बद्ध निदेशक को अथवा मुख्य कार्यपालक को की जा सकती है और ऐसी अपीलों पर निर्णय, अपील प्राप्त होने के एक माह के भीतर किया जाना चाहिये।

असम में निर्वाचक नामावलियां

365. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम राज्य के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने के कार्य को पूरा कर लिया गया है;

(ख) क्या सरकार को उस राज्य के नागरिकों से दावे और आक्षेप प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन आक्षेपों और दावों के स्वरूप क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां। गहन पुनरीक्षण के पश्चात और 1.1.1985 को अर्हक तारीख मानकर असम में सभी 126 निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां 7 नवम्बर, 1985 को प्रकाशित कर दी गई थीं।

(ख) और (ग) विधि के अधीन दावे और आक्षेप संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसरों को या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसरों द्वारा उस निमित्त अभिहित अन्य अधिकारियों को प्रस्तुत करने होंगे न कि सरकार को दावे। और आक्षेपों का निपटारा विधि के अधीन और आयोग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसरों द्वारा ही किया जाएगा। विद्यमान परिस्थितियों में निर्वाचक नामावली में किसी भी व्यक्ति के नाम को सम्मिलित किए जाने के बारे में आक्षेप इस आधार पर ही किया जा सकेगा कि ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध आक्षेप फाइल किया गया है निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए विधि के अधीन किसी एक या अन्य आपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। ऐसा समझा जाता है कि कुल मिलाकर 8,13,000 दावे और 11,64,000 आक्षेप प्राप्त किए गए थे और उन्हें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसरों द्वारा निपटाया गया।

आटोमोबाइल्स में विदेशी सहयोग के अनुमोदन के लिए मानदण्ड में संशोधन

366. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 अक्तूबर, 1985 के "इकनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचारों के अनुसार आटोमोबाइल्स में विदेशी सहयोग के अनुमोदन संबंधी मानदंडों में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी सहयोगियों के ब्रांड नामों पर प्रतिबन्ध लगाने का भी विचार किया जायेगा; और

(ग) क्या इस संबंध में स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) स्वदेशीकरण कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए यात्री कारों के निर्माण हेतु विदेशी सहयोगों के मानदण्डों में संशोधन किया जाना है।

अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य

367. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के लिए निर्धारित अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य योजना

अवधि के दौरान पैदा होने वाली बिजली की मांग से बहुत कम है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस अन्तर को किस प्रकार पूरा करने का है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सातवीं योजना के दौरान 22,245 मेगावाट की प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता 12वें विद्युत सर्वेक्षण द्वारा आंकी गई विद्युत की मांग के अनुरूप नहीं है।

(ख) विद्युत सप्लाई की स्थिति में सुधार हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—प्रतिष्ठापित क्षमता से विद्युत की उपलब्धता को अधिकतम करने के लिए समन्वित कार्रवाई करना, ताप-विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने हेतु उनका नवीकरण तथा आधुनिकीकरण, निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाना, लाइन हानियों में कमी लाना, मांग प्रबंध तथा ऊर्जा संरक्षण।

थाणे महाराष्ट्र में रासायनिक एककों से गैस का रिसाव

368. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह**
श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के थाणे क्षेत्र में सितम्बर-अक्तूबर 1985 में रासायनिक एककों से गैस के रिसने की अनेक घटनायें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इससे कितनी मौतें हुई हैं; और

(ग) क्या इस प्रकार की जोखिम से श्रमिकों और जनता की सुरक्षा के लिए रासायनिक उद्योगों को विशिष्ट मानदण्ड अपनाने के आदेश दिये गये हैं;

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि सितम्बर-अक्तूबर, 1985 में महाराष्ट्र के थाणे क्षेत्र में रसायन एककों से गैस रिसाव की दो घटनायें घटीं।

(ख) इन दोनों मामलों में रिसाव फैक्ट्रियों में पड़े पुराने सिलेण्डरों से हुई। इसमें कोई मृत्यु अन्तर्ग्रस्त नहीं थी।

(ग) रिसाव वाले सिलेण्डरों के खतरों से श्रमिकों तथा जनता की सुरक्षा करने के लिए गैस सिलेण्डर नियम, 1981 में व्यवस्था है। कारखाना अधिनियम के अधीन संबंधित नियमों की अनुसूची में सुरक्षा मानक भी निर्धारित किए गए हैं।

एल० पी० जी० सिलेण्डरों की कम प्रापूर्ति

369. **श्रीमती किशोरी सिंह**
श्री एस० एम० गुरड्डी
श्री कमल नाथ
डा० चिन्ता मोहन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 अक्तूबर, 1985 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित समाचारों के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एल० पी० जी० सिलेण्डरों की बहुत अधिक कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) अक्टूबर, 1985 में उत्तरी भारत के कुछ बाजारों में जैसे दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, फरीदाबाद, जयपुर, सहारनपुर और अलीगढ़ में एल० पी० जी० की सप्लाई का अभाव था।

(ख) यह अभाव इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा नये परिवहन करार प्रबन्धों को निश्चित किए जाने के बाद सड़क मार्ग द्वारा की जाने वाली सप्लाई के अस्थाई रूप से अव्यवस्थित होने के कारण हुआ था। उत्तरी भारत में यह अभाव इस क्षेत्र की आवश्यकताओं की तुलना में बाटलिंग क्षमता के अपर्याप्त होने और सड़क परिवहन में आई बाधाओं के कारण हुआ। आई० ओ० सी० द्वारा उत्तरी क्षेत्र में बाटलिंग क्षमता को बढ़ाने के अलावा इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :–

(i) परिवहन समस्या का समाधान किया गया है;

(ii) कुछ छुट्टी के दिनों में भी बाटलिंग संयंत्र काम कर रहे हैं और वे भी जब कभी सम्भव होता है अधिक घंटों तक काम करते रहते हैं; और

(iii) पिछले कई महीनों के दौरान दूसरे सिलेण्डर की उदारतापूर्वक रिलीज।

रात्रि विमान डाक सेवा का उपयोग

370. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 10 अक्टूबर, 1985 के स्टेट्समैन "द" में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार डाक सेवाओं में रात्रि विमान डाक सेवा का उपयोग करते हुए डाक सेवाओं में सुधार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए वायुदूत सेवा की सेवायें उपलब्ध कराई जायेंगी; और

(ग) क्या इस रात्रि विमान डाक सेवा के परिणामस्वरूप दूर-दराज के क्षेत्रों में भी डाक पहुंचाने में सुधार होगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) इस उद्देश्य के लिए वायुदूत प्रशासन से सम्पर्क किया गया है।

(ग) जी हां।

घाटे में चल रहे एककों को बन्द करना

371. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को घाटे में चलने वाले अनेक एककों को बन्द करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो बन्द किए जाने वाले एककों को बन्द करने के लिए चुनने सम्बन्धी मापदंड क्या हैं;

(ग) क्या प्रभावित कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार दिया जायेगा; और

(घ) कुल कितनी इकाइयों को बन्द किया जायेगा और हुए घाटे का ब्यौरा क्या है और कितने कर्मचारी प्रभावित होंगे ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए (ख), (ग) और (घ) के प्रश्न ही पैदा नहीं होते।

सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा बाजार तन्त्र
के माध्यम से संसाधन जुटाना

372. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपने मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के एककों से बाजार तन्त्र के माध्यम से संसाधन जुटाने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी किए है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा बाजार तन्त्र के जरिए संसाधनों को पैदा करने के लिए निर्देश

नहीं दिया गया है। सरकारी उद्यम विभाग के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारियों के अक्टूबर, 1985 में हुए सम्मेलन में उनके संचालन के लिए सरकार पर वित्तीय सहायता की निर्भरता को कम करने की जरूरत पर प्रकाश डाला गया था।

उपभोक्ताओं को दूसरे गैस सिलेण्डर की सुविधा बन्द करना

373. **श्री उत्तम राव पाटिल**
डा० चिन्ता मोहन } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम द्वारा एल० पी० जी० कनेक्शन धारकों को दो सिलेण्डरों की सप्लाई करने की पहले दी गई सुविधा अब बन्द कर दी गई है;

(ख) क्या इस नीति से उपभोक्ताओं को कठिनाई हुई है; और

(ग) ऐसे उपभोक्ताओं को दो सिलेण्डरों की सप्लाई की सुविधा पुन: आरम्भ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) इंडियन आयल कारपोरेशन ने दिसम्बर, 1984 से मौजूदा उपभोक्ताओं को दूसरे सिलेण्डर की रिलीज को उदार बना दिया था। शीतकाल के आरम्भ होने के साथ ही जब एल० पी० जी० की मांग बढ़ जाती है, और बाटलिंग क्षमता को ध्यान में रख कर आई०ओ०सी० ने डबल बैरल कनेक्शनों की रिलीज अस्थाई रूप से प्रतिबन्धित कर दी है। डी० बी० सी० की रिलीज आगामी कुछ महीनों में फिर से चालू कर दी जायेगी।

जारी किए गए तथा लाइसेंसों में परिवर्तित किए गए आशय पत्र

374. **श्री के० राममूर्ति** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत किए गये आशय-पत्रों के राज्यवार, राज्य विशेष में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र, राज्य सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अलग-अलग आंकड़े क्या हैं;

(ख) उनमें से कितने आशय-पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में (राज्यवार) परिवर्तित किया गया है और उनमें से कितने को व्यपगत होने दिया गया है अथवा रद्द किया गया है और उनमें से कितने को निर्धारित/विधि मान्य अवधि के पश्चात नवीकृत किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान स्वीकृत आशय-पत्रों का उद्योग-वार ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) विवरण--एक संलग्न है।

(ख) विवरण—दो संलग्न है।

(ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी किए गये आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के उद्योग-वार ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मन्थली न्यूजलेटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

विवरण—एक

1982, 1983, और 1984 के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र (राज्य औद्योगिक विकास निगम सम्मिलित) और निजी क्षेत्र के लिए स्वीकृत आशय-पत्रों का राज्यवार ब्यौरा

	राज्य	केन्द्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिसमें राज्य औद्योगिक विकास निगम सम्मिलित है	निजी क्षेत्र के उपक्रम/पार्टियां
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	27	45	165
2.	अण्डमान और निकोबार	—	—	2
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	10
4.	असम	2	1	10
5.	बिहार	2	19	52
6.	चण्डीगढ़	—	—	8
7.	दादर और नगर हवेली	—	—	—
8.	दिल्ली	2	—	21
9.	गोवा, दमन और द्वीव	—	3	27
10.	गुजरात	6	26	312

1	2	3	4	5
11.	हरियाणा	3	23	161
12.	हिमाचल प्रदेश	—	5	48
13.	जम्मू और कश्मीर	—	10	24
14.	कर्नाटक	15	34	173
15.	केरल	4	44	23
16.	मध्य प्रदेश	8	20	166
17.	महाराष्ट्र	11	31	455
18.	मणीपुर	—	—	1
19.	मेघालय	—	2	8
20.	नागालैण्ड	—	—	5
21.	उड़ीसा	—	52	36
22.	पाण्डिचेरी	—	—	23
23.	पंजाब	—	49	79
24.	राजस्थान	2	15	110
25.	सिक्किम	—	1	2
26.	तमिलनाडु	4	24	195
27.	त्रिपुरा	—	—	1
28.	उत्तर प्रदेश	12	65	294
29.	पश्चिम बंगाल	15	7	95
30.	न बताए गये राज्य/ एक से अधिक राज्य	2	1	48
	योग :	115	477	2570

विवरण--दो

वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान स्वीकृत आशय-पत्रों के कार्यान्वियन की स्थिति

31.8.85 को कार्यान्वयन की स्थिति

क्र० सं०	राज्य	1982 से 1984 के दौरान स्वीकृत आशय-पत्रों की कुल संख्या	औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित	व्ययगत/माने गये रद्द	कार्यान्वियनाधीन
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	237	52	32	153
2.	अण्डमान और निकोबार	2	—	—	2
3.	अरुणाचल प्रदेश	10	7	—	3
4.	असम	222	2	3	17
5.	बिहार	73	10	19	44
6.	चण्डीगढ़	8	4	—	4
7.	दादर और नगर हवेली	7	1	3	3
8.	दिल्ली	23	10	4	9
9.	गोवा दमन और द्वीव	30	7	3	20
10.	गुजरात	344	98	49	197
11.	हरियाणा	187	41	32	114
12.	हिमाचल प्रदेश	53	6	11	36
13.	जम्मू और कश्मीर	34	3	7	24
14.	कर्नाटक	222	60	24	138
15.	केरल	71	24	12	35
16.	मध्य प्रदेश	194	34	43	117
17.	महाराष्ट्र	497	140	63	294

1	2	3	4	5	6
18.	मणीपुर	1	—	—	1
19.	मेघालय	10	—	1	9
20.	नागालैण्ड	5	2	—	3
21.	उड़ीसा	88	18	13	57
22.	पाण्डिचेरी	23	7	3	13
23.	पंजाब	128	28	15	85
24.	राजस्थान	127	27	30	70
25.	सिक्किम	3	—	—	3
26.	तमिलनाडु	223	68	30	125
27.	त्रिपुरा	1	—	—	1
28.	उत्तर प्रदेश	371	361	70	240
29.	पश्चिम बंगाल	117	36	25	56
30.	न बताए गये राज्य/ एक से अधिक राज्य	51	12	13	26
	योग :	3162	758	505	1899

विदेशी सहयोग

375. श्री के० रामर्मूति : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान अनुमत विदेशी सहयोगों, विशेषकर ऐसे औद्योगिक प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिनकी पूंजी लागत 5 करोड़ रुपये या इससे अधिक की है;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान ओटोमोटिव उद्योगों में कितने विदेशी सहयोगों को मूंजरी दी गई और क्या इस प्रकार के सहयोग करारों के अनुसार तीन वर्ष की अवधि के लिए सभी अतिरिक्त कल-पुर्जों, सहायक पुर्जों आदि का आयात किया जाना है और यदि हां, तो ऐसे आयात का मूल्य क्या है; और

(ग) स्वदेशी आटोमोटिव निर्माण उद्योग पर इनका क्या प्रभाव पड़ा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) भारतीय पार्टी का नाम, विदेशी सहयोगकर्ता का नाम, विनिर्माण की वस्तु और सहयोग का स्वरूप दर्शाने वाला ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मंथली न्यूजलैटर के परिशिष्ट के रूप में तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद के पुस्तकालय में भेजी जाती हैं।

(ख) और (ग) जैसा कि भाग (क) में निर्दिष्ट किया गया है मोटरगाड़ी उद्योग सम्बन्धी ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाता है। विदेशी सहयोग योजना के अन्तर्गत उपकरणों और उप-उपकरणों के आयात के लिए किसी एकक को किसी प्रकार की खुली छूट नहीं दी गई है। प्रत्येक मामले में प्रारम्भ में उपकरण और उप-उपकरणों के आयात की अनुमति सरकार द्वारा अलग से स्वीकृत किए गए चरणबद्ध उत्पादन कार्यक्रमों के अनुसार दी जाती है। ऐसे आयात के सम्बन्ध में स्वदेशी सक्षमताओं पर काफी ध्यान देने के पश्चात ही विचार किया जाता है।

मणिपुर में कागज/लुगदी के उद्योगों की स्थापना

376. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर में कागज/लुगदी के उद्योग स्थापित करने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस संबंध में मणिपुर सरकार द्वारा कोई ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (ग) मणिपुर राज्य में कागज/लुगदी संयंत्र की स्थापना करने के लिए न तो केन्द्र सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है और न ही इस दिशा में मणिपुर सरकार की ओर से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

मणिपुर तथा पड़ोसी राज्यों द्वारा लोकटक पन बिजली परियोजना द्वारा उत्पादन की गई बिजली का उपयोग

377. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोकटक पन-बिजली परियोजना द्वारा उत्पादन की गई बिजली का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु ट्रांसमिशन लाइनों को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) मणिपुर तथा पड़ोसी राज्यों द्वारा लोकटक पन-बिजली परियोजना द्वारा पैदा की गई बिजली चालू खपत का ब्योरा क्या है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) लोकटक जल विद्युत परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लोकटक से मणिपुर और नागालैण्ड में विभिन्न विद्युत केन्द्रों तक पहले से निर्मित पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है और इसका मिजोरम, त्रिपुरा और असम में विस्तार किया जा रहा है।

(ख) अप्रैल, 1985 से अक्तूबर, 1985 तक की अवधि के दौरान लोकटक की बिजली की खपत का ब्योरा नीचे दिया गया है :—

	मिलियन यूनिट
मणिपुर	85.82
नागालैण्ड	24.77
असम	116.22

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा राजस्थान में हाथ में ली गई नई योजनायें

378. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा हाथ में ली जाने वाली नई योजनाओं के नाम क्या हैं और इन योजनाओं को किन किन राज्यों में आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या उपरोक्त निगम द्वारा कुछ योजनायें राजस्थान में, विशेषकर चित्तौड़ जिले में भी शुरू की जाएंगी ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सातवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा हाथ में ली जाने वाली सम्भावित नई स्कीमों के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) यह प्रस्ताव है कि राजस्थान के कोटा जिले में एक गैस टर्बाइन केन्द्र सहित हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइप लाइन के अलाइनमैंट के साथ-साथ राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा तीन गैस टरबाइन परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। चित्तौड़ जिले में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा गैस टरबाइन परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा हाथ में ली जाने वाली सम्भावित नई स्कीमें

स्कीम का नाम	वह राज्य जिसमें स्थित है
1. कहलगांवसुपर ताप विद्यु त केन्द्र चरण-एक (4.210 मेगावाट)	बिहार
2. फरक्का-दो सुपर ताप विद्यु त केन्द्र (2×5000 मेगावाट)	पश्चिम बंगाल
3. राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्यु त परियोजना मुरादनगर चरण-एक (4×200 मेगावाट)	उत्तर प्रदेश
4. तलचेर सुपर ताप विद्यु त परियोजना चरण-एक (2×500 मेगावाट)	उड़ीसा
5. कवास गैस टरबाइन केन्द्र (लगभग 560 मेगावाट)	गुजरात
6. औरैया गैस टरबाइन केन्द्र (लगभग 560 मेगावट)	उत्तर प्रदेश
7. अन्ता गैस टरबाइन केन्द्र (लगभग 370 मेगावाट)	राजस्थान

राजस्थान के लिए खाना पकाने की गैस के नए कनेक्शन

379. प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाना पकाने की गैस की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए क्या सरकार का विचार नए कनेक्शन मंजूर करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के खाना पकाने की गैस के कितने नए कनेक्शन मंजूर करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) देश में एल० पी० जी० कनेक्शन जारी करने की वार्षिक योजना के अन्तर्गत तेल उद्योग का 1985-86 के दौरान राजस्थान में लगभग 54,000 कनेक्शन जारी करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

ताप बिजली घरों के प्लांट लोड फैक्टर में वृद्धि

380. **श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय स्तर पर ताप बिजली घरों के प्लांट लोड फैक्टर में एक प्रतिशत वृद्धि से भी 560 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का निर्माण होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उपयुक्त विचार से सहमत है; और

(ग) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लक्ष्य प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) अनुमान है कि ताप विद्युत केन्द्रों के अखिल भारतीय औसत संयंत्र भार अनुपात में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि से विद्युत की उपलब्धता पर वही प्रभाव पड़ेगा जो कि देश में लगभग 470 मेगावाट नई अतिरिक्त क्षमता प्रतिष्ठापित करके प्राप्त किया जा सकता है।

(ग) ताप विद्युत उत्पादन और ताप विद्युत उत्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से सतत आधार पर अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों को सहायता देना।

(2) पर्याप्त मात्रा में तथा उचित गुणवत्ता वाले कोयले की सप्लाई की व्यवस्था करना।

(3) स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतों से फुटकर पुर्जों की सप्लाई की व्यवस्था करना।

(4) इंजीनियरों तथा प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

(5) 32 वर्तमान ताप विद्युत केन्द्रों के नवीकरण तथा आधुनीकीकरण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नवीकरण तथा आधुनीकीकरण स्कीम लागू करना।

किए गए इन उपायों के परिणामस्वरूप 1984-85 के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात बढ़कर 50.1% हो गया जो कि 1980-81 के दौरान 44.3% था। अप्रैल-अक्तूबर, 1985 के दौरान अखिल भारतीय संयंत्र भार अनुपात 50.4% है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई में सुधार करने के लिए उच्चस्तरीय समिति

381. **श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई में सुधार करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार ने उन पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो कार्यान्वयन के लिए कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) अन्य मामलों के साथ-साथ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन और ग्राम विद्युतीकरण निगम के संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करने के लिए अधिकारी स्तर की एक समिति का गठन किया गया है ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उद्योगों द्वारा विदेशी ब्रांड नामों का प्रयोग

382. श्री प्रकाश वी० पाटिल
श्री जगन्नाथ पटनायक
श्री सनत कुमार मंडल
: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी उद्योगों को बाजार में अपने उत्पादों की बिक्री में वृद्धि करने में कठिनाइयां हो रही हैं क्योंकि उद्योगों द्वारा विदेशी ब्रांड नामों का प्रयोग करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है क्योंकि उन्हें विदेशी मुद्रा में कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम में संशोधन करने के लिये एक कानून बनाने का है; और यदि हां, तो कब तक ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : सरकार को इस विषय में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) देशी उद्योगों की सुरक्षा के लिए सरकार सभी आवश्यक उपायों पर विचार करेगी जिनमें आवश्यकता पड़ने पर व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम में संशोधन भी सम्मिलित हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना

383. **श्री जैनुल बशर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के नाम क्या हैं तथा वे किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उनमें से उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन पर काम आरम्भ हो चुका है;

(ग) बाकी उद्योगों के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश से कहीं और स्थानान्तरित कर दिया गया है; और

(ङ) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनकी स्थापना के प्रस्तावों को रद्द कर दिया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) से (ङ) छठी पंचवर्षीय योजनावधि में उत्तर प्रदेश में स्थापना के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के नाम और उनकी स्थिति निम्न प्रकार है :—

1. इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आई० टी० आई०)

(i) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड रायबरेली ने एक क्रोसबार स्विचिंग कारखाना स्थापित किया है जिसने अब नवम्बर, 1982 से उत्पादन शुरू कर दिया है।

(ii) मानकपुर में एक स्विचिंग सिस्टम परियोजना स्थापित की गई है जिसने 28 अप्रैल, 1985 से उत्पादन शुरू कर दिया है।

2. इफको द्वारा आंवला सहकारी क्षेत्र में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है जो कार्यान्वयनाधीन है।

3. सलेमपुर जिला अलीगढ़ (उ०प्र०) में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में एक एरोमेटिक्स परियोजना स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है। किन्तु सरकारी क्षेत्र में संसाधनों की बाधा होने के कारण परियोजना का कार्यान्वयन करने के लिए वैकल्पिक उपायों का पता लगाया जा रहा है।

4. भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड का उत्तर प्रदेश के देवलथाल, जिला पिथौरागढ़ में एक मैग्नेसाइट परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है। परियोजना में कच्चे मैग्नेसाइट का खनन करने

और एक रोटरी किल्न में फूंकने के लिए एक संयंत्र की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना इस समय निर्माण-पूर्व की अवस्था में है। यह परियोजना 15.9.1986 तक पूरी की जानी है।

5. एच० एम० टी० ने रानी बाग, नैनीताल (उ०प्र०) में घड़ी का एक कारखाना स्थापित किया है और फरवरी, 1985 में इसमें परीक्षण के तौर पर उत्पादन शुरू हो गया है।

6. **भारत हैवी इलेक्ट्रीकल**

छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान तीन संयंत्र अर्थात जगदीशपुर में इन्सुलेटर संयंत्र, रूद्रपुर में कम्पोनेंट फेब्रीकेशन संयंत्र और वाराणसी में हैवी इक्विपमेंट रिपेयर संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। जगदीशपुर और रूद्रपुर स्थित संयंत्रों में उत्पादन शुरू हो गया है। वाराणसी संयंत्र में निर्माण कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाएगा और इसमें उत्पादन भी शुरू हो जाएगा।

(घ) और (ङ) ऐसी कोई परियोजना नहीं है जिसे उत्तर प्रदेश में कहीं और ले जाया गया हो या उसे त्याग दिया गया हो।

[अनुवाद]

न्यायालय फीस समाप्त करना

384. **श्री के० कुंजम्बु** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यायालय फीस से साधारण मुकदमा लड़ने वाले व्यक्तियों पर भारी बोझ पड़ता है;

(ख) क्या इसे समाप्त करने के लिए राज्यों को सहमत कराने के लिए नए सिरे से प्रयत्न किए जा रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या मुकदमा लड़ने वाले व्यक्तियों पर बोझ कम करने और कम खर्चीला न्याय दिलाने के लिए कोई अन्य कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (घ) न्यायालय-फीस समाप्त करने का प्रश्न सरकार के ध्यान में है। न्यायालय-फीस समाप्त करने के विषय का अध्ययन करने के लिए विधि मंत्रियों की एक समिति गठित की गई थी। समिति ने, राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् न्यायालय-फीस के सुव्यवस्थीकरण की सिफारिश की है। यह प्रस्ताव है कि समिति की सिफारिशों पर अन्तिम विनिश्चय करने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों और विधि मंत्रियों के आगामी सम्मेलन में चर्चा की जाए।

केरल में केन्द्रीय पूंजी निवेश बढ़ाने का प्रस्ताव

385. **श्री के० कुंजम्बु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास केरल में राज्य के औद्योगिकीकरण में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय पूंजी निवेश बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में केन्द्रीय निवेशों का निर्णय ऐसे निवेशों के राज्य-वार वितरण की दृष्टि से नहीं किया जाता है। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के स्थापना-स्थल का निणय करते समय ज्यादातर आर्थिक तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। इन विचारणाओं के तहत क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखकर स्थापना-स्थलों का निर्णय किया जाता है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की पुनरीक्षा

386. **श्री बी० बी० देसाई**
श्री बनवारी लाल पुरोहित } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 और 17 अक्तूबर, 1985 की हुई बैठकों की श्रृंखला में उद्योग मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की पुनरीक्षा की गई ;

(ख) यदि हां, तो दो-दिवसीय बैठक में किन-किन विषयों पर विचार किया गया और क्या निर्णय लिए गए;

(ग) क्या कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कोई दिशा निदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था वे थे—उत्पादन, वित्तीय परिणाम, प्रौद्योगिकी का उन्नयन, उत्पादकता, अनुसंधान तथा विकास, कारपोरेट और मंत्रालय स्तर पर कार्य का निकट से मानीटरिंग। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सलाह दी गई है कि अपनी कारपोरेट योजनाओं को अद्यतन बनाएं, अपनी अनुसंधान तक विकास गतिविधि को मजबूत बनाएं, अपनी प्रौद्योगिकियों को निरन्तर उन्नत बनाएं और उत्पादकता में सुधार लायें। कारपोरेट और मंत्रालय स्तर पर मानीटरिंग को मजबूत बनाया जाना है। यह निर्णय लिया गया है कि इन विषयों से संबंधित प्रगति की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

वाणिज्यिक वाहन उद्योगों में बिक्री और उत्पादन संभावनाओं में कमी

387. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक वाहन उद्योग की शाखाओं को बिक्री में एकदम गिरावट और आगामी तीन महीनों के दौरान प्रमुख और संबद्ध उद्योगों के उत्पादन में गिरावट की संभावनाओं के कारण गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या कुछ सहायक उद्योगों ने पहले ही अपना उत्पादन कम कर दिया है और कुछ ने नई परिस्थिति के अनुरूप उत्पादन में कटौती करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस संकट का सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा इस उद्योग को क्या सहायता दी जा रही है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी नहीं। किन्तु मांग में वृद्धि न होने के कारण बिक्री 1984-85 के स्तर से आगे नहीं बढ़ रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

अंकीय स्विचिंग एकक की स्थापना

388. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार विभाग को इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्री के इस दावे के बारे में कोई संदेह है कि पालघाट और बंगलौर में प्रस्तावित दो अंकीय स्विचिंग कारखानों के लिए सभी बड़े पुर्जों को सहायक एककों से प्राप्त किया जा सकता है;

(ख) क्या इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्री ने प्रस्ताव किया है कि प्रति वर्ष 5 लाख लाइन के एक अंकीय स्विचिंग एकक के लिए 177 करोड़ रुपये की मूल अनुमानित लागत की अपेक्षा दो कारखाने स्थापित किये जा सकते हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उत्पादन के विकेन्द्रीयकरण और अनुषंगीकरण के कारण पूंजी लागत में कमी हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्री ने सरकार से यह प्रस्ताव किया है कि विकेन्द्रीयकरण और अनुषंगीकरण की इसी प्रकार की योजना का केन्द्र द्वारा टेलीफोन के विकास हेतु अनुसरण किया जा रहा है ; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा इन सभी उपायों पर विचार किया गया है और इस सम्बन्ध में किसी निर्णय पर पहुंची है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) बंगलौर और पालघाट स्थित कारखानों में अलग-अलग डिजिटल इलेक्ट्रानिक स्विचिंग उपस्कर की 5 लाख लाइनें, विभिन्न पुर्जे जोड़ने की प्रणाली से तैयार करने की क्षमता स्थापित करने का प्रस्ताव इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के निदेशक मण्डल के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा अन्य पुर्जे दूसरी कम्पनियों द्वारा तैयार होंगे। इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के निदेशक मण्डल द्वारा इस मामले पर अभी विचार किया जाना है। मामले पर सरकार ने विचार नहीं किया है।

(घ) टेलीमैटिक्स (सी-डाट) विकास केन्द्र अभी अनुसंधान और विकास कार्य ही करता है, यह उत्पादन नहीं करता। सी-डाट विकास केन्द्र डिजिटल स्विचिंग उपस्कर के निर्माण के लिए विभिन्न पुर्जे जोड़ने वाली प्रणाली को अपनाने का समर्थन करता है।

(ङ) इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार होने की स्थिति अभी नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों को बन्द करना

389. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री आर० एम० भोये } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सरकारी क्षेत्र के तीन रुग्ण उपक्रमों को बन्द करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन परियोजनाओं के नाम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड हैं;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की दो अन्य रुग्ण कम्पनियों के मामले में समायोजन अथवा विलय करने अथवा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा पूरी तरह से प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेने जैसे वैकल्पिक उपायों की योजनाएं तैयार की हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) फिलहाल इस विषय में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न (क) के उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए (ख), (ग) और (घ) के प्रश्न ही पैदा नहीं होते।

बिना अनुमति के दवाइयों का विनिर्माण

390. **श्री शांति धारीवाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले लाये गए हैं जिनमे दवाइयों का सरकार से अनुमति/लाइसेंस प्राप्त किए बिना विनिर्माण किया गया है;

(ख) ऐसे मामलों में सरकार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) औषध कम्पनियों से क्षमता की मान्यता/पुनः पृष्ठांकन के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन पत्रों मे उपलब्ध आंकड़ों की जांच से यह पाया गया है कि 29 कम्पनियों द्वारा 432 मदों का संदेहात्मक वैधता वाले औद्योगिकी अनुमोदनों से उत्पादन किया जा रहा था। बिना वैध औद्योगिक अनुमोदनों के औषधों का उत्पादन करने के प्रश्न की जांच करने तथा कार्यवाही करने की संभव प्रक्रिया का सुझाव देने के लिए एक अन्तर मंत्रालय कार्यकारी दल की 1982 में स्थापना की गई थी। अं० मं० का द० की स्थापना करना कई कारण से आवश्यक समझी गई जैसे की समस्या का विस्तृत स्वरूप लम्बे समय तक उत्पादन करना तथा यदि कुछ फार्मूलेशनों का उत्पादन कुछ समय के लिए बन्द कर दिया जाए तो रोगियों को होने वाली कठिनाई की सम्भावना। अं० मं० का० द० ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार ने अं०मं० का० द० की सिफारिशों पर अभी निर्णय लेना है।

इल्लौर औद्योगिक क्षेत्र में जहरीले तरल का रिसाव

391. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में 13.9.1985 को इल्लौर औद्योगिक क्षेत्र में जहरीले गैस का रिसाव हुआ था जिसका 150 लोगों पर प्रभाव पड़ा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 13.9.85 को ट्रक द्वारा बम्बई से कोचीन ले जाते समय ड्रमों से हेक्साक्लोरो-साइक्लोपेन्टाडियोन (एच० सी०सी०पी०) का रिसाव हुआ, जिससे कुछ व्यक्तियों की आंख में जलन हुई, जिनमें 52 बच्चे भी शामिल थे जो ट्रक के पीछे जा रही एक बस में यात्रा कर रहे थे। कोचीन में सम्पूर्ण रसायन कम्पलैक्स में सुरक्षा पहलुओं, एच०सी०सी०पी० रिसाव की घटना सहित, की जांच करने के लिए केरल सरकार ने राजस्व बोर्ड के एक सदस्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जिसकी एक तकनीकी विशेषज्ञ सहायता करेगा।

नई औषध नीति

392. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक औषध नीति बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने औषध नीति में उनके विचारों को शामिल करने के लिए भारतीय औषध निर्माताओं के विचार मांगे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भारतीय औषध निर्माताओं की प्रतिक्रिया क्या है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार को अनेक औद्योगिक संघों से प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं।

(ग) इन प्रतिवेदनों में लाइसेंस देने और मूल्य निर्धारण के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया।

बल्क औषधियों के लाइसेंस समाप्त किये जाने का प्रभाव

393. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बल्क औषधियों के लाइसेंस समाप्त करने के निर्णय से लघु औषधि निर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या बल्क औषधियों के लाइसेंस बड़े पैमाने पर समाप्त करने से इन औषधियों के मूल्यों में वृद्धि हुई; और

(ग) औषधियों के मूल्य घटाने तथा लघु औषधि निर्माताओं की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर०के० जयचंद्र सिंह) : (क) चूंकि लाइसेंस मुक्त करने की योजना का उद्देश्य उन वस्तुओं के संबंध में गैर-फैरा एवं गैर एम०आर०टी०पी० कम्पनियों को लाइसेंस देने की प्रक्रियाओं को सरल करना है जो लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है, अतः यह असम्भावित है कि लघु क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) अधिकतर प्रपुंज औषधों एवं फार्मूलेशनों के मूल्य औषध मूल्य नियंत्रण आदेश (डी०पी०सी०ओ०) 1979 के अन्तर्गत कानूनी रूप से नियमित किये जाते हैं।

तेल शोधक कारखानों में पुरानी मशीनों का बदलना

394. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी**
श्री हुसेन दलवाई } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित तेल शोधक कारखानों के नाम क्या हैं और वे किन तारीखों से चल रहे हैं;

(ख) क्या दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने पुराने संयंत्रों तथा मशीनों को बदलने के लिए एक अध्ययन किया है;

(ग) उन तेल शोधक कारखानों के नाम क्या हैं जिनमें यह अध्ययन किया गया है और इस प्रकार के अध्ययन के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या सरकार को सूचना मिली है कि कुछ तेल शोधक कारखानों में पुरानी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (ङ) प्रत्येक शोधनशालाएं अपने संयंत्र और मशीनों का रख-रखाव और निरीक्षण नियमित रूप से करती हैं। जहां कहीं आवश्यक होता है वहां उपकरण के प्रतिस्थापन किये जा रहे हैं। सरकार ने इंडियन आयल कार्पोरेशन को देश में सबसे पुरानी उनकी डिग्बोई स्थित शोधनशाला के आधुनीकीकरण के संबंध में सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है।

विवरण

क्रम सं०	रिफाइनरी का नाम	चालू होने की तारीख और वर्ष
1	2	3
1.	इंडियन आयल कारपोरेशन डिग्बोई रिफाइनरी	1901
2.	आई० ओ० सी० गौहाटी रिफाइनरी	जनवरी, 1962
3.	आई० ओ० सी० बरौनी रिफाइनरी	जुलाई, 1964
4.	आई० ओ० सी० हल्दिया रिफाइनरी	अगस्त, 1974 (ट्रायल रन) जनवरी, 75 से व्यापारिक उत्पादन

1	2	3
5.	आई० ओ० सी० मथुरा रिफाइनरी	जनवरी, 82
6.	आई०ओ०सी० कोयाली रिफाइनरी	अक्तूबर, 65
7.	एच० पी० सी० एल० बम्बई रिफाइनरी	जुलाई, 54
8.	एच० पी० सी० एल० विशाख रिफाइनरी	अप्रैल, 57
9.	बी० पी० सी० एल० बम्बई रिफाइनरी	जनवरी, 55
10.	कोचीन रिफाइनरी	सितम्बर, 66
11.	मद्रास रिफाइनरी	सितम्बर, 69
12.	बोंगाईगांव रिफाइनरी	फरवरी, 79

उद्योग के क्षेत्र में भारत-जर्मन सहयोग

395. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या उद्योग के क्षेत्र में भारत और जर्मनी के बीच सहयोग बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984 और 1985 के पहले छः माह में जर्मनी की कितनी फर्मों ने भारतीय फर्मों के साथ सहयोग किया है;

(ग) वर्ष 1982 से भारत और जर्मनी के बीच ऐसे कुल कितने सहयोग हुए हैं; और

(घ) इस प्रकार के और अधिक सहयोगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने पश्चिम जर्मनी फर्मों के लिए वर्ष 1984 और 1985 (जनवरी—जून) के दौरान क्रमशः 135 और 72 विदेशी सहयोग के प्रस्तावों की मंजूरी दी है।

सरकार ने जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की फर्मों को 1984 में 11 और 1985 (जनवरी-जून में) में 4 विदेशी सहयोगों को मंजूरी दी है।

(ग) पश्चिम जर्मनी फर्मों को 1982 से 1985 (जनवरी-जून) के वर्षों के दौरान सरकार ने 436 विदेशी सहयोग के प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

सरकार ने 1982 से 1985 (जनवरी-जून) तक जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फर्मों से 27 विदेशी सहयोगों को मंजूरी दी।

(घ) प्रौद्योगिकी के निर्यात के संबंध में सरकार की नीति चयनात्मक है और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर आधारित है। जटिल और उच्च-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निर्यातोन्मुख का आयात-प्रतिस्थापन के निर्माण कार्यों में या देशी उद्योग की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में विद्यमान प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने और/या निर्यात बाजार में प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति दी जाती है।

राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम से खरीदी गई बिजली की बकाया धनराशि का उ०प्र० सरकार द्वारा भुगतान न करना

395. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम से खरीदी गई बिजली की कितनी धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर बकाया है और उसका भुगतान न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या बिजली की बल्क खरीद के लिए किए गए समझौते पर राज्य सरकार ने पुनर्विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन० टी० पी०सी०) के सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र से प्राप्त की गई विद्युत के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की ओर से 8.11.85 की स्थिति के अनुसार 61.94 करोड़ रु० की रकम बकाया है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने बकाया राशि का भुगतान न करने का कारण निधियों की कमी बताया है।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र से विद्युत प्राप्त करने के बारे में अनुबंध के नए मसौदे पर दोनों पक्षों के बीच 28 तथा 29 अक्तूबर, 1985 को विचार किया गया था और इसे अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तापीय बिजली संयंत्रों में क्षमता के उपयोग में सुधार

397. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली उत्पादन में अप्रैल से सितम्बर, 1985 के दौरान कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) निर्धारित लक्ष्य की तुलना में उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है और लक्ष्य से कम वृद्धि हुई है तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) बिजली की वर्तमान मांग और सप्लाई में कितना अन्तर है और कितने प्रतिशत सप्लाई कम है; और

(घ) तापीय बिजली में क्षमता के उपयोग में कितना सुधार हुआ है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) अप्रैल-सितम्बर, 1985 के दौरान वास्तविक विद्युत उत्पादन 1984 की इसी अवधि के उत्पादन की तुलना में 8.8 प्रतिशत अधिक था। तथापि, यह लक्ष्य से 0.8 प्रतिशत कम था। यह कमी जल विद्युत जलाशयों में जल स्तर नीचा होने की वजह से जल विद्युत का उत्पादन कम होने के कारण हुई है।

(ग) वर्तमान मांग और सप्लाई के बीच अन्तर लगभग 32 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है जो लगभग 7 प्रतिशत बैठता है।

(घ) अप्रैल-सितम्बर, 1985 के दौरान ताप विद्युत केन्द्रों का औसत संयंत्र भार अनुपात 50.5 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 45.7 प्रतिशत था।

विदर्भ क्षेत्र से होकर बम्बई से उत्तर प्रदेश तक पाइप लाइन डालना

398. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अरब सागर के बजाए विदर्भ के मार्ग से बम्बई हाई से उत्तर प्रदेश तक गैस पाइप लाइन डालने के लिए केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही आरम्भ की है; और

(ग) इस मामले पर अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां। महाराष्ट्र सरकार ने एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन को सेन्ट्रल रेलवे रूट के साथ-साथ अर्थात सूरत, भुसावल, इटारसी, भोपाल और फिर जगदीशपुर तक बिछाने का सुझाव दिया है।

(ख) और (ग) सरकार ने इस पर विचार किया तथा इसे मध्य प्रदेश से राजस्थान तथा वहां से उत्तर प्रदेश तक लाइन बिछाने के वैकल्पिक रूट की तुलना में अधिक खर्चीला पाया।

अहमदाबाद और बम्बई में कारखानों में गैस रिसाव

399. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में अनेक ऐसे कारखाने हैं जिनमें उत्पादन के लिए विभिन्न खतरनाक गैसों का प्रयोग किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि अहमदाबाद और बम्बई में हाल ही में औषधियों और 'डाई-स्टफ' बनाने वाले कुछ कारखानों में गैस रिसाव के कारण लोग बड़ी संख्या में बीमार हुए हैं और मरे हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन कारखानों के प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(घ) सरकार जहरीली गैस का प्रयोग करने वाले ऐसे सभी कारखानों और उद्योगों को एहतियाती कदम उठाने के अनुदेश देने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) डाइस्टफ अथवा औषध कारखानों के सम्बन्ध में ऐसी कोई रिपोर्ट गुजरात और महाराष्ट्र सरकारों से प्राप्त नहीं हुई है।

तथापि राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे अत्यधिक नशीले पदार्थों सहित खतरनाक प्रचालनों की प्रक्रियाओं का प्रयोग करने वाले रसायन और अन्य उद्योगों में सुरक्षा प्रावधानों का कार्यान्वियन करने के लिए समिति/कार्यदल/विशेषज्ञ दल गठित करें।

गैर लाइसेंसशुदा औषधियों के निर्माण के लिये प्रोत्साहन देने हेतु कदम

400. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अभी हाल ही में 94 औषधियों के निर्माण के लिए लाइसेंस समाप्त करने के निर्णय पर औषध उद्योग की प्रतिक्रिया क्या है;

(ख) यदि औषध उद्योग की प्रतिक्रिया निराशाजनक है तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) औद्योगिक अनुमति देने संबंधी सचिवालय के पास लाइसेंस समाप्त औषधियों के निर्माण के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) लाइसेंस समाप्त औषधियों के निर्माण को प्रोत्साहन देने और इसके पूंजीनिवेश आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है;

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) (क) से (घ) औषध उद्योग की प्रतिक्रिया भिन्न-भिन्न है। मार्च, 1985 में 12 प्रपुंज औषधों को लाइसेंस

मुक्त करने तथा जून, 1985 में 82 प्रपुंज औषधों को लाइसेंस मुक्त करने की अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात सरकार ने लाइसेंस मुक्त करने की योजना के अन्तर्गत 43 पंजीकरण प्रदान किये हैं।

अनिवार्य औषधियों का उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव

401. **श्री भोलानाथ सेन :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आवश्यक औषधियों के उत्पादन की वार्षिक उत्पादन दर गैर अनिवार्य औषधियों के उत्पादन की वार्षिक उत्पादन दर की अपेक्षा कम रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में आवश्यक औषधियों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) श्रेणी-I और II फार्मूलेशनों तथा इनके निर्माण के लिए प्रयुक्त प्रपुंज औषधों के उत्पादन को वृद्धि श्रेणी-III तथा उसके उत्पादन में जाने वाले मूल्य अनियंत्रित फार्मूलेशनों तथा प्रपुंज औषधों की वृद्धि से कम रही है। कुछ सीमा तक यह वर्तमान मूल्य निर्धारण नीति के अधीन भिन्न मार्क-अप के कारण है।

(ग) सरकार ने पहले ही औषध नीति का पुनरीक्षण करना आरम्भ कर दिया है।

कीमत नियन्त्रण के क्षेत्राधिकार से बाहर औषधियों की कीमत पर नियन्त्रण

402. **श्री भोलानाथ सेन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उन औषधियों जो औषधि (कीमत नियन्त्रण) आदेश, 1979 के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं, की कीमतों में वृद्धि उन औषधियों की अपेक्षा अधिक तेज हुई है जो इस कीमत नियन्त्रण आदेश के अधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐसी औषधियों की कीमत नियंत्रित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) सामान्यतः, जी हां।

(ख) औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1979 के अधीन मूल्य नियन्त्रण की योजना में

निर्माताओं के फार्मूलेशनों के मूल्य नियन्त्रित श्रेणियों में कम मार्क-अप के विपरीत मूल्य अनियन्त्रित श्रेणी में अधिक मार्क-अप समाप्त करने की परिकल्पना है।

(ग) नई औषध नीति पर सरकार ने अपने दृष्टिकोण को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण

403. **श्री भोलानाथ सेन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विद्युतीकरण की उपलब्धियां छठी पंचवर्षीय योजना के निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में कम रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की कमी के क्या कारण हैं;

(ग) छठी योजनावधि के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के सम्बन्ध में अन्य राज्यों के कार्य निष्पादन की तुलना में पश्चिम बंगाल का कार्य क्या रहा; और

(घ) पश्चिम बंगाल में सातवीं योजनावधि के दौरान कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल राज्य में छठी योजना अवधि के दौरान 9010 गांवों के विद्युतीकरण के लक्ष्य की तुलना में उपलब्धि 6330 गांव थी। राज्य में प्रगति असन्तोषजनक होने के कारण अपर्याप्त पारेषण प्रणाली, सामग्री की कमी तथा सामग्री प्राप्त करने के लिए निहित प्रक्रियात्मक विलम्ब आदि थे।

(ग) छठी योजना अवधि के दौरान राज्य-वार गांवों के विद्युतीकरण के लक्ष्य और उपलब्धियां दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) ग्राम विद्युतीकरण के लिए परिव्यय में वृद्धि तथा उपलब्ध संसाधनों के अन्दर ही वितरण सुविधाओं का विस्तार कर दिये जाने से सातवीं योजना अवधि के दौरान राज्य में ग्राम विद्युतीकरण के कार्य-निष्पादन में सुधार होने की सम्भावना है। प्रगति की समुचित मानीटरिंग करने के लिए समय-समय पर राज्य प्राधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाएंगी।

विवरण

ग्राम विद्युतीकरण के सम्बन्ध में छठी योजना के दौरान
राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य का नाम	गांवों का विद्युतीकरण		प्रतिशत स्तर
		वार्षिक योजनाओं के आधार पर लक्ष्य (1980-85)	छठी योजना के दौरान उपलब्धि	
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	7,640	6,419	84.0
2.	असम	8,712	7,580	87.0
3.	बिहार	16,550	13,952	84.3
4.	गुजरात	6,295	5,260	83.7
5.	हरियाणा	—	(*)	—
6.	हिमाचल प्रदेश	4,160	5,693	136.6
7.	जम्मू व कश्मीर	2,155	1,153	53.5
8.	कर्नाटक	6,080	6,401	105.3
9.	केरल	—	*	—
10.	मध्य प्रदेश	16,398	18,425	112.4
11.	महाराष्ट्र	8,510	7,761	91.2
12.	मणिपुर	365	200	76.7
13.	मेघालय	906	716	79.0
14.	नागालैण्ड	210	360	171.4
15.	उड़ीसा	6,835	6,531	95.6
16.	पंजाब	—	(*)	—
17.	राजस्थान	6,936	5,945	85.7

1	2	3	4	5
18.	सिक्किम	140	136	97.1
19.	तमिलनाडु	144	150	:04.2
20.	त्रिपुरा	1,290	1,099	85.2
21.	उत्तर प्रदेश	19,868	24,498	123.3
22.	पश्चिम बंगाल	9,010	9,338	70.3
	जोड़ (राज्य)	122,212	110,705	97.1
	जोड़ (संघ शासित क्षेत्र)	939	036	89.0
	जोड़ (अखिल भारत)	123,151	1'9,541	97.1

(*) गांवों का शत प्रतिशत विद्युतीकरण पहले ही किया जा चुका है।

कोंकण क्षेत्र में पेट्रो-रसायन उद्योगों की स्थापना

404. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में थाल और कोकेट में उर्वरक परियोजनाओं के आरम्भ होने को ध्यान में रखते हुए कोंकण क्षेत्र नए पेट्रो-रसायन उद्योग की स्थापना के लिए एक आदर्श और सुविधाजनक स्थल रहेगा; और

(ख) यदि हां, तो कोंकण क्षेत्र में ऐसे उद्योगों की स्थापना हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) इस प्रकार की परियोजना के स्थान की निर्णय तकनीकी आर्थिक आधारों पर किया जाता है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में 1167 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाला एक पेट्रो रसायन परिसर नागोथा जिला रायगढ़ के कोंकण क्षेत्र में कार्यान्वयनाधीन है।

राष्ट्रीय पन बिजली निगम लिमिटेड द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं

405. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पन बिजली निगम लिमिटेड द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा वे कहां स्थित हैं;

(ख) क्या उन राज्यों जिनमे ये परियोजनाएं स्थित हैं तथा निगम के बीच बिजली के शेयर के बारे में कोई मानदण्ड या सिद्धान्त निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय पन बिजली निगम लिमिटेड द्वारा दक्षिण भारत में कोई परियोजना शुरू की गई है या शुरू किए जाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो दक्षिण भारत में कोई परियोजना शुरू न करने का क्या कारण है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लि० द्वारा निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाएं चालू की गई हैं :—

(1) हिमाचल प्रदेश में बैरा स्यूल जल विद्युत परियोजना (180 मेगावाट)

(2) मणिपुर में लोकटक जल विद्युत परियोजना (105 मेगावाट)

(3) नेपाल में देवीघाट जल विद्युत परियोजना (14.1 मेगावाट)

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लि० द्वारा इस समय निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :—

(1) जम्मू और कश्मीर में सलाल जल विद्युत परियोजना (345 मेगावाट)

(2) हिमाचल प्रदेश में चमेरा जल विद्युत परियोजना चरण-1 (540 मेगावाट)

(3) जम्मू और कश्मीर में दुल हस्ती जल विद्युत परियोजना (390 मेगावाट)

(4) उत्तर प्रदेश में टनकपुर जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)

(5) बिहार में कोइल कारो जल विद्युत परियोजना (710 मेगावाट)

(ख) जी हां, केन्द्रीय क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं से विद्युत और लाभ के बंटवारे के लिए भारत सरकार ने एक फार्मूला अनुमोदित किया है ।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लि० द्वारा दक्षिण भारत में कोई जल विद्युत परियोजना हाथ में नही ली गई है अथवा निकट भविष्य में हाथ में लिए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लि० के जरिए केन्द्रीय क्षेत्र में क्रियान्वयन के लिए सामान्यत: केवल वही जल विद्युत परियोजनाएं हाथ में ली जाती हैं जिनका स्वरूप क्षेत्रीय होता है तथा जिस राज्य में वे स्थित होती हैं उस राज्य की तकनीकी, प्रबन्ध व्यवस्था अथवा वित्तीय सक्षमता के बाहर होती है। इसके अलावा उस राज्य को जिसमें जल विद्युत परियोजना स्थित है केन्द्र के बंटवारे के फार्मूले की शर्तों का पालन करने के लिए सहमत होना चाहिए। कोई जल विद्युत परियोजना जो इन पेरामीटरों

के अन्दर आती हो, तथा जो क्रियान्वयन के लिए तैयार हो, दक्षिण भारत में इस समय उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

छोटे उद्यमियों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता

405. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग को संवर्धन की दृष्टि से सरकार ने छोटे उद्यमियों को अपनी औद्योगिक यूनिटों को सफल बनाने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु कोई नीति/नियम बनाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या छोटे उद्यमियों की यह शिकायत रहती है कि उन्हें परेशान किया जाता है और उनके मामलों में अकारण देर की जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) लघु एककों के लिए लोहा और इस्पात सामग्री की पूर्ति आम तौर पर मुख्य उत्पादकों की संयुक्त संयंत्र समिति (ज्वाइंट प्लांट कमेटी) द्वारा लोहा और इस्पात के वितरण के लिए निर्धारित किए गए मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के अनुसार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के अपने-अपने लघु उद्योगों निगमों द्वारा की जाती है। समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन किया जाता है।

(2) अल्युमीनियम नियन्त्रक, खनन विभाग अल्युमीनियम के भार के अनुसार एकक की क्षमता और अधिकतम खरीद के आधार पर केबलों/कंडक्टरों का निर्माण करने वाले एककों के लिए एफ० सी० ग्रेड अल्युमीनियम का आवंटन करता है।

(3) साबुन बनाने वाले लघु एककों के लिए पाम फैटी एसिडों का वितरण राज्य उद्योग निदेशालयों के नामजदों—आम तौर पर राज्य लघु उद्योग निगमों द्वारा किया जाता है।

(4) अलग-अलग लघु उद्योग एककों के लिए पैराफिन वैक्स का वितरण उनके राज्य उद्योग निदेशालय द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर भारतीय तेल निगम द्वारा किया जाता है।

(घ) और (ङ) दुर्लभ कच्चे माल की कमी के सम्बन्ध में जब कभी लघु उद्योग एककों से

शिकायतें मिलती हैं, इन पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उपर्युक्त प्राधिकारियों/एजेंसियों से सम्पर्क किया जाता है।

[अनुवाद]

गुजरात के विद्युत केन्द्र और पेट्रो-रसायन कम्पलैक्स के लिये दक्षिणी बेसिन गैस क्षेत्र से गैस की सप्लाई

407. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात में गैस पर आधारित विद्युत केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या दक्षिणी बेसिन और अन्य बम्बई हाई गैस क्षेत्रों में फालतू गैस उपलब्ध है;

(ग) क्या सूरत के निकट हजीरा में स्थापित किये जाने वाले राज्य पेट्रो-रसायन कम्पलैक्स को गैस की सप्लाई दक्षिण बेसिन गैस क्षेत्र से की जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं। तथापि, गुजरात में विद्युत उत्पादन के लिए सम्बद्ध गैस की सप्लाई नियमित आधार पर की जा रही है।

(ख) बम्बई हाई की अधिशेष सम्बद्ध गैस की सप्लाई उपलब्ध होने पर और बिल्कुल "फाल बैक" के आधार पर एम० एस०इ०बी०, टी० इ०सी०, बी०पी०सी० एल० और एच० पी० सी० एल० को की जा रही है। दक्षिणी बेसिन से "फ्री गैस" का उत्पादन शुरू नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) सूरत में स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित स्टेट पेट्रोकैमिकल्स काम्पलेक्स के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस की सप्लाई की सम्भावना की जांच की जा रही है।

गुजरात में खोदे गये तेल के कुएं

408. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात में कलोल, मेहसना, सनन्द, खम्बात तथा अंकलेश्वर, आदि तेल क्षेत्रों में अब तक कितने तेल के कुएं खोदे गये हैं;

(ख) खोदे गये कुल कुओं में से कितने कुओं में हाइड्रो-कार्बन मिलने के संकेत मिले हैं; और

(ग) गुजरात में हाइड्रो-कार्बन की और खोज करने का क्या कार्यक्रम है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) 1.10.1985 तक ओ० एन० जी० सी० ने कच्छ सहित गुजरात राज्य में कुल 1613 कुओं की खुदाई की। इनमें से 1017 कुओं को हाइड्रोकार्बनों से सम्पन्न पाया गया। कुछ कुएं परीक्षणाधीन हैं तथा कुछ पर परीक्षण होना शेष है।

(ग) 1985-86 के अन्वेषण कार्यक्रम में 53 अन्वेषी कुओं की खुदाई करने का विचार है।

हजीरा में पेट्रो रसायन काम्पलेक्स की स्थापना

409. **श्री रंजीत सिंह गायकवाड़** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में सूरत के निकट हजीरा में एक पेट्रो-रसायन काम्प्लेक्स की स्थापना के लिए गुजरात सरकार को अनुमति प्रदान करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा पेट्रो-रसायन काम्पलेक्स के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र की कंपनी को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो गैर सरकारी कंपनी का नाम क्या है और परियोजना में निवेश करने के लिए इसका कितना शेयर होगा ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) गुजरात राज्य के एक राज्य सरकार के उपक्रम मैं० गुजरात स्टेट पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि० ने गुजरात राज्य के सूरत जिले में हाजिरा अथवा कवास तहसील में एक पेट्रोकेमिकल्स कम्पलैक्स की स्थापना करने हेतु एक औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। कारपोरेशन द्वारा यह दर्शाया गया है कि अस्थाई तौर पर पेट्रोकैमिकल्स कम्पलैक्स की स्थापना संयुक्त क्षेत्र में करने का प्रस्ताव है।

इस आवेदन पत्र पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना

410. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की रायगढ़ जिले में वनों पर आधारित कुछ उद्योग स्थापित करने की भारी सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त जिले में इस किस्म के उद्योग स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जिला रायगढ़, मध्य प्रदेश में वनों पर आधारित मंझोले/बड़े उद्योगों को कच्चा माल अबाध रूप से मिलते रहने के बारे में ठीक-ठीक जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। किन्तु मई 1985 में राज्य सरकार से मिली सूचनाओं के अनुसार जिला रायगढ़ में वनों पर आधारित 847 छोटे औद्योगिक एकक स्थापित किये जा चुके हैं।

रायगढ़ जिले में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना

411. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में कृषि पर आधारित कुछ उद्योग स्थापित करने की बहुत गुंजाइश है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार के उद्योग स्थापित करने की सम्भावनाओं का पता लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) मध्य प्रदेश के उक्त जिले में इस प्रकार के उद्योग स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना के बारे में संभाव्यताओं का पता लगाने के लिए सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है और न ही सरकार को ऐसे किसी सर्वेक्षण की जानकारी है।

मारुति कारों के लिये निर्यात बाजार

412. **श्री मोहन भाई पटेल**
श्री चिन्तामणि जैना } : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष सितम्बर के अन्त तक कितनी मारुति कारों का निर्माण किया गया;

(ख) अब तक कितने व्यक्तियों को मारुति कारें आवंटित की गयी हैं;

(ग) प्रतीक्षा सूची में अभी कितने व्यक्ति हैं;

(घ) क्या मारुति कारों के लिए निर्यात बाजार का पता लगाने का निर्णय किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जो मारुति कारों का आयात करना चाहते हैं; और

(च) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) मारुति उद्योग लिमिटेड ने सितम्बर, 1985 के अन्त तक 40,604 कारों का निर्माण किया था।

(ख) सितम्बर, 1985 के अन्त तक 36,879 ग्राहकों को कारों की सप्लाई की गई थी।

(ग) 31-10-1985 को 70854।

(घ) से (च) मारुति उद्योग लिमिटेड पड़ोसी और पूर्वी योरूप के देशों को अपनी गाड़ियों का निर्यात करने के बारे में बातचीत कर रहा है। अभी तक किसी संविदा को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

बम्बई हाई से तेल के उत्पादन में कमी

413. **श्री मोहन भाई पटेल**
श्री चिन्तामणि जेना } : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 अगस्त, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार के अनुसार बम्बई हाई से तेल के उत्पादन में कमी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस समय बम्बई हाई के पठारी क्षेत्र में 19-20 मिलियन टन प्रति वर्ष की दर से उत्पादन हो रहा है। सातवीं योजना के दौरान इसी दर से उत्पादन होने की आशा है। इस पठारी दर को कायम रखने के लिये कई उपाय किये गये हैं, जैसे कि पानी इंजेक्ट करके दबाव को बनाये रखना

बनावटी लिफ्ट तरीकों का भी प्रयोग किया जाएगा। इस क्षेत्र से अधिकाधिक समय के लिए उत्पादन कायम रखने के लिए बाद में वृद्धिशील तेल प्रति प्राप्ति योजनाओं को लागू करने का भी विचार है।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पाद की तस्करी

414. **श्री जगन्नाथ प्रसाद**
श्री साइमन तिग्गा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बिहार जैसे देश के विभिन्न भाग में, जहां से पेट्रोलियम उत्पादों की नेपाल और तिब्बत के रास्ते चीन को तस्करी की जाती है, पेट्रोलियम उत्पादों की तस्करी बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन तस्करी संबंधी गतिविधियों की कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो गिरफ्तार किये गये दोषी व्यक्तियों की संख्या क्या है और उनके विरुद्ध क्या कारंवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

कर्नाटक में ग्राम विद्युतीकरण और पम्प सैट से बिजली पैदा करना

415. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजनावधि के दौरान गांवों के विद्युतीकरण और नलकूप से बिजली पैदा करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा वर्षवार निर्धारित लक्ष्य क्या था;

(ख) उक्त योजनावधि में विभिन्न राज्यों में उपयुक्त क्षेत्रों में वर्ष-वार क्या प्राप्ति की गई; और

(ग) सातवीं योजनावधि में कर्नाटक में कितने गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का विचार है ?

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत राज्यवार और वर्षवार छठी योजना के ग्राम विद्युतीकरण और पम्प सेटों के ऊर्जन के लक्ष्य और उपलब्धियां दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान सभी वित्तीय स्रोतों से कर्नाटक राज्य में 4524 गांवों को विद्युतीकृत करने का प्रस्ताव है।

विवरण

ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों के अन्तर्गत राज्यवार और वर्षवार छठी योजना के लक्ष्य और उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य का नाम	1980-81				1981-82			
		ग्राम विद्युतीकरण		पम्पसेटों का अर्जन		ग्राम विद्युतीकरण		पम्पसेटों का अर्जन	
		लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	900	1005	27500	27006	1020	1283	31650	30147
2.	असम	1000	1 24	2500	83	265	938	3790	24
3.	बिहार	2500	1846	19000	4750	2810	3071	19110	7552
4.	गुजरात	600	898	13500	12623	685	555	18030	10401
5.	हरियाणा	—	—	5400	12195	—	—	6420	6009
6.	हिमाचल प्रदेश	850	1129	70	98	1000	1136	85	129
7.	जम्मू तथा कश्मीर	400	292	50	153	420	129	55	25
8.	कर्नाटक	550	243	6600	5698	680	395	9090	16807
9.	केरल	—	—	4600	5081	—	—	4730	2622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	मध्य प्रदेश	2100	3952	25000	31828	2250	3529	47070	33787
11.	महाराष्ट्र	750	1321	19500	27682	965	661	31940	24335
12.	मणिपुर	30	12	50	—	25	41	130	—
13.	मेघालय	90	154	30	—	85	168	80	6
14.	नागालैण्ड	40	47	—	—	35	43	—	—
15.	उड़ीसा	13:0	1266	6100	3236	1470	1206	11010	2909
16.	पंजाब	—	—	13000	12668	—	—	19400	14393
17.	राजस्थान	1000	961	15000	19841	1080	1161	25230	12975
18.	सिक्किम	—	—	—	—	25	—	—	—
19.	तमिलनाडु	40	17	10000	10896	50	24	6900	11232
20.	त्रिपुरा	200	154	300	69	165	204	800	305
21.	उत्तर प्रदेश	2500	3722	14000	17069	2550	3200	26235	22504
22.	पश्चिम बंगाल	1600	1000	9100	818	1745	2021	14645	746
	जोड़ :	16500	19243	191300	191694	18025	19765	276400	200508

1982-83				1983-84				1984-85			
ग्राम. विद्युतीकरण		पम्पसेटों का अर्जन		ग्राम विद्युतीकरण		पम्पसेटों का अर्जन		ग्राम विद्युतीकरण		पम्पसेटों का अर्जन	
लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1200	1406	38300	41332	1383	951	24260	45050	1100	51144	44260	55380
1050	799	970	183	950	1919	950	228	2000	2199	900	126
4400	4207	81800	7092	4500	3451	26500	3814	1500	601	6000	3286
700	438	23700	6413	910	653	21950	10427	720	953	16000	17538
*	—	10000	10872	*	—	15000	10065	—	*	11000	10331
900	3575	730	149	700	759	100	138	535	861	100	106
476	1267	67	78	4308	254	69	69	171	171	70	74
550	2420	12700	22496	479	703	17620	34396	1030	1453	26810	40424
*	—	4700	6473	*	—	9590	6505	—	*	10300	11443
2660	3581	30600	35126	3195	3784	31190	34437	2900	3630	25000	36578
1400	1049	44000	34482	1060	822	31800	38778	818	810	38000	53849
100	28	50	2	50	75	10	9	50	51	10	12

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
170	129	100	—	195	141	—	—	156	124	—	3
20	61	—	—	27	43	—	—	23	74	—	—
11[illegible]9	1136	9000	3134	1210	1121	7900	2952	1210	1240	4230	3181
*	—	14500	25880	*	—	25000	47[illegible]45	—	*	25790	25378
1200	959	230900	9460	1000	1206	9000	11120	900	1244	8450	17871
25	11	*880	—	4	36	—	—	52	35	—	—
80	11	*0200	13160	24	28	15800	13067	10	8	7500	32164
400	310	300	185	300	205	200	67	180	160	100	19
2780	3930	31110	14251	3200	3329	31000	17657	2900	3420	20250	20133
1950	1270	3000	1602	1780	703	9300	4110	950	865	9500	7321
21228	21587	325907	232370	21282	20183	276439	280434	17205	19843	248270	335217

*सभी गांव पहले ही विद्युतीकृत किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

बिजली के मामले में बिहार को आत्मनिर्भर बनाना

416. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार बिजली का प्रति व्यक्ति उत्पादन कितना है;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार में बिजली का प्रति व्यक्ति उत्पादन अखिल भारतीय औसत से बहुत कम है; और

(ग) सरकार बिहार को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और बिजली के संकट को दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र की विद्युत संबंधी आवश्यकता उसके अपने विद्युत केन्द्रों के उत्पादन, संयुक्त स्वामित्व वाली परियोजनाओं में उसके हिस्से, केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में उसके हिस्से तथा पड़ोसी प्रणालियों से सहायता प्राप्त करके पूरी की जाती है। इसलिये राज्यों में विद्युत के उत्पादन की बजाए विद्युत की खपत के आधार पर राज्यों के बीच सापेक्ष तुलना करना अधिक तर्कसंगत है। 1983-84 के दौरान (अद्यतन वर्ष जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं) बिजली की प्रति व्यक्ति खपत के बारे में राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) बिहार में विद्युत की कमी का मुख्य कारण प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता अपर्याप्त होना तथा पतरातू और बरौनी ताप विद्युत केन्द्रों का कार्यनिष्पादन असंतोषजनक होना है। वर्ष 1985-86 के दौरान बिहार में 220 मेगावाट टन नई क्षमता जोड़े जाने की संभावना है। फरक्का यूनिटों के सुस्थिर हो जाने पर फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र से भी बिहार को अपना हिस्सा प्राप्त होगा। ताप विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए पतरातू, बरौनी और कर्बीधीया ताप विद्युत केन्द्रों के व्यापक नवीकरण तथा आधुनीकीकरण सहित अनेक उपाय किए जा रहे हैं।

विवरण

1983-84 के दौरान राज्यवार बिजली की प्रति व्यक्ति खपत (अनन्तिम)

राज्य/संघशासित क्षेत्र का नाम	प्रति व्यक्ति खपत (यूनिट)
1	2
उत्तरी क्षेत्र	
हरियाणा	245
हिमाचल प्रदेश	89

1	2
जम्मू और कश्मीर	105
पंजाब	354
राजस्थान	126
उत्तर प्रदेश	103
चंडीगढ़	386
दिल्ली	467
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	274
मध्य प्रदेश	137
महाराष्ट्र	267
गोआ, दमन दिव	279
दादर और नागर हवेली	86
दक्षिणी क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	142
कर्नाटक	166
केरल	113
तमिलनाडु	178
पांडिचेरी	222
लक्षद्वीप	58
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	91
उड़ीसा	135
पश्चिम बंगाल	123
ए० और एन० इसलैंड	63
सिक्किम	52

1	2
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	
असम	42
मणिपुर	13
मेघालय	69
नागालैंड	49
त्रिपुरा	21
अरुणाचल प्रदेश	27
मिजोरम	25
अखिल भारत	154

[अनुवाद]

जाली मनिआर्डरों और तार मनिआर्डरों का भुगतान

417. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक सर्किल में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और सर्किल-वार जाली मनिआर्डर और तार मनिआर्डर के पृथक-पृथक कितने मामलों में भुगतान किया गया है;

(ख) उक्त प्रत्येक वर्ष में जाली मनीआर्डर के लिए कितनी धनराशि की अदायगी की गई;

(ग) वर्ष-वार कितनी धनराशि वसूल की गई; और

(घ) कार्यकरण में किन कमियों के कारण जाली भुगतान हुआ और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिंगरौली क्षेत्र के रिहन्द जलाशय के इर्द-गिर्द चल रही विद्युत परियोजनाएं

418. **श्री मूल चंद डागा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरौली क्षेत्र में रिहन्द जलाशय के इर्द-गिर्द कितनी विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं अथवा चलाने का विचार है तथा इनके मालिकों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) विद्युत परियोजनाओं के लिए इस स्थल का चुनाव कब किया गया था और इस वरियता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रक्षा तथा पर्यावरण मंत्रालयों की ओर से आपत्तियां की गई थीं, यदि हां, तो इनका समाधान कैसे किया गया;

(घ) वहां स्थापित किए गए इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपीटेटर्स (ई०एस०पी०) की संख्या तथा किस्म क्या है;

(ङ) क्या प्रयोग होने वाले कोयले की विभिन्न किस्मों को दृष्टि में रखते हुए पूरी सावधानी बरती गई है और क्या इस क्षेत्र में स्थापित हर चिमनी ई०एस०पी० की है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) रिहन्द जलाशय के आस-पास सिंगरौली क्षेत्र में प्रचालनाधीन/क्रियान्वयनाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) कोयला तथा जल जैसे आवश्यक निवेशों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा गठित स्थल चयन समिति ने 1975-76 में वृहत ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना के लिए सिंगरौली स्थल का चयन किया था।

(ग) रक्षा और पर्यावरण मन्त्रालय की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई थी।

(घ) सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र की सभी 5 यूनिटों में, जो कि प्रचालनाधीन हैं, 99.5% कार्यक्षमता के आधुनिक डिजाइन के इलेक्ट्रो-स्टेटिक प्रिसिपिटेटर प्रतिष्ठापित कर दिए गए हैं।

(ङ) बायलरों का डिजाइन उपयोग किए जाने वाले कोयले के विशिष्ट ग्रेड के लिए बनाया जाता है तथा रेणुसागर कैप्टिव विद्युत संयंत्र को छोड़कर सभी परियोजनाओं में इलेक्ट्रो-प्रिसिपिटेटर लगे हुए हैं।

(च) रेणु सागर विद्युत संयंत्र की पहली दो यूनिटें (यूनिट-एक और दो) 1967 में प्रतिष्ठापित की गई थीं, जबकि वायु प्रदूषण अधिनियम लागू नहीं किया गया था तथा आस-पास में कोई अन्य उद्योग भी नहीं था। इन यूनिटों में 85% कार्यक्षमता के मेकेनिकल डस्ट कलेक्टर प्रतिष्ठापित किए गए थे। रेणु सागर कैप्टिव विद्युत संयंत्र (2 × 67.5 मेगावाट) के विस्तार के प्रस्ताव को 1979 में इस शर्त के साथ स्वीकृति दी गई थी कि पर्यावरण विभाग की सिफारिशों के आधार पर वर्तमान यूनिटों तथा नई यूनिटों में इलेक्ट्रो-स्टेटिक प्रिसिपिटेटर प्रतिष्ठापित किए जाएंगे। रेणुसागर कम्पनी धूल एकत्र करने की प्रणाली को आधुनिक बना रही है, जिससे पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े।

विवरण

सिंगरौली क्षेत्र में प्रचालनाधीन ताप विद्युत केन्द्र

परियोजना का नाम	क्षमता	स्वामित्व
रेणु सागर कैप्टिव विद्युत संयंत्र	4 × 67.5 मेगावाट	मैसर्स रेणु सागर विद्युत कम्पनी
सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र	5 × 200 मेगावाट	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम

सिंगरौली क्षेत्र में निर्माणाधीन ताप विद्युत केन्द्र

1. सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	2 × 500 मेगावाट	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम
2. रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र —चरण-एक*	2 × 500 मेगावाट	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम
3. विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना—चरण-एक*	6 × 210 मेगावाट	राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम
4. रेणु सागर कैप्टिव विद्युत संयंत्र विस्तार	1 × 6¯.5 मेगावाट	मैसर्स रेणु सागर विद्युत कम्पनी
5. अनपारा ताप विद्युत केन्द्र	(3 × 210 मेगावाट + 2 × 500 मेगावाट)	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड

*इन परियोजनाओं के विस्तार चरण भी भविष्य में सिंगरौली क्षेत्र में चालू किए जाने का प्रस्ताव है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में बिजली का उत्पादन

419. श्री हुसैन दलवाई
श्री राधाकान्त डिगाल } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र को परम्परागत और गैर-परम्परागत स्रोतों से बिजली का उत्पादन करने की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादित बिजली ऊर्जा मन्त्रालय के माध्यम से सप्लाई की जाएगी अथवा सीधे गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा;

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा उत्पादन इस प्रकार की बिजली के मूल्य पर कोई नियंत्रण रखा जाएगा; और

(घ) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को इस प्रकार की ऊर्जा के लिए कोई मूल्य लेने की अनुमति दी जाएगी ?

विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) बिजली के उत्पादन और वितरण से संबंधित नीति औद्योगिक नीति संकल्प, 1956 के द्वारा विनियमित होती है। इस संकल्प के अनुसार बिजली का उत्पादन और वितरण उद्योगों को अनुसूची "क" श्रेणी के अन्तर्गत आता है, जिसके भावी विकास का दायित्व एकमात्र राज्य का है। नई यूनिटों की स्थापना में निजी उद्यमियों का सहयोग प्राप्त करने की संभाव्यता पर जबकि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना अपेक्षित हों, यह संकल्प कोई रोक नहीं लगाता है। इस नीति के अनुसरण में सरकार ने वर्तमान निजी स्वामित्व वाली विद्युत युटिलिटियों में यूनिटों के प्रतिस्थापन/विस्तार की अनुमति दी है। जहां भारी मात्रा में विद्युत की आवश्यकता होती है और सतत् एवं विश्वसनीय सप्लाई आवश्यक होती है कैप्टिव विद्युत यूनिटों के लिए अनुमति दी जाती है।

(ख) से (घ) निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित विद्युत राज्य ग्रिडों के जरिए पारेषित की जाती है। सप्लाई की गई बिजली की कीमत राज्य बिजली बोर्डों के साथ हुए समझौते के अध्यधीन होती है।

क्रास-बार टेलीफोन प्रणाली का प्रयोग

420. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में संचार व्यवस्था के कार्यकरण को कारगर बनाने के लिए अब तक क्या प्रभावशाली कदम उठाये हैं।

(ख) क्या यह सच है कि भारत में शुरू की गई जापानी क्रास-बार टेलीफोन प्रणाली जापान में पुरानी पड़ गई है; और

(ग) यदि हां, तो भारत में दूर-संचार की ऐसी परित्यक्त प्रणाली लागू करने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) देश में संचार नेटवर्क के कार्यकरण को कारगर बनाने के लिए कुछ प्रभावी उपाय निम्न प्रकार हैं :—

1. अब तक प्रयुक्त इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचन उपस्कर से, अन्तर्भूत समस्याओं से बचने के लिए उन्नत किस्म के इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना।

2. कार्य अवधि पूरी करने वाले उपस्करों को बदलना।

3. इंटर एक्सचेंज कार्यकरण में सुधार करने के संबंध में एक्सचेंज उपस्कर। विशेषकर इंटर एक्सचेंज जंक्शनों का विशेष परीक्षण किया जा रहा है।

4. उचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न एक्सचेंजों में वातानुकूलन संयंत्रों के कार्यकरण को नियमित रूप से मानिटर किया जा रहा है।

5. नए जंक्शन, प्राइमरी तथा सैकेंडरी केबिलों को बाह्य टूट-फूट से बचाने के लिए नलिकाओं (डक्ट्स) में बिछाना।

6. केबिल दोषों को कम करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी तथा जंक्शन केबिलों का दाबीकरण।

7. दोषों से बचने के लिए केबिलों में जल प्रवेश रोकने के लिए वितरण नेटवर्क में जेली भरे केबिलों का प्रयोग करना।

8. केबिल खाइयों को बन्द करने से पूर्व उनमें पानी भरना ताकि खाई खोदने या केबिलों के बिछाने के दौरान किसी प्रकार की टूट-फूट का पता लगाया जा सके। जनता से कहा जा रहा है कि वे खुदाई कार्य करने से पूर्व खुदाई के संबंध में टेलीफोन विभाग को सूचना दे ताकि खुदाई कार्य में लगी अन्य एजेंसियों से निरन्तर सम्पर्क बना रहे।

9. किसी प्रकार के खुदाई कार्यों का पता लगाने के लिए केबिल मार्गों की व्यापक गश्त लगाना और केबिलों को टूट-फूट से बचाने के लिए एहतियाती उपाय करना।

10. बेहतर सेवा तथा अधिक विश्वसनीय सेवा प्रदान करने के लिए पल्स कोड माड्यूलेशन, कोक्सियल तथा माइक्रोवेव माध्यमों पर उच्च ग्रेड जंक्शन सर्किटों की व्यवस्था करना।

11. लाइन पर दोषों को कम करने के लिए उपभोक्ता फिटिंग व डी० पी० बाक्स की पुर्नस्थापना करना।

12. पतंग डोरियों, पक्षियों के घोंसलों आदि के कारण होने वाले दोषों जिनसे संयुक्त अथवा लो-इंसूलेशन दोष उत्पन्न होते हैं, से बचने के लिए इंस्यूलेटिड ड्राप वायरों द्वारा ऊपरी वायरों को बदलना।

13. बेहतर टेलीफोन उपकरणों का प्रयोग करना।

14. टूट-फूट के कारण होने वाले दोषों से बचने के लिए उपरोक्ता के आहतों की फिटिंग में तांबे के तारों के स्थान पर एल्यूमिनियम तार लगाना।

15. दोषों की अवधि कम करने के लिए केबिल रिकार्डों तथा दोष निवारक सेवा का कम्प्यूटरीकरण करना।

16. डायेरक्टरी सहायता (197) सेवा तथा रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण करना।

17. आपरेटर सहायता प्राप्त (180) ट्रंक सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण करना।

18. आटो मैनुअल सर्विस तथा ट्रंक सर्विस की मानिटरिंग की जा रही है। ताकि इन सेवाओं पर शीघ्र उत्तर मिल सके।

19. उपभोक्ताओं की शिकायतों का एक ही स्थान पर निपटान करने के लिए महाप्रबंधक मुख्यालयों तथा क्षेत्रीय प्रबंधकों के कार्यालयों में सार्वजनिक शिकायत कक्ष खोले गए हैं।

20. एस० टी० डी० सेवाओं में सुधार लाने के लिए बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास के नेटवर्क में चार एस० पी० सी० टेक्स लागू किए जा चुके हैं। अन्य क्षेत्रों में एस०टी०डी० सेवाओं में सुधार लाने के लिए इस योजना अवधि के दौरान कुछ और डिजिटल टी० ए० एक्स० संस्थापित करने की योजना है।

21. दुर्गम स्थानों की संचार व्यवस्था में वृद्धि करने के लिए दूरवर्ती क्षेत्रों की संचार प्रणाली के एक्सटेंशन के रूप में धीरे-धीरे उपग्रह संचार व्यवस्था शुरू की जा रही है।

22. सभी जिला मुख्यालयों तथा 1000 लाइनों से अधिक की क्षमता वाले एक्सचेंजों को उनके राज्य के मुख्यालयों से उच्च गुणता वाली संचारण प्रणाली जोड़ने का प्रस्ताव है।

(ख) जी नहीं। हर जगह प्रणाली संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजकोट जिले में नये टेलीफोन एक्सचेंज तथा डाक घर खोलना

421. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी माई मावणि** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1-1-1982 से 30-9-1985 की अवधि के दौरान राजकोट के विभिन्न क्षेत्रों गोंडल, मोरवी, जेतपुर, धोराजी तथा राजकोट जिले में अन्य स्थानों में टेलीफोन एक्सचेंज तथा डाकघर खोले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अवधि के दौरान प्रत्येक पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(घ) प्रत्येक की योजना तथा परियोजना तथा प्राक्कलन का ब्यौरा क्या है;

(ङ) उपर्युक्त योजनाओं, परियोजनाओं तथा प्राक्कलन को समय पर पूरा करने में विलम्ब होने के कारण क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण --एक में दी गई है।

(ग) खर्च की राशि इस प्रकार है :—

(i) टेलीफन एक्सचेंजों के लिए — 19,61,918/- रुपए

(ii) डाकघरों के लिए — 1,27,615/- रुपए

(घ) जानकारी संलग्न विवरण "दो" में दी गई है।

(ङ) योजनाओं को कार्यान्वित करने में विलम्ब का कारण, एक्सचेंज भवन का उपलब्ध न होना है।

विवरण--एक

राजकोट जिले में 1.1.82 से 30.9.85 तक राजकोट, गोंडल, जेतपुर, धोरा आदि के विभिन्न क्षेत्रों में खोले गए टेलीफोन एक्सचेंज और डाकघरों की संख्या

क्रम० सं०	टेलीफोन एक्सचेंज		डाकघर
1.	पिपवा	1.	समधियाला
2.	माहिका	2.	कनकोट
3.	मोविया	3.	हादमातिया
4.	वडसार	4.	तारकिया
5.	सारपडाड	5.	मनहारप्लोट टी०एस०ओ०
6.	नेवकनाम	6.	मलान्का
7.	अनिदा	7.	गढादिया
8.	शिवराजगढ़		
9.	सिंधवडार		

क्रम० सं०	टेलीफोन एक्सचेंज
10.	बावनिया
11.	खजूरदा
12.	चित्रावाड
13.	सेतवाडला
14.	खिरसार
15.	संथली
16.	जेतपरमाछू
17.	टाटापुर
18.	अमरान

विवरण—दो

टेलीफोन एक्सचेंजों से संबंधित प्लान परियोजना एवं प्राक्कलन

1. इस वर्ष के दौरान राजकोट में 5000 लाइनों के जापानी किस्म के एक्सचेंज के चालू करने का निश्चय किया गया है।

2. वर्ष 1987 तक 5000 अतिरिक्त लाइनों के जोड़ने की संभावना है।

3. गोंडल, जेतपुर, धोराजी और उपलेटा क्षेत्रों में मैनुअल एक्सचेंजों को स्वचल एक्सचेंजों में बदलने के लिए परियोजना प्राक्कलन की मंजूरी पहले ही दे दी गई है।

4. मोरवी में एम०ए०एक्स०-II को एम०ए०एक्स०-I में बदलने के लिए परियोजना प्राक्कलन की मंजूरी दे दी गई है।

कालीकट में पुलिस और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के बीच मुठभेड़

422. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अगस्त, 1985 में कालीकट में पुलिस और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के बीच हुई मुठभेड़ की जानकारी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस घटना के कारणों की जांच की है; यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई अचानक औजार न उठाने की हड़ताल से संचार विभाग को कितना नुकसान हुआ;

(घ) क्या मुठभेड़ के दौरान उपकरणों और फर्नीचर आदि के नष्ट किये जाने से कालीकट टेलीफोन एक्सचेंज को हुए नुकसान का कोई आंकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोचीन पत्तन में डीजल के रिसाव से लगी आग

423. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोचीन पत्तन में डीजल के रिसाव से भयंकर आग लगी थी;

(ख) क्या उक्त रिसाव के कारणों के प्रभावों के बारे में कोई जांच कराई गयी है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) कोचीन में दिनांक 20 अक्टूबर, 1985 को एक उत्पाद पाइपलाइन से डीजल के रिसने से आग लग गई थी।

(ख) और (ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने उस स्थान का दौरा किया था और दुर्घटना के कारणों की जांच की थी। शहर के नालों से गुजरने वाली पाइपलाइन के भाग में जंग लग जाने के कारण यह रिसाव हुआ था।

(घ) पाइपलाइन के प्रभावित भाग को बदल दिया गया है। नालों से गुजरने वाली पाइपलाइन के अन्य भागों का भी दबाव परीक्षण किया गया था और दो अन्य खण्डों को भी बदल दिया गया है। प्रभावित भागों को बदलने के पश्चात् पूर्ण लाइन का हाइड्रो परीक्षण किया गया और इसे पुनः आरम्भ किया गया।

अग्नि शमन उपस्करों/क्षमता में वृद्धि करने के अतिरिक्त समय-समय पर पाइपलाइन के दबाव परीक्षण द्वारा ऐसी रिसाव की पुनरावृत्ति को रोकने का प्रस्ताव है।

कोयले से तेल निकाला जाना

424. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के वैज्ञानिक कोयले से तेल निकालने की प्रक्रिया में किस सीमा तक सफल हुए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने किन-किन स्थानों पर इस प्रक्रिया में परीक्षण किए हैं और उसमें प्राप्त उपलब्धि का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) कोयले के तरल ईंधन में परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास कार्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं में तथा कुछ भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों में चल रहा है। यह प्रयोगशालाएं हैं केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद और राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे। इस संबंध में ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(i) **कोयले का सीधे हाइड्रोजनीकरण**

इस प्रक्रिया के अनेक पहलुओं पर बुनियादी कार्य किया जा चुका है। केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान में 0.5 टन कोयला प्रति दिन का एक बेंच स्केल यूनिट लगाया गया है तथा रानीगंज और असम कोयले के नमूनों पर प्रारंभिक परीक्षण किए जा चुके हैं।

(ii) **फिशर-ट्रॉपिक संश्लेषण**

केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (हैदराबाद) तथा राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला में तरल ईंधन बनाने के लिए संश्लेषण गैस (सी० ओ + एच$_2$) के परिवर्तन के लिए उत्प्रेरको (कैटोलिस्ट्स) का विकास किया गया है केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ने लगभग 3 लिटर उत्प्रेरक परिमाण वाला एक बेंच स्केल रिऐक्टर लगाया है।

(iii) **कोलतार का हाइड्रोजनीकरण**

केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (हैदराबाद) तथा भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, बम्बई ने गत समय में सतत प्रवाह रिऐक्टरों में कोलतार के मध्य आसुतों में हाइड्रोजनीकरण पर कार्य किया है। उत्प्रेरकों और प्रक्रिया परिमापों (पैरामीटरों) पर आंकड़े तैयार कर लिए गए हैं जो पर्याप्त मात्रा में कोल तार उपलब्ध होने पर भविष्य के संयंत्रों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

गोदावरी-कृष्णा बेसिन के संबंध में अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

425. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का "गोदावरी-कृष्णा बेसिन" के संबंध में अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने का विचार है, क्योंकि इससे बड़ी मात्रा में गैस और पेट्रोलियम प्राप्त हो रहा है; और

(ख) वहां पर पाए गए गैस और पेट्रोलियम की उपलभ्यता का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के विचाराधीन नहीं है। समस्त प्रकार के खोज संबंधी कार्य आयोग की विभिन्न शोध-शालाओं में केन्द्रीय रूप से किये जाते हैं।

(ख) अब तक कृष्णा गोदावरी बेसिन में लगभग 4 मिलियन टन हाइड्रोकार्बनों के भूमिगत भण्डारों का होना सत्यापित हुआ है।

हालांकि 4 तटीय क्षेत्रों में गैस तथा 2 अपतटीय क्षेत्रों में गैस तथा तेल का पता चला है परन्तु व्यापारिक व्यवहार्यता को स्थापित करने के लिये आगे और अन्वेषण की आवश्यकता है।

बिहार में टेलीफोन सेवा में बिगाड़

426. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के सभी जिलों में टेलीफोन सेवाओं की हालत दिनों-दिन बिगड़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार में टेलीफोन सेवाओं के सुधार के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। बिहार के सभी जिलों में टेलीफोन सेवाएं दिन-प्रति-दिन बिगड़ रही हैं, ऐसी बात नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बिहार में जिला मुख्यालयों की टेलीफोन सेवा में सुधार करने के लिए निम्नलिखित और कदम उठाये जा रहे हैं :

(एक) सभी जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है।

(दो) जिला मुख्यालयों के मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंजों को धीरे-धीरे स्वचल एक्सचेंजों में बदला जा रहा है।

(तीन) जिला मुख्यालयों को भी धीरे-धीरे माइक्रोवेव या यू० एच० एफ० जैसे उच्चस्तरीय माध्यमों के साथ जोड़ा जा रहा है।

[हिन्दी]

बिहार में टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

427. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य में बिहार के टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण करने की कोई योजना है, :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उस पर कुल कितनी राशि व्यय की जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

बिहार के टेलीफोन एक्सचेंजों को आधुनिक बनाने के लिए सातवीं योजना के दौरान शुरू किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यों का ब्योरा

1. **एक्सचेंज क्षमता को बढ़ाना :**

एम० ए० एक्स-I का 13000 लाइनों का विस्तार

एम० ए० एक्स-II का 9000 लाइनों का विस्तार

एम० ए० एक्स-III का 9000 लाइनों का विस्तार

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. गया में 3000 इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लाइनों द्वारा विस्तार
2. भागलपुर में 2000 क्रासबार लाइनों द्वारा विस्तार।
3. पटना एक्सचेंज का 5000 से 7000 लाइनों में विस्तार और इसके बाद 9000 पेंटाकौंटा क्रासबार लाइनों द्वारा विस्तार।

4. झरिया एक्सचेंज का 2100 से 3000 पेंटाकोंटा क्रासबार लाइनों द्वारा विस्तार दरभंगा, लहरिया सराय, बाकारों, हजारी बाग और धुरवा स्थित मौजूदा एम० ए० एक्स-II टाइप एक्सचेंजों को एम० ए० एक्स-I टाइप एक्सचेंजों द्वारा बदलना।

5. पटना 6000 लाइनों के मौजूदा एक्सचेंज के बदले 10000 लाइनों के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की स्थापना और पाटलीपुत्र में एम०ए० एक्स-II एक्सचेंज की स्थापना।

2. मैनुअल एक्सचेंजों को उत्तरोत्तर बदलना।

3. ट्रंक नेटवर्क का आधुनिकीकरण :

1. 15 अतिरिक्त ट्रंक एक्सचेंज खोलना।

2. रांची और मुजफ्फरपुर में दो इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज खोलना। उपर्युक्त कार्यों में लगभग 140 करोड़ रुपये की कुल लागत शामिल है।

[अनुवाद]

सिन्थेटिक फिलामेंट यार्न

428. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिन्थेटिक फिलामेंट यार्न उद्योग का एक प्रतिनिधि मंडल हाल ही में उनसे मिला और उपभोक्ताओं के लाभ के लिए उत्पाद शुल्क में रियायत देने की मांग की;

(ख) यदि हां, तो उद्योग द्वारा मांगी गई रियायतों का ब्यौरा क्या है और सरकार किस सीमा तक सहमत हो गई है;

(ग) उपभोक्ताओं को इस प्रकार की रियायत से किस सीमा तक लाभ पहुंचेगा अथवा उद्योग द्वारा अपने हितों के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया जायेगा; और

(घ) इससे उद्योग में रोजगार पैदा करने में किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रतिनिधि मंडल ने सुझाव दिया है कि सिन्थेटिक फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क को 20 रु० से 25 रु० प्रति कि० ग्रा० तक कम कर दिया जाये। इस प्रस्ताव पर अभी निर्णय लिया जाता है।

विदेशों द्वारा पी० वी० सी० की भरमार

429. **श्री वी० तुलसी राम :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूमानिया, ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने देश में इस सीमा तक पी० वी० सी० रेजिन भेज दिया है कि देश में पी० वी० सी० उत्पादन एकक उसका भंडार रोक रखने को मजबूर हो गए हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्हें भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस कारण पी० वी० सी० रेजिन के किन-किन भारतीय उत्पादकों को भारी हानि का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें कितनी राशि की हानि हुई है;

(ग) भारतीय उत्पादकों को बड़ी प्रतियोगिता से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि देशीय पी० वी० सी० रेजिन का मूल्य आयातित पी० वी० सी० रेजिन की तुलना में कुछ अधिक है; और

(घ) पी० वी० सी० रेजिन का उपयोग करने वाले उद्योगों पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और उन्हें राहत देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) पी० वी० सी० के स्वदेशी उत्पादकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि बड़ी संख्या में पी० वी० सी० के आयात के परिणामस्वरूप उनके पास स्टाक में माल की वृद्धि हो रही है। इस स्तर पर यह मूल्यांकन करना संभव नहीं है कि क्या पी० वी० सी० उत्पादक कम्पनियां बड़ी मात्रा में पी० वी० सी० के आयात के कारण हानियां उठा रही हैं।

(ग) और (घ) मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है।

खुर्शीद लाल भवन, नई दिल्ली में बच्चों के साथ मार-पीट करने की घटना

430. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अक्तूबर, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में खुर्शीद लाल भवन स्थित दिल्ली टेलीफोन विभाग के दो सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों द्वारा दो बच्चों के साथ जहां वे कुछ पूछताछ करने गए थे, मारपीट करने की घटना प्रकाश में लाने वाले समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कारंवाई की है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जहां तक उपर्युक्त (क) में निर्दिष्ट मामले का संबंध है, दिल्ली टेलीफोन ने इस मामले की जांच की और हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादक को एक उत्तर भेजा। यह उतर सम्पादन और कुछ परिवर्तन के बाद 9.10.1985 को छपा था। कथित पिटाई का खंडन किया गया है।

अनेक बल्क औषधों और रसायनों के निर्यात के लिए नकद सहायता

431. **श्री रेणुपद दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक बल्क औषधों और रसायनों के निर्यात के लिए नकद सहायता पुनः देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) निर्यातों में वृद्धि करने की दृष्टि से औषधों के निर्यात पर नकद क्षतिपूरक सहायता देने की एक योजना पहले से ही लागू है।

उद्योग के विकेन्द्रीकरण के बावजूद पूर्वी और केन्द्रीय क्षेत्रों में निवेशकों की रुचि

432. **डा० सुधीर राय** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग के विकेन्द्रीकरण की नई नीति के बावजूद पूर्वी और केन्द्रीय क्षेत्रों में निवेशकों द्वारा कम रुचि लेने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या ऐसा परिवहन सुविधाओं, विपणन सुविधाओं की कमी, कच्चे माल, कुशल और अकुशल कामगरों या बैंकिंग सुविधाओं की कमी के कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्पूर्ण मामले की शीघ्र ही जांच करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) वर्ष 1983 से 1985 के दौरान केन्द्रीय और पूर्वी क्षेत्रों को केन्द्रीय निवेश राज्य सहायता के रूप में

निम्नलिखित राशि वितरित की गई है :—

(करोड़ रुपयों में)

राज्य का नाम	1983-84	1984-85	1985-86 (अक्टूबर तक)
I. केन्द्रीय क्षेत्र			
उत्तर प्रदेश	1.26	3.20	8.18
मध्य प्रदेश	6.28	5.27	7.99
II. पूर्वी क्षेत्र			
पश्चिम बंगाल	0.47	1.22	1.29
उड़ीसा	1.56	2.58	—
बिहार	—	0.81	—

वर्ष 1983 से 1985 के दौरान जारी किए गए आशय-पत्र, औद्योगिक लाइसेंस और तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पंजीकरणों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

ऐसा पता चलता है कि इन क्षेत्रों से निवेशकर्त्ताओं द्वारा ली गई रुचि अत्यधिक संतोषजनक रही है। फिर भी, केन्द्रीय निवेश योजना की समीक्षा और उसमें संशोधन करने के लिए एक अन्तर-मंत्रालयीय समिति का गठन किया गया है और रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात इस कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए और आगे कदम उठाए जायेंगे।

विवरण

केन्द्रीय क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के राज्यों को वर्ष 1983 से 1985 के दौरान जारी किए गए आशयपत्रों औद्योगिक लाइसेंसों, तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पंजीकरणों की संख्या

राज्य का नाम	1983			1984			1985*		
	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	डी०जी० टी०डी० पंजीकरण	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	डी०जी० टी०डी० पंजीकरण	आशय-पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	डी०जी० टी०डी० पंजीकरण
I. केन्द्रीय क्षेत्र									
(क) उत्तर प्रदेश	128(95)	98(33)	325(158)	132(97)	80(35)	339(186)	151(83)	61(37)	37(21)
(ख) मध्य प्रदेश	54(45)	30(19)	183(170)	77(70)	36(23)	167(161)	70(61)	32(23)	28(2[illegible])
II. पूर्वी क्षेत्र									
(क) बिहार	30(18)	29(6)	56(20)	21(10)	26(6)	28(9)	16(4)	17(2)	17(9)
(ख) उड़ीसा	25(12)	14(5)	42(21)	20(7)	15(5)	24(14)	26(15)	20(3)	24(14)
(ग) पश्चिम बंगाल	45(25)	71(11)	72(42)	35(14)	93(12)	46(23)	56(25)	40(13)	24(16)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछड़े क्षेत्रों के हैं।

* वर्ष 1985 के लिए आशयपत्र और औद्योगिक लाइसेंस के दर्शाए गए आंकड़े सितम्बर, 1985 मास तक के हैं और वर्ष 1985 के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पंजीकरणों के दर्शाए गए आंकड़े जून, 1985 मास तक के हैं।

सिक्किम में उद्योगों की स्थापना

433. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में कोई अध्ययन किया है कि सिक्किम में किस किस्म के उद्योग की स्थापना की जा सकती है;

(ख) क्या सरकार का विचार वहां पर कोई उद्योग स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब और उस पिछडे राज्य में उद्योग लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। अभी हाल ही में सिक्किम सरकार के अनुरोध पर सिक्किम में औद्योगिक संभाव्यताओं का एक त्वरित अध्ययन किया गया था जिससे कि कुछ ऐसे उद्योगों का पता लगाया जा सके जो कि सर्वाधिक जीव्यक्षम और उदीयमान हैं। अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि कृषि पर आधारित और आवश्यकताओं पर आधारित लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना की जा सकती है जैसे कि हस्तनिर्मित कागज, मधुमक्खी पालन, रेशे निकालना, चमड़े के उत्पादन, खादी कताई और बुनाई, रेशम उद्योग आदि।

(ख) तथा (ग) लघु उद्योगों के विकास का दायित्व राज्य सरकारों पर है। किन्तु खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से कहा जा रहा है कि वह सुझाए गए उद्योगों के विकास में राज्य बोर्ड की सहायता करें।

150 सी० सी० क्षमता के स्कूटर निर्माण करने के लिए लोहिया मशीन्स लिमिटेड को नया लाइसेंस

434. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स लोहिया मशीन्स को अपने उत्पादन का विविधिकरण करने तथा उन्हें पुनः नया 150 सी० सी० क्षमता के स्कूटर निर्माण करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो नया स्कूटर निर्माण के लिए उन्हें दिए गए लाइसेंस का ब्योरा क्या है;

(ग) इस नए वाहन का सड़क पर (कम्पनी से बाहर) आने पर अनुमानित मूल्य क्या होगा; और

(घ) क्या जिन लोगों ने वैस्पा एक्स० ई० 100 के लिए अपने नाम पंजीकृत कराए हुए हैं उन्हें अपने मूल पंजीकरण पर नया स्कूटर खरीदने की अनुमति होगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) विदेशी सहयोगी को किसी अतिरिक्त भुगतान किए बिना 150 सी० सी० के स्कूटरों का निर्माण सम्मिलित करने के लिए मैसर्स पियागियों के साथ अपने विद्यमान करार को संशोधित करने के लिए मै० लोहिया मशीन्स लिमिटेड के प्रस्ताव को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

(ग) कम्पनी ने बताया है कि पंजीकरण और कीमत प्रभारों को छोड़ कर 150 सी० सी० के स्कूटरों की बीजक कीमतें दिल्ली में निम्नलिखित हैं :—

साधारण माडल	12,283.56 रुपये
डीलक्स माडल	13,918.74 रुपये

(घ) जी, हां।

लघु उद्योगों के हितों की रक्षा हेतु एफ० ई० आर० ए० कम्पनियों की लाइसेंस क्षमता में परिवर्तन की मांग

435. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन मदों, जो मात्र छोटे स्तर के उद्योगों जैसे टूथ पेस्ट, दियासलाई आदि उद्योगों के लिये आरक्षित हैं, वाली "फेरा" कम्पनियों की लाइसेंस क्षमता की सीमाओं को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो औद्योगिक नीति में किये जाने वाले परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और छोटे स्तर के उद्योगों को बदली हुई परिस्थितियों में संरक्षण देने के लिए सुरक्षात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिनांक 16 दिसंबर 1973 की अधिसचना को अद्यतन बताने हेतु भारत के कई असाधारण राजपत्र जारी किये गये थे और यदि हां, तो क्या उस अधिसूचना को पुनः अद्यतन बनाने और सभी राजपत्रों को समेकित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) फरवरी, 1973 को जारी मुख्य अधिसूचना के बाद इससे कई संशोधन किए गए हैं। सभी संशोधनों का समावेश करके अधिसूचना को अद्यतन बनाया जा रहा है और इसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेज दी जाएंगी।

[हिन्दी]

गोपालगंज (हरखुआ) में रेल डाक सेवा

436. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोपाल गंज सिटी (हरखुआ) रेलवे स्टेशन पर रेल डाक सेवा की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार का इस संबंध में कोई कार्रवाई करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो गोपालगंज (हरखुआ) में रेल डाक सेवा की व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी और इस पर कुल कितनी राशि खर्च होगी;

(ग) क्या इस सेवा को आरम्भ करने में कोई कठिनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) गोपालगंज में रेल डाक सेवा कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) विभागीय मानदण्डों के अनुसार गोपालगंज में रेल डाक सेवा कार्यालय खोलने का औचित्य नहीं बनता। इस कार्यालय के खुलने के फलस्वरूप डाक अवरोधन भी होगा।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म फैक्ट्री में नेत्रहीन व्यक्तियों की नियुक्ति

437. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फ़िल्म फैक्ट्री में नेत्रहीन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां तो कितने नेत्रहीन व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं;

(ग) क्या ऐसी नियुक्तियां नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए किसी विशिष्ट नीति के तहत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किया गया था और उस नीति का विस्तार क्षेत्र क्या है;

(ङ) क्या सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में नेत्रहीन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) 37 नेत्रहीन व्यक्ति कम्पनी के कनवर्शन डिपार्टमेंट परिष्करण (फिनिशिंग) विभाग में काम कर रहे हैं।

(ग) और (घ) सरकार की सामान्य नीति को ध्यान में रखते हुए, कि विकलांग व्यक्तियों को पुनर्स्थापना की आवश्यकता है कम्पनी ने स्वयं ही क्रियात्मक (फंक्शनल) क्षेत्रों का पता लगाया है जहां कि नेत्रहीन व्यक्ति कम्पनी की संतुष्टि के लिए अपने कर्त्तव्य को पूरा कर सके। तदनुसार. नेत्रहीन व्यक्तियों को फिल्म को फिरकी पर लपेटने (फिल्म स्पूलिंग), पैक करने आदि जैसे विशिष्ट कार्यों के लिए उपयुक्त पाया गया। 1972 में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म में नेत्रहीन व्यक्तियों की नियुक्ति आरम्भ की गई थी।

(ङ) और (च) कल्याण मन्त्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ग्रुप "ग" और "घ" में नियुक्त नेत्रहीन व्यक्तियों का विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	उपक्रम का नाम	सार्वजनिक उपक्रम में नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या					
		1982		1983		1984	
		वर्ग ग	वर्ग घ	वर्ग ग	वर्ग घ	वर्ग ग	वर्ग घ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भारी उद्योग विभाग						
	(1) जेसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड	1	—	—	—	—	—
	(2) रिचर्डसन एण्ड क्रडास लिमिटेड	1	—	—	—	—	—
	(3) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	—	1	1	4	—	—
	(4) भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड	—	—	—	—	—	—
	(5) बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी	—	—	—	1	—	—
	(6) भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड	—	—	—	—	—	1
2.	परमाणु ऊर्जा विभाग-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1	—	2	—	—	—
3.	रसायन तथा उर्वरक विभाग						
	(1) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड	1	1	2	2	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8
(2)	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	—	—	1	1	—	—
(3)	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	—	—	3	1	—	—
4.	इस्पात विभाग						
(1)	राऊरकेला इस्पात संयंत्र	—	11	—	—	—	—
(2)	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	1	—	—	—	—	—
(3)	नेशनल मिनरल डिवलपमेंट कारपोरेशन	—	—	—	—	1	—
(4)	स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड	1	—	—	—	—	—
5.	औद्योगिक विकास मंत्रालय						
	नेशनल इण्डस्ट्रियल डिवेलपमेंट कारपोरेशन	—	—	—	—	—	2
6.	रक्षा मंत्रालय						
(1)	भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेट	1	—	1	2	—	—
(2)	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	2	—	5	—	—	—
(3)	हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड	—	—	—	—	3	—
(4)	अन्य उपक्रम (*)	10	27	रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है			
7.	पेट्रोलियम मंत्रालय						
(1)	आयल इण्डिया लिमिटेड	—	—	1	1	—	—
(2)	बोनगईगांव रीजन पेट्रो-केमिकल लिमिटेड	—	—	6	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
	(3) आयल एण्ड नैचरल गैस कमीशन	—	—	1	2	—	—
	(4) इण्डियन आयल कारपोरेशन	—	—	—	—	1	—
8.	वाणिज्य मंत्रालय						
	(1) नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, कोयम्बटूर	—	—	—	—	—	3
	(2) नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, गुजरात	—	—	—	—	50	—
9.	विद्युत विभाग						
	(1) नार्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	—	—	2	3	1	3
	(2) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन	—	—	1	1	—	—
10.	जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय						
	(1) हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापट्टनम	—	—	—	—	—	1
	(2) कांडला पोर्ट ट्रस्ट	—	—	—	—	—	1
		19	40	26	19	57	11

(*) उपक्रम के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

केरल के वायनाड जिले में दूरसंचार सुविधा में सुधार

438. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सर्वाधिक पिछड़े जिले वायनाड में दूरसंचार सुविधाओं में सुधार करने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वहां पर सुविधाओं में सुधार करने का है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) वाइनाड जिले के लिए निम्नलिखित स्कीमों की योजना बनाई गई है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है :

(एक) कालपेटा जिला मुख्यालय में 600 लाइनों का इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज।

(दो) पुलपल्लो में 200 लाइनों का विस्तार।

(तीन) तालपोया, केनीचिरा, पल्ली कुन्नु, तारीओड और वाईपिरी में छोटे स्वचल एक्सचेंज।

(चार) कालपेटा और कालीकट के बीच की यू० एच० एफ० प्रणाली को नैरो बैंड माइक्रोवेव प्रणाली द्वारा बदलने की योजना बनाई गई है।

(पांच) कालपेटा और मन्नानतोडी के माइक्रोवेव की योजना बनाई गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बल्क ड्रग्स के उत्पादन संबंधी नीति का पुनरीक्षण

439. श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा बल्क ड्रग्स के उत्पादन के लिए बनाई गई नीतियों को उद्योग की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप समय-समय पर पुनरीक्षण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो अनेक बल्क ड्रग्स का उत्पादन करने वाले लघु एककों की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप कौन सी मदों का वर्षवार पुनरीक्षण किया गया है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने 1978 की औषध नीति की समीक्षा पहले ही आरम्भ कर दी है।

सरकारी क्षेत्र के एककों में लाभ

440. **श्री मानिक रेड्डी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के एककों में वर्ष 1984-85 में रिकार्ड लाभ होने की आशा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या कोई चालू एकक वर्ष 1984-85 में रुग्ण हुआ है?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ग) कुछ केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के 1984-85 वर्ष के लेखों को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है एवं उनकी लेखा-परीक्षा की जा रही है। अतः परीक्षित लेखों के आधार पर उनका पूर्ण विवरण लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही उपलब्ध होगा। किन्तु, 191 उद्यमों से प्राप्त अनन्तिम अनुमानों के आधार पर उन्होंने कुल मिलाकर 956.12 करोड़ रुपये का कर-पश्चात निवल लाभ अर्जित किया है, जो अब तक की सर्वाधिक राशि है।

तेल का पता लगाने के लिए विदेशी कम्पनियों को तटदूर क्षेत्र पट्टे पर देना

441. **श्री गुरुदास कामत :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल का पता लगाने में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड के प्रयासों में सहायता के रूप में तटदूर के नए क्षेत्र विदेशी तेल कम्पनियों को पट्टे पर देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए किन-किन विदेशी कम्पनियों के बारे में विचार किया गया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) देश में विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा तेल की खोज तथा उत्पादन की शर्तों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय गैस ग्रिड की स्थापना

442. श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री सुभाष यादव
श्री एस० एम० पटेल
श्री थम्पन थामस
श्री विजय एन० पाटिल
: क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गैस संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस योजना की रूप-रेखा तैयार कर ली गई है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने भारत में प्राकृतिक गैस की भावी उपलब्धता तथा इस संभाव्य उपलब्धता के उपयोग पर एक प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की है। इस प्रयोजन के लिए प्रस्तावित गैस ग्रिड की कुल लागत लगभग 13700 करोड़ रुपये है।

(ग) सरकार ने 1700.17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एच० बी० जे० गैस पाइप लाइन परियोजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित कर दिया है।

---

12. मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय मैं एक अत्यन्त गम्भीर मामले में आपका हस्तक्षेप करवाना चाहता हूं। भूतपूर्व रेल मन्त्री, श्री एल० एन० मिश्रा···

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको बता रहा हूं ··(व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : हमने राज्यपालों की नियुक्ति के मामले में सरकार द्वारा मनमाने ढंग से और एक तरफा कार्यवाही पर चर्चा के लिए एक प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी असंवैधानिक नहीं हुआ है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हमने एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है, यह स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न नहीं बन सकता

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : संविधान की कुछ ऐसी परम्पराएं हैं जिन्हें तोड़ा जा रहा है, हमें संविधान के शब्दों में नहीं बल्कि उसकी भावना में भी जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको उत्तर दे रहा हूं या तो आप मेरी बात सुनिये अथवा अपनी कहिये। क्या आप सुनने को तैयार हैं? (व्यवधान) उन्हें अपनी बात कहने दो। कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित मत कीजिये। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सज्जनों मेरा यही कहना है कि कुछ ऐसे नियम हैं जिनके अन्तर्गत आप किसी भी बात पर चर्चा कर सकते हैं परन्तु इस प्रकार नहीं।

श्री अमल दत्त : क्यों नहीं ? कोई भी नियम चर्चा की मनाही नहीं करता है।

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हम राज्यपालों के आचार पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं, बल्कि राज्यपालों की नियुक्तियां जिस ढंग से की जा रही है उस पर चर्चा चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। आपका व्यवस्था का प्रश्न असंगत है।

श्री बसुदेव आचार्य : असंगत कैसे है, यह तो बिल्कुल संगत है।

अध्यक्ष महोदय : महोदय मेरा कहना यह है कि यदि कोई ऐसी बात है जिस पर आप चर्चा करना चाहते हैं तो उसके कुछ नियम हैं और उन नियमों के अधीन आप कर सकते हैं।

श्री अमल दत्त : हमने एक मूल प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : हम एक मूल प्रस्ताव की अनुमति पहले ही दे चुके हैं और मैं इस पर चर्चा कराऊंगा। जब मैं आपकी सेवा में यहां हूं तो आपको सभा के समय को अनावश्यक रूप से क्यों नष्ट करना चाहिये। मैंने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों के अधीन हम किसी भी बात पर चर्चा कर सकते हैं आप मुझसे आकर कहिये कि यह समस्या है तो हम उस पर चर्चा करेंगे। स्थगन प्रस्ताव का दिखावा मत कीजिये ? कोई समस्या नहीं है आप इस पर उस प्रस्ताव के अधीन चर्चा कर सकते हैं जिसे मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई और विषय दीजिए परन्तु इस प्रकार नहीं।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : महोदय मैंने भी आपको सूचना दी है और आपकी यह सदाशयता है कि आप कृषि उत्पादों की गिरती हुई कीमतों पर चर्चा की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने एक भिन्न मुद्दे पर सूचना दी है कि संसद का सत्र आरम्भ होने से ठीक पहले स्वयं सरकार ने चीनी और वनस्पति की कीमतें बढ़ा दी हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम उस पर चर्चा करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने स्वयं ही कीमतें बढ़ाई हैं। मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है कि उन्होंने चीनी और वनस्पति की कीमतें क्यों बढ़ाई हैं, जिससे कि देश भर में आम आदमी मुसीबत में फ़ंस गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम हर बात पर चर्चा करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उन्हें संसद को कुछ नहीं बताना होता है ?

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कैसे ?

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा या अन्य किसी प्रकार से।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यही तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें कोई समस्या नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय···

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपका प्रस्ताव मिल गया है, मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : 2 जनवरी, 1975 को भूतपूर्व रेल मंत्री श्री एल० एन० मिश्र···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : असंगत है। इसकी अनुमति नहीं है। मैं आपके प्रस्ताव पर पहले ही गौर कर चुका हूं और मैं इस पर विचार करूंगा। यह मेरे विचाराधीन है मैं इस पर गौर करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप हस्तक्षेप करेंगे और सरकार को निर्देश देंगे···

अध्यक्ष महोदय : मैं वायदा करता हूं कि इस पर ध्यान दूंगा।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप कम से कम सरकार से रिपोर्ट तो लेंगे ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : आपका विनिर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : महोदय मैं मामले पर गौर कर रहा हूं।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर ध्यान देने और चर्चा कराने में कोई समस्या नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे श्री नारायण दत्त तिवारी।

12.06 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

नेशनल न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड नेपानगर का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा।

उद्योग मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) नेशनल न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1453/85]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 459(अ), जो 27 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 9 जून, 1978 की अधिसूचना संख्या 117—सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि "क्रूड नेफ्थालीन" को "शुल्क छूट हकदारी योजना" के अन्तर्गत शामिल किया जा सके।

(दो) सा० का० नि० 479(अ), जो 1 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा निर्यात किये जाने वाले उत्पादों के निर्माण में प्रयुक्त की जाने वाली 33 मदों को प्रति अदायगी की दरें निश्चित करने के प्रयोजनार्थ आयातित सामग्री के मानने के लिये अधिसूचित किया गया है।

(तीन) सा० का० नि० 496(अ), जो 17 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो अधिसूचना में उल्लिखित माल के प्रति आयात पुनः पूर्ति लाइसेंस के अधीन भारत में आयातित नायलोन फिलामेंट सूत और पोलिएस्टर फिलामेंट सूत को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(चार) सा० का० नि० 497(अ), जो 17 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 24 मई, 1985 की अधिसूचना संख्या 158/85—सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि अधिसूचना के अन्तर्गत आयातित माल को उस पर उद्ग्रहणीय उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट दी जा सके।

(पांच) सा० का० नि० 498(अ), जो 17 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 12 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना संख्या 126/85 सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि इसे चालू आयात और निर्यात नीति के लिये अर्थात् अप्रैल, 1985 से मार्च, 1988 तक लागू किया जा सके।

(छः) सा० का० नि० 693(अ), जो 29 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, जो कतिपय विनिर्दिष्ट मदों की बाबत, जिनका उपयोग केवल इलेक्ट्रोनिक उद्योग में किया जाता है, अन्तिम-उपयोग बंधपत्र की शर्त से छूट देना आशयित है।

[श्री जनार्दन पुजारी]

(सात) सा० का० नि० 694(अ), जो 30 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 9 जून, 1978 की अधिसूचना संख्या 117—सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि पैन प्वाइंट मिश्रधातु (निब प्वाइंट) के आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस के अन्तर्गत शुल्क छूट योजना का लाभ दिया जा सके।

(आठ) सा० का० नि० 695 (अ), जो 30 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 9 जून, 1978 की अधिसूचना संख्या 117 - सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि हाथी दांत, अविनिर्मित, बुरूश बनाने के प्राणी लोम या बाल को अधिसूचना में शामिल किया जा सके।

(नौ) सा० का० नि० 698(अ), जो 30 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 15 सितम्बर, 1984 की अधिसूचना संख्या 234/84—सी० शु० की वैधता की अवधि 31 मार्च, 1986 तक बढ़ाई गई है।

(दस) सा० का० नि० 700(अ), जो 1 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो सोडा ऐश हको मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) सा० का० नि० 710(अ), जो 3 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण जो बर्मा से आयातित कतिपय किस्मों की लकड़ी को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(बारह) सा०का०नि० 732(अ), जो 11 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, जो विनिर्दिष्ट टैक्सटाइल मशीनों को उन पर उद्ग्रहणीय मूल्यानुसार 20 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा-शुल्क और सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(तेरह) सा०का०नि० 733(अ), जो 11 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण, जिनके द्वारा 24 मई, 1985 की अधिसूचना संख्या 159/85—सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है और जो विनिर्दिष्ट टैक्सटाइल मशीनों को मूल्यानुसार 5 प्रतिशत से अधिक उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(चौदह) सा०का०नि० 744(अ), जो 18 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 1 नवम्बर, 1980 की अधिसूचना संख्या 215—सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि नियमित विस्कोस स्टैपल फाइबर पर मूल सीमा-शुल्क की दर को मूल्यानुसार 35 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 35 प्रतिशत किया जा सके।

(पन्द्रह) सा०का०नि० 749(अ), जो 23 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 17 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या 77—सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र में कार्यरत एककों को, उत्पादन शुल्क की अदायगी पर अस्वीकृत माल के रूप में अपने उत्पादन की 5 प्रतिशत निकासी घरेलू टैरिफ क्षेत्र के लिए करने की अनुमति प्रदान की जा सके।

(सोलह) सा०का०नि० 763(अ), जो 27 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना सं० 117/85—सी०शु० की वैधता की अवधि 31 मार्च, 1986 तक बढ़ाई गई है।

(सत्रह) सा०का०नि० 767(अ), जो 30 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 जुलाई, 1977 की अधिसूचना संख्या 102—सी०शु० को विखंडित किया गया है।

(अठारह) सा०का०नि० 768(अ), जो 30 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो टेरीफ्थालिक एसिड को, जब उसका भारत में आयात किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से छूट देने तथा 1 मार्च, 1983 की अधिसूचना संख्या 35/83—सी० शु० के अधीन टेरीफ्थालिक एसिड पर दी गई मूल सीमा शुल्क की आंशिक छूट को वापिस लेने के बारे में है।

(उन्नीस) सा०का०नि० 772(अ) तथा 773(अ), जो अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो (क) इस्पात की प्लेटों और (ख) एल्यूमीनियम मिश्रधातु की खींची गई खोखली प्रोफाइलों, शेपों, प्लेटों, और ट्यूबों को, जब उनका आयात प्रतिरक्षा प्रयोजनों हेतु कुरूप मैन लाईट मेटल फ्लोट ब्रिज के विनिर्माण के लिए किया जाए, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल, उपसंगी तथा अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है।

[श्री जनार्दन पुजारी]

(बीस) सा०का०नि० 780(अ), जो 4 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 14 सितम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या 276 – सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि पोलिनोसिक फाइबर/एच० डब्ल्यू० एम० फाइबर आदि जैसे उन्नत किस्मों के विस्कोज फाइबर पर मूल सीमा-शुल्क की दर को मूल्यानुसार 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया जा सके।

(इक्कीस) सा०का०नि० 789(अ) तथा 790(अ), जो 11 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो सांचों और डाइयों को, जब उनका आयात कृत्रिम प्लास्टिक की वस्तुओं के विनिर्माण के लिए किया जाये, उन पर उद्ग्रहणीय मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा शुल्क तथा सम्पूर्ण अतिरिक्त और उपसंगी सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(बाईस) सा०का०नि० 791(अ) तथा 792(अ), जो 11 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो मिट्टी हटाने की मशीनों के लिए विद्युत पारेषण प्रणाली के विनिर्माण के लिए आयातित संघटकों को मूल्यानुसार 40 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा शुल्क और मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक उपसंगी शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(तेईस) सा०का०नि० 793(अ), जो 11 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 24 मई, 1985 की अधिसूचना संख्या 168/85—सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि रद्दी टिन प्लेट पर उद्ग्रहणीय उपसंगी शुल्क की आंशिक छूट को वापिस लिया जा सके।

(चौबीस) सा०का०नि० 802(अ) तथा 803(अ), जो 16 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो फोगिंग मशीनों को, जब उनका आयात मलेरिया और मच्छरों से उत्पन्न अन्य बीमारियों के उन्मूलन के लिए नगर पालिका प्राधिकरण द्वारा किया जाए, उन पर उद्ग्रहणीय मूल्यानुसार 15 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा शुल्क तथा सम्पूर्ण अतिरिक्त और उपसंगी शुल्क से छूट देने के बारे में हैं।

(पच्चीस) सा०का०नि० 804(अ), जो 17 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 22 सितम्बर, 1981 की अधिसूचना सं०208/81—सी०शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि रिफैम्पीसिन गोलियां तथा रिफैम्पीसिन आई० एन० एच० गोलियों को सीमा शुल्क से छूट के अन्तर्गत लाया जा सके।

(छब्बीस)　सा०का०नि० 815(अ), जो 29 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 19 अक्तूबर, 1982 की अधिसूचना संख्या 230/82—सी० शु० की वैधता की अवधि 31 मार्च, 1986 तक बढ़ाई गई है।

(सत्ताईस)　सा०का०नि० 818(अ) और 819(अ), जो 30 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो हांट ब्रिकटिड आयरन (एच० बी० आई०) को, जब उसका आयात भारत में विद्युत आर्क भट्टी इकाई द्वारा अथवा उसकी ओर से किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय मूल और सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा शुल्क और तथा मूल्यानुसार 20 प्रतिशत से अधिक उपसंगी सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(2) उक्त मद (1) के (एक) से (पांच) तक में उल्लिखित अधिसूचनाओं को रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०** 1454/85]

भोपाल गैस विभीषिका (दावों का पंजीकरण और निपटान)
योजना, 1985 की प्रति

रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : मैं भोपाल गैस विभीषिका (दावों का पंजीकरण और निपटान) योजना 1985 जो 24 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 751(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०** **टी०** 1455/85]

12.07 **म० प०**

प्राक्कलन समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

[**अनुवाद**]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय—भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला, के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (सातवीं लोक सभा) के 88वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.7½ म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा 18 नवम्बर, 1985 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मन्त्रणा समिति के 13वे प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 18 नवम्बर, 1985 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मन्त्रणा समिति के 13वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.8 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) बम्बई में गन्दी बस्तियों में पटरी पर रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा त्वरित आवास कार्यक्रम प्रारम्भ करने की आवश्यकता।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य): बम्बई में लगभग 47 लाख लोग जो कि वहां की आबादी की आधे से ज्यादा जनसंख्या है गन्दी बस्तियों में रहते हैं। इनमें से कुछ लोगों ने पटरियों तथा सार्वजनिक स्थलों के लिये आरक्षित भूमि पर अपनी झुग्गियां बना रखी हैं। टाटा इंस्टीट्यूट आफ स्पेशल सर्विसेज द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार इनमें 33 प्रतिशत फेरी वाले आदि के रूप में स्व: रोजगार युक्त हैं तथा 38 प्रतिशत लोग निर्माण कार्यों में नैमित्तिक श्रमिक तथा घरेलू नौकरों आदि का काम करते हैं। फुटपाथ पर और गन्दी बस्तियों में रहने वाले इन लोगों के, जिन्होंने सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि पर कब्जा कर रखा है पुनर्वास का प्रश्न एक मानवीय समस्या है। यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है। बम्बई नगर निगम तथा राज्य सरकार की भूमि इन लोगों का पुनर्वास करने के लिए काफी नहीं है। अतः केन्द्र सरकार इन गन्दी बस्तियों में रहने वाले नागरिकों को बसाने हेतु बम्बई पत्तन न्यास, नागर विमानन विभाग के पास उपलब्ध अतिरिक्त भूमि को और क्षार भूमि को राज्य सरकार को उपलब्ध कराए। साथ ही शहरी विकास मन्त्रालय को बम्बई में गंदी

बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिये त्वरित आवास कार्यक्रम प्रारम्भ करना चाहिये।

12.09 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(दो) उड़ीसा में निर्माणाधीन पांच रेल परियोजनाओं के तीन प्रभारी मुख्य अभियन्ताओं के मुख्यालयों को उड़ीसा में ही किन्हीं स्थानों पर स्थानान्तरित करने और महाप्रबन्धक के एक पद का सृजन करने की आवश्यकता।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : इस समय उड़ीसा में पांच रेलवे परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। ये हैं तलचेर-सम्बलपुर रेल लिंक, कोरापुट-रायगढ़ रेल लिंक, जाखापुरा-बांसपानी रेल लिंक, मंचेश्वर रेल वर्कशाप तथा नया सम्बलपुर रेल प्रभाग। इनकी लागत क्रमशः 70 करोड़, 200 करोड़, 60 करोड़, 20 करोड़ एवं 30 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं में कार्य करने वाले तीनों मुख्य अभियन्ता तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का मुख्यालय वाल्टेयर, बिलासपुर तथा कलकत्ता में स्थित है, यद्यपि परियोजनाएं उड़ीसा में चल रही हैं।

राज्य से इतनी दूर मुख्य अभियन्ताओं के कार्यालय होने के कारण इन परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन में गम्भीर कठिनाइयां पैदा हो रही हैं तथा वहां के लोगों को इन परियोजनाओं से पूरे फायदे नहीं मिल रहे हैं। अतः यह जरूरी है कि मुख्य अभियन्ताओं के कार्यालयों को उड़ीसा में किसी उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित किया जाये ताकि इन परियोजनाओं को सक्षम एवं प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जा सके।

इसको दृष्टिगत रखते हुए मैं मांग करता हूं कि परियोजनाओं में कार्यरत तीनों मुख्य अभियन्ताओं का मुख्यालय उड़ीसा में ही रखा जाये। उड़ीसा का विकास काफी हद तक इन परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन पर निर्भर करता है अतः उड़ीसा में निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करने हेतु महाप्रबन्धक के एक पद का सृजन किया जाए।

[हिन्दी]

(तीन) सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम और अन्य अभिकरणों द्वारा धान की वसूली किए जाने की आवश्यकता

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, में नियम 377 के अधीन निम्नलिखित सूचना देना चाहता हूं—

"इस देश के अधिकतर भागों में अच्छी वर्षा होने तथा सिंचाई के साधनों के ठीक काम करने से धान की फसल बहुत ही अच्छी है, परन्तु इस अच्छी फसल का लाभ धान उत्पादक किसानों को नहीं मिलपा रहा है। इस समय बाजारों में धान का बहुत कम और अलाभकारी मूल्य मिलने से धान उत्पादक किसानों में चिन्ता, बेचैनी और रोष व्याप्त है। एफ०सी०आई०

[श्री जैनुल बशर]

ने इस वर्ष धान का समर्थन-मूल्य 142 रुपए क्विन्टल निर्धारित किया है। हालांकि यह मूल्य उत्पादक किसानों की अपेक्षा से कम है फिर भी एफ० सी० आई० इस मूल्य पर बड़े पैमाने पर धान की खरीद की व्यवस्था नहीं कर पाई है। इसका नतीजा यह हुआ है कि विभिन्न स्थानों पर किसानों को 130 रुपये से 135 रुप्ये प्रति क्विंटल के भाव से किसानों को धान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे शीघ्रातिशीघ्र युद्धस्तर पर ऐसी व्यवस्था करें कि एफ० सी० आई० तथा अन्य खरीद एजेंसियां निर्धारित मूल्य पर धान की खरीद करें तथा यह सुनिश्चित करें कि 142 रुपए क्विन्टल से कम भाव पर धान की खरीद न हो सके।"

[अनुवाद]

(चार) देश में दो बांधों के टूट जाने और उन पर आई भारी लागत को देखत हुए बड़े बांधों के निर्माण की नीति की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता

श्रीमती डी० के० भंडारी (सिक्किम) : बड़े बांधों का निर्माण तकनीकी दृष्टि से खतरनाक सिद्ध होने के अलावा उनके निर्माण पर भारी खर्चा भी करना पड़ता है जिसने नर्मदा तथा कोयल-कारो परियोजना जैसी विशाल नदी घाटी परियोजनाओं के निर्माण के वैज्ञानिक आधार पर प्रश्न चिह्न लगा दिया है।

हमें देश में दो बांधों के टूटने का अनुभव है इसके पर्याप्त प्रमाण भी हैं और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बांध और भूचाल का परस्पर संबंध है। एक प्रमुख स्विस भूकम्प विज्ञानी डा० टाइडमान ने हाल ही में इसी आधार पर नर्मदा परियोजना के निर्माण औचित्य का प्रश्न उठाया है।

इसके अलावा, नर्मदा परियोजना की आरम्भिक लागत 4,000—9,000 करोड़ रुपए थी जोकि अब बढ़कर लगभग 25,000 करोड़ रुपए हो गई है। परियोजना से जो लाभ होंगे वे उसकी लागत और वहां के 10 लाख लोगों द्वारा वहां से हटाये जाने पर सही जाने वाली कठिनाइयों से अधिक लाभकारी नहीं होंगे। इस परियोजना से 3.75 लाख हेक्टेयर वन डूब जाएंगे और लगभग 80,000 हेक्टेयर उपजाऊ भूमि और चरागाह नष्ट हो जाएंगें। 219 गांव जलमग्न हो जाएंगें। पुर्नवास योजनाओं में प्रगति बहुत धीमी गति से होती है और उनका विस्थापितों द्वारा वास्तव में झेली जाने वाली कठिनाइयों से कोई संबंध नहीं होता। सरकार को विस्थापितों के पुनर्वास तथा भूमि के बदले भूमि की व्यवस्था करनी चाहिए। नर्मदा परियोजना पर लागू होने वाली बात कोयल-कारों पन बिजली परियोजना पर भी लागू होती है। इसकी पूरी तरह समीक्षा की जानी चाहिए।

(पांच) पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के चक्रवात पीड़ित लोगों को राहत देने और उनके पुनर्वास हेतु और अधिक धनराशि देने की आवश्यकता

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में जो भयंकर चक्रवात और बाढ़ आयी उससे इस समस्त पट्टी में जान-माल की भारी हानि हुई है। पश्चिम बंगाल में मिदनापुर 24 परगना, हावडा और हुगली तथा उड़ीसा में बालासोर और कटक जिलों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। सैकड़ों लोग, जिनमें ज्यादातर मुछआरे हैं काल के ग्रास बन गए हैं और उससे कहीं अधिक लापता हैं। लाखों एकड़ भूमि पर खड़ी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। हजारों पेड़ उखड़ गए हैं। हजारों मकान गिर गए हैं और उससे भी कहीं अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है। ऐसी स्थिति में भी राहत और पुनर्वास उपाय बहुत ही अपर्याप्त हैं। केन्द्र से मिली सहायता न केवल देर से मिली है बल्कि बहुत कम भी दी गई। वास्तव में इन लोगों के पुनर्वास के लिए युद्ध स्तर पर उपाय किए जाने चाहिए, ताकि लोग रबी की फसल बो सकें और इस दयनीय स्थिति से उबर सकें। मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों से विचार विमर्श करके समय के अनुकूल वहां के लोगों को बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास सहायता देनी चाहिए।

(छः) आंतकवादी तत्वों की हिंसात्मक कार्यवाहियों को रोकने के लिए उचित उपाय करने की आवश्यकता

श्री बी० बी० देसाई : (रायचूर) हमारी सीमाओं पर पाकिस्तान की ओर से भारी खतरा है। पाकिस्तान हमारी सभी सीमाओं पर सेना का जमाव बढ़ा रहा है। पिछले दो महीनों में सीमाओं पर कई झड़पें भी हुई हैं और ये अभी भी जारी हैं। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में हमारी वायु-सीमा का भी उल्लंघन हुआ है। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर राज्य में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है। वहां कई बम विस्फोट हुए हैं। कई स्थानों पर अवैध हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। यह सिद्ध करने के लिये दस्तावेजी प्रमाण हैं कि पाकिस्तान हमारे इस राज्य में अव्यवस्था पैदा करने के उद्देश्य से तोड़ फोड़ की कार्यवाही करने वाले इन लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है उग्रवादियों द्वारा की जाने वाली हिंसा की ये उत्तरोत्तर बढ़ती कार्यवाहियां जम्मू-कश्मीर तथा अन्य राज्यों में भी देखने को मिली हैं।

गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर राज्य से अनुरोध किया है कि इस हिंसा को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए। अतः यह अपरिहार्य हो गया है कि केन्द्र सरकार को प्रभावित राज्यों में इन उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिये देश में अव्यवस्था फैलाने के लिए विदेशी राष्ट्र इन तत्वों को प्रोत्साहित तथा सहायता देते हैं।

अतः इन गतिविधियों को रोकने के लिए उचित उपाय करना जरूरी है।

(सात) कोयले के उत्पादन में प्रभावी समन्वय के लिए उड़ीसा राज्य में कोयला संसाधनों का विकास करने और एक कोयला विकास प्राधिकरण की स्थापना करने की आवश्यकता

श्री हरिहर सोरन (क्योंझर) : हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि उड़ीसा

[श्री हरिहर सोरन]

में अनुमानतः 29 हजार मिट्रिक टन कोयले के भंडार उपलब्ध हैं। लेकिन जिस गति से कोयले का खनन अब किया जा रहा है, यदि उसी से ही किया जाता रहा तो कोयले का खनन करने में कम से कम 5800 साल लग जायेंगे। पिछले साल उन कोयला खदानों से केवल 51,01,000 टन कोयला ही निकाला गया था। उड़ीसा में मिले थरमल ग्रेड कोयले के विशाल भंडार का उपयोग 100 वर्षों तक ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा बिजली बनाने के लिए किया जा सकता है। उपलब्ध कोयले का उपयोग करके हर साल कम से कम 10,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जा सकती है। थरमल ग्रेड कोयला देश में उड़ीसा की तलचर तथा ईब घाटी कोयला खदानों में उपलब्ध है।

उड़ीसा में कोयला क्षेत्र लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन केवल 1367 हेक्टेयर क्षेत्र को ही कोयला खनन के लिए पट्टे पर दिया गया है। इन सभी क्षेत्रों में कोयला खनन का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। राज्य के काफी बड़े क्षेत्र में कोयला-खनन की बहुत गुंजाइश है। अतः मेरी मांग है कि कोयला-खनन के क्षेत्र में कारगर समन्वय कायम करने के लिए एक उच्च-स्तरीय कोयला विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए। साथ ही भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह उड़ीसा राज्य में कोयला संसाधनों के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए।

———

12.16 म० प०

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक 1985 (—जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 7 लेते हैं। श्री जनार्दन पुजारी अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : अपना उत्तर जारी रखते हुए मेरा निवेदन है कि यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया एक प्रमुख संस्था है। आप अगर ट्रस्ट के कार्य निष्पादन को देखें तो 1965 में इसकी कुल आय एक करोड़ 53 लाख रुपये थी। अब 1985 में इसकी कुल आय बढ़कर 257 करोड़ रुपये हो गई है। वस्तुतः, पिछले साल इसकी कुल आय 142.64 करोड़ रुपये थी। पिछले साल के आंकड़ों से अगर तुलना की जाए तो इस आय में 80 से भी अधिक प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बेहतर होगा अगर मैं यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के कार्यनिष्पादन पर प्रकाश डालूं। यह संस्था सभी यूनिट धारियों को संरक्षण प्रदान करती है और निवेश और उच्च प्रतिफल के लिए धन देती है। वर्ष 1965 में प्रमुख यूनिट योजना के अन्तर्गत घोषित लाभांश केवल 6.1 प्रतिशत ही था। पिछले साल इसी योजना के अन्तर्गत घोषित लाभांश 14 2 प्रतिशत था। जब मैं यह कहता हूं कि यह सुरक्षा और निवेश तथा उच्च प्रतिफल के लिए धन देती है तो मैं इसकी तुलना निजी क्षेत्र में निवेश

से करता हूं, जहां निवेश कर्त्ताओं के लिए सुरक्षा नहीं है, क्योंकि वहां निवेश करने में जोखिम रहता है।

अब कार्य निष्पादन को लें तो 1975 में लघु यूनिटधारियों की संख्या 1.32 लाख थी जो कि अब बढ़कर 17 लाख हो गई है। जैसा कि मैं कल स्पष्ट कर चुका हूं, लघु यूनिट धारियों की संख्या कुल यूनिट धारियों की 87 प्रतिशत है। ये लघु यूनिट धारी वे हैं जिनका निवेश 10,000 रुपये से कम है और इन यूनिट धारियों में से लगभग 70 प्रतिशत यूनिट धारी ऐसे हैं जिनका निवेश 5000 रुपये से अधिक नहीं है। इस तरह से हम छोटे यूनिट धारियों की मदद कर रहे हैं तथा बचत और निवेश दोनों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। भारत सरकार की नीति विकासोन्मुख होने के साथ-साथ बचत और निवेश को बढ़ावा देने वाली है और इससे सामाजिक तथा आर्थिक असमानताएं कम होंगी। अब मैं रिजर्व के कार्यनिष्पादन का उल्लेख करूंगा। रिजर्व के रूप में कितनी धनराशि की व्यवस्था है तथा इसमें कितनी सुरक्षा की व्यवस्था है ? 1981 में यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया का रिजर्व तथा प्रावधान 58.31 करोड़ रुपये था। जो कि 1985 में बढ़ कर 298.47 करोड़ रुपये हो गया। इसमें 98.9 प्रतिशत की अर्थात लगभग 99 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया का कार्य निष्पादन इस प्रकार है।

महोदय, हम इस संस्था की जिम्मेवारी ले न लें, इसका कर्त्तव्य है कि यह प्रगति करे और इस देश के लोगों की सेवा करे। माननीय सदस्य माधव रेड्डी ने कल एक बात कही थी कि यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया सराफा बाजार में प्रवेश कर रहा है और इसके पास सोने का लेन-देन करने का प्रावधान भी है। माननीय सदस्यों की सूचना के लिए मैं बता दूं कि अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अन्तर्गत यह ट्रस्ट सराफा बाजार में प्रवेश कर सके और सोना और किसी धातु का लेन-देन कर सके।

अब मैं इस बात पर आता हूं कि क्या यह अधिनियम इस ट्रस्ट को संपदा व्यापारी बनने देगा तो यहां भी मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे दूं कि इस विधेयक का आशय ट्रस्ट को वास्तविक संपदा-व्यापारी बनने की अनुमति देना नहीं है। किन्तु जब आप निर्माण कार्य करते हैं और भवन निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देते हैं तो उसमें भूमि खरीदने की बात भी शामिल हो जाती है। भूमि के बिना आप आवास सुविधाएं प्राप्त नहीं कर सकते तथा निर्माण कार्य नहीं कर सकते। इसलिए इस अधिनियम में एक उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत उक्त ट्रस्ट भूमि खरीद सकता है और उसका स्वामित्व अपने पास रख सकता है। माननीय सदस्यों का कहना है कि ट्रस्ट को राज्य सरकारों की भी सहायता करनी चाहिए। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में भी औद्योगिक आवास विकास निगम को इस ट्रस्ट से सहायता मिली है तथा पुलिस कर्मिकों के लिए आवास निर्माण के लिए सहायता मिली है। तो यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया का कार्यनिष्पादन, इस प्रकार है। अगर कार्यनिष्पादन के लिए किसी को मान्यता देनी है तो मैं तो कहूंगा कि इसका श्रेय यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया को दिया जाना चाहिए। शुरू में ही, आन्ध्र प्रदेश के माननीय सदस्य ने कहा था कि इसका कार्यनिष्पादन ठीक है लेकिन इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। यहां भी मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि ट्रस्ट को अधिक जिम्मेवारी सौंपी गई है और उसे बेहतर कार्य करना चाहिए। अगर आप

[श्री जनार्दन पुजारी]

इसका पिछला कार्य देखें तो हम कह सकते हैं कि इस संस्था ने काम करने का प्रयास किया है। इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। घटाने के बजाय इसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। जब भी अच्छा कार्य करें इसे कुछ प्रोत्साहित किया जाये। मेरे विचार से सदन भी इस संस्था को बढ़ावा देना चाहता है।

अब मैं माननीय सदस्य डागा जी की इस बात पर आता हूं कि ऋणों को बट्टे खाते में डालने के लिए अधिक धन की व्यवस्था की गई है। मैं कहूंगा कि इसके लिए केवल 17 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। अगर आप 1261 करोड़ रुपये की निवेश राशि पर विचार करें तो देखेंगे कि अशोध्य ऋण के लिए जो 17 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है वह छोटी सी धन राशि मात्र है। आर्थिक रूप से यह अशोध्य धनराशि नहीं है। इसकी वसूली हो सकती है। जब इसकी वसूली होगी तो इससे यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया को लाभ होगा।

श्री डागा का दूसरा मुद्दा था कि बिना दावे के लाभांश 2.17 करोड़ रुपये तक के हैं। यह 21 वर्षों की अवधि से जमा हुआ है। जमा होने के लिए बहुत से कारण हैं। कुछ लोगों ने अपने सही पते नहीं दिए हैं और कुछ लोग उत्तराधिकार प्रमाणपत्र भी नहीं दिखा सके हैं। यह यू०टी० आई० का दोष नहीं है। हम कह सकते हैं कि जब कभी लाभांश की घोषणा होती है, उसी दिन इसकी पार्टी की घोषणा कर दी जाती है। जहां तक मैं समझता हूं कि ऐसा कोई भी संस्थान नहीं है, जहां लाभांश की घोषणा वाले दिन ही उसका भुगतान किया जाता हो। यह है यू० टी० आई० की कार्य निष्पादकता।

जैसा कि दावा न किए गए लाभांश के रूप में संचित की गई राशि के रूप में 2.17 करोड़ रुपये का उल्लेख किया गया है। उसके बारे में मैं कह सकता हूं कि पिछले सात वर्षों में यू० टी० आई० ने अकेले मुख्य बीमा योजना के अन्तर्गत 416.33 करोड़ रुपये के लाभांश की घोषणा की थी। यह राशि भी बहुत छोटी राशि है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि यह यू० टी० आई० की कोशिश है कि इस दावे को बहुत शीघ्र निपटा सकती है। हमारी ओर से यह आश्वासन दिया जा रहा है। हम इस पर निगरानी भी रख रहे हैं। जहां तक मैं जानता हूं कि लाभांश की घोषणा करने और भुगतान करने के लिए भी व्यावहारिक रूप से कोई विलम्ब नहीं है।

एक और मुख्य बात यह कही गई है कि यू० टी० आई० को ग्रामीण क्षेत्रों में जाना चाहिए और इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। मैं माननीय सदस्यों के इस विचार से सहमत हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस व्यवसाय को करने के प्रयास किए जाते हैं। माननीय सदस्यों के लाभ के लिए हम कह सकते हैं कि हमने पहले से ही 'पूरा' नाम की एक योजना आरम्भ की है अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में यूनिटों को बढ़ावा और उर्वरक डीलर्स एशोसियेसन तथा उनकी यूनिटों के माध्यम से इन यूनिटों का लिखा। उनके माध्यम से हम यूनिटों को बेचते और खरीदते भी हैं। और हमारे पास पूरे देश में पेट्रोल शायिकाएं हैं। भारतीय तेल निगम निर्गम स्थानों के माध्यम से भी हम इसे ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में बेच रहे है। रेलवे को भी रेलवे स्टाल में उन्हें बेचने की सिफारिश की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण

बैंकों के साथ बातचीत चल रही है। इनके पूरे काम के माध्यम से भी हम यूनिटों को बेच और खरीद रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि शाखाओं के विशेष कार्य हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी लगभग 29,837 शाखाएं हैं और वे लगभग 58.5 प्रतिशत होती हैं। डाकघरों के माध्यम से भी हम इस कार्य का संचालन करते हैं।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि यह देखने के लिए प्रयास किए जायेंगे कि यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनों तक भी जाये। इसके अलावा हमने 130 जिलों में 90 आकस्मिक मुख्य प्रतिनिधि पहले से ही नियुक्त किए हुए हैं। वे अपनी कुछ शाखाएं खोलने जा रहे हैं। इन संस्थानों के माध्यम से भी हम अपना कारोबार ग्रामीण क्षेत्रों में फैला रहे हैं। ग्रामीण एजेंटों को अधिक कमीशन अर्थात 0.25 प्रतिशत अधिक दिया गया है।

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी को अपनी बात समाप्त करने दो।

श्री एच० ए० डोरा : मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें भाषण समाप्त करने दो।

श्री जनार्दन पुजारी : बाद में हम वह कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि फिर भी यह आलोचना हुई है जो विरोधी पक्ष से पेश की गई है कि हम सरकारी क्षेत्र से गैर सरकारी क्षेत्र की ओर भाग रहे हैं और अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होगी आदि आदि। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं...

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : कांग्रेस की ओर से भी यह आलोचना हुई है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि हम सरकारी क्षेत्र से गैर सरकारी क्षेत्र की ओर नहीं भाग रहे हैं। इसके विपरीत हमें राष्ट्र की आर्थिक नीति को भी देखना है। जैसा कि मैंने कहा कि पूरे देश की आर्थिक नीति का रुझान विकास की ओर है, बचत और निवेश की प्रगति की ओर है जिससे असमानता को कम किया जा सकता है। वहां भी, मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि देश में विकास समानता और सामाजिक न्याय के आधार पर किया जाएगा।

श्री अमल दत्त : मैं यह आश्वासन पिछले 35 वर्षों से सुन रहा हूं।

श्री जनार्दन पुजारी : उसका अनुसरण भी किया गया है। मैं सदन को बता सकता हूं कि उन सामाजिक अवरोधों को हटाने जा रहे हैं जो कमजोर वर्गों को दबाते हैं तथा गरीबी का सीधा प्रहार किया जाएगा। हम गरीबी के विरुद्ध अपनी लड़ाई और तेज करने जा रहे हैं और उसके परिणामस्वरूप हमारी आर्थिक नीति समाजवाद की ओर होगी। जैसा कि मैंने कल कहा था, यह हमारी समाजवाद की संकल्पना है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एच० ए० डोरा : दर्शन तो इस देश से गरीबी दूर करने वाला लगता है । माननीय मन्त्री के उत्तर से मैं यह समझ सका हूं कि उनका दर्शन देश के विकास के लिए फैक्ट्री और परियोजना का निर्माण करना ही अनिवार्य नहीं है, बल्कि गरीबी का उन्मूलन करना भी है। देश में ग्रामीण गरीबों के लिए ग्रामीण आवास का निर्माण करने के लिए यूनिट ट्रस्ट के इस धन का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है ?

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने इसे बहुत स्पष्ट किया है कि घरों का निर्माण करने के लिए ऋण देने का समर्थ प्रावधान बनाया गया है और हमने आवास के प्रयोजन के लिए और घरों के निर्माण करने के लिए भी यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया में पहले ही धन की व्यवस्था की हुई है। उसे पहले से किया जा चुका है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। इस विधान का उद्देश्य यही है और हमने इसकी ही व्यवस्था की है। हम वहां निवेश करने जा रहे हैं। छोटे यूनिट धारकों को भी ऋण दिये जायेंगे और इसे बैंकों तथा विभिन्न अन्य उपलब्ध वित्तीय स्रोतों के माध्यम से किया जायेगा।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : मेरे द्वारा पूछे गए विशेष मुद्दे का उत्तर मन्त्री जी ने नहीं दिया है। अचल सम्पत्ति में निवेश करने के लिए यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया को मूल अधिनियम में निषेध किया गया है। अब उसके कारण यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया को किसी भी तरह से हानि नहीं उठानी पड़ी है। दूसरी तरफ, इसने बहुत अच्छी प्रगति की है। आपने अपने आप बताया है कि इसका लाभ बढ़ा है। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं दिखाया गया है कि अचल सम्पत्ति में निवेश करना आपके लिए आवश्यक है। यह उलटाव की नीति क्यों है ? इस निष्कर्ष पर आने के लिए आपके पास क्या आधार है कि यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया को भी अचल सम्पत्ति कार्य में आना चाहिए ?

श्री अमल दत्त : उन्हें राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्रों का विकास करना चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं माननीय सदस्य की भावना की प्रशंसा करता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें मकानों के लिए, मकानों के निर्माण के लिए काम करना चाहिए जहां हम मकानों का निर्माण कर सकते हैं ? हम हवा में मकानों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसके लिए स्थान उपलब्ध होना चाहिए। यह एक अनिवार्य प्रावधान है। इसलिए हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम अचल सम्पत्ति व्यवसाय में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। जहां तक यह संभव है हम केवल वहीं तक यह करने जा रहे हैं। यह केवल समर्थकारी प्रावधान है। इसलिए हमें अचल सम्पत्ति खरीदनी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

खंड 2 । श्री मूलचन्द डागा

खंड 2 (धारा 2 का संशोधन)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

पृष्ठ 2, पंक्ति 5,—

"निगम" के पश्चात्," और उसकी समनुषंगी

कम्पनियां" अन्तःस्थापित किया जाए। ···(1)

विधेयक में केवल साधारण बीमा निगम और इसकी समनुषंगी कम्पनियों का उल्लेख किया गया है। मैंने कहा कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी, नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी, ओरियन्टल फायर एन्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी जैसी कुछ अन्य कम्पनियां भी हैं जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए। इसलिए मैंने इस संशोधन का प्रस्ताव रखा है कि समनुषंगी कम्पनियों सहित कम्पनियों को शामिल किया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि अधिनियम के अन्तर्गत एक विशेष उपबंध रखा गया है। मैं कहता हूं कि यह एक बुरा कानून है। यदि आप सिर्फ एक ऐसा कानून पारित करते हैं जो केवल कुछ अन्य अधिनियमों का उल्लेख करता है तो यह ठीक नहीं है। इसे स्वतः पूर्ण होना चाहिए। और इसलिए 'समनुषंगी कम्पनियां' शब्द को शामिल किया जाना चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : हमने साधारण बीमा निगम को पहले से ही शामिल कर लिया है जिसमें समनुषंगी कम्पनियां भी शामिल हो जाती हैं। अतः इस वाक्य को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री डागा को अपने संशोधन को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है? क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री मूल चन्द डागा : उन्होंने कौन से कारण दिए हैं। मैंने कहा कि इसे स्वतः पूर्ण होना चाहिए। इसका किसी अन्य अधिनियम में उल्लेख नहीं होना चाहिए। और समनुषंगी कम्पनियों के बारे में क्या स्थिति है?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं इसे सभा में मतदान के लिए रख सकता हूं?

श्री मूल चन्द डागा : यदि मंत्री महोदय सहमत नहीं हैं तो ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं? क्या सभा श्री मूल चन्द डागा द्वारा रखे गये संशोधन को वापिस लेने की अनुमति देती है?

माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 (धारा 4 का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 3। श्री मूलचन्द डागा। क्या आप अपने संशोधन का प्रस्ताव कर रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> पृष्ठ 2, पंक्ति 34,—
> "अधिक है" के **पश्चात्**, "तीस दिनों के भीतर"
> **अन्तःस्थापित किया जाए।** ...(2)

मेरा कहना है कि तीस दिनों की अवधि के भीतर राशि वापिस कर देनी चाहिए अन्यथा यह कई महीनों तक रखी जा सकती है। अतः मैंने एक सीमा बताई है। तीस दिनों के भीतर राशि वापिस करने के संशोधन को हमें स्वीकार क्यों नहीं कर लेना चाहिए ?

श्री अमल दत्त : यदि यह संगणक होता तो इसे सात दिन होना चाहिए न कि 30 दिन।

श्री जनार्दन पुजारी : यूनिट धारक को अंशदान प्रमाणपत्र सौंप देना चाहिए। जब तक वह यह नहीं देगा, भुगतान नहीं किया जा सकता। यदि वे फिर भी विलंब करते हैं तो यह भिन्न बात है। अब व्यावहारिक रूप से पैसा वापिस करने के लिए विलम्ब नहीं होता है। इसके विपरीत, यह यूनिट धारक के हित में है।

श्री अमल दत्त : तब आपको संशोधन स्वीकार करना चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : उदाहरण के लिए यदि आप यूनिट प्रमाणपत्र को लौटा देने की स्थिति में हों तो आपको पैसा वापिस मिल जाएगा।

श्री अमल दत्त : उसमें भुगतान की तारीख होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री मूलचन्द डागा द्वारा रखे गये संशोधन को वापिस लेने की अनुमति देती है ?

माननीय सदस्य : जी, हां :

संशोधन संख्या 2 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 (नई धारा 14क का अन्तःस्थापन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड 4 में आते हैं। श्री मूल चन्द डागा। क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री मूल चन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 16,---
अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये : -
"और जिसे बोर्ड द्वारा तीन महीनों के
भीतर अनुमोदित किया जाएगा"। ...(3)

यदि अध्यक्ष जिसकी नियुक्ति पूरे समय के लिए है तो उस स्थिति के अन्तर्गत यदि उसके लिए किसी भी मामले में तुरन्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है जो कि बोर्ड की सामर्थ्य और यूनिट धारक के हित में है तो यह ठीक है। मेरा कहना है कि एक बार जो निर्णय लिया गया है तब बोर्ड यह देख सकता है कि क्या कार्यवाही की गई है और किन परिस्थितियों में की गई है तथा मैं कहता हूं कि इसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए और इसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित करना चाहिए। आपने कुछ निर्णय लिए हैं। लेकिन उस निर्णय को बोर्ड के सामने पेश करना चाहिए और तब इसमें हानि ही क्या है क्योंकी निर्णय तो पहले ही ले लिया गया है ?

यदि आप मेरा संशोधन स्वीकार करना नहीं चाहते तो यह दूसरी बात है मेरा सुझाव यह है कि यदि अध्यक्ष ने बोर्ड की बैठक बुलाए बिना ही निर्णय लिया है तो वह निर्णय बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए और इस पर बोर्ड की स्वीकृति ली जानी चाहिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि

[श्री मूलचन्द डागा]

अध्यक्ष द्वारा लिया गया निर्णय सही न हो। फिर इसे स्वीकृति के लिये बोर्ड के समक्ष क्यों न रखा जाय ?

श्री जनार्दन पुजारी : श्री डागा ने यह संशोधन रखा है कि प्रबंधकों के निर्णय पर बोर्ड को तीन महीने के अन्दर स्वीकृति दे देनी चाहिए। मेरा यह कहना है कि हर दो महीने में एक बार बोर्ड की बैठक बुलाई जानी चाहिए और इसे तीन महीने से पहले ही स्वीकृति दे दी जायेगी।

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री डागा को खण्ड 4 में अपने संशोधन को वापिस लेने की अनुमति देती है ?

संशोधन संख्या 4 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 (धारा (9) के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)

श्री मूल चन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 30,—

" अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

" जिसमें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को गृह निर्माण हेतु प्रथम अथवा द्वितीय बंधक पर ऋण शामिल है ; " (4)

पृष्ठ 3, पंक्ति 41, —

" कम्पनियों " से पूर्व, "समितियों, "

अन्त :स्थापित किया जाए। (5)

पृष्ठ 4, पंक्ति 24,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए —

" और अंशों के निर्गमन का प्रबंध करना " (6)

पृष्ठ 3, पंक्ति 30,:—

अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाये** :—

"जिसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को मकानों के निर्माण के लिए प्रथम अथवा द्वितीय बंधक पर और पिछड़े क्षेत्रों में आवास कम्पनियों, उद्यम कम्पनियों तथा उद्योगों को ऋण देना शामिल हैं।" (10)

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : **मैं** प्रस्ताव **करता हूं** :

पृष्ठ 3, पंक्ति 30, —

"अन्यथा " **के पश्चात** निम्नलिखित **अन्त:स्थापित** किया जाये :—

" किसी केन्द्रीय या राज्य के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को " (9)

पृष्ठ 3, पंक्ति 31 से 36 **का लोप किया जाए।**

पृष्ठ 3, पंक्ति 38, — (11)

"अग्रिम" के **पश्चात** निम्नलिखित **अन्त : स्थापित** किया जाये "या किसी **कम्पनी के** साधारण शेयरों के निम्नांकन " (12)

पृष्ठ 4 पंक्ति 17 से 21 का **लोप किया जाये।** (13)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : **मैं** प्रस्ताव **करता हूं** :

पृष्ठ 3, पंक्ति 29-30,—

"या अन्यथा" **का लोप किया जाए।** (14)

श्री मूलचन्द डागा : महोदय कल माननीय वित्त राज्य मन्त्री जी ने कहा था कि हमें आवास कम्पनियों को ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। मैंने इस संशोधन का सुझाव इसलिए दिया है क्योंकि भारत में और मकानों की आवश्यकता है और लोगों को अपने घर बनाने के लिए ऋण की जरूरत है। कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कुछ जोखिम उठाकर अपना व्यवसाय आरम्भ करते हैं। हम उन्हें ऋण क्यों नहीं प्रदान करें ? अत: मैंने यह सुझाव दिया है "प्रथम या द्वितीय गिरवी पर मकानों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को ऋण देने के साथ-साथ आवासीय कम्पनियों,

[श्री मूलचन्द डागा]

जोखिम उठाने वाली कम्पनियों और पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों को"। हम चाहते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए। अतः मेरा कहना है कि जो लोग पिछड़े क्षेत्रों में अपने उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें पैसा दिया जाना चाहिए। मेरे ये सुझाव हैं। कल मन्त्री महोदय ने बड़े जोर-शोर से कहा था कि वह इसका समर्थन करते हैं। फिर वह इसे स्वीकार क्यों नहीं करते हैं ?

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, खंड 5 वह मुख्य खंड है, जिसमें विधेयक की नीति बनाई गई है। जैसा कि मैंने कल बताया था, मैं इसके विरुद्ध हूं क्योंकि इसका अर्थ धनराशि को गैर-उत्पादक क्षेत्रों में लगाना। मंत्री महोदय द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद, मुझे विश्वास है कि इस निधि का उपयोग गैर-उत्पादक कार्यों के लिए किया जाएगा। यू० टी० आई० द्वारा दिए गये पैसे को औद्योगिक वित्त के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इनका इस्तेमाल मकान बनाने या संपदा का निर्माण करने जैसी चीजों पर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इनका इस्तेमाल केवल औद्योगिक वित्त, इक्विटी शेयरों की प्रतिभूति अथवा कंपनियों में सीधे निवेश आदि के लिए ही किया जा सकता है। पहली बार हम ऐसा करके कठिनाइयों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस पर सबको आपत्ति उठानी चाहिए।

दूसरे, उप खंड (4) में, यहां तक कि औद्योगिक वित्त पोषण में भी एक कार्य ऐसा है जो हमने वाणिज्यिक बैंकों को सौंपा है, जिसकी देश भर में कई शाखाएं हैं और वह काम भी भारतीय यूनिट ट्रस्ट छीन रहा है या उसको सौंपा जा रहा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यदि बिलों का भुगतान करने, हुंडी में कटौती करने आदि काम यू० टी० आई० के हाथ में होगा तो सरकार इन कार्यों की देखभाल कैसे करेगी ? बैंक उद्योगों के कार्यों की देखभाल करने की स्थिति में है क्योंकि जहां कहीं उद्योग होगा उसके आसपास ही बैंक की कोई शाखा भी होगी और वे कार्यशील पूंजी अधिक तरह प्रदान करने की स्थिति में हैं, बजाय इसके कि यू० टी० आई० बम्बई से अथवा किसी और जगह से उनका संचालन करे। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और बैंकों का यह काम किसी दूसरे को नहीं सौंपा जाना चाहिए··· (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : बैंकों की निगरानी रिजर्व बैंक करता है।

श्री सी० माधव रेड्डी : जी हां, किन्तु इस मामले में ऐसा नहीं है। दूसरे, मुझे विश्वास है कि इस सुविधा का उपयोग बम्बई के बड़े व्यवसायी गृह ही करेंगे। वे यू०टी०आई० की रकम का फायदा उठाना चाहते हैं उनकी नजर इस पर ही है। इसीलिए मैं इन दो खंडों का पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : महोदय, मेरा संशोधन "ऋण और अग्रिम को किसी चल अथवा अचल संपत्ति या अन्यथा की प्रतिभूति पर, प्रदान करना" शब्दों के बारे में है। मेरा संशोधन यह है कि 'अन्यथा' शब्द असंगत है और पिछले वक्तव्यों से उल्टा है। यह कहना तो ऐसा हुआ मानो कहा जाए बुद्धिमान या अन्यथा, लम्बा या छोटा, पुरुष अथवा अन्यथा। यदि आप इसे प्रतिभूति पर निवेश तक ही सीमित रखने जा रहे हैं तो, तो चल या अचल संपत्ति की प्रतिभूति तक तो बात ठीक है, किन्तु इस 'या अन्यथा' शब्द से क्या अभिप्राय है ? हमें इस खंड को रखना ही क्यों चाहिए। हम चल या अचल

संपत्ति की प्रतिभूति की बात तो समझ सकते हैं किन्तु 'या अन्यथा' से अभिप्राय है प्रतिभूति सहित या प्रतिभति बिना। इसका अर्थ है कि बोर्ड किसी भी व्यक्ति को किसी भी शर्त पर पैसा देने में सक्षम है और अध्यक्ष, जिसके पास संकटकालीन अधिकार है, जिस तरह चाहे पूंजी निवेश कर सकता है। अतः यह 'अन्यथा' शब्द अनिष्टकारी हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है। पिछले वाक्य का तो अर्थ सीमित है कि 'इसकी प्रतिभूति होनी चाहिए' और 'अन्यथा' शब्द लगाने से वह अर्थ समाप्त हो गया है। अतः, मेरा संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने कल भी सब बातें स्पष्ट की थीं। संक्षेप में मैं माननीय सदस्यों को बता सकता हूं कि ऋण और अग्रिमों का संबंध यूनिटधारियों को औद्योगिक तथा अन्य अग्रिमों से है। जैसा कि माननीय सभा को जानकारी है कि भवन निर्माण ऋण केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है। इसके लिए पहले ही उपबन्ध विद्यमान है। अतः यह उन्हें नहीं दिया जा सकता। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कि सरकार के पास कुछ प्राधिकार हैं और आवास विकास वित्त निगम तथा अन्य निकायों के पास आवास निर्माण ऋण की सुविधायें उपलब्ध हैं। यहां पर भी माननीय सदस्य ने जो मुद्दा उठाया है, मैंने कल भी उन्हें बताया था और आज भी तथा उसका जवाब दे दिया है। इसलिए, मैं और कुछ निवेदन करना नहीं चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान मूलचन्द डागा, क्या आप अपने संशोधन पर अडिग हैं कि उन्हें स्वीकार किया जाए।

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं महोदय, मैं इस खंड के संबंध मे दिए गए अपने किसी भी संशोधन पर बल देना नहीं चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री मूलचन्द डागा को अपने संशोधन संख्या 4, 5, 6 और 10 को वापिस लेने की अनुमति देती है ?

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 4, 5, 6 और 10 सभा की अनुमति से वापिस लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सी० माधव रेड्डी द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 9, 11, 12 और 13 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री ई० अय्यप्पु द्वारा प्रस्तावित संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 14 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

12.59 म० प०

मत-विभाजन संख्या 1

पक्ष में

अतीतन, श्री आर० धनुषकोडी

अरुणाचलम, श्री एम०

आजाद, श्री गुलाम नबी

आजाद, श्री भागवत झा

आनन्द सिंह, श्री

कमला प्रसाद सिंह, श्री

किन्दर लाल, श्री

कुचन, श्री गंगाधर एस०

कौशल, श्री जगन्नाथ

गामित, श्री सी० डी०

चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई

चार्ल्स, श्री ए०

जदेजा, श्री डी० पी०

जैनुल बशर, श्री

टाइटलर, श्री जगदीश

टोम्बी सिंह, श्री एन०

डामोर, श्री सोमजी भाई

डेनिस, श्री एन०

तोमर, श्रीमती ऊषा रानी

थुंगन, श्री पी० के०

दास, श्री अनादि चरण

दिग्विजय सिंह, श्री

दिघे, श्री शरद

देसाई, श्री बी० वी०

धारीवाल, श्री शांति

नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती

नामग्याल, श्री पी०

पटेल, श्री यू० एच०

पटेल, श्री सी० डी०

पाटिल, श्री उत्तम राव

पाटिल, श्री वीरेन्द्र

पासवान, श्री राम भगत

पुजारी, श्री जनार्दन

पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम

प्रभु, श्री आर०

बंसीलाल, श्री

बघेल, श्री प्रताप सिंह

बूटा सिंह, श्री

बैरागी, श्री बालकवि

भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री एच० के० एल०

भगत, श्री बी० आर०

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भोई, डा० कृपा सिन्धु

भोये, श्री सीताराम सायाजी

*मसुदल हुसैन, श्री सैयद

महन्ती, श्री बृजमोहन

माने, श्री आर० एस०

मालवीय, श्री बापूलाल

मिश्र, श्री उमाकान्त

*गलती से पक्ष में मतदान किया।

मिश्रा, डा० प्रभात कुमार

मुशरान, श्री अजय

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मेहता, श्री हरुभाई

यादव, श्री डी० पी०

यादव, श्री श्याम लाल

योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद

रथ, श्री सोमनाथ

राजहंस, डा० गौरी शंकर

राजेश्वरन, डा० वी०

राजेश्वरी, श्रीमती बसव

राममूर्ति, श्री के०

राव, श्री जे० वेंगल

रेड्डी, श्री सी० माधव

लाहा, श्री आशुतोष

शर्मा, श्री नवल किशोर

शांति देवी, श्रीमती

शास्त्री, श्री हरिकृष्ण

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री

सकरगयम, श्री कालीचरण

साहू, श्री शिव प्रसाद

सिंगरावडीवेल, श्री एस०

सिंह, श्री लाल विजय प्रताप

सिंहदेव, श्री के० पी०

सुल्तानपुरी, श्री के० डी०

सूर्यवंशी, श्री नरसिंह राव

सोरन, श्री हरिहर

विपक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव

अप्पालनर सिंहम, श्री पी०

भट्टम, श्री एस० एम०

चौबे, श्री नारायण

दत्त, श्री अमल

*ढिल्लन, डा० जी० एस०

डोरा, श्री एच० ए०

घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा

कलानिधि, डा० ए०

पेंचलैय्या, श्री पी०

राव, श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर

राव, श्री श्रीहरि

रेड्डी, श्री ई० अय्यप्पु

रेड्डी, श्री मानिक

रियान, श्री बाजुबन

तुलसीराम, श्री वी०

यादव, श्री विजय कुमार

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम** इस प्रकार है :—

पक्ष में : 77

विपक्ष में : 17

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

पक्ष में : सर्व श्री के० नटवर सिंह, जे० चोखा राव, चिंतामणि जेना, भरत सिंह, राम रतन राम, आर० जीवरत्नम, डा० जी० एस० ढिल्लो, सर्व श्री अमिताभ बच्चन, सुन्दर राज, पूनमचन्द, मीठाभाई वनकर, लाला राम केन, महावीर प्रसाद यादव, जुझार सिंह, अलखा राम, विलास मुत्तेमवार, चौधरी सुन्दर सिंह, सर्व श्री प्रकाश चन्द्र, सी० पी० ठाकुर, सी० के० कुप्पुस्वामी, मोहन लाल, सरफराज अहमद, डा० के० जी० अदियोडी, सर्व श्री पी० ए० एन्थनी, नन्दलाल चौधरी'

*गलती से विपक्ष में मतदान किया।

**ऊपर लिखित सदस्यों ने भी अपना मत दिया :—

मुरली देवरा, जार्ज जोज़फ मुंडाकल, के० आर० नटराजन, आर० एम० भोये, राम समुझावन, जगदीश अवस्थी, नरेश चन्द्र चतुर्वेदी, के० एन० प्रधान, मानकूराम सोडी, राज मंगल पांडे।

विपक्ष में : श्री एन० वी० एन० सोमू, मसूदल हुसैन सईद, विजय कुमार राजू, श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी, डा० टी० कल्पना देवी, सर्वश्री सी० जंगा रेड्डी, सी० सम्बु, डा० जी० विजय राम राव।

खंड 6 (नई धारा 19ख का अन्तःस्थापन)

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 16,—

"पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" शब्दों के स्थान पर "के होते हुए भी" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। (15)

पृष्ठ 5, पंक्ति 15,—

"संपत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 की धारा 69," के पश्चात्

"सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 तथा कम्पनी अधिनियम, 1956" अन्तःस्थापित किया जाये। (16)

पृष्ठ 5, पंक्ति 30 और 31,

"विशिष्टियां" के पश्चात्,

"तथा ऐसी न्यायालय फीस का भुगतान करने पर"

शब्द अन्तःस्थापित किया जाए।

(17)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 49 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

"परन्तु, जहां उप-धारा (3) या उप धारा (4) के अन्तर्गत कोई आदेश पारित किया जाता है, वहां न्यायालय उसे प्रकाशित किये जाने के आदेश देगा, ताकि कम्पनी या निगमित निकाय की मशीनरी या उपस्कर या अन्य सम्पत्ति में हक के अधिकार या कोई अन्य हित रखने वाले वास्तविक कोई अन्य पक्षकार अपने अधिकार या हितों का अभिकथन कर सकें और वे अपने अधिकार या हितों की रक्षा करने के लिए ऐसे पग, जो वे उचित समझें, उठा सकें।"

(18)

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 9 के पश्चात, निम्नलिखित अन्त स्थापित किया जाए, —

"परन्तु जहां किसी अन्य पक्षकार द्वारा कोई दावा पेश किया जाता है, वहां न्यायालय ऐसे दावों के गुण-दोषों का अन्वेषण करेगा तथा ऐसे आदेश देगा जो वह उचित समझे।" (19)

पृष्ठ 6, पंक्ति 10 से 12,—

"ट्रस्ट के दावे का अन्वेषण करने के लिए अग्रसर होगा और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंध यावत्साध्य ऐसी कार्यवाहियों को लागू होंगे" शब्दों के स्थान पर "विहित प्रक्रिया के अनुसार ट्रस्ट के दावे का अन्वेषण करने के लिये अग्रसर होगा।" शब्द प्रतिस्थापित किये जाए। (20)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने संशोधन पर कुछ कहना चाहते हैं ? यदि हां, तो आप अभी ऐसा कर सकते हैं।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : यह दुर्भाग्य है कि माननीय मंत्री ने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि इस विधेयक के बारे में यह नई प्रक्रिया क्यों अपनायी गई है। जहां तक भारतीय यूनिट ट्रस्ट का संबंध है शुल्क की वसूली के संबंध में आरम्भ में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं थी।

1.00 म० प०

सभी सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं में शुल्क की वसूली के लिए एक ही प्रकार की कार्य प्रणाली होनी चाहिए। आप के बैंकों का भी वही स्थान है जो कि भारतीय यूनिट टस्ट का है। वह पैसे उधार देते हैं और उन्हें विभिन्न इकाइयों से पैसा वसूल करना है। जहां तक बैंकों का संबंध है, चाहे यह भारतीय औद्योगिक बैंक, इसे अथवा भारतीय रिजर्व बैंक हो अथवा कोई अनूसुचित बैंक हो इसे केवल सिविल न्यायालय में अनुपस्थित पार्टी के विरुद्ध डिगरी प्राप्त करनी होती है, डिगरी को लागू करना और धन वसूल करना होता है। अब इसमें केवल एक अन्तर है वह औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 में है जो औद्योगिक वित्त निगम को सीधे तौर पर सम्पति पर कब्जा लेने का अथवा सम्पत्ति को बेचने का अधिकार देता है। इसकी व्यवस्था अधिनियम में की गई है।

फिर जहां तक राज्य वित्तीय निगमों का संबंध है, इसमें एक प्रावधान है जिसके अनुसार वित्तीय निगमों को राज्य सरकार के पास जाकर एक आवेदन पत्र देकर एक प्रमाण-पत्र लेना होता है और तत्पश्चात् भूमि राजस्व की बकाया राशि प्राप्त करनी होती है यह बात तो हम समझ सकते हैं क्योंकि वे राज्य वित्तीय निगम हैं और विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत यह औद्योगिक वित्त निगम हैं क्योंकि वास्तव में धन-राशि राज्य की है। जहां तक बैंकों तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट का संबंध है उनकी स्थिति समान है अतः आप इनमें अन्तर क्यों करते हैं और इस अलग प्रावधान की व्यवस्था क्यों करते हैं कि उन्हें उच्च न्यायालय में जाकर आवेदन पत्र देना होगा और एक अंतरिम व्यादेश प्राप्त करना होगा ? न्यायालय को व्यादेश देने अथवा व्यादेश रद्द करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। यहां न्यायालय व्यादेश देगा। इसी बात की व्यवस्था अधिनियम में की गई है। यह बहुत ही विचित्र

[श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी]

बात है और मेरा विचार है कि यह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा क्योंकि यदि कोई इस बात को चुनौती देता है कि किसी अनुसूचित अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक की बजाय भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा राशि वसूल करने के लिए नई प्रणाली तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा होना यह चाहिये कि सिविल प्रक्रिया संहिता में कोई अन्य प्रावधान में के बावजूद भी सिविल प्रक्रिया संहिता में व्यवस्था है कि कोई पार्टी जाकर मुकदमा दायर करे एक और डिग्री प्राप्त करे और सम्पत्ति की कुर्की करे। इस खण्ड के अन्तर्गत आपने यह भी नहीं कहा है कि, "सिविल प्रक्रिया संहिता में किसी अन्य प्रावधान के बावजूद और कंपनी अधिनियम में किसी अन्य प्रावधान के बावजूद।" महोदय शीघ्र ही रुग्ण उद्योग अधिनियम आ रहा है। इसमें भी हमारे पास एक बोर्ड और एक अपीलीय तोर्ड होगा। इन सभी बातों से उलझन होगी। विभिन्न प्रक्रियाओं से उलझन पैदा होगी। मान लीजिए कि इसी कंपनी ने औद्योगिक वित्त निगम के अन्तर्गत वित्तीय निगम को भुगतान नहीं किया है तो वह सीधे तौर पर इसे सम्पत्ति कुर्क करके और सम्पत्ति छीन लेंगें। यदि यह राज्य वित्तीय निगम का किसी रकम का ऋणी है, वह जाकर भूमि राजस्व की बकाया रकम वसूल करने के आदेश प्राप्त करेंगे। यदि यह एक अनुसूचित बैंक है, यह केवल मुकदमा दायर करता है और सम्पत्ति कुर्क करने के लिए आवेदन पत्र देगा। अतः जहां तक विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया का संबंध है इसमें काफी उलझन है। इसे स्पष्ट किया जाना चाहिये।

एक और मुद्दा भी है। वह यह कि जहां तक तीसरी पार्टियों का संबंध उन्हें अपने दावे पेश करने का अवसर नहीं दिया जाता है। इसके अन्तर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट जाकर सीधे यह कह सकता है कि मशीनरी बेची जा सकती है अथवा मशीनरी को कुर्क किया जायेगा अथवा मशीनरी उन्हें सौंपा दी जायें। यही प्रावधान अधिनियम में है। मान लीजिए कि किसी तीसरी पार्टी का इसी मशीन पर कोई अधिकार है, उसे आने तथा अपना दावा साबित करने का अवसर नहीं दिया जाता है। यह एक कमी है जो इस प्रावधान को असंवैधानिक बनाने जा रही है। अतः इन पहलुओं तथा मेरे संशोधनों पर ध्यान दीजिए, कम से कम वह संशोधन जो तीसरी पार्टी को अपना दावा प्रमाणित करने के लिए अवसर प्रदान करने से संबंधित है जहां उसका न्यायालय के समक्ष दावा सही हो, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय कानून बनाने का उद्देश्य यहां देय राशि की शीघ्र वसूली से है। अब माननीय सदस्य ने एक बात यह कही है कि इन लोगों को अवसर दिया जाना चाहिए। महोदय यहां शुरूआत हुई हैं। अब आप का मुद्दा यह है कि इन लोगों को पर्याप्त समय तथा पर्याप्त अवसर भी दिए जाने चाहिए। जब हम सब से निर्धन व्यक्ति को 300 रु० अथवा 500 रु० का ऋण देते हैं; तो इस न्यायालय में जाने के बिना भी वसूल किया जा सकता है; यह उस प्रक्रिया के बिना भी वसूल किया जा सकता था और उसकी सम्पत्ति को नीलाम किया जा सकता और वह जब्त भी की जा सकती है; किन्तु जब इन लोगों को भारी ऋण दिए जाते हैं, तो क्या हमें इन बड़े लोगों को भी अवसर देना चाहिये ? हम इसी से क्यों नहीं आरम्भ करते हैं ? चलिए हम इसी विधेयक के

माध्यम से आरम्भ करते हैं। जब गरीब लोगों के विरुद्ध जल्दी कार्यवाही की जा सकती है और भूमि राजस्व की बकाया राशि को शीघ्र वसूल किया जाता है तो यही सिद्धांत हम इन लोगों पर क्यों नहीं लागू करते हैं हम इन लोगों से ही आरम्भ करते हैं जरा हम देखें कि यह प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : भूमि राजस्व अधिनियम द्वारा वसूली···पर लागू होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं अथवा नहीं।

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी द्वारा पेश किये गये संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे जा रहे हैं।

संशोधन संख्या 15, 16, 17, 18, 19 तथा 20 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 से 11

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 से 11 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.07 म० प०

कमजोर वर्गों की दशा सुधारने की योजनाओं के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : समाज के कमजोर और दलित वर्गों के लोगों की दशा सुधारने के लिए इस सरकार की वचनबद्धता के बारे में इस सदन को जानकारी है। 1985-86 के लिए वार्षिक योजना और राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा हाल ही में अनुमोदित सातवीं पंचवर्षीय योजना इन वर्गों के कल्याण के प्रति हमारी चिन्ता को पूर्णतः अभिव्यक्त करती है।

मान्य सदस्यों को याद होगा कि पिछली मई में मैंने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा बन्धुआ मजदूरों के लिए इस पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रतिवर्ष 2 लाख मकान बनाने की एक विशेष योजना की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य इन निर्माण कार्यक्रमों में स्थानीय सामग्री का उपयोग करते हुए इन वर्गों को रोजगार के अधिक अवसर जुटाने का है ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो।

सरकार ने अब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के स्तर को सुधारने के लिए तीन और उपायों के बारे में फैसला किया है। प्रसंगवश उनको कमजोर वर्गों के लाभ के लिए हमारे पर्याप्त खाद्य भण्डार का लाभ भी प्राप्त होगा।

इनमें सबसे पहला कार्यक्रम-एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं में लोगों को रियायती

कीमत पर खाद्यान्न वितरण करने का है। देश में 181 एकीकृत जनजातीय विकास-परियोजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत पूरी तरह से 633 सामुदायिक विकास खण्ड और आंशिक रूप से 280 खण्ड आ जाते जो 17 राज्यों और 2 संघ-शासित क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इन परियोजना क्षेत्रों में 5 करोड़ से ऊपर लोग हैं जिनमें से लगभग दो-तिहाई जनजाति के लोग हैं। अब यह निर्णय किया गया है कि इन परियोजना क्षेत्रों के इन 5 करोड़ लोगों को गेहूं राजसहायता प्राप्त दर पर उपलब्ध कराया जायेगा—अर्थात उसी दर पर जिस पर ग्रामीण-भूमिहीन-रोजगार गारण्टी कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार-कार्यक्रमों के अन्तर्गत खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को गेहूं का विक्रय मूल्य-- 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम होगा और चावल का 1.85 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। जबकि यह वितरण अधिकांशत: गेहूं के रूप में होगा—किन्तु जिन क्षेत्रों में चावल पसन्द किया जाता है वहां गेहूं के अलावा चावल भी दिया जायेगा। इस कार्यक्रम को राज्य सरकारों और संघ-शासित क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जायेगा। इस बात को स्वीकार करते हुए कि बहुत से क्षेत्रों में मूल व्यवस्था का विस्तार करना होगा और विभिन्न एजन्सियों को कार्य में लगाने से यह आशा की जाती है कि विभिन्न राज्यों तथा संघ-शासित क्षेत्रों द्वारा 1 जनवरी, 1986 से पहले सभी जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्रों में इस योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की जायेगी। इसमें अन्तर्ग्रस्त-राजसहायता पर होने वाला पूरा व्यय केन्द्र द्वारा वहन किया जायेगा।

दूसरा उपाय छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए पोषक कार्यक्रम से संबंधित है। यह कार्यक्रम जनजातीय क्षेत्रों, शहरी गन्दी बस्तियों और पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जिनमें 1 करोड़ 10 लाख लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति आ जाते हैं विभिन्न राज्यों और संघ-शासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अब 1.1.1986 से राज्यों को आवश्यक अतिरिक्त सहायता देने का निर्णय किया गया है ताकि वे 1986-87 में भी 1 करोड़ 40 लाख लोगों को इसके अन्तर्गत लाने में समर्थ हो सकें। केन्द्रीय सरकार गेहूं की पूरी लागत तथा राज्य सरकारों द्वारा अपनी सातवीं-पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष कार्यक्रम का जो लक्ष्य पहले ही निर्धारित किया हुआ है उसके ऊपर इन योजनाओं के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तदनुरूपी सभी समर्थनकारी लागत का वहन करेगी। इस कारण से 1986-87 में केन्द्रीय सरकार का अतिरिक्त अनुमानित परिव्यय 45 करोड़ रुपये होगा।

तीसरे उपाय का संबंध ग्रामीण, भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के विस्तार से है। पिछले महीने 10 लाख टन खाद्यान्नों का आवंटन प्राधिकृत किया गया है, जिसकी पूरी लागत केन्द्र द्वारा वहन की जायेगी ताकि राज्य चालू वर्ष में इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्य के अतिरिक्त 5 करोड़ मानव दिवसों की व्यवस्था कर सके। अब इन कार्यक्रमों का और अधिक विस्तार करने का निर्णय किया गया है ताकि 1986-87 में इनमें अतिरिक्त 10 करोड़ कार्य दिवसों की वृद्धि हो जाये। आशा की जाती है कि यह विस्तार होने से स्थायी सम्पत्ति स्थापित करने के अतिरिक्त इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत खाद्यान्न की निकासी उस वर्ष में बढ़कर लगभग 20 लाख टन हो जायेगी।

मान्य सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इन उपायों के अलावा यह निर्णय किया गया

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

है कि राशन कार्ड धारकों को अब से लेकर 31 मार्च, 1986 तक उचित दर दुकानों से गेहूं लेने की मात्रा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है और 2 बजकर 15 मिनट पर पुन: समवेत होगी।

1.10 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 15 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.19 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 19 मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

देश के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति के विषय में चर्चा (—जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब देश के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखे तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न स्थिति के विषय पर आगे चर्चा आरंभ करेगा।

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय तथा आपके प्रति व्यक्तिगत रूप से आभार प्रकट करने की अनुमति दीजिए क्योंकि आप ने इस महान सदन में पूरे देश में बाढ़, सूखे तथा तूफान से स्थिति के संबंध में चर्चा करने का अवसर दिया है। यह उचित ही है कि अधिवेशन के पहले दिन सदन ने उन गम्भीर समस्याओं की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया है जो तट के कठिनतम क्षेत्रों, अन्दरूनी इलाकों में तथा रेगिस्तानी क्षेत्र में हमारे लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही हैं।

महोदय, यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक माननीय सदस्य, जिसने भी वाद-विवाद में भाग लिया, उसने ही इन भीषण आपदाओं के दौरान पीड़ित लोगों के दुःखों, कष्टों और कठिनायों की कहानी

अपने ही ढंग सुनाई से सुनाई। महोदय, उन लोगों के प्रति हमारा हृदय सहानुभूति से भर जाता है जोकि इन विपदाओं के परिणामस्वरूप पीड़ित हुए हैं और जो बाढ़ों और चक्रवातों के परिणामस्वरूप मारे गये हैं, हमारी सहानुभूति उन शोक सन्तप्त परिवारों के साथ भी है जोकि अनाथ हो गये हैं।

मेरी अभिव्यक्ति आपके उस कथन से श्रेष्ठ नहीं हो सकती है, जिसमें आपने इस पीठ से भारत सरकार से कहा था कि वह इन परिस्थितियों को प्रशमित करने और इन परिस्थितियों के कारण पीड़ित लोगों की समस्याओं को कम करने के लिए विशेष कदम उठाये।

जैसा कि आप जानते हैं, अभाव अकाल और विपदाएं प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। वे हमारे इतिहास में अनादिकाल से चली आई हैं और हमारे देश को प्रभावित करती रही हैं। पुराने समय में भी महाभारत में और हमारे ग्रन्थों में दीर्घकालीन सूखे, अकाल प्लेग, बाढ़ों, चक्रवातों और इसी प्रकार की बातों का उल्लेख आता है।

महोदय, बात यह है कि हम अब एक ऐसी सदी से गुजर रहे हैं जिसमें विज्ञान उस अवस्था तक विकसित हो चुका है कि यदि हम इन विपदाओं को समाप्त नहीं कर सकते हैं तो हम कम से कम उपलब्ध वैज्ञानिक ज्ञान के माध्यम से मानव जीवन पर इनके प्रभाव को तो कम कर सकते हैं।

यहां तक कि देश के स्वतन्त्र होने से पहले भी ये बातें हमारे यहां थीं। सच तो यह है कि ये तो उसी दिन से आरम्भ हो गई थीं जिस दिन से मानव ने अपने अस्तित्व बनाये रखने हेतु प्रकृति से मल्लयुद्ध आरंभ कर दिया था और इसकी कहानी बड़ी ही लोमहर्षक और उन घटनाओं से भरपूर है जिनमें कभी-कभी मनुष्य प्रकृति को जीत लेता था और प्रकृति बड़े ही तीव्र गति से विकर्षण और प्रतिक्रिया व्यक्त करती थी। परिणाम यह निकलता था कि कई लाख लोग जीवन से हाथ धो बैठते थे। देश के स्वतन्त्र होने से पूर्व, सरकार का रवैया लापरवाही का था। ज्यादा से ज्यादा वे एक विशेष अवधि तक लगान माफ कर दिया करते थे।

परन्तु हमारे स्वतन्त्र होते ही हमारी सरकार और हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने इस गम्भीर समस्या पर और अधिक ध्यान देना आरंभ कर दिया और उन्होंने इसे वैज्ञानिक ढंग से हल करना आरंभ किया। यदि आप स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से और विशेषकर हमारी पंच वर्षीय योजनाओं के लागू होने के बाद से सरकार के खर्च पर दृष्टिपात करें तो यह सहस्रों करोड़ों रुपयों में आता है। ऐसा लगता है कि जैसे सारा धन निश्चित अवधि के लिए उपलब्ध था और हम इन अकालों और बाढ़ों को वास्तव में रोक सकते थे, परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता रहा तो राज्यों की मांगों की तुलना में हमारे पास उपलब्ध संसाधन कम पड़ते गये। प्रत्येक वर्ष हम कुछ धनराशि व्यय करते हैं, जो कि व्यर्थ चली जाती है क्योंकि या तो बाढ़ उसे बहाकर ले जाती है अन्यथा अकाल उसे पी जाता है और कुल मिलाकर परिणाम यह निकलता है कि वही स्थिति बनी रहती है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान डागा जी, जब मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हैं तो आप वहां क्या कर रहे हैं?

एक माननीय सदस्य : महोदय, इस पर उनका कोई संशोधन नहीं है।

सरदार बूटा सिंह : डागा जी तो केवल संशोधनों से ही सम्बन्ध रखते हैं। (**व्यवधान**)

महोदय 1965 से आगे की अवधि के बारे में मोटे हिसाब से यह पता चलता है कि हमारा देश इस प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए लगभग 5488 करोड रुपये खर्च कर चुका है और उसके प्रभाव को देखिये।

महोदय, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, इससे पहले सरकार राहत शिविर खोला करती थी और लगान को माफ कर दिया करती थी। बस इतना ही होता था। परन्तु अब सरकार ने प्राकृतिक विपदाओं से पीड़ित जनता पर उसकी समस्याओं पर और अधिक सहानुभूतिपूर्वक और वैज्ञानिक रूप से ध्यान देना आरंभ कर दिया है। सच तो यह है कि प्राकृतिक विपदाएं इतनी निष्ठुर और भीषण होती हैं कि वे एक से दूसरे दल के लोगों के बीच भेदभाव नहीं करती हैं। मैं कल उस समय थोड़ा सा उदास हो गया जब बाढ़ों और अकाल द्वारा उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए विचार किये जाने के समय भी मेरे कुछ मित्र इस प्रकार के राजनीतिक नारे गुंजा रहे थे। ये मानवीय समस्याएं हैं और कोई नाम मात्र की सरकार भी इन प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए परहेज नहीं करेगी···

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) . दल प्राकृतिक विपदाएं नहीं हैं।

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : दल सहृदय नहीं हैं।

सरदार बूटा सिंह : बात यह है कि दुनिया के इस भाग में केवल दो ही वर्गों के लोग हैं एक अमीर और दूसरे गरीब अर्थात सम्पन्न और विपन्न। महान गुरु नानक जी ने बड़े ही सुन्दर ढंग से इसे इस प्रकार कहा है :

[**हिन्दी**]

जो भी इन्सान या तो धनवान हैं या निर्धन है धन्वन्त: और निर्धन मनै...उन्होंने आगे जाकर बताया है कि यह जो मुसीबत है, वह किसी को छोड़ती नहीं है। सबको एक समान न रके रखती है। राजा रंक दोनों को एक साथ मारती है। वह मुसीबत अलग-अलग नहीं देखती है।

[**अनुवाद**]

अत: महोदय, चाहे यह तेलगू देशम पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी अथवा कोई अन्य पार्टी जब यह विपदा आती है तो आकर सब किसी को समाप्त कर देती है। अत:, इन समस्याओं पर ध्यान देते समय कोई भी सरकार इस प्रकार की बातों पर कोई विचारण नहीं करेगी।··· (**व्यवधान**)

श्री० एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : परन्तु आपकी सरकार ने उपयुक्त कदम नहीं उठाए हैं।

सरदार बूटा सिंह : अतः, मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे हमारे प्रयासों को कम करके न देखें। मैं भी कुछ तथ्य और आंकड़े जुटाकर यह दिखा सकता हूं कि कुछ राज्य सरकारें विफल हो गई हैं परन्तु हम वैसा करने देना नहीं चाहेंगे…

श्री अमल दत्त : कृपया वैसा ही कीजिए।

सरदार बूटा सिंह : क्योंकि यह एक ऐसी परिस्थिति है जो कि मानव जीवन से सम्बद्ध है। अतः, हमारा रवैया यह होना चाहिये कि सारा देश एक बड़ा परिवार है। चाहे हम एक दल के हैं या अन्य दल के और चाहे हम एक राज्य के हैं या अन्य राज्यों के, सारा देश ही एक बड़ा परिवार है और हमें प्रत्येक की समस्याओं को, जो कोई भी इन प्राकृतिक विपदाओं से प्रभावित होता है, देखना चाहिये। अतः, मेरी माननीय सदस्य से यह अपील है कि वह राजनीतिक आधार पर भेदभाव न करें क्योंकि हमारी भारत सरकार ने कभी भी इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। यदि देश के किसी भाग में कोई गम्भीर बात होती है तो हम उसे उतना ही महत्व देते हैं फिर चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, या केरल अथवा तमिलनाडु या आन्ध्र प्रदेश। हमारे माननीय प्रधान मन्त्री महोदय देश के बहुत से भागों का दौरा करते रहे हैं, चाहे वे सूखे से ग्रस्त हों या बाढ़ से और वह भी दलगत राजनीति का विचार किए बिना। इसलिए, हमने जो भी सहायता प्रदान की है वह पूर्णतया मानवीय सहानुभूति पर आधारित है।

महोदय, जैसा कि मैं बता रहा था कि स्वतन्त्रता के बाद से, प्राकृतिक विपदाओं के लिए सरकारी सहायता का, चाहे वह सूखे या बाढ़ अथवा तूफान पीड़ितों के लिए थीं व्यापक आधार था। जब कभी भी सूखा पड़ता है सरकार न केवल प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु तुरन्त राहत देती है, परन्तु हम खराब हुई सम्पत्तियों को ठीक करने और उनके पुनर्निर्माण जैसे कुछ उपाय भी करते हैं। सूखे के मामले में, प्रथम और सर्वोच्च प्राथमिकता पेय जल और चारे की पूर्ति को दी जाती है। कर्नाटक की माननीय महिला सदस्या यह जानने के लिए बड़ी उत्सुक और अधीर थीं कि हम चारे की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं? देश में चारे की स्थिति कहीं अधिक गम्भीर होती जा रही है और मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से अपने किसानों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि देश में क्या हो रहा है। चारे पर ही कुठाराघात हुआ है। चारे की फसलें तो दिन पर दिन कम होती जा रही हैं क्योंकि हमारे किसान भाई अधिकाधिक वाणिज्यिक ढंग से सोचने लगे हैं और हम जैसे-जैसे सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाते चले जा रहे हैं, चारे की फसलें कम होती जा रही हैं। चारे की फसलें, दालें, मोटे अनाज जो कि गरीबों का खाद्य है, ये सभी किसानों की सूची से बाहर जा रहे हैं।

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : भूमि उपयोग पद्धति के बारे में आपको क्या कहना है?

सरदार बूटा सिंह : मैं उस पर भी आ रहा हूं। परन्तु इस समय तो मैं चारे के बारे में बता रहा हूं। तो होता क्या है? जैसे ही हम सिंचाई सुविधाएं नये क्षेत्रों में प्रदान करते हैं, किसानों को उन फसलों को उगाने का लालच हो जाता है जो उन्हें अच्छा लाभ प्रदान करती हैं। वे गन्ना, धान, गेहूं और ऐसी ही चीजें उगाते हैं और चारे, मोटे अनाज और दालों को कम पैदा करने का प्रयास करते हैं।

[सरदार बूटा सिंह]

प्रत्येक ग्राम में गोचर भूमि हुआ करती थी। अब उन गोचरों पर या तो पंचायतों ने कब्जा कर लिया है या उन्हें नीलामी करके पट्टे पर दे दिया गया है। बात यह है कि मुश्किल से ही कोई स्थान ऐसा बचा होगा जिसे चरागाह के रूप में उपयोग में लाया जा रहा हो या उसमें चारा उगाया जा रहा हो। हमारे देश को इस घोर समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

अकाल के दौरान हम लोगों को पीने के पानी की पूर्ति करते हैं। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सरकार ने पीने के पानी की मात्रा का आवंटन न केवल मनुष्यों के लिए बढ़ा दिया है बल्कि पशुओं के लिये भी इसे 40 लीटर से लेकर 70 लीटर तक कर दिया गया है जिससे कि हम जब मनुष्यों को पीने का पानी दें तो पशुओं की आवश्यकता पर भी विचार किया जाए। दुर्भाग्य से चारा एक ऐसी वस्तु है जिसका अभाव बढ़ता जा रहा है और मैं किसानों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि वे चारे की फसल को भी उचित महत्व प्रदान करें। हम अपनी ओर से राष्ट्रीय चरागाहें बनाने पर विचार कर रहे हैं।

महोदय मैं राजस्थान से चुनकर आया हूं। वहां पर निरन्तर सूखा पड़ रहा था। हमने खाद्यान्न और टैंकरों द्वारा पीने का पानी भेजा, परन्तु चारे की बड़ी भारी समस्या थी। हमें वह मिल नहीं रहा था। अतः, मैंने केन्द्रीय और राज्य के फार्मों को निर्देश जारी कर दिए थे कि वे जो कुछ भी चारा उपलब्ध हो उसे शीघ्र भेजें। मैंने हरियाणा और पंजाब सरकारों से भी कहा और इस मामले में वे बहुत ही दयालु थे और उन्होंने तुरन्त कार्यवाही की। परन्तु यह समस्या तो हमारे यहां रहेगी ही। इसलिए मैं इस बात को उजागर करके महत्व देना चाहता हूं कि भारत के किसानों को चारे की फसलें उगाने और कुछ भूमि हरी घास उगाने के लिए रखनी चाहिये जिससे न केवल भूमि का उपजाऊपन बना रहेगा, अपितु पशुओं को चारा भी प्रदान किया जा सकेगा जो कि मिलना बहुत कठिन हो रहा है।

कल राजस्थान और सौराष्ट्र के माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे थे कि निरन्तर सूखे के कारण उनके पशुओं को बड़ी कठिनाई हो रही है। इससे पहले वे मध्य प्रदेश की मालवा पट्टी में जाया करते थे। दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश में भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसलिए बहुत कम दामों पर पशुओं को बेचा गया है और वे चारे के अभाव में मर रहे हैं। यह एक बहुत ही गम्भीर समस्या है जिस पर मैं चाहूंगा कि भारतीय किसान ध्यान दें और चारे की फसलें उगाना आरम्भ करें।

सूखा राहत में प्राथमिकता की द्वितीय मद है कृषि-निवेश की। हम अच्छे बीज, उर्वरक रियायती दरों पर प्रदान करते हैं और प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को रोजगार भी दिया जाता है। जन-स्वास्थ्य पर सावधानी बरती जाती है और बच्चों, दूध पिलाने वाली माताओं और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष पोषक आहार की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाता है।

महोदय, आज दोपहर के भोजन के समय वित्त मन्त्री महोदय ने भारत सरकार द्वारा किए गये उपायों के बारे में जो वक्तव्य दिया था उसे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इससे विशेष रूप से उन लोगों

को सहायता पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी जो सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश के अन्य भागों में गत तीन वर्षों से पड़ रहे सूखे से पीड़ित हैं और विशेषरूप से आदिवासी पट्टियों में क्योंकि आदिवासी पट्टियों का कृषि का तरीका, मैदानी कृषि प्रक्रिया से भिन्न है। वहां पर अधिकतर सीढ़ीदार-कृषि होती है जिसमें बुरे दिनों के लिए बचाने हेतु किसानों को मुश्किल से ही कोई लाभ मिल पाता है और जब कभी सूखा पड़ता है तो किसान बड़ी कठिनाई में पड़ जाता है। मैं श्री मूलचन्द डागा के इस कथन से सहमत हूं कि आदिवासियों को अवमानवीय जीवन जीना पड़ता है। वित्त मन्त्री महोदय ने आज जिन उपायों की घोषणा की है वे अगले वर्ष के लिए भी कारगर रहेंगे जिससे तीन वर्ष के सूखे के प्रभाव को पर्याप्त रूप से घटाया जा सके और वह अपना भोजन खरीदने की स्थिति में हो सके। इसी से पता चलता है कि हमारे माननीय प्रधान मन्त्री की गरीब और अकिंचन के प्रति कितनी सहानुभूति है। हमारे सामने तो अतिरिक्त खाद्यान्न होने की समस्या थी इसे बड़ी आसानी से निपटाया जा सकता था। हम उसे निर्यात कर सकते थे और बेच सकते थे। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमन्त्री ने जोर देकर कहा कि जब तक भारत के लोगों को, खासकर आदिवासी और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को दो जून की रोटी नहीं मिलती तब तक वे खाद्यान्न का निर्यात नहीं होने देंगे भले ही देश में अतिरिक्त खाद्यान्न हो। इसीलिए उन्होंने सभी मंत्रालयों को, चाहे वह खाद्य मन्त्रालय, वित्त मन्त्रालय या कोई और मंत्रालय हो, निर्देश दिए हैं कि चाहे हमें अधिक खर्च क्यों न करना पड़े और चाहे देश को थोड़े और कष्ट क्यों न सहने पड़ें, हम ऐसा करेंगे और गरीबों को खाद्यान्न की कमी नहीं होने देंगे।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : आपने 300 लाख टन खाद्यान्न इकट्ठा कर लिया है और अब यह 400 लाख टन हो जाएगा।

सरदार बूटा सिंह : जी हां, 280 लाख टन है और 90 या 100 लाख टन और इकट्ठा हो जाएगा।

श्री अमल दत्त : आप कह रहे हैं कि लगभग 400 लाख टन इकट्ठा हो गया है। लेकिन क्या आप यह चाहते हैं कि गरीब लोग अनाज के अभाव में कष्ट झेलते रहें और इस पर भी आप अनाज इकट्ठा करते रहें।

सरदार बूटा सिंह : हमें सुरक्षित भंडार तो रखना ही है और लगभग 100 लाख टन अनाज इसमें और शामिल हो जाएगा। लगभग 50 लाख टन तो अब हो जाएगा तथा अगले साल तक लगभग 50 लाख टन और इकट्ठा हो जाएगा और इस तरह यह 200 लाख टन हो जाएगा। सीधा-सा हिसाब-किताब है।

श्री अमल दत्त : इतना सीधा सादा हिसाब-किताब नहीं है।

सरदार बूटा सिंह : अगर आप चाहते हैं कि मैं विस्तार से बताऊं या यह चाहते हैं कि मैं खाद्यान्न को बेच दूं तो ऐसा करना देश के हितों के विरुद्ध होगा क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी प्रतिस्पर्धा है और हमारे अनाज की कीमतें इतनी अधिक हैं कि ऐसा करना हमारे हितों के विरुद्ध होगा।

श्री अमल दत्त : तो फिर आप इसे देश के गरीबों को दे दें।

सरदार बूटा सिंह : यही तो हम कर रहे हैं।

श्री अमल दत्त : आपका मतलब है कि इसे 500 लाख व्यक्तियों को दिया जा सकेगा।

सरदार बूटा सिंह : देखिए पहले हमें एक संस्था बनानी पड़ेगी जो अनाज को संभालने का काम देखें। जब तक आदिवासियों और गरीबों तक अनाज पहुंचाने वाला कोई संगठन न हो तब तक अनाज को यूं ही गवां देने का कोई लाभ नहीं। अतः हमें एक प्रणाली तैयार करनी होगी। पिछली सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिकतर शहरों में ही है।

श्री अमल दत्त : आप इसे प० बंगाल सरकार को दे सकते हैं और हम इसका वितरण कर देंगे। आप इसे हमें दे दें और हम अन्य राज्यों को भी मार्ग दिखा सकेंगे।

सरदार बूटा सिंह : मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं बताता हूं कि प० बंगाल को कितना दिया गया था, उसने कितना उठवाया तथा कितने का उपयोग किया।

श्री अमल दत्त : जब लोग खुद ही उगा रहे हैं तो वे अनाज के आबंटन के लिए क्यों कहेंगे ?

सरदार बूटा सिंह : ऐसा कह कर आप अपने पांवों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हम अनाज को उन क्षेत्रों में भेजेंगे जहां इनकी मांग है। माननीय वित्त मन्त्री द्वारा दिया गया खाद्यान्न इतना कम है कि उसे निर्धनतम तबके तक पहुंचाया जायेगा। अतः हमें आधारभूत संरचना का निर्माण करना है और उसके बाद ही हम अतिरिक्त खाद्यान्न का वितरण कर सकेंगे।

श्री अमल दत्त : हमारी उत्पादन लागत अधिक है तथा वर्तमान निर्धारित कीमतें भी अधिक हैं। आप अनाज का वितरण कैसे करेंगे ?

सरदार बूटा सिंह : अगर आप चाहें तो मैं प० बंगाल सरकार को जितना वह चाहे उतना अनाज दे सकता हूं।

श्री अमल दत्त : आप काम के लिए अनाज देते हैं।

सरदार बूटा सिंह : जी हां, आप आ सकते हैं और जितना चाहें उतना अनाज ले सकते हैं।

श्री अमल दत्त : पिछले अनेक वर्षों से हम इसके लिए ही तो इतना शोर मचा रहे हैं।

सरदार बूटा सिंह : अगर आप उसका वितरण कर सकते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं कह रहा था कि माननीय वित्त मन्त्री ने आज जो घोषणा की है, उसके लिए इससे अच्छा और कोई अवसर नहीं हो सकता क्योंकि आज हमारी स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी की वर्षगांठ है।

श्रीमती गांधी ने देश में अतिरिक्त खाद्यान्न इकट्ठा करवाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। अगर आप याद करें तो आपको पता चल जाएगा कि 1980 में सत्ता में आने के बाद उन्होंने इसके लिए कितना प्रयास किया था। उनके द्वारा चलाया गया विश्वविख्यात 20 सूत्री कार्यक्रम विशेष तौर पर गरीबों के लिए ही तैयार किया गया है··· (**व्यवधान**)

मैं माननीय सदस्य से बाद में विचार-विमर्श कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : दत्त जी, आप मुद्दे नोट कर लें, और अगर जरूरी हो तो बाद में स्पष्टीकरण के लिए कह सकते हैं।

सरदार बूटा सिंह : हमारी महान नेता स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1980 में गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू करते समय सूखे से राहत की व्यवस्था करने हेतु कार्यक्रम चलाने के लिए विशेष प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि हमें पूर्ण कालिक राहत अधिकारियों की नियुक्ति करने, कार्यक्रमों की निगरानी, अनाज की उपलब्धता, उचित दर की दुकानों की संख्या बढ़ाने, असामाजिक तत्वों के खिलाफ उपाय करने, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, वन-रोपण, पोषक आहार कार्यक्रम, जल-पूर्ति के लिए आकस्मिक योजना, जन स्वास्थ्य के लिए उपाय, पेय जल के लिए कुओं की खुदाई हेतु रिग, पशु शिविरों तथा राहत शिविरों को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने ये बारह आधारभूत सूत्र दिये थे जिनके द्वारा गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाया जा सकता है और सूखे से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रयास किए जा सकते हैं।

महान नेता, श्रीमती इंदिरा गांधी की वर्षगांठ के अवसर पर प्रगतिशील कदम उठाने के लिए मैं माननीय वित्त मन्त्री को बधाई देता हूं। हमें उनकी याद आती है क्योंकि यह उनके द्वारा देश के किसानों को दी गई भेंट है और किसान इस स्थिति में हैं कि वे अपने अतिरिक्त अनाज को न केवल भारत के लोगों को बल्कि विदेशों में लोगों के साथ भी बांट सकते हैं। हमारे प्रधान मन्त्री ने अफ्रीका महाद्वीप में भूख से मर रहे अपने भाइयों के लिए 100,000 टन अनाज भेंट किया है। यह राहत भारतीय किसानों द्वारा अफ्रीकी लोगों को सहानुभूतिवश दी गई भेंट है।

मैं उन विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा था जिन पर भारत सरकार सूखे की स्थिति से निपटने के लिए विचार करती है। हमारे माननीय सदस्यों ने बाढ़ के बारे में बोला है। जैसा कि मैंने बताया, बाढ़ आने पर भी विशेष व्यवस्था की जाती है। देश के किसी भी हिस्से में बाढ़ की सूचना मिलने पर सबसे पहले बाढ़ पीड़ित लोगों को वहां से हटाया जाता है, उसके बाद निशुल्क राशन का वितरण, राहत शिविर लगाना, वस्त्र तथा बर्तनों का वितरण, क्षतिग्रस्त मकानों का पुनर्निमाण या मरम्मत का काम लिया जाता है। यहां भी हम आर्थिक दृष्टि से कमजोर बेघर होने वाले लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इसके बाद सार्वजनिक सम्पत्ति जिसमें सड़कें तथा बांध शामिल हैं, को ठीक किया जाता है या उनका पुनर्निमाण किया जाता है। बिजली के खम्भे लगाये जाते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य की देखरेख की जाती है तथा बाढ़ पीड़ित लघु और सीमान्त किसानों को कृषि-निवेश दिए जाते हैं। राज्यों को सहायता देते समय भारत सरकार इन विभिन्न उच्च प्राथ-

[सरदार बूटा सिंह]

मिकता वाली मदों पर विचार करती है।

माननीय सदस्यों का यह जानना ठीक ही है कि हम राज्यों की मांगों को पूरा क्यों नहीं कर पाते। दुर्भाग्य से राज्य सरकारों में यह प्रवृत्ति पैदा हो गई है कि वे इन प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की सारी कमियों को पूरा कर लेना चाहती हैं। ऐसा असम्भव है। साथ ही मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से यह 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत एक चल रही योजना है—एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, सूखे से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों सम्बन्धी योजना, रेगिस्तान विकास योजना जैसी विभिन्न योजनाओं द्वारा हम राज्यों की सहायता कर ही रहे हैं। ये विशेष तौर पर तैयार की गई योजनाएं हैं और इन योजनाओं के अन्तर्गत हम राज्य सरकारों को हर साल काफी पैसा दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं पिछले 5 वर्षों के दौरान हर साल का अलग-अलग ब्यौरा दे सकता हूं। इन योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों को पर्याप्त धनराशि दी गई है। इसका उद्देश्य प्रभावित क्षेत्रों में उत्पन्न स्थिति से निपटना है ताकि सूखा या बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सके। दुर्भाग्य से अपने देश में हम ऐसी आपदा आने पर ही कार्रवाई करते हैं और इन आपदाओं के समाप्त हो जाने पर चुप बैठ जाते हैं। सरकार और अन्य सभी का यही रवैया है। मैं किसी विशेष दल की सरकार को ऐसा नहीं कह रहा। हमें बहुत सतर्क रहना होगा।

कल एक माननीय सदस्य ने पूछा था कि सूखा या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं तथा लोगों को इस बारे में चेतावनी देने के लिए क्या साधन इस्तेमाल किये जाते हैं। तूफान चेतावनी प्रणाली तथा बाढ़ चेतावनी प्रणाली के लिए हम आजकल नवीनतम प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तूफान के बारे में निरन्तर जानकारी रखने तथा उसके आने के रास्तों का पता लगाने के लिए हम इन्सेट 1-बी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्सेट 1-बी तूफान के दौरान दिन रात घंटे डेढ़ घंटे के बाद बादलों की स्थिति दर्शाता है। सभी तूफान चेतावनी केन्द्रों को इन्सेट 1-बी बुलेटिन तथा बादलों के चित्र दिये जाते हैं। लेकिन कितने लोग इनसे फायदा उठा रहे हैं?

श्री अमल दत्त : वे चित्रों की व्याख्या नहीं कर पाते।

सरदार बूटा सिंह : माननीय सदस्य का कहना है कि वे चित्रों की व्याख्या नहीं कर पाते। हम उन्हें व्याख्या करके देते हैं। मौसम विभाग उनकी व्याख्या करके सभी राज्य सरकारों को भेजता है। दुर्भाग्य से आपने अपनी राज्य सरकारों से पता नहीं किया। आपको स्मरण करा दूं कि मौसम विभाग ने बड़े स्पष्ट शब्दों में उड़ीसा, प० बंगाल, तमिलनाडु तथा आन्ध्र में आए तूफानों के बारे में संबंधित राज्य सरकार को बता दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने इसे गम्भीरता से नहीं लिया और बहुत महत्व नहीं दिया। हम केवल मौसम विभाग पर ही निर्भर नहीं करते। जैसे ही हमें मौसम विभाग से पता चलता है कि किसी राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है तो मेरे सहयोगी तथा मैं

स्वयं संबंधित राज्य सरकार से सम्पर्क करते हैं। तूफान आने से एक दिन पहले ही मैंने आपके मुख्य-मन्त्री जी से बात की थी।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य से मैं वाक्-युद्ध नहीं कर सकता। अगर वे दोबारा फिर वाक्-युद्ध करना चाहते हैं तो मैं पहले ही हार मान लेता हूं और वह भाषण दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप कृपया जारी रखें।

सरदार बूटा सिंह : मैं कह रहा था कि मैंने आपके मुख्य मन्त्री जी से सम्पर्क किया था। वह बहुत अच्छी तरह पेश आए और उन्होंने अपने विचार मुझे बताए। यदि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उपाय न किए जाते तो मृतकों की संख्या कहीं अधिक होती।

श्री प्रसन्न दत्त : तो, इसका श्रेय पश्चिम बंगाल सरकार को जाता है।

सरदार बूटा सिंह : मुझे बहुत खुशी है। आन्ध्र प्रदेश को भी कुछ श्रेय दीजिए।

साथ ही, हम अमरीकी 'नोह' उपग्रह का भी लाभ उठाते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग उन्नत उपकरणों से बादलों के लिए गए चित्र एक बार दिन में और एक बार रात में प्राप्त करता है और हम तूफान का पता लगाने वाले राडारों का इस्तेमाल करते हैं। माननीय सदस्य यह जानने के बहुत इच्छुक हैं कि हम किस किस्म के राडारों का इस्तेमाल करते हैं। हमारा देश कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई स्थित तूफान चेतावनी केन्द्रों का भी उपयोग करता है। राज्य सरकारों, आल इंडिया रेडियो तथा अन्य उपयोगकर्त्ता एजेंसियों के लिए भुवनेश्वर और विशाखापत्तनम में तूफान चेतावनी केन्द्र हैं। इन केन्द्रों में टेलिफोन, टेलिप्रिंटर, टेलेक्स, वायरलेस तथा टेलिग्राम जैसी आधुनिक दूर-संचार सुविधाएं मौजूद हैं। मौसम संबंधी आंकड़ों और भविष्यवाणियों का शीघ्रता से आदान-प्रदान करने के लिए मौसम विज्ञान विभाग के दिल्ली स्थित मुख्यालय में 'मैसेज-स्विचिंग कम्प्यूटर' लगाए गए हैं। आंकड़े तथा भविष्यवाणी तैयार करने के लिए इस मुख्यालय में एक वैज्ञानिक कम्प्यूटर भी लगाया गया है। तूफान की चेतावनी दो स्तरों पर दी जाती हैं। मौसम खराब होने की संभावना से 36.48 घंटे पूर्व तूफान के बारे में सचेत कर दिया जाता है। हमारी पूर्व चेतावनी देने के कारण ही कांडला बन्दरगाह को अति भयंकर तूफान की चपेट से बचाया जा सका। सरकार ने कार्रवाई की और लोगों को वहां से हटा दिया गया। वहां तूफान आया किन्तु एक भी जीवन नष्ट नहीं हुआ। ऐसा इसीलिए संभव हो सका क्योंकि हम समय पर लोगों को चेतावनी देने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। राज्य सरकारें भी सहायता कर रही हैं। वैसे यह प्रणाली इस समय अपने आप में पूर्ण नहीं है – हम बहुत खुश नहीं हैं और हम पूरी व्यवस्था को अद्यतन बनाना चाहते हैं फिर भी काफी ठीक है और ऐसा विश्वास करने का मेरे पास कोई कारण नहीं है कि लोगों की तकलीफें बहुत हद तक कम हुई हैं।

इसके बाद मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों के बारे में कहूंगा।

[सरदार बूटा सिंह]

तमिलनाडु तथा पांडिचेरी राज्य सरकारों ने तूफान के लिए तुरन्त कुछ सहायता दिए जाने की मांग की है और माननीय सदस्य कर्नाटक के मुख्य मंत्री द्वारा किए गए काम का उद्धरण देते हुए माननीय प्रधान मंत्री महोदय द्वारा की गई कार्यवाही का महत्व घटा रहे हैं। यह एक सांकेतिक कार्यवाही थी और भारत सरकार ने कल वहां एक केन्द्रीय दल भेजने का निर्णय लिया था और उसके बाद यहां का काम पूरा होने पर मैं भी तमिलनाडु और पांडिचेरी के दौरे पर जा रहा हूं। मैं तमिलनाडु राज्य तथा पांडिचेरी यह देखने जा रहा हूं कि···लोग कैसे···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप उस दल के नेता होंगे ?

सरदार बूटा सिंह : हमारे दल के नेता भी हैं। जब मैं स्वयं वहां जा रहा हूं तो मैं दल का नेता किसी और को कैसे बना सकता हूं ? अतः महोदय, मैं के दौरे पर जा रहा हूं···(**व्यवधान**)

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : यदि हम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं तो बहुत समय नष्ट होगा। इसलिए निर्धन व्यक्ति को ठीक समय पर सहायता नहीं मिलती है। रिपोर्ट मिलने में 6 महीने भी लग सकते हैं। आप इस काम में तेजी क्यों नहीं लाते ?

सरदार बूटा सिंह : जैसे ही हमें ज्ञापन मिलेगा, जो कि संविधि के अनुसार आवश्यक है···

(**व्यवधान**)

श्री के० आर० रेड्डी : आप संविधि में संशोधन कर दीजिए।

सरदार बूटा सिंह : ऐसा आप सोचते हैं। जैसे ही हमें राज्यों से ज्ञापन मिलता है, हम कार्यवाही करते हैं! आप तो सरकार भी बदलते हैं। जैसे ही वे प्रभावित होते हैं, उन्हें ज्ञापन तो भेजने दीजिए···

(**व्यवधान**)

श्री पी० कुलन्दई वेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : तमिलनाडु में हम पहले ही ज्ञापन दे चुके हैं।

सरदार बूटा सिंह : अपना नहीं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष जी, एक महीना हो गया, सैन्ट्रल टीम हमारे यहां जाकर वापिस आ गई, लेकिन अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं दी। ऐसी स्थिति में हम क्या करें। वहां पर किसान लोग मर रहे हैं। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। सारे लोग परेशान हैं। मैं डिप्टी स्पीकर साहब, आपसे निवेदन करना चाहता हूं ··(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : हमें ज्यों ही राज्यों से ज्ञापन मिलता है हम दुरन्त दल भेजते हैं···

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : केन्द्र और राज्य सरकार दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा हो रही है···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : महोदय, दल में केवल मेरा मंत्रालय ही नहीं होता।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा···(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह इस पर विचार करेंगे। श्री जंगा रेड्डी कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : सेन्ट्रल टीम को आंध्र प्रदेश विजिट किए हुए एक महीने से ज्यादा हो गया, उन्होंने अभी तक अपनी रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं की। इसके कारण वहां की जनता की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, जनता परेशान है ··

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया बैठ जाइए। श्री जंगा रेड्डी, कृपया बैठ जाइए···(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : महोदय, प्रक्रिया यह है कि ··(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे सकता, कृपया बैठ जाइए। वह बोल रहे हैं, कृपया उनकी बात सुनिए। उसके बाद आप अपने विचार रखिए···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बाद में बोलिएगा। मैं आपको इसकी अनुमति दूंगा। अब मैं आपको अनुमति नहीं दे सकता। कार्यवाही वृतांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बाद में बोलिएगा। मैं आपको इसकी अनुमति दे रहा हूं। कृपया बैठ जाइए···

(**व्यवधान**)

सरदार बूटा सिंह : अतः महोदय, प्रकिया यह है कि जैसे ही हमें ज्ञापन मिलता है, हम अपना दल भेज देते हैं। और महोदय, दल में केवल कृषि मंत्रालय के ही सदस्य नहीं होते··· (**व्यवधान**)

इसमें अन्य मंत्रालयों जैसे वित्त मंत्रालय, योजना मंत्रालय, निर्माण और आवास मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के भी सदस्य होते हैं··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : डॉक्टर, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए···

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया बैठ जाइए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(**व्यवधान**)*

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए, आप अपने प्रश्न बाद में उठा सकते हैं, मैं तब आपको अनुमति दे सकता हूं किन्तु इस समय नहीं। यह कोई तरीका नहीं है। आप मुद्दे लिख लीजिए। यदि आपको कुछ कहना है तो बाद में कह सकते हैं, अभी नहीं।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, आंध्र प्रदेश में···(**व्यवधान**)

श्रीमती बसव राजेश्वरी (बेल्लारी) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्रीमती बसव राजेश्वरी : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय को अभी उत्तर देने दीजिए। उनका उत्तर समाप्त होने पर ही, सदस्यों को प्रश्न पूछने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : वह अब उत्तर दे रहे हैं। आपका व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : यह आपके लिए नहीं है, आप बैठिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया कुछ देर इंतजार कीजिए।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जंगा रेड्डी, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मंत्री महोदय बोल रहे हैं। कृपया अपनी-अपनी जगह पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह : मैं कह रहा था कि राहत कार्य के लिए धनराशि देना मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। इसके बावजूद··· **(व्यवधान)***

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे मंत्री महोदय की बात सुनें। सुनिए मंत्री महोदय क्या कह रहे हैं। उसके बाद आप जो चाहें प्रश्न पूछ सकते हैं।

सरदार बूटा सिंह : इसके बाद के वित्त आयोग राहत कार्यों पर होने वाले खर्च के लिए केन्द्रीय सहायता दिये जाने की योजनाओं की सिफारिश करते रहे हैं और कई मामलों में व्यय राशि इतनी अधिक रखी है, जिसका भार उठाने में राज्य सरकार असमर्थ है। सीमांत राशि की सिफारिश दूसरे वित्त आयोग द्वारा की गई थी। सातवें वित्त आयोग में, सीमांत धनराशि 100.55 करोड़ रुपये थी। 8वें वित्त आयोग ने इसे बढ़ाकर 240.75 करोड़ रुपये कर दिया और सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली थी, किन्तु इस सीमांत धनराशि में 50% अंश केन्द्र सरकार देती है।

मैं प्रत्येक राज्य का उल्लेख करना चाहता था किन्तु दुर्भाग्य से माननीय सदस्य बहुत अधीर हो रहे हैं।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिए अनुमति नहीं दे सकता हूं। मंत्री जी को अपनी बात समाप्त करने दो। आप इसके बाद इसे उठा सकते हो।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : मंत्री महोदय ने पहले से ही वायदा किया हुआ है···

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सी० जंगा रेड्डी : जब हमने इसे उठाया था तो आपने अनुमति नहीं दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री जी मान जाते हैं तो मैं अनुमति दे सकता हूं। जब मंत्री जी नहीं मान रहे है तो मैं क्या कर सकता हूं।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : मंत्री जी ने पहले ही कल वायदा किया था कि वह समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा करेंगे। मैं सदस्यों के नामों की घोषणा करने के लिए मंत्री जी से अनुरोध करता हूं।

सरदार बूटा सिंह : हमेशा विभिन्न मंत्रालयों से अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है और एक व्यक्ति दल का नेता होता है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं खुद जा रहा हूं और इसलिए मैं इसे देखूंगा कि राहत अति शीघ्र दी जाए।

श्री अमल दत्त : छः महीनों के भीतर ? एक महीना पहले ही समाप्त हो गया है।

सरदार बूटा सिंह : दो तरह की राहत दी जाती है। पहले प्रकार की राहत तुरंत दी जाती है और दूसरी दल की रिपोर्ट पर आधारित होती है। उच्च स्तरीय समिति द्वारा दल की रिपोर्ट पर विचार किया जाता है और तब उसे वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाता है। लेकिन हमारे विभाग द्वारा तुरन्त राहत की व्यवस्था की जाती है जिसका मैंने वायदा किया है। मैंने इसे किया है। कई मामलों में मैंने इसे खुद किया है। (**व्यवधान**) मैं इसको पढ़ने जा रहा हूं। आप कुछ संयम क्यों नहीं रखते ? छठी योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश के प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए 369.12 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई थी।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : यह छठी योजना के बारे में था। मौजूदा आवश्यकताओं के बारे में क्या स्थिति है ? हमें पिछली बातों की परवाह नहीं करते हैं।

सरदार बूटा सिंह : वह तो मेरी समस्या है; आपको पहले मंजूरी की गई राशि की परवाह नहीं है, चाहे उसे उचित रूप से व्यय किया गया हो या नहीं। आपको इस बारे में परवाह नहीं है। आप केवल नए दावों पर दबाव डालने के बारे में परवाह करते हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : हम वर्तमान आंकड़े चाहते हैं न कि पिछले आंकड़े।

सरदार बूटा सिंह : अब मैं सदन को पूरी स्थिति बताना चाहता हूं। सदन को मालूम होना चाहिए। यह माना गया है कि छठी योजना में आन्ध्र प्रदेश ने लगभग 369.12 करोड़ रुपये खर्च किए है। मुझे इसको इस तरह बताना चाहिए क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि हमें राज्य सरकारों के आंकड़ों पर निर्भर रहना होगा अतः आप काफी खुश हैं। (**व्यवधान**) कृपया मेरा साथ दीजिए। यह राष्ट्रीय पैसा है। यह किसी का पैसा नहीं है। यह किसी दल का पैसा नहीं है। यह राष्ट्र का पैसा है जिसको उचित रूप से खर्च किया जाना चाहिए और प्रत्येक पैसे को उसी प्रयोजन के लिए खर्च किया जाना चाहिए जिसके लिए इसे दिया गया हो।

1985-86 के दौरान यह चालू वर्ष ही तो है आपको इसमें दिलचस्पी है या नहीं ?

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : क्या वे पैसा खर्च न करने के लिए शोर कर रहे हैं ?

सरदार बूटा सिंह : 1985-86 के वर्ष के दौरान उन्हें जून, 1985 में उनके लिए 30.85 करोड़ रुपए मजूंर किये गये थे 5 अक्तूबर को दूसरा ज्ञापन आया। नया ज्ञापन प्राप्त हुआ है। केन्द्रीय दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इसकी जांच की जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश के बारे में मैं एक और बात बताना चाहता हूं। अक्तूबर 1985 अर्थात अभी हाल ही में आन्ध्र प्रदेश सरकार को 209 करोड़ रुपए का माध्यम अवधि का ऋण दिया गया था। राज्य सरकार को पैसे की समस्या नहीं है। इसेलिए वे इस धन से राहत कार्य कर सकते हैं जो उनके पास रखा हुआ है।

3.00 म०प०

श्री सी० माधव रेड्डी : नहीं, नहीं

सरदार बूटा सिंह : वह न्यास है। वे राज्य सरकार के साधनों में से खर्च करना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)। इसलिए यदि वास्तव में उन्हें लोगों के लिए इतनी हमदर्दी और चिन्ता है तो उन्हें पैसा खर्च करना चाहिए। वे खर्च क्यों नहीं करते ? (व्यवधान)। इसी तरह राजस्थान का मामला है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि हमारा भेद-भाव का रवैया नहीं है; हमारे विचार स्पष्ट हैं और आन्ध्र प्रदेश सरकार का ज्ञापन हमारे पास है। दल की रिपोर्ट आ गई है। बहुत कम अवधि के भीतर हम इसे अन्तिम रूप दे सकेगें और आन्ध्र प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता देगें।

प्रो० मधु दंडवते : क्या यह सही है कि ओवर ड्राफ्ट को इस प्रयोजन के लिए ऋण में बदल दिया है ?

सरदार बूटा सिंह : इस प्रश्न का उत्तर वित्त मंत्री जी दे सकते हैं। मैं यहां प्राकृतिक विपदाओं को सुन रहा हूं मेरा ओवर ड्राफ्ट के बारे में कोई झगड़ा नहीं है, चाहे इसे दिया गया हो। वित्त मंत्री जी द्वारा उठाया गया यह बहुत प्रगतिशील कदम है क्योंकि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिए बिना राज्य सरकारों को जमा किए गए रुपये से अधिक रकम निकालने की आदत पड़ गई है। इसलिए यह अलग विषय है प्राकृतिक विपदाओं से निपटने के लिए हम यहां राज्यों की सहायता के लिए हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : यह स्थिति बहुत भ्रामक है। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : सूखे की स्थिति से निपटने के लिए ओवर ड्राफ्ट नहीं है। मुझे ऐसे राज्य

[सरदार बूटा सिंह]

का नाम बताइए जिसने ओवर ड्राफ्ट से पैसा खर्च किया है ? नहीं।

श्री अमल दत्त : किसी भी राज्य को कोई पैसा नहीं दिया गया था।

सरदार बूटा सिंह : छठी योजना की अवधि के दौरान राजस्थान राज्य के लिए केन्द्रीय मंजूर सहायता के रूप में 332.61 करोड़ रुपए मंजूर किये गये थे। 1985-86 के दौरान सितम्बर 1985 को 25.87 करोड़ रुपए की मजूंरी दी गई थी। 18 अक्तूबर को एक नया ज्ञापन प्राप्त हुआ था। केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया। मैंने खुद भी राज्य का दौरा किया था। माननीय प्रधानमंत्री ने भी राज्य का दौरा किया था। इस बीच में राजस्थान की समस्या के कारण 100 पानी के टेंकर तथा 10 कम्बीनेशन टाइप ड्रिलिंग रिग्स की खरीद के लिए मंजूरी देने का निर्णय किया गया। कर्नाटक और गुजरात के कुछ भागों में भी यह समस्या है कि भूमिगत पानी इतना गहरा है कि किसान को भी कुएं से पानी निकालने के लिए उसकी दोबार खुदाई करना बहुत कठिन होता है इसलिए सरकार किसान की भी सहायता करने की कोशिश कर रही है। पहले केवल सरकारी ट्यूबवैलों का ड्रिल के माध्यम से परिवेधन किया जाता था। लेकिन अब हमने निर्णय किया है कि किसानों के कुओं का भी रिग के द्वारा परिवेधन किया जायेगा ताकि पानी के स्तर को उपर लाया जा सके और वह पानी की बहुत गंभीर समस्या है; चाहे यह फसल के लिए हो या पीने के लिए इसको तो उपलब्ध कराना ही है।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : इसे कब तक उपलब्ध कराया जाएगा ?

सरदार बूटा सिंह : हमने पहले से ही राजस्थान के लिए 10 रिग की अनुमति दे दी है। पश्चिम बंगाल राज्य में. मेरे माननीय साथी श्री मकवाना सबसे पहले भारत सरकार की ओर से वहां स्थिति का जायजा लेने गए थे। उन्होंने राज्य के मुख्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की और राज्य सरकार ने सहायता के लिए कोई नया ज्ञापन नहीं दिया है। कल प्रो० चौबे ने सुन्दरबन तटबंध का प्रश्न उठाया था मैंने सिंचाई मंत्रालय को कहा है। जैसे ही हमें उत्तर प्राप्त होगा मैं उन्हें भेज दूंगा। मुझे पूरी सहानुभूति है और हम देखेंगे कि इस तटबंध को स्थायी आधार पर लिया जाए। छठी योजना के दौरान मध्य प्रदेश को प्राकृतिक विपदाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 133.6 करोड़ रुपए मजूंर किये गये थे 1985-86 की अवधि में 39.07 करोड़ रुपए की अभी तक मजूंरी दी गई है। राज्य ने दूसरा ज्ञापन प्रस्तुत किया है और केन्द्रीय दल ने भी दौरा किया है। मैं भी मध्य प्रदेश गया था और मैंने खुद उस राज्य में सूखे की स्थिति देखी। तमिलनाडु में राज्य ने 91 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता के लिए कहा है राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह बताए कि दल द्वारा दौरा कब तक किया जाए। हमने पहले से ही एक निर्णय ले लिया है और राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है। केन्द्रीय भाग के रूप में 4375 रुपए के सीमान्त धन दिया जा रहा है और राज्य की पैसे की स्थिति अच्छी है इसलिए अग्रिम रूप से वित्तीय साधन जुटाने के उपाय नहीं किये जा रहे···

(व्यवधान)

श्री पी० कुलन्दईवेलू : सीमान्त पैसा बहुत कम है इन्हें केवल मद्रास के लिए 40 करोड़ रुपये से अधिक की आवश्यकता है।

सरदार बूटा सिंह : चूंकि मैं वहां जा रहा हूं इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री के साथ इसकी चर्चा करूंगा। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : क्या आप इस पर आपत्ति करते हैं ? आपके कहने का यह मतलब है कि हम इस पैसे को अभी भी रोक कर रखें ? मैं वहां परसों जाऊंगा।

श्री पी० कुलन्दईवेलू : बहुत अच्छा।

सरदार बूटा सिंह : क्या आप पैसा खर्च कर सकेंगे ? राज्य सरकारें दी गई राशि को खर्च नहीं कर सकती हैं।

गुजरात की राज्य सरकार ने 30 अक्तूबर को ज्ञापन प्रस्तुत किया है। केन्द्रीय दल ने पहले से ही राज्य का दौरा किया है और उनकी रिपोर्ट पहले ही प्राप्त हो गई है। 14.37 करोड़ रुपए की राशि दे दी गई है। चारे की समस्या और ग्रामीण रोजगार की समस्या सब पर विचार किया जाएगा।

समुद्र पानी का खारापन दूर करने के प्रस्ताव पर भी में विचार किया जायेगा।

श्री ब्रजमोहन मोहन्ती तथा श्रीमती जयंती पटनायक ने उड़ीसा की स्थिति के बारे में कुछ मुद्दे उठाएं हैं। राज्य ने तूफान से प्रभावित क्षेत्रों की मदद के लिए 25 अक्तूबर को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। केन्द्रीय दल ने हाल ही में नवम्बर 1985 के प्रथम सप्ताह मे राज्य का दौरा भी किया उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। मेरे सहयोगी श्री योगेन्द्र मकवाना ने भी राज्य का दौरा किया है। हम केन्द्रीय दल की रिपोर्ट का तत्परता से इन्तजार कर रहे हैं ताकि उसके प्राप्त होने पर सहायता दी जा सके। छठी पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र में सूखे से राहत के लिए 141.29 करोड़ रुपए की एक राशि दे दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में बाढ़ सहायता के लिए 13.91 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। राज्य सरकार ने सूखे की स्थिति के बारे में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। केन्द्रीय दल ने वहां का भी दौरा किया है।

प्रो० मधु दंडवते : मुख्य मंत्री जी ने और पैसे के लिए कहा है।

सरदार बूटा सिंह : सामान्यतः अधिकतर राज्यों में यही स्थिति है।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : कर्नाटक के बारे में क्या स्थिति है ?

सरदार बूटा सिंह : उत्तर प्रदेश का जहां तक सम्बन्ध है मैंने राज्य का दौरा किया, माननीय

[सरदार बूटा सिंह]

प्रधानमंत्री वहां गए थे और वित्त मंत्री जी भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने 128.79 करोड़ रुपए का जो ज्ञापन प्रस्तुत किया था उसकी मंजूरी दे दी गई थी।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : कर्नाटक के बारे में क्या स्थिति है?

श्री जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर) : प्रधान मंत्री जी ने कर्नाटक का दौरा नहीं किया है। क्या आप कर्नाटक का दौरा करेंगे या आप अपने साथी श्री योगेन्द्र मकवाना को दौरा करने के लिए कहेंगे ?

सरदार बूटा सिंह : आपने निमन्त्रण नहीं दिया है। मैं आपको बता रहा था कि ये समस्या तात्कालिक किस्म की हैं। भारत सरकार ने दीर्घ कालीन उपायों के रूप में कई कदम उठाए हैं। 1980-81 में 22.6 मिलियन हैक्टेयर भूमि की तुलना में 1984-85 में 62 9 मिलियन हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा रही है और सातवीं योजना के दौरान 75 मिलियन हैक्टेयर भूमि पर सिंचाई किए जाने का लक्ष्य है।

1970-71 में सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। छठी योजना के दौरान इस पर 337.42 करोड़ रुपये खर्च किया गया है और 17.70 करोड़ रुपये के मानव दिवस का रोजगार पैदा किया गया था।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम को 1977 में शुरू किया गया था और उस पर 73.75 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

फसल बीमा को 12 राज्यों में शुरू किया गया है और फसल बीमा निधि स्थापित की जायेगी। 1982 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था कि प्रति वर्ष 30 से 40 करोड़ तक मानव दिवस के रोजगार का सृजन किया जा सके तथा छठी योजना के दौरान उस पर 519.14 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।

मैंने इन कार्यक्रमों के बारे में उल्लेख किया है जिन्हें भारत सरकार ने दीर्घकालीन उपायों के रूप में लिया है और बार-बार सूखे से होने वाली क्षति को इन्होंने एक सीमा तक कम किया है।

सदन के माननीय सदस्य वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में किये गये दीर्घ कालीन उपायों को जानकर खुश होंगे। मेरे पास आई० सी० ए० आर० की रिपोर्ट है। इसमें कुछ फसलों की ऐसी कुछ किस्मों के बीजों के विकास की ओर अत्यधिक ध्यान देने की बात है जिन्हें सूखे की स्थिति में उगाया जा सकता है और सदन को यह जानकर खुशी होगी कि हमारे वैज्ञानिकों ने चावल की 18 किस्मों तथा गेहूं की 13 किस्मों का विकास किया है जो गंभीर सूखे की स्थिति का सामना कर सकती हैं।

प्रो० मधु दंडवते : इसका अर्थ यह हुआ कि वे बिना पानी के उगायी जा सकती हैं।

सरदार बूटा सिंह : मैंने कहा कि कम पानी से वे उग सकती हैं। उन्हें सूखे की स्थिति में उगाया जा सकता है।

श्री उमा कान्त मिश्र (मिर्जापुर) **:** उत्तर प्रदेश के बारे में क्या स्थिति है ?

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : इस साल फूड ग्रेन्स ठीक चल रहा है, इतना ड्राउट होते हुए भी···

[अनुवाद]

हमने इतना अधिक किया है।

मैंने पहले ही यह कहा है। और इसलिए मैं आपको महसूस कराना चाहता हूं कि हमारे वैज्ञानिक खाद्यान्न के बीजों की ऐसी कुछ किस्मों का विकास कर रहे हैं जिन्हें बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में उगाया जा सके। ये सूखा रोधी किस्में हैं जो नमी की कमी को सहन कर सकती हैं चाहे कम हो या वहां कोई वर्षा न हो और चाहे अति कठिन सूखाग्रस्त क्षेत्र हों। इसी तरह मक्का की दो किस्में, सोरघम की 11 किस्में बाजरा की दो किस्में, जो कि 4 किस्में तथा दालों की कई किस्में हैं। हमारे कृषि अनुसंधान केन्द्र किसानों की इस तरह सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें बहुत कठिन स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी हमारी खेती का 75 प्रतिशत भाग वर्षा पर निर्भर करता है। केवल 23 से 25 प्रतिशत क्षेत्र की खेती सिंचाई के अन्तर्गत हैं। आप जानते हैं कि सिंचाई वाले क्षेत्रों में हम बहुत अच्छी उपज देने वाली फसलें उगाने का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे है जिन्हें गहन सिंचाई और अधिक खाद और कीटमार दवाइयों की आवश्यकता है। सदन को सूचित करते हुए हमें खुशी है कि हमें महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन हमारी सफलता वास्तविक रूप से सूखी भूमि की खेती पर निर्भर करती है, जो बहुत गरीब, सीमांत किसान तथा फार्म मजदूर का पेशा है। यहां कृषि मंत्रालय की वास्तविक परीक्षा है। ऐसी कृषि का विकास करना हमारी नई योजना है जिसे सूखी खेती द्वारा अच्छी तरह से उगा सकें और जिससे पूर्वी भाग के कठिन क्षेत्रों में परिणाम मिल सकते हैं जहां पानी की प्रचुरता की समस्या है। हमें चावल की कुछ ऐसी किस्मों की आवश्यकता है जिन्हें गहरे पानी में भी उगाया जा सके। हमारे पास उपरिभूमि के लिए चावल की किस्म और निचली भूमि के लिए चावल की किस्म होनी चाहिए। कृषि मन्त्रालय इनका विकास करने की कोशिश कर रहा है।

हम सदन के विचारों से सहमत हैं कि हमारे वैज्ञानिक शुष्क भूमि पर उसी तरह से खेती करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं जिस तरह से सिंचित भूमि पर खेती की जाती है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : लाभकारी मूल्यों के रूप में आप क्या मदद कर रहे हैं ?

सरदार बूटा सिंह : मूल्यों के लिए एक पृथक संकल्प लाया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि सदस्य-गण उसके लिए तैयार रहें।

सूखा-प्रवण क्षेत्रों में हम बड़े पैमाने पर 'मिनी किट्स', मुफ्त बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक, आदि का वितरण कर रहे हैं, ताकि छोटे एवं निर्धन किसानों को, जो कि अच्छे बीज एवं उर्वरक खरीदने की स्थिति में नहीं हैं, यह सब मुफ्त मिल सके। क्या यह बड़ा कार्य नहीं है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : कितने लाख लोगों को ?

सरदार बूटा सिंह : लाखों, करोड़ों व्यक्तियों को हम यह बांट रहे हैं। सूखा प्रतिरोधक किस्म के बीज राज्य बीज निगमों एवं राष्ट्रीय बीज निगम में उपलब्ध हैं। सभी राज्य सरकारें इस बारे में जानती हैं। अगर माननीय सदस्यगण इच्छुक हैं तो वे मुझे लिख सकते हैं तथा हम विभिन्न राज्यों में इन बीजों को उपलब्ध करवा सकते हैं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : परन्तु चने की उपज में कोई सुधार नहीं हुआ है।

सरदार बूटा सिंह : शुष्क खेती के लिए चने की छह किस्मों को विकसित किया गया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि चने की संकरण किस्म में हमें ज्यादा सफलता नहीं मिली है।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मेरा सवाल है कि यह केवल लेबोरेटरी में हुआ है या कहीं इसका फल भी मिला है।

सरदार बूटा सिंह : फल मिला है और किसान ग्रो कर रहे हैं। आप जाकर देखिए। आप ही के स्टेट में सबसे अच्छा धान भी हुआ है और गेहूं भी हुआ है।

[अनुवाद]

अत: मैं चाहूंगा कि सदन हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा करे जिन्होंने किसानों की शुष्क भूमि पर एवं मुश्किल हालातों में खेती करने में मदद की है।

एक माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 128.27 करोड़ रुपये ·· दिये हैं। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : बिहार की क्या स्थिति है ?

सरदार बूटा सिंह : बिहार सरकार से हमें अभी ज्ञापन प्राप्त होना है। बिहार सरकार से हमें ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही बिहार सरकार ज्ञापन भेजेगी हम उस पर विचार करके कार्यवाही करेंगे।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : इस चर्चा पर पहल कर्नाटक के सदस्य ने की थी। पांच घंटे बीत चुके हैं और कर्नाटक के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कर्नाटक के बारे से क्या करने जा रही है।

सरदार बूटा सिंह : माननीय सदस्य बहुत ही उत्सुक थे कि सरकार नियम पुस्तिकाओं की समीक्षा करे। मेरे माननीय सहयोगी ने प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया और मैं उसे यहां दोहराना चाहूंगा कि 1980 में राज्य सरकारों से राहत नियम पुस्तिकाओं में संशोधन करने का अनुरोध किया गया तथा केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजन से मार्गदर्शन जारी किए हैं। बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के लिए सभी राज्य सरकारों को हमने एक आदर्श विधेयक भेजा था परन्तु सिर्फ एक राज्य सरकार ने प्रतिक्रिया दिखाई है और वह है मणिपुर। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यगण अपने-अपने राज्य सरकारों पर अपने प्रभाव का उपयोग करें। हम चाहते हैं कि राज्य सरकारें आदर्श विधेयक अपनायें। यह विधेयक राज्य सरकारों को भेजा जा चुका है। उन्हें उस पर विचार करने दीजिए तथा उनकी प्रतिक्रिया को देखिए।

कर्नाटक से ज्ञापन 30 मार्च को प्राप्त किया गया था तथा मई के महीने में 22.16 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे तथा अर्थोपाय के लिए 10 करोड़ रुपये थे। अपने स्तर पर हम उसी फिक्र से उसी चिन्ता से कोशिश कर रहे हैं जो कि माननीय सदस्यगण के दिलों में है। हम जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और यहां तक कि नियमों से हटकर भी कार्य करने की कोशिश करते हैं।

कल केरल के सदस्यों ने नारियल की फसल के बारे में सही रूप में सविस्तार बताया था। मैं स्वयं भी केरल सिर्फ तूफान के प्रकोप को देखने नहीं गया था, अपितु मैंने वहां बागानों को भी देखा था। हम राज्य सरकार की मदद करने की कोशिश करते हैं परन्तु दुर्भाग्य से इस समय फसल इतनी अच्छी हुई है कि हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। मैंने 'दुर्भाग्यपूर्ण' शब्द इसलिए कहा है, क्योंकि कीमतें गिर गई हैं। बिचौलिए किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम राज्य सरकार के बचाव के लिए आगे आये थे। हमने उसे बताया कि वह बाजार में हस्तक्षेप करें हम उसकी सहायता करेंगे। उसने ऐसा किया तथा उसका परिणाम निकला कि कीमतें थम गई। अत: हम अपने स्तर पर यह देखने की भरसक कोशिश करते हैं कि इन प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव कम से कम हो। मैंने यह कह कर अपने विचारों को बताना शुरू किया कि संसाधनों के अभाव के बावजूद भी हमने इस वर्ष कितनी ज्यादा राशि खर्च की है। दुर्भाग्य से, जब कभी भी सूखा पड़ता है या बाढ़ आती है तो हम अवश्य जागते हैं। मेरा निवेदन है कि देश की दो विशाल नदियां ब्रह्मपुत्र और गंगा, मुख्य रूप से बाढ़ के लिए जिम्मेदार हैं। परन्तु मुझे बताया गया है कि सिंचाई विभाग ने उन स्थानों के लिए जो उनके रास्ते में

[सरदार बूटा सिंह]

पड़ते हैं और जहां बाढ़ें आती हैं, कुछ वृहन् योजनाएं बनाई हैं। बाढ़ के प्रकोप को कम करने के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बनाई जा रही है।

कर्नाटक के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। मैंने कहा था कि 22.16 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिये गये हैं। परन्तु 10 अक्तूबर को 31.15 करोड़ रुपये की और मंजूरी दी गई है। अतः इस वर्ष मन्जूर की गई रकम कुल मिलाकर 53.31 करोड़ रुपये है।

श्री अमल दत्त : इसमें से कितनी रकम दी गई है ?

सरदार बूटा सिंह : यह सारी की सारी रकम दे दी गई है। यह केन्द्रीय दल के पास है।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति (कनकपुरा) : कर्नाटक सरकार ने ज्यादा धन दिये जाने का अनुरोध किया है।

सरदार बूटा सिंह : राज्य सरकार द्वारा दिए गये अन्तिम ज्ञापन पर केन्द्र सरकार द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है।

श्री अमल दत्त : आपको कहना चाहिए कि यह रकम दे दी गई है। आपने कहा है कि स्वीकृत कर दी गई है।

सरदार बूटा सिंह : मैंने यही तो कहा है। मैं कह रहा था कि ब्रह्मपुत्र तथा गंगा इन दो विशाल नदियों के लिए सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं। एक तो यह है कि हमें एक निश्चित ऊंचाई तक काफी मात्रा में पानी इकट्ठा कर लेना चाहिए जहां से नदियों को उचित ढंग से बांधा जा सके तथा अतिरिक्त पानी मैदानों में बहकर न आये। दुर्भाग्य की बात है कि गंगा हमारे क्षेत्राधिकार में ही नहीं है क्योंकि यह कुछ पड़ोसी देशों में भी पड़ती है और हमने सर्वोच्च स्तर पर इस बात को लिया है कि गंगा नदी में आने वाली बाढ़ों के प्रकोप को कम किया जा सके। मुझे यह बताया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी में भूकम्प का जोर काफी अधिक है। अतः ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम एक ऐसी योजना बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे ब्रह्मपुत्र के पानी के बहाव पर नियन्त्रण रखा जा सके तथा इससे बाढ़ का प्रकोप कम हो सके। परन्तु ये अत्यधिक बड़े उपाय हैं जिसकी देश को जरूरत है तथा इसमें पैसा भी बहुत ज्यादा लगेगा। अतः इससे पता चलता है कि प्राकृतिक विपदाओं के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, परन्तु यहां पर हमें सभी राज्य सरकारों, सभी राजनैतिक दलों और यहां बैठे सभी सदस्यों के पूरे सहयोग की आवश्यकता है। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा। हम इस तरह की स्थिति से निपटने में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतने दे सकते।

यहां मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही सामान्य बात है कि प्रत्येक वर्ष बाढ़ आने के पश्चात् राज्य सरकारें उन्हीं व्यक्तियों को अपने घर पुनः उसी स्थान पर बनाने की इजाजत देती हैं जिनके घर प्रत्येक वर्ष बाढ़ में बह जाते हैं। इस तरह की बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिये। राज्य सरकारों को रिपोर्टों का अध्ययन करना चाहिये। बहुत सी रिपोर्टें उपलब्ध हैं। ये सैकड़ों में हैं। ये रिपोर्टें राज्य सरकारों तथा हमारे पास उपलब्ध हैं। उन्हें ऐसी जगहों पर लोगों के रहने का इन्तजाम करना चाहिये जहां पर साधारणतया बाढ़ न आती हो। मेरे विचार से मैंने बाढ़ के प्रश्न को काफी व्यापक रूप से लिया है और शुरू में जैसा कि मैंने कहा था कि वित्त मन्त्री जी की आज की घोषणा उन लोगों की दशा सुधारने में मदद करेगी जिन्हें पिछले तीन या पांच वर्षों से बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है। राजस्थान में वे लोग पांच वर्षों से ज्यादा समय तक पीड़ित रहे हैं।

मैं फिर से आश्वासन देना चाहूंगा कि हम राज्य सरकारों की मदद एवं सहायता करेंगे परन्तु इसके साथ ही मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे इस बात को देखें जो पैसा उनके राज्य को दिया जाता है, राज्य सरकारें उसका समुचित उपयोग करें। हमारी ओर से इसमें कोई राजनीति नहीं है। हमारा दृष्टिकोण मानवोचित है और भविष्य में भी हम इसी तरह के रहेंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

माननीय मन्त्री जी ने हमें बताया कि पांच महीने पूर्व आन्ध्र प्रदेश को 200 करोड़ रुपये दिये गये थे तथा यह भी कहा कि राज्य को और अधिक राशि दिये जाने की आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में वह हमें भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे थे। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वह जानते हैं कि इस तरह की धन राशि सभी राज्यों को सिर्फ ओवर ड्राफ्ट की स्थिति से निपटने के लिये स्वीकृत की गई है और अब ओवर ड्राफ्ट स्कीम बन्द हो गई है। मैं उन्हें सूचित करूंगा कि सूखे से उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने के लिये आन्ध्र प्रदेश को एक पैसा भी मंजूर नहीं किया गया है यद्यपि आन्ध्र प्रदेश सरकार मदद के लिये 400 करोड़ रुपये मांग रही है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मन्त्री जी सूखे से उत्पन्न हुई स्थिति से निपटाने के लिये इस रकम की मंजूरी देंगे।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि वर्ष 1985 के दौरान…

श्री सी० माधव रेड्डी : इस वर्ष नहीं, मैं इस मौसम के बारे में पूछ रहा हूं।

सरदार बूटा सिंह : अब उन्होंने इस मौसम के बारे में कहना शुरू कर दिया है। फिर वे इस सप्ताह के बारे में कहेंगे। महोदय, यह बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को बताऊंगा कि इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश सरकार को 30.85 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई थी और जैसा कि मैंने कहा है कि नया ज्ञापन हमारे पास है। एक दल राज्य का दौरा कर चुका है तथा उसकी रिपोर्ट हमारे पास है। इसमें कुछ समय लगेगा परन्तु मैं वायदा करता हूं कि हम इसमें कोई विलम्ब नहीं करेंगे। हमारी विलंब करने में रुचि नहीं है और न ही विलम्ब करने की कोई बात ही है।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : महोदय, मन्त्री महोदय यह कैसे कहते हैं कि पांच या छः मास का समय पर्याप्त नहीं है ? आप हमको पांच से छः मास बाद राशि प्रदान करना चाहते हैं।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : एक समय में सभी न बोलें।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, हमने सूखे की परिस्थितियों से निपटने के लिए कृषि मौसम के दौरान राशि की मांग की। मैं यह जानना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने इसके लिए क्या दिया है और वे कब राशि का भुगतान करेंगे ? ···(**व्यवधान**)

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि बिहार राज्य को बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, माननीय सदस्य बिहार के बारे में जानना चाहते हैं, परन्तु मैं उनको बता रहा हूं कि इस बारे में बिहार सरकार से कोई ज्ञापन नहीं मिला है। अतः, मैं बता नहीं सकता हूं।

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : महोदय, बिहार लगातार बाढ़ से प्रभावित रहा है और यदि राज्य सरकार ने स्वयं कोई मांग नहीं की है तो केन्द्रीय सरकार को स्वयंमेव कुछ न कुछ करना चाहिये, जिससे कि बिहार में लगातार बाढ़ों से लोगों को होने वाली क्षति को कम किया जा सके। यह केवल राज्य का ही उत्तरदायित्व नहीं है, केन्द्र का भी है।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : जब कभी केन्द्रीय दल सूखे की स्थिति और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को देखने के लिए राज्यों का दौरा करता है तो उन्हें सम्बद्ध सांसदों और विधायकों को साथ लेना चाहिये। वित्त मन्त्रालय ने अपने मन्त्रालय की सलाहकार समिति से सम्बद्ध सदस्यों को एक नोट जारी किया है कि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते समय केन्द्रीय दल को सांसदों और विधायकों को साथ लेना चाहिये। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि कम से कम भविष्य में इस पद्धति को अपनाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसे पहले ही उठाया जा चुका है। मेरे विचार से गत सत्र के दौरान कुछ सदस्यों ने इसे उठाया था। मैं समझता हूं कि श्री डागा जी इस मामले को पहले ही उठा चुके हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : हम ऐसी बातों के प्रति बहुत ही चिंतित हैं। हम इन मुद्दों को पहले ही उठा चुके हैं। हम उनके उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं। सभा से बहिर्गमन के सिवाय कोई चारा ही नहीं है। हम बाहर जा रहे हैं।

(तत्पश्चात् श्री सी० माधव रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।)

श्री अमल दत्त : मैं भी बाहर जा रहा हूं।

(तत्पश्चात् श्री अमल दत्त और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।)

(व्यवधान)

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : मन्त्री महोदय कल तमिलनाडु के दौरे पर जा रहे हैं। उन्हें सांसदों और विधायकों को साथ ले जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : डागा जी पिछली बार इस मामले को पहले ही उठा चुके हैं, अन्य सदस्यों ने भी उठाया था। एक दल जा रहा है। वे चाहते हैं सांसदों को आमन्त्रित किया जाए।

सरदार बूटा सिंह : मुझे खेद है कि मैं बताना भूल गया। जब कभी कोई दल जाता है तो हम हमेशा उसके बारे में घोषणा करते हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, जरा मेरी बात सुनिये।···(व्यवधान) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 400 करोड़ रुपये की ग्रान्ट मांगी थी और उसको केवल 31 करोड़ रुपये दिये और कर्नाटक सरकार ने 151 करोड़ रुपये की ग्रान्ट मांगी थी और उसको 51 करोड़ रुपये दिये। इसमें पक्षपात दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं भी वाक् आऊट कर रहा हूं।···

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह सभी सदस्यों को उत्तर दे रहे हैं। श्री जंगा रेड्डी जी, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

(तत्पश्चात् श्री सी० जंगा रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।)

सरदार बूटा सिंह : जब कभी केन्द्रीय दल राज्य में जाता है तो इसकी घोषणा की जाती है। सभी सदस्य उनसे मिलकर अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतन्त्र हैं। यह बड़े ही दुःख की बात है कि विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य इस मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। यह

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[सरदार बूटा सिंह]

एक मानवीय समस्या है, इसमें जनता के कष्टों का मामला, हमें इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए।

डा० ए० कलानिधि : बिल्कुल नहीं।

सरदार बूटा सिंह : इस मामले में सरकार की सहायता करने के बजाय, वेइसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं। वे इससे राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। उनका दृष्टिकोण निष्ठुर है। हमारा दृष्टिकोण मानवीय है। हम मानवतावादी दृष्टिकोण अपना रहे है और उनका दृष्टिकोण भी मानवतावादी होना चाहिए। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि वे मानवतावादी रवैया न अपनाकर इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह चर्चा समाप्त हुई। अब हम अगली मद पर विचार करते हैं। अब श्री जगदीश टाइटलर।

3.30 म० प०

राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण विधेयक

[अनुवाद]

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि ऐसे विमान क्षेत्रों और सिविल अंतः क्षेत्रों के, जिन पर देशी वायु परिवहन सेवाएं चलाई जाती हैं या चलाई जाने के लिए आशयित है, और वैमानिक संचार स्टेशनों के प्रबन्ध के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, मेरा निवेदन है कि स्वातंत्रोत्तर काल में नागर विमानन गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विशेषकर दो वायु निगमों अर्थात् इन्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के बन जाने के बाद। आधुनिक जेट वायुयान के बेड़े में आ जाने के बाद, हवाई अड्डों पर आधारभूत सुविधाओं में तथा अति उच्च आवृत्ति दूरभाषिता (पी० एच० एफ०/आर० टी०), रेडियो विमानन सहायता अदिशिक बीकन (एन० डी० बी० एस०), रेडियो रेंज, लघु तरंग राडार आदि में सुधार की आवश्यकता है। देश के हवाई अड्डों के निर्माण और अनुरक्षण का उत्तरदायित्व तथा विमानन सहायताओं की प्राप्ति, प्रस्थापना और अनुरक्षण, दूरसंचार, विमानन तथा वायु नियन्त्रण सेवाओं और विनियामक कार्यों जैसे लाइसैंसिंग, प्रशिक्षण, उड़ान-योग्यता तथा वायु सुरक्षा नियन्त्रण का उत्तरदायित्व नागर विमानन के महानिदेशक का है। 65 से अधिक हवाई अड्डों का, जहां से अनुसूचित वायु परिवहन

चलता है, अनुरक्षण यही निदेशालय करता है जो अपने मुख्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा देश भर में 15 विशेषज्ञता प्राप्त इकाइयों के माध्यम से अपने काम को चलाता है।

आज गतिशील विमानन उद्योग को प्रायः सुविधाओं में तुरंत वृद्धि की आवश्यकता पड़ जाती है और कार्य को त्वरित गति से तथा अति सावधानी से सम्पन्न करना होता है। हमारा यह अनुभव रहा है कि हाल के वर्षों में नागर विमानन महानिदेशक को कुछेक अड़चनों के कारण अपेक्षित स्तर तक कुशलतापूर्वक कार्य करना निरन्तर कठिन पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण है सिविल कार्यों का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाने की प्रणाली, पूर्ति और निपटान के महानिदेशक के माध्यम से खरीददारी और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती कराने की प्रणाली। इन संस्थाओं से हरी झंडी करवाने के लिए इन उपायों की प्रक्रिया में पर्याप्त समय लगता है, विलम्ब होता है जो कि विशेषरूप से एक ऐसी संस्था के लिए हानिकर, अहितकर है, जो नागर विमानन जैसे उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करती है। अतः, कुछेक संस्थान गत पुनर्संगठन को अपरिहार्य समझा गया, यदि संस्था को अपेक्षित कुशलता के स्तर पर कार्य करता है।

इस मामले की जांच-पड़ताल के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी जिसने सिफारिश की थी कि आवश्यक लचीलेपन और कार्य-निष्पादन में स्वायत्तता सहित एक संविधिक नागर विमानन प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए और आजकल नागर विमानन महानिदेशालय जो कार्य, कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व निभा रहा है, वे इस प्राधिकरण को दिये जाएं। समिति की सिफारिशों की परिक्षा की गई और उन पर चर्चा हुई और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक संविधिक प्राधिकरण स्थापित करने की आवश्यकता है जो कि हवाई अड्डों के निर्माण, अनुरक्षण और विकास के लिए और सुविधाओं की स्थापना के लिए उत्तरदायी होगी। द्विपक्षीय मामले दुर्घटनाओं की जांच-पड़ताल, लाइसेंसिंग, उड़ान योग्यता, नियन्त्रण, अनुसंधान और विकास, तथा अन्य आर्थिक और विनियामक कार्यकलाप नागर विमानन विभाग के पास ही रहेंगे। इस प्रकार कार्यकलापों का एक स्पष्ट विभाजन होगा जिसमें प्राधिकरण हवाई अड्डों के विकास और अनुरक्षण के लिए और ऐसे हवाई अड्डों पर सुविधाओं की स्थापना के लिए उत्तरदायी होगा। जबकि नागर विमानन विभाग विनियामक कार्य-निष्पादन करेगा। इस प्राधिकरण की स्थापना से यह सुनिश्चित हो जायेगा कि घरेलू हवाई अड्डों का निर्माण और अनुरक्षण कुशलतापूर्वक होगा और उनमें आवश्यक उपस्कर कुशलतापूर्वक और शीघ्रता से लगाये जाएंगे। 1971 में स्थापित किये गये भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण का अनुभव सुखद रहा है। अतः, मेरे यह विश्वास करने का पूर्ण कारण है कि यह प्रगतिशील विधान विश्व भर के देशों के हवाई अड्डों के बराबर हमारे घरेलू हवाई अड्डों का विकास करने में सहायक होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक को सभा के विचारार्थ रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि ऐसे विमान क्षेत्रों और सिविल अंतः क्षेत्रों के, जिन पर देशी वायु परिवहन सेवाएं चलाई जाती हैं या चलाई जाने के लिए आशयित हैं, और वैमानिक संचार स्टेशनों के प्रबन्ध

के लिय एक प्राधिकरण की स्थापना का तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अब श्री चिन्ता मोहन बोल सकते हैं।

श्री चिन्ता मोहन (तिरुपति) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवादी हूं।

राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 1985 का स्वागत करते हुए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इसे 22वीं अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन कांग्रेस की दिल्ली में हुई बैठक से पूर्व बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। यद्यपि इसमें थोड़ा सा विलम्ब हो गया है, हम सभी इस विधेयक का स्वागत करते हैं।

हमने अभी तक बहुत सारे संशोधन रखे हैं। एक है 1934 के 22वें अधिनियम में, उसके बाद 1971 में अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन और अब यह 1985 का विधेयक।

अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों का इन विमान पत्तनों के बारे में और नागर विमानन विभाग के बारे में रवैया यह है कि वे मुड़कर फिर भारत नहीं आना चाहते हैं। यह रवैया अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों प्रकार के यात्रियों का है। इन सभी बातों का कारण यह है कि हवाई अड्डों पर काफी भीड़भाड़ होती है और घटिया यात्री सुविधाएं हैं तथा स्टाफ और अन्य अभिकरणों के बीच में कोई समन्वय नहीं है। दूसरे यह भी बात है कि विकसित देशों के किराये विकासशील देशों के मुकाबले आधे होते हैं। पश्चिमी देशों में वायु सेवा के किराए स्पष्टतया विकासशील देशों के मुकाबले आधे होते हैं। अत: वायु सेवा के किराए कुछ कम किए जाने चाहिए और इसे सभी लोगों के लिए सस्ता बनाया जाना चाहिए। और यह भी बात है कि भारत में नागर विमानन विभाग दूरभाष विभाग की भांति ही है। हवाई अड्डों को सही ढंग से बनाए रखा जाना चाहिए और आपको यह देखना चाहिए कि उनका सही रख-रखाव होता है।

जहां तक विधेयक की बात है, खण्ड 5 में कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। अध्यक्ष के कार्यकाल को तीन वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया जाए। अध्यक्ष के कार्य निष्पादन को देखते हुए, उसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है।

विभाग की वित्तीय स्थिति बहुत ही निराशाजनक लगती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में, नागर विमानन विभाग को 311.26 करोड़ रुपए का बजट आवंटन मिला है। इस राशि को बढ़ाकर दोगुणा अर्थात 600 करोड़ रुपए करना चाहिए। विधेयक में जिस अनुबन्ध का प्रावधान किया गया है उसको कार्यान्विती नागर विमानन विभाग के सतर्कता विभाग को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए जिससे कि प्रति-जांच हो सके क्योंकि अनुबन्धों को कार्यरूप देने में बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है। इसका सही रख-रखाव होना चाहिए।

मैं नागर विमानन विभाग को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। विशेषकर पश्चिमी देशों में, रात में

[क]रने की अनेक सुविधाएं हैं और इसीलिए हमारे देश को इनमें वृद्धि करनी चाहिए। हमारे देश में [वि]मानन खतरा कहीं अधिक है क्योंकि पक्षी विमान से टकरा जाते हैं और विमान पत्तनों के निकट [ब]हुमंजिला भवनों के निर्माण को भी हम बन्द नहीं कर सके हैं। मुझे यह पता चला है कि बम्बई में, [स]हारा अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन में स्वयं सरकार लीला-वेनुबा होटल के बहु-मंजला भवन को [प्रो]त्साहन दे रही है। इस प्रकार की वातों को प्रोत्साहन देना सरकार के लिए अच्छा नहीं है, और [वि]मान-पत्तनों के आस-पास इस प्रकार की ऊंची इमारतें बनाने की अनुमति न देकर विमानन खतरे [क]ो कम किया जाना चाहिए।

1972 में कलकत्ता के अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन का अच्छा रख-रखाव होता था। उसके बाद मुझे नहीं पता कि कलकत्ता हवाई अड्डे का क्या हुआ। प्रधान मंत्री महोदय का कहना है कि यह डिलवी लैण्ड बनता जा रहा है। मेरे विचार से वर्तमान सरकार को इस प्रकार का रवैया बदलना चाहिए और विजयवाड़ा और तिरुपति जैसे विमान-पत्तनों पर विमानों के उतरने की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।

विमान पत्तनों के अन्दर और आस-पास सुरक्षा कड़ी करने के लिए सूंघने वाले कुत्तों का उपयोग किया जाना चाहिए। यात्रा-अभिकरण हवाई जहाज के टिकटों की बुकिंग में बहुत भ्रष्टाचार फैलाते हैं। सरकार को इनकी जांच करके इसको नियन्त्रित करना चाहिए।

अन्त में, मैं एक सुझाव दूंगा। पश्चिमी देशों की तरह हवाई जहाज के टिकट की वैधता उड़ान के बाद भी बनी रहनी चाहिए। आजकल यदि कोई यात्री किसी प्रकार देर से आता है तो टिकट की एक चौथाई राशि ही लौटाई जाती है। उड़ान के बाद भी टिकट की वैधता 100 प्रतिशत बनी रहनी चाहिए। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि हवाई जहाज के यात्रियों को और अधिक सुविधाएं दी जाएं। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिविल एविएशन के नए मन्त्री जी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह आटोनामस डोमेस्टिक एयरपोर्ट अथारिटी का बिल इस सदन के सामने रखा है। मैं समझता हूं कि खुसूसी तौर पर आज की सिचुएशन में एयर ट्रैफिक जिस कदर बढ़ रहा है, इसकी बहुत जरूरत है। मैं इस सिलसिले में कुछ सजेशंस देना चाहता हूं, उम्मीद है कि आप इस पर गौर फरमाएंगे और बिल में जब आप रूल्स बनाएंगे तो इनको भी ध्यान में रखेंगे।

जहां तक क्लाज थ्री में मेंबर्स को अपाएंट करने की बात कही गई है, उसमें एक असोसिएट मेंबर एयरफोर्स का होना बहुत जरूरी है। हमारे बहुत सारे एयर फील्ड्स हैं जहां पर सिविलियन लैण्डिग होता है, उनमें कई बार कोआर्डिनेशन नहीं रहता है, सिविल अथारिटी और एयर फोर्स अथारिटी के दरमियान, कई बार कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं। मेरा यह सुझाव है कि जो एसो-सिएट मेम्बर आप अपाइन्ट करेंगे वह एयर हैडक्वार्टर से होना चाहिए ताकि कोआर्डिनेशन ठीक तरह से चले। एयरपोर्ट्स पर जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, सिक्योरिटी काफी टाइट है और होनी

[श्री पी० नामग्याल]

भी चाहिए। लेकिन कई बार ज्यादतियां भी बरती जाती हैं। पैसेन्जर्स के साथ रूड अप्रोच नहीं होना चाहिए। कई बार लगेज का रैण्डम चैकिंग होता है, बहुत अच्छी बात है। कोई व्यक्ति टाई लगाकर और सूट पहनकर खड़ा है तो उसके लगेज की चैकिंग नहीं होती है। लेकिन कोई पगड़ी वाला यात्री सरदार जी हैं तो उनकी जरूर चैकिंग होती है या हमारे जैसे जो बदसूरत लोग हैं उनकी चैकिंग भी जरूर होती है। तीन-चार बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि रैंडम चैकिंग ठीक तरीके से होनी चाहिए। शक्ल देखकर चैकिंग नहीं होनी चाहिए। पैसेन्जर को देखकर जो चैकिंग हो रही है, वह बहुत गलत बात हो रही है। दूसरी बात यह है कि कई बार बहुत से लोग जल्दी की वजह से इस उम्मीद पर एयरपोर्ट चले जाते हैं कि वहीं पर टिकट मिल जाएगा। जिसके पास टिकट नहीं होता है उसको तो गेट के अन्दर भी आने नहीं दिया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि टिकट काउन्टर बाहर भी होना चाहिए जिससे कम से कम टिकट तो ले सकें। अगर सीट मिले तो चले जाएं नहीं तो अलग बात है। कई बार सीट एवेलेबल होती है लेकिन आप अन्दर ही घुसने नहीं देते हैं। इसलिए बिल्डिंग के बाहर ही विन्डो होनी चाहिए जिससे टिकट तो ले सकें। मैं अपने क्षेत्र की बात भी करना चाहता हूं। लेह एयर-फील्ड का जितना भी कम्युनिकेशन है वह आर्मी या एयर फोर्स के कन्ट्रोल में है, ठीक है वह होना भी चाहिए। लेकिन इंडियन एयर लाइन्स इन्चार्ज को भी थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन फैसिलीटीज होना चाहिए। वहां पर पिछले छह महीनों से एयर टर्मिनल बिल्डिंग बनी हुई है। यह समझ में नहीं आ रहा है कि उस बिल्डिंग में शिफ्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। एयर-क्राफ्ट सुबह आठ बजे लैण्ड कर जाता है। उस वक्त माइनस दस-बारह डिग्री सेलसियस होता है उतनी सर्दी नहीं है जितनी कि विन्टर में माइनस 25 से 35 डिग्री तक होती है। कई बार तो हीटिंग का भी अरेंजमेंट नहीं होता है। वहां पर फर्नीचर भी कुछ नहीं है। नई बिल्डिंग बनी है, मौजूदा पुरानी बिल्डिंग में सीक्योरिटी की भी प्रौब्लम है और उसमें लोगों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, लोगों को खड़े रहना पड़ता है। कुछ कुर्सियां हैं, लेकिन बहुत थोड़ी संख्या में। इस कारण पैसेन्जर्स में भारी रोष व्याप्त है। इस तरफ आपको देखने की जरूरत है। लेह एयरोड्रोम आफिसर की पोस्ट काफी समय से खाली है, शुरू में कोई एक व्यक्ति आया था, लेकिन उसके जाने के बाद उसको कई साल से नहीं भरा गया है। आपको एप्वाइंटमेंट करने में क्या दिक्कत है। लोगों को आवश्यक सभी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। सर्दी का मौसम होता है, वहां पर गर्म काफी या चाय तक नहीं मिलती। मैं यह नहीं कहता कि आप गर्म काफी या चाय की व्यवस्था मुफ्त में करें लेकिन पेयमैंट बेसिस पर यह व्यवस्था की जा सकती है। क्योंकि यहां से जो लोग जाते हैं, ठण्ड की वजह से वे कांपते रहते हैं, ठिठुरते रहते हैं। एक स्थान पर मिलती है, लेकिन वह जगह ठीक नहीं है। नई बिल्डिंग में इम्मीडियेटली व्यवस्था होनी चाहिए।

मुझे यह भी पता चला है कि सिविल एविएशन डिपार्टमैंट का कुछ पेयमैंट आउटस्टैंडिंग ठेकेदार को देना बाकी है, उसको भी आप जल्दी से रिलीज करवाइये ताकि कम से कम बिल्डिंग को तो औक्यूपाई कर लिया जाए।

वहां कम्यूनिकेशन की प्रौब्लम भी है। वैसे इसका बिल से सीधा ताल्लुक तो नहीं है, मगर

वह प्रोब्लम वहां जरूर है। आपने पूरे हिन्दुस्तान में टिकट के लिए कम्प्यूटर सिस्टम शुरू कर दिया है, परन्तु कई ऐसे स्टेशन्स हैं, उदाहरण के लिए लेह, पोर्टब्लेयर, आदि, कुछ स्टेशन्स नोर्थ ईस्ट में हैं, जहां अभी तक कम्प्यूटर सिस्टम को इन्ट्रोड्यूस नहीं किया जा सका है। न वहां टैलेक्स सिस्टम है। इस कारण सारा कन्ट्रोल आपके दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई या मद्रास वाले ही करते है और ऐसी जगहों के स्टेशन इन्चार्ज अपनी ओर से एक सीट भी ओ० के० करने का अधिकार नहीं रखते है। चार्ट भी उसी प्लेन से आता है, जो प्लेन वहां पहुंचता है और लोगों को लाता है। इससे लोगों को भारी कठिनाई होती है। या तो आप लेह में कम्यूनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड कीजिए अथवा कम्प्यूटर सिस्टम के तहत उसको ले लाइये, या टैलेक्स सिस्टम ही दे दीजिए। यदि कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो वहां के स्टेशन मैनेजर को कुछ सीटें ओ० के० करने का अधिकार ही दे दीजिए, जैसे आपने पहले दिया हुआ था कि वे 50-60 सीटें दे दिया करते थे। बाद में आपने वह विदड्रा कर लिया। उसके बाद आपने न वहां कम्यूनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया और न उन्हें कोई अधिकार दिया। वे किसी को एक सीट भी नहीं दे सकते। जब तक किसी को सीट ओ० के० नहीं मिलती तो लोग यही सोचते हैं कि पता नहीं सीट मिलेगी भी या नहीं, फिर एयरपोर्ट तक आने-जाने के 40-50 रुपये बिलावजह क्यों खर्च किए जाएं। इस कारण एयरलाइन्स को भी लॉस होता है और लोगों का भी नुकसान होता है। इस तरफ भी तवज्जह देने की जरूरत है। आप फिलहाल एलोकेशन वाला सिस्टम फिर से चालू करवा दीजिए, जब बाद में कम्यूनिकेशन सिस्टम चालू हो जाएगा तो उसे विदड्रा कर लीजिएगा, हमें इसमें भी कोई ओब्जेक्शन नहीं है।

लास्टली, मैं आपके नोटिस में एक और बात लाना चाहता हूं। लेह में अक्सर मौसम खराब रहता है, खसूसी तौर पर विन्टर में, और हमारे बहुत से अच्छे-अच्छे पायलट्स का कहना है कि एट दी टाइम ऑफ लैन्डिंग लेह रेडियो स्टेशन ऑन होना चाहिए इससे उन्हें एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड करने में काफी मदद मिलती है। जहां भी रेडियो ट्रांसमीटर लगा हो, वह शो करता है कि लेह किस तरफ है, उस स्थिति में खराब से खराब मौसम में भी एयरक्राफ्ट सेफ लैंड कर जाता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्फार्मेशन एण्ड ब्रोडकास्टिंग से आपको यह मामला टेक-अप करना पड़ेगा कि वे कम से कम ग्यारह बजे तक अपना ट्रांसमीटर ऑन रखें। एक घण्टे आप कोई भी कार्यक्रम बढ़ा सकते हैं, विविध भारती ही चाहे रिले करें, यदि ऐसा हो जाता है तो जहाज बिना संकेत के चक्कर मारकर वापस नहीं जाएगा क्योंकि चण्डीगढ़ से लेह तक एक चक्कर मे 40-50 हजार रुपये का खर्चा आता है और फिर आपको वैसा कोई नुकसान नही हो पाएगा। ये ही चन्द तजवीज मैं आपके नोटिस में लाना चाहता था। इन शब्दों के साथ मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, और इस बिल का समर्थन करता हूं।

شری بی. نام گیال (لداخ)

مانیئے اپادھیکش مہودے سول ایویشن کے نئے منتری جی کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انھوں نے ایک آٹونامس ڈوسرٹک ایئرپورٹ اتھارٹی کا بل اس سدن کے سامنے رکھا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خصوصی طور پر آج کی سچوئیشن میں ائیرٹریفک جس قدر بڑھ رہا ہے اس کی بہت ضرورت ہے۔ میں اس سلسلے میں کچھ سجیشنس دینا چاہتا ہوں امید ہے کہ آپ اس پر غور فرمائیں گے اور بل میں جب آپ رولس بنائیں گے تو ان کو بھی دھیان میں رکھیں گے۔

جہاں تک کلاز تھری میں ممبرس کو اپائنٹ کرنے کی بات کہی گئی ہے اس میں ایک اسوسئیٹ ممبر ائیرفورس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے ائیرفیلڈس میں جہاں پر سویلین لینڈنگ ہوتا ہے۔ ان میں کئی بار کوآرڈی نیشن نہیں رہتا ہے سول اتھارٹی اور ائیرفورس اتھارٹی کے درمیان کئی بار کچھ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ میرا یہ سجھاؤ ہے کہ جو اسوسئیٹ ممبر آپ اپائنٹ کریں گے۔ وہ ائیر ہیڈکوارٹر سے ہونا چاہیئے تاکہ کوآرڈی نیشن ٹھیک طرح سے چلے۔ ائیرپورٹس پر جہاں تک اتھارٹی کا سوال ہے سیکورٹی کافی ٹائٹ ہے اور ہونی بھی چاہیئے۔ لیکن کئی بار زیادتیاں بھی برتی جاتی ہیں۔ پسنجرس کے ساتھ روڈ اپروچ نہیں ہونا چاہیئے۔ کئی بار۔ لگیج کا رینڈم چیکنگ ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے۔ کوئی ویکتی ٹائی لگاکر اور سوٹ پہن کر کھڑا ہے تو اس کے لگیج کی چیکنگ نہیں ہوتی ہے۔ لیکن کوئی پگڑی والا یعنی سردار جی ہیں تو ان کی ضرور چیکنگ ہوتی ہے۔ یا ہمارے جیسے جدید صورت لوگ ہیں ان کی چیکنگ بھی ضرور ہوتی ہے۔ تین چار بار میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میں یہ تو کہنا چاہتا ہوں کہ رینڈم چیکنگ ٹھیک طریقے سے ہونی چاہیئے۔ شکل دیکھ کر چیکنگ نہیں ہونی چاہیئے۔ پسنجر کو دیکھ کر جو چیکنگ ہو رہی ہے وہ بہت غلط بات ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کئی بار بہت

بہت سے لوگ جلدی کی وجہ سے اس امید پہ چلے جاتے ہیں ایئرپورٹ کہ وہیں پر ٹکٹ مل جائے گا۔ جس کے پاس ٹکٹ نہیں ہوتا ہے اس کو تو گیٹ کے اندر بھی جانے نہیں دیا جاتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ٹکٹ کاؤنٹر کے باہر بھی ہونا چاہیئے جس سے کم سے کم ٹکٹ تو لے سکیں۔ اگر سیٹ ملے تو چلے جائیں نہیں تو الگ بات ہے۔ کئی بار سیٹ اویلیبل ہوتی ہے لیکن آپ اندر ہی گھسنے نہیں دیتے ہیں۔ اس لئے بلڈنگ کے باہر ہی ونڈو ہونی چاہیئے جس سے ٹکٹ تو لے سکیں۔ میں اپنے شہر کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں یہ ایئر فیلڈ کا جتنا بھی کمیونیکیشن ہے وہ آرمی یا ایئر فورس کے کنٹرول میں ہے ٹھیک ہے وہ ہونا بھی چاہیئے۔ لیکن انڈین ایئر لائنز انچارج کو بھی تھوڑا بہت کمیونیکیشن فیسلٹیز ہونا چاہیئے۔ وہاں سے پچھلے چھ مہینوں سے ایئر ٹرمنل بلڈنگ بنی ہوئی ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس بلڈنگ میں شفٹ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایئر کرافٹ صبح آٹھ بجے لینڈ کر جاتا ہے۔ اس وقت مائنس دس بارہ ڈگری سیلسیس ٹمپریچر ہوتا ہے۔ اتنی سردی نہیں ہے جتنی کہ ونٹر میں مائنس ۲۵ سے ۳۵ ڈگری تک ہوتی ہے کئی بار تو ہیٹنگ کا بھی ارینجمنٹ نہیں ہوتا ہے۔ وہاں پر فرنیچر بھی کچھ نہیں ہے۔ نئی بلڈنگ بنی ہے۔ موجودہ پرانی بلڈنگ میں سیکورٹی کا بھی پرابلم ہے اور اس میں لوگوں کے بیٹھنے تک کی ویوستھا نہیں ہے۔ لوگوں کو کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ کچھ کرسیاں ہیں لیکن بہت تھوڑی سنکھیا میں۔ اس کارن پیسنجرس میں بھاری روش ویاپت ہے۔ اس طرف آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیہ ایروڈروم آفیسر کی پوسٹ کافی سمے سے خالی ہے۔ شروع میں کوئی ایک ویکتی آیا تھا لیکن اس کے جانے کے بعد اس کو کئی سال سے نہیں بھرا گیا ہے۔ آپ کو اپائنٹمنٹ کرنے میں کیا دقت ہے۔ لوگوں کو آوشیک سبھی فیسلٹیز ملنی چاہیئے۔ سردی کا موسم ہوتا ہے۔ وہاں پر گرم کافی یا چائے تک نہیں ملتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ گرم کافی یا چائے کی ویوستھا مفت میں کریں لیکن پیمنٹ بیسس پر یہ ویوستھا کی جا سکتی ہے کیوں کہ یہاں سے جو

لوگ جاتے ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے وہ کانپتے رہتے ہیں ٹھٹھرتے رہتے ہیں۔ ایک استھان پر ملتی ہے لیکن وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ نئی بلڈنگ میں ایمیڈیٹلی ویوستھا ہونی چاہیئے ۔

مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سول ایوئیشن ڈپارٹمینٹ کا کچھ پیمنٹ آوٹ اسٹینڈنگ ٹھیکیدار کو دینا باقی ہے اس کو آپ جلدی سے ریلیز کروائیے تاکہ کم سے کم بلڈنگ کو تو آکیوپائی کر لیا جائے۔

وہاں کمیونیکیشن کی پرابلم بھی ہے۔ ویسے اس کا بل سے سیدھا تعلق تو نہیں ہے۔ مگر یہ پرابلم وہاں ضرور ہے۔ آپ نے پورے ہندوستان میں ٹکٹ کے لئے کمپیوٹر سسٹم شروع کر دیا ہے پر تو کوئی ایسے اسٹیشن ہیں اداہرن کے لئے یہ پورٹ بلیئر آدی کچھ اسٹیشن نارتھ ایسٹ میں ہیں جہاں ابھی تک کمپیوٹر سسٹم کو انٹروڈیوس نہیں کیا جا سکا ہے۔ نہ وہاں ٹیلیکس سسٹم ہے۔ اس کارن سارا کنٹرول آپ کے دلی کلکتہ بمبئی یا مدراس والے ہی کرتے ہیں اور ایسی جگہوں کے اسٹیشن انچارج اپنی ادر سے ایک سیٹ بھی اوکے کرنے کا ادھیکار نہیں رکھتے ہیں۔ چارٹ بھی اس پلین سے آتا ہے جو پلین وہاں پہنچتا ہے اور لوگوں کو لاتا ہے۔ اس سے لوگوں کو بھاری کٹھنائی ہوتی ہے۔ یا تو آپ لیہ میں کمیونیکیشن سسٹم پرووائڈ کیجئے اتھوا کمپیوٹر سسٹم کے تحت اس کو لے آئیے یا ٹیلکس سسٹم ہی دے دیجئے۔ یدی کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو وہاں کے اسٹیشن مینیجر کو کچھ سیٹیں اوکے کرنے کا ادھیکار ہی دے دیجئے جیسے آپ نے پہلے دیا ہوا تھا کہ وہ ۵۰-۶۰ سیٹیں دے دیا کرتے تھے۔ بعد میں آپ نے وہ وڈرا کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے نہ وہاں کمیونیکیشن سسٹم پرووائڈ کیا اور نہ انہیں کوئی ادھیکار دیا۔ وہ کسی کو ایک سیٹ بھی نہیں دے سکتے۔ جب تک کسی کو سیٹ اوکے نہیں ملتی تو لوگ یہی سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں سیٹ ملے گی بھی یا نہیں پھر ایئرپورٹ تک آنے جانے کے ۴۰-۵۰ روپئے بلاوجہ کیوں خرچ کئے جائیں۔ اس کارن ایئرلائنس کو بھی لوس ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی نقصان

ہوتا ہے۔ اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ فی الحال ایلوکیشن والا سسٹم پھر سے چالو کروا دیجئے جب بعد میں کمیونیکیشن سسٹم چالو ہو جائے گا تو اسے وِدڈرا کر لیجئے گا۔ ہمیں اس میں بھی کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔

لاسٹلی میں آپ کے نوٹس میں ایک اور بات لانا چاہتا ہوں۔ لیہ میں اکثر موسم خراب رہتا ہے۔ خصوصی طور پر ونٹر میں اور ہمارے بہت سے اچھے اچھے پائلٹس کا کہنا ہے کہ ایٹ دی ٹائم آف لینڈنگ لیہ ریڈیو اسٹیشن آن ہونا چاہیئے اس سے انہیں ایئر کرافٹ کو سیفلی لینڈ کرنے میں کافی مدد ملتی ہے جہاں بھی ٹرانسمیٹر لگا ہو وہ شو کرتا ہے کہ لیہ کس طرف ہے۔ اس استھتی میں خراب سے خراب موسم میں بھی ایئر کرافٹ سیف لینڈ کر جاتا ہے۔ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈکاسٹنگ سے آپ کو یہ معاملہ ٹھیک اپ کرنا پڑے گا کہ وہ کم سے کم گیارہ بجے تک اپنا ٹرانسمیٹر آن رکھیں۔ ایک گھنٹے آپ کوئی بھی کاریہ کرم بڑھا سکتے ہیں۔ دوردرشن بھارتی ہی چاہے رلے کریں۔ یدی ایسا ہو جاتا ہے تو جہاز بنا سنکیت کے چکر مار کر واپس نہیں جائے گا کیونکہ چنڈی گڑھ سے لیہ تک ایک چکر میں ۴-۵۰ ہزار روپے کا خرچہ آتا ہے اور پھر آپ کو ویسا کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا۔ یہ ہی چند تجویزیں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا تھا۔ ان شبدوں کے ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر دھنیواد دیتا ہوں مبارکباد دیتا ہوں اور اس بل کا سمرتھن کرتا ہوں۔

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाइटलर : मैं उन माननीय सदस्यों का आदर करता हूं जो समस्याएं रख रहे हैं। यह विधेयक एक अत्यन्त तकनीकी पहलू को स्पष्ट करता है। मैं आपकी समस्याओं से सहमत हूं। मैं इतना कह सकता हूं कि यदि आपका अपने राज्य में कुछ समस्याएं हैं, यदि आप मुझे लिखकर भेज दें, तो मैं आपसे वायदा करता हूं कि इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। ··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं।

श्री पी० नामग्याल : संचार तथा सभी प्रकार की बातों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : हम नौवहन, परिवहन तथा सड़क परिवहन के विषय में भी बात कर सकते हैं। मंत्री जी, इस सम्बन्ध में इतने संवेदनशील क्यों है ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह अधिक सुझाव चाहते हैं···

श्री जगदीश टाइटलर : ऐसा केवल समय बचाने के लिए किया जाता है। यदि आप मुझे लिखेंगे तो सबसे पहले मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ में, मैं मंत्री महोदय द्वारा सभा के समक्ष लाए गए इस विधान की सराहना करता हूं। यह सुखद संयोग है कि यह विधेयक गतिशीलता की प्रतीक और देश की महान प्रेरणा स्रोत हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के जन्म दिवस पर विचार तथा पारित करने हेतु लाया गया।

नागर विमानन के क्षेत्र में, हमारे देश ने हवाई अड्डों के विकास के मामले में शानदार प्रगति की है। अतः विमान पत्तन प्राधिकरण की स्थापना हेतु यह विधेयक लाया जाना उचित ही है। यहां यह कहा गया है कि हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि तथा हवाई यातायात में वृद्धि के कारण जो काम और जिम्मेदारी बढ़ गई है उसे नागर विमानन निदेशालय नहीं सम्भाल सका है।

3.52 म० प०

(श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए)

महोदय, आजकल देश की अखंडता के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक वायु यातायात है। इसने सारे देश को निकट ला दिया है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि हवाई अड्डों का एक जैसा विकास नहीं हुआ है। पूरे देश में हवाई अड्डे हैं, इनकी संख्या 65 के करीब बताई जाती है। इनमें से कई हवाई अड्डे कठिन क्षेत्रों में हैं, जैसा लद्दाख के मेरे मित्र ने अभी कहा है।

मैं उत्तर पूर्व का प्रतिनिधित्व करता हूं। पूर्वोत्तर में कई राज्यों की राजधानियां पर्वतीय क्षेत्रों में घिरी हुई हैं। उदाहरण के तौर पर, मिजोरम एक पर्वतीय क्षेत्र है। यह एक कठिन क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र के लिए हेलिकोप्टर निगम का सुझाव एक सुखद उपाय है। सम्पूर्ण मेघालय राज्य को देश के अन्य भागों की तरह एयरवेज के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता है।

यही स्थिति अरुणाचल प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों की भी है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इन कठिन क्षेत्रों की ओर उस समय दिलाना चाहूंगा जब हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इम्फाल के हवाई अड्डे की ओर आकर्षित करता हूं। इस हवाई अड्डे से प्रति दिन दो बोइंग विमान चलते हैं। स्वभावतः मैं यह कहूंगा यह वाणिज्यिक दृष्टि से और अन्यथा भी भारी मात्रा में हवाई यातायात का भी प्रबन्ध करता है। इस हवाई अड्डे में ईंधन लेने की सुविधा नहीं है। साथ ही साथ यहां जहाज उतारने की आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं। अतः इस उदाहरण को देते हुए, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि इसी प्रकार के अन्य कठिन क्षेत्र तथा कठिन हवाई अड्डे हो सकते हैं। जहां आधुनिक उपकरणों की तथा ईंधन भरने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं। सरकार यह कह सकती है कि यहां से केवल दो विमान चल रहे हैं—एक दिल्ली से और दूसरा कलकत्ता से। अतः इस प्रकार के हवाई अड्डे के लिए जो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है। वह उस क्षेत्र की मौसमी स्थिति है। चूंकि यह दिल्ली से 2000 कि० मी० से अधिक दूर है, वहां बहुत पहले सूर्य अस्त होता है। दिल्ली से इम्फाल जाने वाला विमान तीन उड़ानें भरता है। यह खंडषः उड़ान है। यह पटना, बागडोगरा और गुवाहाटी के ऊपर उड़ता है और इम्फाल पहुंचने से पूर्व स्वाभाविक तौर पर जब विमान रास्ते में पटना अथवा बागडोगरा अथवा गुवाहाटी में किन्हीं कारणों से रुक जाता है तो यह इम्फाल नहीं जाता है क्योंकि न वहां ईंधन भरने की सुविधा है और न ही रात के समय उतरने की सुविधा है और न ही उतरने की आधुनिक सुविधाएं हैं। अतः इन हवाई अड्डों पर रात के समय विमान उतारने तथा ईंधन भरने की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि यात्रियों को कोई कठिनाई न हो।

महोदय, सारे देश के सम्बन्ध में, हमारे विभिन्न राज्यों की राजधानियों में हवाई अड्डे हैं। गोआ का हवाई अड्डा देखने योग्य है। यह अत्यन्त सुविकसित, सुव्यवस्थित, सुसज्जित है और हम इस सम्बन्ध में बहुत प्रसन्न हैं। किंतु अन्य शहरों में, मैं क्या कहूं, इनकी स्थिति बहुत खराब है। अतः मैंने आरम्भ में यह सुझाव दिया है कि सभी हवाई अड्डों पर सुविधाओं का विकास समान रूप से होना चाहिए। मेरा कोई राजनैतिक उद्देश्य नहीं है क्योंकि हमारे हवाई यातायात का लाभ सभी लोगों को तथा सभी क्षेत्रों को मिलना चाहिए और उनका विकास अत्यन्त आधुनिक ढंग से होना चाहिए क्योंकि हवाई यात्रा में हर स्थान पर जीवन को खतरा है और सभी प्रकार के हवाई अड्डों को समान रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पूर्वोत्तर एक ऐसा क्षेत्र है जहां कम से कम देशी पर्यटक भारी संख्या में अक्सर जाते हैं। इन देशी पर्यटकों को हवाई अड्डे से नगर तक उचित सुविधाएं, होटल सुविधाएं मिलनी चाहिएं। अतः मुझे पूरा विश्वास है, नये मंत्री श्री जगदीश टाइटलर के नेतृत्व में नागर विमानन मंत्रालय सभी हवाई अड्डों को एक समान समझेगा।

अब विधेयक के सम्बन्ध में, मेरा विचार है कि यह एक स्वागत योग्य कदम है। उद्देश्यों के कथन में यह कहा है कि इसमें अधिक राशि की आवश्यकता नहीं है। किंतु मेरा विचार है कि मंत्री को इस सम्बन्ध में इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण पर थोड़ा-सा अधिक खर्च किया जाता है तो हमें इसकी चिंता नहीं है न ही देश इस सम्बन्ध में कोई चिंता करता है। क्योंकि प्राधिकार का गठन कुशल ढंग से होना चाहिए और इसे कुशलतापूर्वक चलाया जाना चाहिए। योजना के बाकी चार वर्षों के लिए 311 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। विपक्ष से मेरे मित्र ने सुझाव दिया है कि यह अधिक होना चाहिए। मेरा विचार है कि हवाई

[श्री एन० टोम्बी सिंह]

अड्डों की सुविधाओं के विकास के लिए अधिक धन की आवश्यकता है और प्राधिकरण को अधिक राशि मिलनी चाहिए। मैं इस प्राधिकरण को अधिक राशि देने के पक्ष में हूं और वह इस बात के लिए उन्हें अधिक विनम्र नहीं होना चाहिए कि इसमें वित्तीय कठिनाइयां नहीं हैं और यह केवल यातायात तथा प्रचालन लाभ के लिए है। प्रचालन लाभों के साथ-साथ कुशल ढंग का विकास तथा निर्माण होना चाहिए ताकि हम देश में वायु यातायात को नया मोड़ दे सकें।

इन शब्दों के साथ में विधेयक का स्वागत करता हूं।

4.00 म० प०

* **श्री अजित कुमार साहा** (विष्णुपुर) : महोदय, मैं नये मंत्री का स्वागत करता हूं किंतु मैं उनके लाए हुए विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता हूं। विधेयक के कई खण्डों का हम समर्थन नहीं करते हैं। इस विधेयक में एक सरकारी विभाग को स्वायत्तशासी निकाय में परिवर्तित करने के नाम पर निजी बनाने का प्रयास किया गया है और इसका भी हम समर्थन नहीं करते हैं। इस विधेयक को राजे समिति की सिफारिशों को दृष्टि में रखकर लाया गया है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस विधेयक के खंड ग्यारह की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि "प्राधिकरण वाणिज्य सिद्धांतों पर कार्य करेगा।" महोदय, अब हमारे देश में बहुत सुदूर क्षेत्र हैं जहां वायु सेवा अत्यन्त आवश्यक है। उन्हें हमारे देश के अन्य क्षेत्रों के साथ विमान सेवा से जोड़ दिया जाना चाहिए। यदि एयरपोर्ट प्राधिकरण "वाणिज्य सिद्धांतों" पर चलेंगे तो उन सुदूर क्षेत्रों में वायु सेवा का विस्तार करना सम्भव नहीं होगा। वायु सेवा केवल उन क्षेत्रों को उपलब्ध कराई जायेगी जहां लाभ होगा। हवाई अड्डे तथा अन्य सुविधाओं का निर्माण केवल लाभ देने वाले क्षेत्रों में किया जायेगा। पिछड़े तथा सुदूर क्षेत्र वैसे के वैसे ही रहेंगे। अतः मैं निवेदन करूंगा कि खंड 11 में "वाणिज्य सिद्धांत" को "सेवा सिद्धांत" में परिवर्तित किया जाना चाहिए। हमने देखा है कि इस विधेयक के लाये जाने के पश्चात् सरकारी संशोधनों की बाढ़ आ गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व विधेयक का उचित ढंग से अध्ययन नहीं किया गया है। मैं सुझाव देता हूं कि विधेयक को उचित अध्ययन तथा विचार के लिए प्रवर समिति को भेज दिया जाये और तत्पश्चात् सभा के समक्ष एक व्यापक तथा संशोधित विधेयक लाया जाये। विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि डी० जी० सी० ए० के लाभ के लिए इस प्रकार के सांविधिक स्वायत्तशासी निकाय में परिवर्तन किया जा रहा है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि डी० जी० सी० ए० का कार्य करना इसलिए भी कठिन हो गया है क्योंकि निर्माण कार्य सी० पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा कराया जाता है। खरीद पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा की जाती है और भर्ती "संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है।" महोदय, मैं इस कथन का भी विरोध करता हूं। यह अन्य सरकारी विभागों के कार्य की निन्दा करने के बराबर है। उन्हें अनुचित ढंग से बदनाम किया जा रहा है। मेरे विचार में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का कार्य किसी प्रकार खराब नहीं है। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन तथा अन्य बहुतल सरकारी कार्यालयों का रख-रखाव केन्द्रीय

---

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। अनेक सरकारी भवनों का निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। मेरा विचार है कि वह प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। सरकारी विभागों के लिए क्रय पूर्ति तथा निपटान निदेशालय द्वारा किया जाता है। यहां इनकी उपेक्षा करने की कोशिश की गई है। यहां तक कि संघ लोक सेवा आयोग की, जिसे उचित लोगों के चयन तथा सरकारी विभागों में भर्ती का कार्य सौंपा गया है, विमान पत्तन प्राधिकरण में नियुक्ति के मामले में उपेक्षा करने का प्रयास किया गया है। मैं पूरी शक्ति से इसका विरोध करता हूं। संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है और मेरा विचार है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई नियुक्ति पूर्ण नियुक्ति है। अब यदि यह सांविधिक स्वायत्तशासी प्राधिकरण संघ लोक सेवा आयोग की उपेक्षा करता है और स्वयं भर्ती करता है, तो मेरा विचार है इससे अधिक भ्रष्टाचार फैलेगा। योग्य प्रत्याशियों को नियुक्ति नहीं मिलेगी। भाई-भतीजावाद चल पड़ेगा। इन सभी का समर्थन नहीं किया जा सकता।

महोदय, 1969 में श्री के० जी० अप्पू स्वामी की अध्यक्षता में चार सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति ने इन्डियन एयरलाइंस के विमानों के रख-रखाव के स्तर तथा उड़ान-योग्यता, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा इन्डियन एयरलाइंस की इन्जीनियरिंग गतिविधियों की निगरानी संबंधी विनियामक जिम्मेवारी के संबंध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था वह प्रतिवेदन आज तक प्रकाशित नहीं हुआ है, यद्यपि हमें किसी स्रोत से एक प्रति मिल गई है। उस समिति ने उस प्रतिवेदन में घरेलू उड़ानों से सम्बन्धित अनेक मूल्यवान सिफारिशें की हैं। मैं उस रिपोर्ट की गहराई में नहीं जाऊंगा, किंतु मैं उसमें की गई एक-दो सिफारिशों का उल्लेख करना चाहूंगा। प्रतिवेदन में कहा है :

> "कलकत्ता तथा मद्रास को क्रमश: एयरबस तथा बी-737 के लिए अतिरिक्त अड्डों के रूप में विकसित किया जाए, बनाया गया है, ताकि विमान जितना समय हवाई अड्डे पर खड़ा है, उतने समय का उपयोग उसकी मरम्मत तथा सुधार आदि के लिए किया जा सके।"
>
> हवाई बेड़े मे जहाजों की संख्या और बढ़ने पर इन दो अड्डों का और विकास किया जाये ताकि तकनीकी सुविधाओं हेंगर के लिए जगह आदि की व्यवस्था की जा सके ताकि चेक 'सी' रख-रखाव का कार्य किया जा सके या उच्चतर निरीक्षण अनुसूचियां बनाई जा सकें।"

इस संदर्भ में, मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि इस तरह की बहुत-सी सुविधाएं कलकत्ता हवाई अड्डे पर मौजूद हैं। उदाहरण के लिए मौजूदा स्तर के अनुसार विमान की ओवरहालिंग और मरम्मत के लिए 30,000 वर्गफुट जमीन की जरूरत होती है जबकि कलकत्ता हवाई अड्डे पर 60,000 वर्गफुट जगह उपलब्ध है। मुख्य इंजन की मरम्मत के लिए 32,000 वर्गफुट जमीन की जरूरत होती है और कलकत्ता हवाई अड्डे पर इतनी जगह है। कलकत्ता हवाई अड्डे पर पर्याप्त "हेंगर" सुविधाएं भी मौजूद हैं। इसके अलावा, भौगोलिक दृष्टि से भी इस हवाई अड्डे से एक मील से भी कम दूरी पर रेलवे स्टेशन है तथा 12 से भी कम मील की दूरी पर समुद्री बन्दरगाह स्थित है। इन सब सकारात्मक बातों के बावजूद कलकत्ता हवाई अड्डे का महत्व कई बार कम किया गया है और उसका दर्जा भी कम माना जा रहा है।

[श्री अजित कुमार साहा]

1974 में बम्बई हवाई अड्डे पर तकनीशियनों तथा अन्य हवाई कार्मिकों की संख्या 1059 थी। लेकिन 1983 में इनकी संख्या बढ़कर 2000 से अधिक हो गई। दिल्ली में इनकी संख्या 1200 से बढ़कर 2000 से भी अधिक हो गई है। लेकिन कलकत्ता में यह संख्या 1172 से घटकर 1100 हो गई है। कलकत्ता हवाई अड्डे पर बोइंग विमान या एयरबस की मरम्मत के लिए सुविधा नहीं है। वहां केवल फोकर फ्रेंडशिप विमानों की मरम्मत होती है। बोइंग विमानों की मरम्मत दिल्ली में होती है। एवरो विमानों की मरम्मत मद्रास में होती है। एयरबसों की मरम्मत बम्बई में होती है। इन विमानों की छुटपुट मरम्मत का काम भी कलकत्ता हवाई अड्डे पर नहीं किया जा सकता। माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे इन एयरबसों की मरम्मत के लिए कलकत्ता हवाई अड्डे पर सुविधा उपलब्ध कराएं।

मुझे खेद है कि मैं इस विधेयक को, उसके मौजूदा रूप में समर्थन नहीं कर सकता। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वे विचार-विमर्श और चर्चा के बाद संशोधित व्यापक विधेयक प्रस्तुत करें और उसका मैं निश्चय ही समर्थन करूंगा। **(व्यवधान)**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं नागर विमानन विभाग में माननीय राज्य मंत्री द्वारा इस सदन में प्रस्तुत किये गए इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह एक स्वागत योग्य विधेयक है क्योंकि इसका उद्देश्य वर्तमान प्रणाली के कार्यकरण और कार्यकुशलता में सुधार करना है। घरेलू हवाई अड्डे के विकास तथा हवाई यातायात सेवाओं की व्यवस्था को अधिक लचीला बना कर और स्वायत्तता देकर ऐसा किया जा सकता है।

महोदय, आप जानते ही हैं कि हवाई यातायात जो कि सिविल विमानन महानिदेशक के क्षेत्राधिकार में आता है, एक वाणिज्यक कार्य है। ऐसे में बेहतर यही होता है कि इस काम को कोई स्वायत्त निकाय देखे। मुझे हैरानी है कि पिछले वक्ता, भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के अधिकांश देशों द्वारा समान्यतः स्वीकार्य इस मूल सिद्धांत से सहमत क्यों नहीं हो सके कि मुख्यतः व्यापारिक कार्यों से संबंध रखने वाले संगठन का कार्य ऐसे ही स्वायत्तशासी संगठन द्वारा किया जाना चाहिए। उनके अपने राज्यों में भी ऐसे स्वायत्त निकाय हैं जो इस तरह का कार्य देखते हैं। महज विरोध करने के उद्देश्य से इस विधेयक का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य एक ही समय में इसके पक्ष और विपक्ष में बोल रहे हैं। महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं इसका उद्देश्य हमारे घरेलू हवाई अड्डों की कार्य क्षमता में सुधार करना तथा उचित प्रबन्ध की व्यवस्था करना है। मेरे विचार से इस सम्बन्ध में पहले ही देरी हुई है क्योंकि काफी पहले 1971 में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास तथा रख-रखाव के लिए भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का गठन किया गया था। उसके बाद आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं, उनमें कई गुना बढ़ोतरी हुई है और यह कहना गलत नहीं होगा कि हमारा नागर विमानन निदेशालय बढ़ते हुए दैनिक कार्यों से पूरी तरह नहीं निपट सकता।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार और इसे विचारार्थ प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार इस समय इससे कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। बताया गया है कि इसके लिए सातवीं योजना में आबंटित 311.26 करोड़ रुपये भविष्य

में गठित किए जाने वाले इस संगठन पर लगा दिए जाएंगे और जैसा कि एक पिछले वक्ता ने कहा है मंत्री जी इस बात को लेकर इतनी माफी क्यों मांग रहे हैं कि इस पर कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा। हो सकता है साधनों की कमी होने के कारण इसके समुचित संचालन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो। जहां भी ऐसे निकाय या संगठन होते हैं, वे स्वयं धनराशि एकत्र कर सकते हैं। ऐसे में वे सार्वजनिक वित्त संस्थानों से धन ले सकते हैं और उसे उस कार्य पर लगाएं जिसके लिए इस संगठन का गठन किया गया हो। किसी विभाग को मात्र स्वायत्त निगम बना देने से एकदम से स्थिति में सुधार नहीं आ सकता क्योंकि ऐसा करना इस दिशा में किया गया कोई गम्भीर प्रयास नहीं होगा। यह बड़ी क्षोभनीय और निराशाजनक बात है कि अपने देश में बहुत से सार्वजनिक उपक्रम और व्यावसायिक संगठन है जो ठीक से काम नहीं कर रहे तथा घाटे में चल रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि रेलवे को लाभ के बजाय घाटा होता है। माननीय मंत्री को सुनिश्चित करना चाहिए कि इस संगठन में, जो कि इस विधेयक के अधिनियम बन जाने पर अस्तित्व में आएगा ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण बातें नहीं हों। इसके लिए उचित सुरक्षात्मक उपाय करने की जरूरत है।

इस काम को करने के लिए देश में बहुत से समर्थ व्यक्ति हमारे पास हैं और उनका ठीक से चयन किया जाना चाहिए। सही काम के लिए सही आदमी का चयन बहुत जरूरी है इस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

साथ ही उन्हें काम करने की आजादी दी जानी चाहिए तथा जिम्मेदारियां देने के साथ-साथ उन्हें जवाबदेह भी बनाया जाना चाहिए। अपने अनुभवों से हमने देखा है कि बिना जवाबदेही के स्वतंत्रता देश को कठिन परिस्थिति में डाल सकती है। अतः स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और जिम्मेवारी भी निर्धारित की जानी चाहिए। सभापति पद का कार्यकाल तीन वर्ष निर्धारित करने का कुछ विरोध किया गया है और कहा गया है कि इसे घटाकर एक वर्ष किया जाए। मैं इसका पूरी तरह विरोध करता हूं। इसको तो बढ़ाकर 5 वर्ष किया जाना चाहिए। सही आदमी को चुनिए और उसे काम करने की छूट दीजिए फिर देखिये कि वह ठीक से काम कर रहा है या नहीं। फिर देखिये कि क्या इस लम्बी अवधि के दौरान वह काम करके दिखाता है। जो नहीं कर सके उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये। ऐसा इसी संगठन में ही नहीं बल्कि अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में भी किया जाना चाहिए।

दुर्भाग्यपूर्ण कनिष्क दुर्घटना के बाद अपने देश में भी सुरक्षा प्रबन्ध कड़े किये गये हैं। इस दुर्घटना से हम बहुत चिंतित हुए तथा नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय से सम्बन्धित सलाहकार समिति की संसदीय उप-समिति ने मामले की जांच की। उसने अनेक सिफारिशें की हैं। उन पर विचार करके उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिए। जैसा कि कुछ सदस्यों ने टिप्पणी की है, मुझे यह कहना है कि सुरक्षा प्रबन्धों को कड़ा करने के साथ-साथ यह भी देखना चाहिए कि समय की पाबन्दी बनी रहे। सुरक्षा प्रबन्धों को कड़ा करने के कारण उड़ानों में प्रायः बेवजह देरी होती है। हमने देखा कि सुरक्षा कार्मिकों को उपयुक्त स्तर का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और एक पूर्ण प्रशिक्षित संवर्ग इस नाजुक काम के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि समय की पाबन्दी के साथ-साथ समुचित जांच भी की जा सके।

मैं यात्रियों के आराम और उनकी सुविधा के लिये कुछ कहना चाहता हूं। इन दिनों एक मशहूर कहावत है कि समय और दूरी पर विजय प्राप्त की जा चुकी है। इस विजय को पाने का माध्यम

[श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही]

क्या है। माध्यम है हवाई यात्रा। हवाई यात्रा द्वारा हम समय और दूरी पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यात्रियों के लिये न्यूनतम आराम और सुविधा का ध्यान रखा जाना चाहिए। विमानों में यात्रा के दौरान परोसे जाने वाले भोजन का भी स्तर निर्धारित किया जाना चाहिए। इस बारे में बहुत बार शिकायतें की गई हैं तथा सुझाव दिये गये हैं। मैंने स्वयं दो सुझाव दिये हैं और सुझाव कार्ड पर लिखा था कि मुझे खुशी होगी अगर इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही से मुझे अवगत कराया जायेगा। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी मुझे कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

भिन्नता में एकता रखने वाले भारत जैसे विशाल देश के लिए हवाई उड़ानों की संख्या बढ़ना बहुत महत्व रखता है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का एक माध्यम है। अतः देश के हर एक भाग के लिए हवाई उड़ानों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे हमारी राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी तथा सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने में सहायता मिलेगी।

इसके अलावा यह पर्यटन की दृष्टि से भी आधारभूत संरचना का काम करता है। इस सुविधा की दृष्टि से भारत में उड़ीसा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। केवल एक स्थान अर्थात् भुवनेश्वर ही इंडियन एयरलाइन्स द्वारा जुड़ा है। एक और स्थान राउरकेला वायुदूत सेवा द्वारा जुड़ा है। इस सेवा को झरसीगुड़ा तक बढ़ाया जाना चाहिए जोकि पश्चिम उड़ीसा का प्रवेश द्वार है। झरसीगुड़ा के अलावा, बेहतर होगा अगर वायुदूत सेवा को मध्य प्रदेश में रायपुर तक बढ़ा दिया जाये।

श्री सी० पी० ठाकुर (पटना) : मैं इस स्वागत योग्य विधान को लाने के लिए मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं, जिसे पहले लाया जाना चाहिए था। हम ऐसी अवस्था में हैं जबकि भूतल सेवा का भी कुछ स्तर है। इस विधेयक का उद्देश्य हवाई अड्डों के कार्य संचालन में सुधार करना है। इससे पहले उन्हें भर्ती और निर्माण कार्य में क्रमशः संघ लोक सेवा आयोग और केन्द्रीय निर्माण विभाग की सहायता लेनी पड़ती थी, क्योंकि वे हर चीज को एक ही शीर्ष के अन्तर्गत करना चाहते हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि निर्माण प्रभाग को शुरू करने का मुश्किल काम युवा मंत्री जी को करना है। इसको इस प्रकार से स्थापित किया जाना चाहिए कि इसे अन्यों के लिए एक उदाहरण बनना चाहिए। इसको यह प्रमाणित करना चाहिए कि हवाई अड्डे का निर्माण प्रभाग केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अपेक्षा बहुत अच्छा है। इसी तरह भर्ती के मामले में भी होना चाहिए। विरोधी पक्ष ने भी कुछ आशंकाएं उठाई हैं कि संघ लोक सेवा आयोग बहुत अच्छा है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि संघ लोक सेवा आयोग ही केवल ऐसा संगठन है जो बहुत ही निष्ठा से अपना कार्य करता है। यह विभाग भी अपनी भर्ती पद्धति का विकास कर सकता है।

तीसरे, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि बहुत अधिक पुनर्ग्रहणाधिकार से बचा जाना चाहिए और विशेष रूप से कारोबार प्रबन्ध के विचार से लोगों का एक स्थायी संवर्ग बनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह व्यवसाय मूलक संगठन है।

भूतल सेवा के बारे में, मैं कहना चाहूंगा कि इसमें सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यदि आप इंडियन एयरलान्स के बारहखम्बा स्थित कार्यालय में जाएं तो जो समय

टिकट की पुष्टि के लिए लगता है वह समय उस विशेष स्थान पर पहुंचने से अधिक होता है। एक विदेशी जो वहां खड़ा था, उसने कहा कि "ओह ! भारत अभी भी बैलगाडी के युग में है" मैं यह सब सुन रहा था।

हाल ही में, मैं कलकत्ता हवाई अड्डा पर था और एक बार फिर एक विदेशी जोड़ा वहां आया तथा वे अपना सामान किसी सामान-कक्ष में रखना चाहते थे। उनके पास करीब 8 घंटे का समय था जिसको वे कलकत्ता में बिताना चाहते थे। उन्होंने सामान रखने के बारे में पूछताछ की लेकिन कलकत्ता हवाई अड्डा में कोई सामान कक्ष नहीं था। अतः छोटी चीजों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

टिकटों के बारे में यह सही है कि विमान टिकट की कीमत बहुत है और जनसाधारण की पहुंच से बाहर है। अतः कम से कम कमजोरों तथा रोगियों के लिए इसमें कुछ रियायत दी जानी चाहिए।

अब हम 21वीं शदी के लिए योजना बना रहे हैं। राज्यों की सभी राजधानियों में एयर-बस उतारने की सुविधा होनी चाहिए। हमें हर 2-3 वर्षों के बाद अपने हवाई अड्डों को नहीं बदलने चाहिए। इसके लिए दीर्घकालीन योजना होनी चाहिए।

अब मैं अपने राज्य के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पटना बिहार की राजधानी है। यह बम्बई तथा अन्य स्थानों से विमान सेवा द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है। पटना का बम्बई से विमान द्वारा कुछ सम्पर्क बनाया जाना चाहिए ताकि लोग वहां जल्दी पहुंच सके क्योंकि बम्बई हमारे देश की आर्थिक राजधानी है।

मेरे प्रतिष्ठित साथियों ने कठिन क्षेत्रों के लिये वायु सेवा का उल्लेख किया है। यह सोचा जाना चाहिए कि बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे कुछ धार्मिक स्थानों पर जहां वृद्ध लोग जाना चाहते हैं वहां हेलीकाप्टर की सुविधा न होने के कारण नहीं जा सकते हैं। अतः, उन महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थानों को हेलीकाप्टर सेवा से जोड़ा जाना चाहिए और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के स्थानों को वायु मार्ग से जोड़ना चाहिए।

अधिकांश स्थानों पर रात को उतरने की सुविधा की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमने सुना है, मैं नहीं जानता कि क्या यह सही है या नहीं कि विमानों की कमी के कारण विमान सेवा में विलंब होता है। हवाई अड्डे पर उनका कहना है कि विमानों की कमी के कारण बहुत विलंब होता है।

वक्त की पाबंदी होनी चाहिए। यदि विमान सेवा में कोई विलंब होता है तो इससे तो उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं विधेयक का विरोधी नहीं हूं यदि इसे उसी भावना से कार्यान्वित किया जाता है जिससे इसे लाया गया है। महोदय, केवल आज सुबह ही — नि.संदेह, यदि मैंने कल बोला होता तो शायद मैं भिन्न ढंग से बोलता—अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के बारे में मैंने एक समाचार देखा है। माननीय मंत्री जी ने प्रतिष्ठित

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन में घटिया प्रकार के कार्य के लिए दो अधिकारियों को उनके काम की लापरवाही बरतने पर खिंचाई की।

श्री जगदीश टाइटलर : उनकी खिंचाई नहीं की, बल्कि उन्हें बरख्वास्त किया।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : निश्चित रूप से। अत:, फिर स्वायत्त निकाय बनाने का मतलब क्या है ? हमारे यहां स्वायत्त निकाय क्यों होना चाहिए ? तब मेरे मित्र श्री हरी ने जो कहा है ठीक ही कहा है। स्वायत्त निकाय विलंब को दूर करने के लिये गठित किये जाते हैं अर्थात् लाल फीताशाही को समाप्त करने और कुशलता में सुधारने के लिये।

महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसका उद्घाटन हमारी स्वर्गीया प्रधान मंत्री के जन्म दिन पर आज होना था, उसमें प्राधिकरण की अकुशलता के कारण विलंब हुआ। इस प्राधिकरण को इसी तरह कार्य करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय हमें किस प्रकार से सन्तुष्ट कराएंगे। मैं बात का तो स्वागत करता हूं कि इस तरह के वाणिज्यिक संगठन के लिए स्वायत्त निकाय होना आवश्यक है। परन्तु मंत्री जी को यह देखने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि ऐसे सही व्यक्तियों को ही, चेयरमैन और संकलन एवं इंजीनियरिंग आदि के प्रभारी के रूप में नियुक्त करना चाहिए, जिनके पास प्रशासन, प्रबंध तथा तकनीकी मामलों का अनुभव हो। मंत्री जी या किसी अन्य की सिफारिश के द्वारा इसका निर्णय नहीं होना चाहिए।

मैं कुछेक सुझाव भी देना चाहता हूं। कई अन्य माननीय सदस्यों ने भी दिए हैं। मैं महसूस करता हूं कि हमारे हवाई अड्डे हमारे देश के स्वरूप को प्रतिबिम्बित करते हैं। मैं आजकल, विशेष रूप से जब से मैं संसद सदस्य बना हूं, सीधे दिल्ली से बंगलौर और बाया पुणे विमान से आया करता रहा हूं। माननीय मंत्री महोदय को दिल्ली हवाई अड्डे में कभी फ्लाइट संख्या 403 की उड़ान के समय आना चाहिए। उसी समय 2 या 3 एयरबसें दिल्ली से उड़ानें भरती हैं। और 2 या 3 बोइंग भी जाते हैं। यात्रियों को इनमें जाने की अनुमति देने से पहले, 500 से 600 तक लोगों की साथ-साथ सुरक्षा की जांच होती है। लेकिन विदाई विश्राम-कक्ष में लगभग 200 सीटें हैं। बाकी यात्रियों को खड़ा होना तथा प्रतीक्षा करनी पड़ती है। महिलाओं को भी खड़ा होना पड़ता है। हमें वहां एक कप काफी तक नहीं मिलती है। यदि विमान समय से जाये तो बहुत अच्छा है। अन्यथा यात्रियों की हालत क्या होती है ? मेरा कई बार का अपना अनुभव रहा है कि फ्लाइट संख्या 403 की उड़ान में 3 या 4 घण्टों का विलंब होता है। दुर्भाग्य से यह कभी समय पर नहीं होती है।

श्री जगदीश टाइटलर : आपका किस उड़ान विशेष से तात्पर्य है ?

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : फ्लाइट संख्या 403 जिससे मैं प्राय: यात्रा करता हूं।

कर्नाटक के संसद सदस्यों के अनुरोध को मानने के लिए, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। कार्य भार संभालने के तुरन्त बाद ही उन्होंने दिल्ली और बंगलौर के बीच एक सीधी उड़ान शुरू कर दी है। इसके लिये हम उनका धन्यवाद करते हैं लेकिन उनको यह देखना चाहिए कि यात्रियों के लिए उचित सुविधाओं की व्यवस्था हो।

हवाई अड्डों में शौचघरों की स्थिति बहुत खराब है। आपने बम्बई में साहारा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया है, जिसमें बहुत-सी सुविधाएं हैं। लेकिन छोटे नागर हवाई अड्डों पर भी इस प्रकार का ध्यान दिया जाना चाहिए। विदेशी पर्यटक भी जो भारत में आते हैं वे केवल दिल्ली का ही दौरा नहीं करते, बल्कि हमारे देश में अन्य शहरों को भी देखते हैं। साहारा हवाई अड्डा में जो सुविधाएं दी गई हैं वे हर जगह नहीं हैं। अतः मैं मंत्री जी से सभी हवाई अड्डों के विश्राम-कक्ष में पर्याप्त बैठने का प्रबन्ध करने की व्यवस्था का अनुरोध करता हूं।

मैं अब हवाई अड्डों में जलपान गृहों की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। जो वहां जाते हैं, भगवान ही उनकी रक्षा करे। जब उड़ान में विलंब होता है, तब प्राधिकारियों द्वारा यात्रियों को हवाई अड्डे के रेस्तरां का एक कूपन दिया जाता है। वहां पर बहुत ही घटिया किस्म का खाना दिया जाता है। मंत्री महोदय को इन छोटे मामलों पर भी ध्यान देना चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि स्थिति में सुधार हो।

जहां तक बंगलौर का सम्बन्ध है, मुझे खुशी है कि मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि बंगलौर हवाई अड्डा का दर्जा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कर दिया जायेगा। उन्होंने स्वयं इसकी आवश्यकता को महसूस किया है। मुझे उन कारणों के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्यों इसकी मांग कर रहे थे। मैं आशा करता हूं कि वह इस बारे मे तुरन्त कार्रवाई करेंगे।

अब, हवाई अड्डों से सामान के उठाने की बात लीजिये। बंगलौर और दिल्ली के बीच उड़ान का समय $2\frac{1}{2}$ घण्टे का है, परन्तु सामान को उठाने में लगभग 1 घण्टा 15 मिनट लग जाते हैं। जब एक साथ 2 या 3 उड़ानें पहुंचती हैं—उन्हें इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है और मान लो कि वे समय पर पहुंचती हैं तो सामान को उठाने में यह एक घण्टे से भी अधिक का समय लेती है। आपके पास और अधिक ढुलाई पेटियां होनी चाहिए। यदि आप उनकी दिल्ली हवाई अड्डे में ही व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो, अन्य छोटे हवाई अड्डों की तो बात ही क्या है? ये बहुत आवश्यक है।

मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय जिन्होंने हाल ही में कार्य भार संभाला है, शीघ्र ही हवाई अड्डों का दौरा करेंगे और आवश्यक प्रबन्ध करेंगे।

जहां तक हमारे राज्य का सम्बन्ध है, एक वायुदूत सेवा आरम्भ की गई है। यह पर्याप्त नहीं है, और आपको यह देखना होगा कि इस तरह की और अधिक सेवाएं चालू की जानी चाहिए।

श्रीमती बसव राजेश्वरी (बेल्लारी) : वह सेवा अभी शुरू नहीं की गई है।

श्री जगदीश टाइटलर : हम वायु सेना की स्वीकृति का इन्तजार कर रहे हैं। जैसे ही वह प्राप्त होगी हम इसे चालू करेंगे।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : श्रीमती बसव राजेश्वरी बेल्लारी की वायुदूत सेवा के बारे में बोल रही हैं क्योंकि यह हाम्पी से बहुत नजदीक है। ऐतिहासिक स्थानों और दर्शनीय स्थलों के लिए भी वायुदूत सेवा होनी चाहिए। केवल यही नहीं वायुदूत सेवा दैनिक बनाई जानी चाहिए। आपको

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

यह देखना चाहिए कि यह दैनिक सेवा हो। अन्यथा इसके होने का कोई लाभ नहीं है। यदि यह किफायती है तो तब इसे बेलूर और हेलोबिड जैसे पर्यटन स्थानों के लिए दैनिक सेवा होना चाहिए।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : शुरू में, मैं वे कुछ सामान्य टिप्पणियां करना चाहूंगा जो मैं अन्य विधानों के मामले में भी करता आया हूं कि हम ऐसे विधानों को बनाते हैं जिनमें उन नियमों और विनियमों के लिये अधिक शक्तियां दे दी जाती हैं जिन्हें बाद में बनाया जाता है। अब, यदि हम सारी बात को सम्पूर्णता के साथ लें तो, हम पाएंगे कि हम जो कानून यहां बना रहे हैं उसका केवल 25 प्रतिशत ही इसमें है और शेष 75 प्रतिशत शक्ति तो नियम, विनियम और निर्देश तैयार करने वाली शक्ति के पास रह जाता है। अतः, मैं कहना चाहता हूं कि सभा आज जो कुछ अधिनियमित कर रही है वह कानून का 25 प्रतिशत वह है जिसको यहां नहीं होना चाहिए। कानून के कुल का नियम बनाने की शक्ति अधिक से अधिक सम्पूर्ण विधि का 25% होनी चाहिए इसलिए भविष्य में माननीय मंत्री महोदय आपसे और अन्य माननीय मन्त्रियों से मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए।

दूसरे, उद्देश्यों में जिनका यहां पृष्ठ 6 पर खंड 12(3) (ढ) के अन्तर्गत उल्लेख किया गया है। एक उद्देश्य है अर्थात् "इस अधिनियम द्वारा विहित कृत्यों का अधिक दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के लिये, कम्पनी अधिनियमन, 1956 के या कम्पनियों से सम्बन्धित किसी अन्य विधि के अधीन एक या अधिक कम्पनियां बना सकेगा" मेरा यह कहना ठीक ही है कि आप इसे इसलिये लाये हैं कि विमान पत्तनों के सम्बन्ध में किसी न किसी प्रकार का शक्तियों का केन्द्रीयकरण हो। अब, यदि विमान पत्तन प्राधिकरण में शक्तियों का कुछ केन्द्रीयकरण होता है तो और कम्पनियों की स्थापना की और उनको और शक्तियां देने की क्या आवश्यकता थी? यदि प्राधिकरण को शक्तियों का उपयोग करना है तो उसे इसका उपयोग करने दो। कम्पनियों को स्थापित करने का तथा उन्हें और शक्तियां देने का और उपबन्ध नहीं होना चाहिए। फिर यह सारी कार्रवाई क्यों की गई है? वास्तव में, मैं एक संशोधन का प्रस्ताव करना चाहता हूं और यदि माननीय मंत्री महोदय इससे सहमत हैं तो, वह इसे स्वीकार कर सकते हैं।

खण्ड 12(3) (एक) में, एक उपबन्ध है अर्थात् "विमान पत्तनों तथा नागर अन्तःक्षेत्रों पर पहरे और निगरानी का समुचित प्रबन्ध कीजिये।" प्राधिकरण के अन्तर्गत दी गई एक ऐसी शक्ति प्रदान की गई है कि जब हम खण्ड 12(1) (तीन) के अधीन एक प्राधिकरण की स्थापना कर रहे हैं, प्राधिकरण के अधीन एक शक्ति यह प्रदान की गई है कि "विमान पत्तनों पर पहरे और निगरानी का समुचित प्रबन्ध किया जाये।" अब हम उस प्राधिकरण की स्थापना कर रहे हैं। इसलिये, 'सामान्य सुरक्षा के लिये' शब्दों का अधिनियमन करना होगा। ऐसी स्थिति में जबकि हम अन्तर्राष्ट्रीय किस्म के मानक विमान पत्तन की स्थापना कर रहे हैं तथा जबकि सुरक्षा आज समस्या बनी हुई है, इस प्राधिकरण की शक्ति केवल पहरे और निगरानी तक ही सीमित नहीं रखी जानी चाहिये। वास्तव में, यद्यपि मैंने कोई संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं रखा है, तथापि मेरा सुझाव है कि "विमान पत्तनों और नागर अन्तःक्षेत्रों पर पहरे और निगरानी तथा सामान्य सुरक्षा का समुचित इन्तजाम किया जाये।"

अन्त में, मैं आपका ध्यान खण्ड 11 की ओर दिलाता हूं जिसमें कहा गया है :

"इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में प्राधिकरण, जहां तक हो सकेगा, कारबार सिद्धांतों पर चलेगा।"

मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं, क्योंकि परिवहन के सम्बन्ध में, चाहे वह सड़क परिवहन, नौवहन अथवा कोई अन्य परिवहन हो, हमारा उद्देश्य मूल रूप से सेवा से है न कि व्यवसाय से और न ही व्यवसाय इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। निसंदेह, व्यापारिक उद्देश्य का सर्वथा त्याग नहीं किया जाना चाहिये और इसके अलावा मैं यह कहना चाहूंगा, चूंकि मुख्य अधिनियम में व्यवसाय का कोई सिद्धांत निर्धारित नहीं किया गया है तो यह कहना कि हम इसे व्यवसाय के सिद्धांत पर चलाएंगे, तो इससे अन्ततोगत्वा सेवा उद्देश्य की क्षति हो सकती है। इसलिये, मेरा सुझाव है कि इसका मुख्य उद्देश्य सेवा होनी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, सबसे पहले तो मैं नये मंत्री जी जो बड़ी सतर्कता और तेज गति से काम करते हैं, उनको धन्यवाद देता हूं। बिल के बारे में यह कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके इसको गहराई से देखें। एक तरफ तो यह कहते हैं कि आटोनोमस पावर्स दिये गये हैं, इसका मतलब यह है कि आपका बहुत कम इन्टरफियरेंस होगा। इस बिल से आपको पढ़कर बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

खण्ड 36(2) में कहा गया है :—

"इस बाबत कि कोई प्रश्न नीति के बारे में है या नहीं, केन्द्रीय सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।"

आप, कृपया ध्यान दें; "इस बाबत कि कोई प्रश्न नीति के बारे में है या नहीं, अन्तिम होगा।"

[हिन्दी]

आटोनोमस पावर्स आपने अथारिटीज को दे दी और बड़े-बड़े समझदार लोगों को मैम्बर बना दिया।

[अनुवाद]

किन्तु सरकार का कोई भी आदेश अन्तिम होगा। आप उसे चुनौती नहीं दे सकते हैं। यदि यह एक स्वायत्त निकाय है तो यह सरकारी आदेश को चुनौती दे सकता है कि यह इसके अनुरूप नहीं है। परन्तु आप कहते हैं कि "नहीं मेरा आदेश सर्वोपरि है और अन्तिम है।"

श्री जगदीश टाइटलर : मैंने तो सोचा था कि आप सरकार के पक्ष में हैं।

श्री मूल चन्द डागा : मैं केवल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अन्ततोगत्वा आप स्वायत्त निकाय को शक्ति प्रदान करना चाहते हैं। जबकि आप यह एक बात कह रहे हैं कि जब सरकार कोई आदेश जारी करती है तो वह अन्तिम आदेश होगा। हम लोग उसको प्रतिरोध नहीं कर सकते हैं। कभी नहीं। आप कहेंगे कि यह नीति का प्रश्न है।

[हिन्दी]

आप अगर किसी एक्ट को पढ़ लेंगे तो उस एक्ट में यह बात नहीं होगी। ··· (व्यवधान)

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : आटोनोमस होना चाहिए, लुटानोमस नहीं होना चाहिए।···

(व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : इस बिल में यह नहीं बताया गया है कि एयर पोर्ट अथारिटी का आफिस कहां होगा। मुझे इस बिल में दिखा दीजिये कि इस बारे में कहां लिखा हुआ है। दिल्ली में होगा या बम्बई में।···(व्यवधान) मंत्री जी कह रहे हैं कि जहां मैं बैठा हूं, वहीं होगा। ···(व्यवधान) जिन्होंने बिल फ्रेम किया है, वह मुझे इस बारे में बताएंगे। ··

(व्यवधान)

[अनुवाद]

कृपया इसे पढ़िये। जी नहीं। मैं इस विधेयक के बारे में कह रहा हूं। आप कहते हैं कि इसका मुख्यालय दिल्ली, बम्बई अथवा किस स्थान में होगा। मैं पृष्ठ 3 से पढ़ रहा हूं।

[हिन्दी]

मैंने जो अमेंडमेंट दिया था, उसका मतलब यह था कि आठ मैम्बर होने चाहिए। लेकिन आपने कहा कि इससे कम नहीं होंगे। मैंने इसीलिए पूछा कि फिर 14 क्या करेंगे।

[अनुवाद]

चौदह सदस्य क्यों होने चाहिए। खण्ड 5(1) 3(4) में कहा गया है :—

"अध्यक्ष पूर्णकालिक सदस्य होगा और उपधारा 3 के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अन्य सदस्य पूर्णकालिक या अंश कालिक सदस्यों के रूप में, जैसा भी केन्द्रीय सरकार ठीक समझे, नियुक्त किये जा सकेंगे।" आप यह भी कहते हैं कि कम से कम आठ और अधिक से अधिक चौदह सदस्य नियुक्त किये जाएंगे।

[हिन्दी]

इस बिल में सिर्फ कापी की है। ग्यारह साल के बाद बड़ी मेहरबानी की है। जो इंटरनेशनल

एयरपोर्ट एक्ट था उसको लेकर हूबहू कापी कर दी। बहुत अच्छी मेहनत की है। यह कह दिया है, कि मंत्री जी नया बिल लेकर आये हैं।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

14 सदस्यों के लिए आपको 14 सचिव, 14 चपरासी और 14 कारें रखनी होंगी। पिछले विधेयक में सदस्यों की संख्या 13 बताई गई थी। 11 वर्ष के बाद एक सदस्य और बढ़ाया गया है।

श्री नायक का यह कहना है कि अन्ततोगत्वा हम सभी शक्तियां अफसरशाही को देना चाहते हैं जिससे कि वे लोग अपने स्वयं के नियम और विनियम बना सकें। यह सही दृष्टिकोण नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं।

अध्यक्ष पूर्णकालिक होगा। इस विधेयक में उसकी अर्हता के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। केवल इतना ही बताया गया है कि अध्यक्ष एक पूर्णकालिक सदस्य के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। कितने पूर्ण मालिक सदस्य होंगे और कितने अंशकालिक? सदस्यों की नियुक्ति कैसे समाप्त की जा सकेगी? यदि आप खण्ड 5 को देखेंगे तो आप पाएंगे कि तीन प्रकार से पदच्युत करने का उल्लेख किया गया है। सर्वप्रथम उस सदस्य की नियुक्ति बिना सूचना दिये समाप्त की जा सकती है जो सरकारी कर्मचारी हैं। दूसरे तीन महीने की सूचना देकर या तीन महीने का वेतन देकर उस पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है, जो सरकारी कर्मचारी नहीं है। जब आप किसी सदस्य की नियुक्ति समाप्त ही करना चाहते हैं, तो विभिन्न सदस्यों के लिये विभिन्न नियम रखने की आवश्यकता ही क्या है? इस खण्ड से मैं कतई सहमत नहीं हूं। इसके अतिरिक्त इसकी भाषा उपयुक्त नहीं है। मैं इस बात को नहीं समझ पाया कि सदस्यों को एक ही प्रकार से पदच्युत क्यों नहीं किया जा सकता है।

विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने खण्ड 11 की आलोचना की थी। मैं इस खण्ड में कोई दोष नहीं पाता हूं। यह एक अच्छा खण्ड है।

[हिन्दी]

इस सम्बन्ध में हमारे विरोधी दल के नेताओं ने जो कुछ कहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं और जिस तरह का बिल में प्रावधान किया गया है, वह बिलकुल ठीक है।

लेकिन आप मेहरबानी करके यह तो बताइये इस बिल में कि आप अगर रीअपाइंट करना चाहते हैं, तो कितनी टर्म के लिए—

[अनुवाद]

विधेयक में कहा गया है कि कोई सदस्य नियुक्त किया जा सकता है; किन्तु कितने समय के लिये नियुक्त किया जा सकता है? क्या जीवन भर के लिये अथवा कितने समय के लिये? कोई सीमा तो होनी चाहिये थी। इसलिये, मैंने तीन वर्ष का समय निर्धारित किया है, अन्यथा आप किसी भी 85 या 90 वर्ष की आयु तक के सदस्य को पुर्ननियुक्त कर सकते हैं।

[श्री मूल चन्द डागा]

इसके अनन्तर खण्ड 29 में कहा गया है, "कोई वाद...प्राधिकरण के अथवा प्राधिकरण के किसी सदस्य या किसी अधिकारी...के विरुद्ध न होगा।" आप किसी एक भी व्यक्ति को सिविल न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने से वंचित नहीं कर सकते हैं। यह उसका संवैधानिक अधिकार है। वह किसी के भी विरुद्ध मुकदमा चला सकता है क्योंकि यह उसका संवैधानिक अधिकार है। अतः इस प्रकार इस विधेयक की भली भांति प्रतिलिपि तैयार की गई है।

[हिन्दी]

हमें इसमें कहने में कुछ खुशी नहीं होती, हम अपने आपको कुछ अच्छा अनुभव नहीं करते। हमारे चैयरमैन भी यहां पर बड़ी तेजी से बात करते हैं, ये "यस" कहते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि हमें बैठना है।

[अनुवाद]

हमारे सभापति महोदय, जो कि पीठासीन हैं, बहुत ही सक्षम व्यक्ति हैं। वह हमेशा "यस" कहेंगे। जब वह "यस" कहते हैं; तो हम समझ जाते हैं कि वह हमें बैठने को कह रहे हैं। इस प्रकार बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण और हंसी-मजाक के रूप में वह हम लोगों को बैठ जाने को कहते हैं। आप बार-बार "जी, हां" क्यों कहते हैं ? हम लोग स्वयं ही बैठ जाएंगे।

सभापति महोदय : आपने बहुत अधिक समय ले लिया है।

श्री मूल चन्द डागा : महोदय, जिस ढंग से आप सभा का संचालन करते हैं, मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूं।

[हिन्दी]

बड़े सिद्धान्त की बात है और हमारे बड़े अच्छे वित्त मंत्री साहब यहां बैठे हुए हैं जिनकी गणना संसार में तीसरे वित्त मंत्री के रूप में की जाती है।

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मुझे कुछ खतरा हो रहा है, पता नहीं अब आगे ये क्या कहने वाले हैं।

श्री मूल चन्द डागा : अब तो हमें खतरा है, हमारे यहां कालाधन हुआ नहीं कि छापा पड़ा नहीं। अब आप क्या कहना चाहते हैं, इस बिल से समझ में नहीं आता।

[अनुवाद]

"सर्वतोमुखी वृद्धि होने के कारण...यह पाया गया है कि सिविल विमानन महानिदेशालय के कृत्यकरण में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उसके निर्माण कार्य का निष्पादन करने, उसका क्रय पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से किये जाने और उसके कार्मिकों की संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किये जाने के कारण कठिनाई हो गई है।"

[हिन्दी]

तो आप यह चाहते हैं कि सारी बॉडीज को यू०पी०एस०सी०, सी०पी०डब्ल्यू०डी० इन सब को अलग कर दिया ताकि हम लोग अच्छी तरह से काम कर सकें। लेकिन मैं यह समझ नहीं पाया कि अगर आप काम तेजी से करना चाहते हैं और उसमें कुछ रुकावट आती है, तो उस रुकावट को आप दूर करें न कि आप इन बॉडीज को अलग करें। आपने ऑटोनॉमस बाडीज बना दी हैं, आई०टी०डी०सी० बना दी, इंटरनेशनल एयर पोर्ट अथारिटी बना दी तथा जिस प्रकार से कामर्स डिपार्टमेंट में बोर्ड्स बन गए हैं, ये ठीक नहीं है। अब जो इंटरनेशनल एयर पोर्ट अथारिटी का चेयरमैन होगा वह सीधे लन्दन और अमेरिका घूमेगा। उसे कोई रोकने वाला नहीं है, वह सब जगह घूमेगा, वह चेयरमैन है। ये बड़े-बड़े साम्राज्यवादी इस देश में हो गये हैं। आप इस देश में कितनी आटोनामस बाडीज बनाना चाहते हैं और नये साम्राज्यवादी कायम करना चाहते हैं। मैंने कई बोर्डों को देखा है इनमें बड़ी गड़बड़ होती है। आपने एक नई क्लास इन चेयरमैनों की खोली है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में कुछ सुधार की आवश्यकता है। आप मेहरबानी करके कुछ करें।

[अनुवाद]

डा० दत्ता सामंत (बम्बई दक्षिण मध्य) : मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे यहां विमान-पत्तनों की आवश्यकता है, तथा यहां रात में ठीक से विमान उतरने चाहिये, नियमित सेवा होनी चाहिये तथा जलपानगृह की कुछ सुविधा आदि होनी चाहिये। मैं इसका विरोधी नहीं हूं किन्तु गत अनेक महीनों से मैं यह सुन रहा हूं कि सरकार संविधिक पत्तन या प्राधिकरण बनाने की ओर धीरे-धीरे अग्रसर हो रही है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि 80,000 रुग्ण एकक हैं और जिसके लिये 3,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी तथा हम इन रुग्ण औद्योगिक एककों की सहायता करने के लिए गत 20 वर्षों से चिल्ला रहे हैं, किन्तु सरकार ने सहायता करने की पहल नहीं की है।

महोदय, मेरे विचार से ये कार्य सरकार के नहीं हैं। विमानपत्तनों की सेवा में सुधार संबंधी बातों से निपटने के लिए हमारे मन्त्री महोदय पूर्णतः सक्षम हैं। और यदि उन्हें शक्ति प्रदान करने में कुछ कठिनाई है तो नागर विमानन के विभिन्न निदेशकों को कुछ और शक्ति प्रदान की जा सकती है। और यदि दो या तीन विभागों के आपसी समन्वय में कोई कठिनाई है तो, उससे निपटने के लिये संशोधन किया जा सकता है। किन्तु यह एक दुःख की बात है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए हमारे पास कोई धन नहीं है, जिसके लिए उतने ही संसाधनों की आवश्यकता है जबकि आप विमानपत्तनों की सेवायें सुधारने के लिए तथा बोर्ड का गठन करने के लिए 311 करोड़ रुपये व्यय कर रहे हैं। मैं इन सब बातों का विरोध करता हूं। ये बातें तो विभागीय सुधारों द्वारा भी की जा सकती हैं।

मुझसे पूर्व बोलने वाले श्री मूलचन्द डागा ने कहा है कि इन सभी बोर्डों के कार्यकरण से, वे सभी बोर्ड स्वायत्त निकाय हो जाएंगे। केवल इतना कह देने मात्र से कि ये प्राधिकरण और अध्यक्ष क्या करेंगे तथा वे लोग कितनी राशि व्यय करेंगे, मेरे विचार से मन्त्रीगण तथा सरकार अपने-अपने उत्तर-दायित्व को बेच रही हैं।

[डा० दत्ता सामंत]

मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि अधिकांश बातें पहले कही जा चुकी हैं किन्तु मैं एक ऐसी बात कहूंगा जो अब तक नहीं कही गई हैं। महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 में घट-बढ़ यही बात कही गई है। यह कार्य केवल कुछ प्राधिकरणों का गठन करना और उन्हें और अधिक शक्तियां प्रदान करना मात्र है। मैं मन्त्री महोदय को बताऊंगा कि इन बोर्डों का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाएगा। बम्बई विमान पत्तन प्राधिकरण भी एक अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण है, किन्तु उसके अन्य कामों में एक कार्य स्कूल आरम्भ करना, इमारतों और होटलों का निर्माण कराना भी हैं। मेरे विचार से इन सब कामों के करने की कोई आवश्यकता नही है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि इस देश में एक हजार व्यक्तियों में से केवल चार या पांच व्यक्तियों ने ही विमान से यात्रा की है। 995 व्यक्तियों में से किसी ने भी हवाई जहाज से यात्रा नहीं की है। 50 प्रतिशत व्यक्तियों ने तो विमान तक नहीं देखे हैं। और हजार व्यक्तियों में से केवल एक या दो व्यक्ति ही नियमित रूप से हवाई यात्रा करते हैं। केवल थोड़े से व्यक्तियों को यह विशेष सुविधा प्राप्त हो रही है। और केवल ऐसे व्यक्तियों को ही उत्तरोत्तर और अधिक सुविधायें प्रदान करने का कोई औचित्य नहीं है। हम लोगों को यह बात स्वीकार करनी चाहिये कि हमारा देश निर्धन है। इसलिए विदेशियों को इसके दर्शन कराने की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी राष्ट्रों की तुलना में हमारा राष्ट्र नीचे से छटे स्थान पर है। सभी देशों को हमें यह बता देना चाहिये कि हम लोग गरीब हैं और हम लोग हमेशा और अधिक अतिरिक्त सुविधायें नहीं प्रदान कर सकते हैं।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है और उसके बारे में मैं एक बार पहले भी मन्त्री महोदय से बात कर चुका हूं। बम्बई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में विमान सुगमता से उतरते हैं तथा उड़ान भरते हैं। इसकी हवाई पट्टी बहुत अच्छी है और वहां सब कुछ अच्छा है। हैं वहां दो अच्छे टर्मिनल और लोग आते-जाते रहते हैं। इसे और अधिक सुहावना और आकर्षक बनाने के लिए अब वे लोग 20,000 निर्धन परिवारों और श्रमिक वर्ग के परिवारों को हटाकर 170 एकड़ भूमि को इसके साथ मिला रहे हैं। उन्होंने बुलडोजर से कुछ लोगों के मकान भी हटा दिये हैं। प्राधिकरण इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। प्रभावित लाखों लोगों के कड़ा विरोध करने के बावजूद, प्राधिकरण उन्हें नोटिस दे रहा है और उन्हें उजाड़ रहा है। प्राधिकरण को केवल इस बात की चिंता है कि हवाई अड्डा सुन्दर होना चाहिये और वह बम्बई में एक आकर्षक का केन्द्र होना चाहिये। मैं इस प्रकार के कार्यों का विरोध करता हूं। मैं ईमानदारी से आपको बता देता हूं कि विमान सुविधायें प्रदान कराने तक उनके कार्य सीमित होने चाहिए और वहां केवल दो या तीन टर्मिनल होने चाहिये। इसकी सीमा इतनी ही होनी चाहिए। बम्बई अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के लिए आप भूमि किस लिए अधिगृहीत कर रहे हैं? आपने लीलापिन्टे होटल के लिए 30 एकड़ भूमि दी है। यह कैसी बिक्री है ? इसके लिए आप न्यायालय में मुकदमा लड़ें। उन्हें और 2 करोड़ मूल्य तक का निर्माण कराने की अनुमति दी गई है। निगम द्वारा करोड़ों रुपया हजम कर लिया जाता है। मुझे नहीं पता कि इसमें कितने सरकारी प्राधिकरण शामिल हैं। आप उन लोगों को वहां से हटा रहे हैं जो वहां रह रहे है और जो वहां रहकर काम करते रहे हैं। निगम ने एक संकल्प पारित किया है। हवाई अड्डे के नाम पर आप भूमि दे रहे हैं। इन सब होटलों को 30,000 वर्ग मीटर भूमि दी जायेगी। उनमें से एक होटल एम्बेसेडर होटल है। बम्बई विमानपत्तन प्राधिकरण

के पास 13 होटल स्थापित किये जा रहे हैं और सरकार चुप बैठी है। आप वहां के रहने वाले गरीब लागों की झोंपड़ियां उजाड़ रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह विस्तार किस लिये है? अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अर्थ है, कि आप 13 होटल चाहते हैं। यह हमारे गरीब देश का चित्र तो नहीं है। अपने मतदाताओं के समक्ष हम इस बात को स्वीकार करें कि हम लोग निर्धन हैं, और यहां जो भी हवाई अड्डा है, वह आने वाले समय के लिए पर्याप्त है। इसलिए, यदि आपका यही रवैया है; तो मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

उस क्षेत्र में रह रहे लोगों की सहायता से भी आप सभी प्रकार से वहां की सुविधायें बढ़ा सकते हैं। मन्त्री महोदय ऐसा कर सकते हैं।वह पूर्णतः सक्षम हैं। आप कहते हैं कि 311 करोड़ रुपया व्यय होगा। मैं नहीं जानता कि क्या यह पुनरावृति नहीं होगी। क्या यही सब सर्वोपरि कार्य है? मैं नहीं जानता कि इससे कितना धन एकत्र किया जा सकेगा? क्या उस धन के लिए आप होटलों को भूमि दे रहे हैं? सामान्यतः शहरों में जब भी इस प्रकार के हवाई अड्डे बनाये जाते हैं; तभी विरोध होता है। इनसे निर्धन व्यक्तियों को परेशानी होती है। प्राधिकारियों को बहुत सारी शक्तियां प्रदान कर दी जाती हैं। ये सब बातें हमारे गरीबों के विरुद्ध जायेंगी। इसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकेगा। गरीबों की परेशानियों के लिए सरकार उत्तरदायी है। बम्बई में कड़ा विरोध किया गया है। वे लोग उस इलाके से एक लाख व्यक्तियों को हटा रहे हैं। वे निर्धन लोग हैं, जो वहां गत 20 और 30 वर्षों से रह रहे हैं। वे मध्य बम्बई में काम करने वाले श्रमिक हैं और आप उनसे कहते हैं कि वे मात्रबाड़ी या किसी अन्य स्थान में चले जायें। वहां एक भी घर नहीं है। आप उनसे कहते हैं कि उन्हें 12′ × 10′ की जगह दी जाएगी; वे वहां जायें और रहें। क्या यही लोकतान्त्रिक सरकार का रवैया होता है। यह दलगत मामला नहीं है; उन्होंने तो कांग्रेस को मत दिया है; किन्तु यह एक पृथक मामला है। इसे एक विशाल और उत्तम हवाई अड्डा दर्शाने के लिए आप इन लोगों को बम्बई शहर से हटा रहे हैं। इसलिए, मैं इस प्राधिकरण की स्थापना का विरोध करता हूं। यह व्यर्थ का व्यय होगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार इस हवाई अड्डे का कुछ सुधार कर सकती है। जैसा कि श्री डागा जी ने ठीक ही कहा है कि इस प्रकार के प्राधिकरण से यह कोई पूछने वाला नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं। वे स्वतन्त्र राज्य हो जाते हैं; जो संसद और सरकार के नियन्त्रण से बाहर होते हैं। इसलिए, माननीय मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस प्राधिकरण का गठन करने के बजाय, हवाई अड्डे को सुधारने के लिए, विधि में कुछ छोटे-छोटे समायोजन करने के लिए वे कुछ और शक्ति ले लें किन्तु ईश्वर के लिए इस प्रकार की लुभावनी वस्तुओं के लिए इस धन को व्यय न करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, हमारे कोलीग डागा साहब के कहने के बाद मेरे पास यहां कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। फिर भी मुझे कुछ थोड़ी सी बातें और कहनी हैं। जब एटानमस एथारिटी की बात आती है तो पता नहीं क्यों डर सा लगता है।

दिल्ली में कुछ साल पहले एटानमस एथारिटी बनी, जिसका नाम डी०डी०ए० है। आपने कुछ

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

दिनों पहले मजदूर अखबार में एक कार्टून देखा होगा, जिसमें गाइड टूरिस्ट को कह रहा है कि यह संसार का आश्चर्य देखिए, बिना नींव की हवा में झूलती इमारतें देखिए।
5.00 म०प०

तो एक आटोनामस एथारिटी तो बिना नींव की इमारतें हवा में बना रही हैं, हमें डर है कि कहीं दूसरी आटोनामस एथारिटी हवा में उड़ने वालों को जमीन पर न रख दे।

'एम्स एण्ड आबजेक्ट्स' में यह कहा गया है कि बहुत ही सीरियस कंसिडरेशन के बाद यह बिल लाया गया है। तो फिर डागा साहब जो कहते हैं कि हुबहू एक प्रीवियस बिल की नकल कर दी गई है, यह कैसे हुआ ?···(व्यवधान)·· माननीय मन्त्री जी ने कहा कि इसका आफिस वहां होगा जहां हम हैं। बिहार में एक कहावत है कि जहां धड़ वहीं घर। जहां चेयरमैन होगा वहीं घर होगा। यह इसमें एक सीरियस लैकुना है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मेम्बर्स के एप्वाइंटमेंट के बारे में कहा गया है कि कई बार एप्वाइंट किया जाएगा। आखिर कितनी बार एप्वाइंट किया जाएगा ? दस बार, बीस बार, कितनी बार ? कहीं भी एक लिमिट तो होनी चाहिए। आपने यह ठीक कहा है कि ऐसे लोगों को बोर्ड का चेयरमैन और मेम्बर बनाएंगे जिनको कुछ नौलेज इस व्यवसाय में बारे में होगा, एविएशन के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ नौलेज होगा। मेरा एक ही आग्रह है कि पालिटिशियंस को मत रखिएगा ?

एक माननीय सदस्य : कहां रखा है ?

डा० गौरी शंकर राजहंस : आपने लूपहोल छोड़ दिया है। मैं बताता हूं, आपने कहा है :

[अनुवाद]

श्रमिक और उपभोक्ता संगठनों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम।

[हिन्दी]

इसके अन्दर तो जिसको चाहेंगे रख देंगे। पालिटिशियन को कह दिया जाएगा कि यह वर्कर्स को रेप्रेजेन्ट करता है।···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या मेम्बर्स इतने खराब हैं ?··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाइटलर : वे लोग कुण्ठित एवं निराश नहीं हैं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : वे लोग बहुत अधिक निराश हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : आप जन प्रतिनिधि हैं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : जी हां, मैं एक राजनीतिज्ञ हूं। और जन-प्रतिनिधि हूं। इसीलिए, मैंने कहा था कि इस विधेयक में त्रुटियां हैं, जिससे श्रमिक प्रतिनिधियों और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों के समान राजनीतिक व्यक्ति बोर्ड के सदस्य बनाये जा सकते हैं।

[हिन्दी]

मैं देश की भलाई के ख्याल से कह रहा हूं। मेरा अपना ख्याल है कि आटोनामस एथारिटी जहां जहां भी बनी हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से जहां भी आटोनामस एथारिटीज बनाई गई हैं वहां बहुत घोर अराजकता पैदा हुई है। टैक्स पेयर पैसा देता है और उसके रिटर्न में कोई जवाबदेही किसी की नहीं होती। कहा जाता है कि आटोनामस एथारिटी या कारपोरेशन पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। मगर एक दो रिपोर्ट आ जाएगी, कोई कमेटी बन जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। कुछ प्रिविलेज्ड लोग वहां सर्टेन हायर पोजीशन्स में चले जाएंगे। जनता की भलाई क्या होगी, मैं नहीं कह सकता हूं।

जहां तक कन्ज्यूमर्स का सवाल है, मैं एक बात कहूंगा कि आप न्यूजपेपर की इंडस्ट्री से एक आदमी को जरूर रखिएगा। मेरा निजी अनुभव है कि वह सुबह के वक्त हर मैट्रोपोलिटन हाउस से, हर बड़े-बड़े शहर से अखबार जाता है और उसके साथ इतना बुरा सुलूक होता है कि लोगों को महीने में बारह दिन फ्रेट देने के बाद भी अखबार नहीं पहुंचता है। कई बार अखबार वालों ने इस बात को रैप्रेजेन्ट किया है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि न्यूजपेपर इंडस्ट्री से एक मेम्बर को जरूर रखिएगा। जो उनकी भावनाओं की रक्षा कर सके। यह आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

आपने कहा है कि यू०पी०एस०सी० से एप्वाइंटमेंट में बड़ी देर लगती है, इसलिए हम सारी एप्वाइंटमेंट करेंगे। हमारा अपना अनुभव है कि जहां जहां आटोनामस एथारिटीज या कारपोरेशंस हैं उनमें बेहिसाब एप्वाइंटमेंट्स हो गए हैं और कई आटोनामस कारपोरेशंस आपके इसीलिए घाटे में चले जाते हैं कि ओवरहैड एक्सपेंडीचर इतना बढ़ गया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो एक आग्रह है कि एप्वाइंटमेंट में वही सख्ती बरतेंगे जो सख्ती यू०पी०एस०सी० बरत रहा है। बेशुमार एप्वाइंटमेंट मत होने दीजिएगा।

अब मैं कम्प्यूटर और रिजर्वेशन के बारे में आ रहा हूं। मेरा निजी अनुभव है, अभी मैं आसाम में था। वहां मैं गया दिल्ली लौटने के लिए अपना रिजर्वेशन कन्फर्म कराने के लिए तो वहां जो आदमी रिजर्वेशन काउन्टर पर था उसका तकिया कलाम था कि कम्प्यूटर काम नहीं कर रहा है। यह मेरा पर्सनल अनुभव है, मेरे साथ एक और एम०पी० थे, मैं उनसे भी कहलवा दूंगा—लोगों ने पूछा कि इसका क्या उपाय है? तो उसका तकिया कलाम था जगदीश टाइटलर साहब से बात करो। मैंने कहा लाओ भाई, मैं बात करता हूं, तो उसने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं बात करूंगा। उसने कहा कैसे बात करोगे? मैंने कहा बात करूंगा। फिर मैंने कहा तुम मुझे मैनेजर से मिलाओ। मैनेजर ने भी कहा कि कम्प्यूटर खराब है। तब मुझे लाचार होकर कहना पड़ा कि मैं मैम्बर

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

आफ पालियामेंट हूं। तो उन्होंने कहा साहब आप चले आइये, आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो हर आदमी कहां कहां कहेगा कि मैं मैम्बर आफ पालियामेंट हूं और तब जाकर उसको रिजर्वेशन मिल सकेगा।

ऐसा ही अनुभव मुझे पटना में भी हुआ है। मैं जब पटना में रिज़र्वेशन आफिस में गया, मेरे साथ कुछ और लोग भी थे, मैंने कहा मुझे और मेरे साथी को दिल्ली जाना है तो कह दिया गया कि कम्प्यूटर खराब है, काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा कैसे नहीं काम कर रहा है, कैसा कम्प्यूटर है जो काम नहीं करता है तो उन्होंने कहा काम नहीं कर रहा है। फिर मैंने कहा कि मैं सो एण्ड सो मैम्बर आफ पालियामेंट हूं तो उसने कहा आप आ जाइये, आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि आदमी को बार बार अपनी आईडेन्टिटी बतानी पड़े, बार बार कहना पड़े कि मैं मैम्बर आफ पालियामेंट हूं तभी रिजर्वेशन मिलेगा वरना बहाना बना दिया जाएगा कि कम्प्यूटर खराब है, काम नहीं कर रहा है—यह बहुत ही दुःखद बात है। मेरा मन्त्री जी से आग्रह है कि वे इसकी ओर ध्यान दें।

सिक्योरिटी के संबंध में कुछ और सदस्यों ने भी यहां पर कहा है और मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि उससे लोगों को कुछ दिक्कत होती है लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताना चाहूंगा कि दो राज्यों की राजधानियों में मैंने पाया कि यदि कोई राज्य का मन्त्री जाता है और उसके साथ उसका पी० ए० जाता है तो उसकी कोई सिक्योरिटी चेक नहीं की जाती है। यह मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं।

17.07 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाइटलर : यह कब हुआ ? मैं पूर्ण तथ्य जानना चाहूंगा।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस : बिहार और असम में ऐसा होता है। अभी हाल ही में दस दिन पहले ऐसा हुआ है। मैं एस० पी० था मुझे चेक नहीं किया। अब इससे ज्यादा और क्या जानना चाहेंगे। मैं गौहाटी से जा रहा था, मुझे उन्होंने सेक्योरिटी से निकाल दिया, कहा आपको क्या चेक करना है। तो यह बहुत ही सीरियस बात है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप सेक्योरिटी को कुछ ज्यादा टाइटेन कीजिए। मैंने देखा है कई जगह सेक्योरिटी में बड़े लैप्सेज हैं।

अन्त में मैं कहूंगा कि बिहार से वायुदूत का प्रपोजल आया है उस पर भी आप ध्यान दीजिए।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, मेरे बड़े भाई के समान मित्र, श्री टाइटलर को हिटलर की भूमिका निभाने के लिए बाध्य होना पड़ा है। महोदय, सरकार ने स्वयंमेव इस विधेयक में 14 संशोधन दिए हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : केवल एक।

श्री नारायण चौबे : मेरा मतलब है, सरकारी सदस्य, हमारे टाइटलर के मित्र। श्री डागा ने संशोधन भेजा है। निस्सन्देह, वह सरकार के सदस्य नहीं हैं, वह कांग्रेस के सदस्य हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे बोल चुके हैं। मैं नहीं जानता कि क्या उन्होंने कोई संशोधन भी दिया है।

श्री जगदीश टाइटलर : श्री डागा ने अपने संशोधन वापस ले लिए हैं।

श्री नारायण चौबे : मैं मन्त्री महोदय से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को पारित किए जाने से रोक कर हम एक प्रवर समिति बनाएं। हमें समिति में सभी उपबन्धों पर विचार करना चाहिए। एक प्रवर समिति बनाइये और इसकी वहीं समीक्षा की जाए। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आप खण्ड 34(I) के अधीन क्या करने जा रहे हैं? आप किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को अनुमति दे रहे हैं मैं उद्धृत करता हूं :

> "जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो···और प्राधिकरण ऐसे निदेश का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा।"

उप खण्ड (2) में कहा गया है :

> "जहां किसी विमान क्षेत्र सिविल अन्तःक्षेत्र या वैमानिक संचार स्टेशन का प्रबन्ध उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति को (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है), सौंपा जाता है वहां प्राधिकरण ऐसे विमान क्षेत्र के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन अपनी किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन नहीं करेगा···।"

इस अधिनियम को लाने के बाद आप क्या करने जा रहे हैं? जब कभी आप ऐसा अनुभव करें, तो आप विमान क्षेत्र का कुछ भाग अन्यथा पूरा विमान क्षेत्र ऐसे किसी व्यक्ति को सौंप दीजिए जिसे आप उपयुक्त समझते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आप विमान क्षेत्रों के संचालन के लिए प्राइवेट व्यक्तियों को लाने जा रहे हैं। क्या यही तरीका है जिससे आप 21वीं शताब्दी में जीवन की सुरक्षा प्रदान करने जा रहे हैं? क्या इस तरीके से समाजवाद आता है? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कम से कम इस खण्ड पर विचार कीजिए, मुझे आशा है कि आप इसे छोड़ देंगे।

हमारे मित्रों ने कम्प्यूटरों की बात की है। मेरे विचार से आप भी इसे महसूस कर रहे होंगे। मेरा तो यह कहना है कि कम्प्यूटर प्रायः कार्य नहीं करते हैं, जिसके कारण सभी विमान क्षेत्रों में यात्रियों

[**श्री नारायण चौबे**]

को तंग किया जा रहा है। क्या आपने कम्प्यूटरों के लिए विश्वभर से निविदाएं आमंत्रित कीं? क्या वे दिल्ली में निर्मित किए जाते हैं? कम्प्यूटरों को अच्छा लाभ प्राप्त करने और यात्रियों को अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, परन्तु ये तो उलटे यात्रियों के लिए मुसीबत पैदा करते रहे हैं। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि विश्व-निविदाएं या उचित निविदाएं आमंत्रित किए बिना बड़ी संख्या में ऐसे कम्प्यूटर क्यों लाए जा रहे हैं।

अब मैं कलकत्ता के बारे में बोलूंगा। कलकत्ता भारत का ही एक भाग है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई सन्देह नहीं है।

श्री नारायण चौबे : उन्हें सन्देह है।

श्री जगदीश टाइटलर : कभी नहीं।

श्री नारायण चौबे : हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने जा रहे हैं। जहां तक कलकत्ता विमान पत्तन का संबंध है, हम 21वीं शताब्दी से हटकर चल रहे हैं। 20 या 30 वर्ष पूर्व कलकत्ता क्या था और आज क्या है?

मैं दिनांक 17.5.83 के 'स्टेट्समैन' की रिपोर्ट का उल्लेख करूंगा :—

> "**कलकत्ता विमानपत्तन का कम उपयोग** भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के परिचालन सदस्य एयर-वाइस-मार्शल पी० एस० डेरे ने सोमवार को बताया कि कलकत्ता विमानपत्तन का कम उपयोग हो रहा है। उनका कहना था कि विमानपत्तन पर और अधिक अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के परिचालन की आवश्यक सुविधायें हैं। वह कलकत्ता विमान-पत्तन पर दिल्ली से आने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे।"

कलकत्ता विमान-पत्तन का बहुत कम उपयोग हो रहा है। आपको इस मामले पर ध्यान देना चाहिए। आप देखेंगे कि कठिनाई तो यह है कि कलकत्ता में मामूली सी मरम्मत तक नहीं की जाती है। एक समाचार तो यह भी है कि एक बार विमान को चार घन्टे बाद उड़ान भरनी पड़ी क्योंकि चालक की कुर्सी घूम नहीं पा रही थी और कलकत्ता में कुर्सी की मरम्मत तक का प्रबन्ध न था, किसी व्यक्ति को बम्बई से आना पड़ा और तभी विमान उड़ान भर सका। यह अन्याय की चरम सीमा है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उसका कम उपयोग हो रहा है या अधिक।

श्री नारायण चौबे : इसका कम उपयोग हो रहा है क्योंकि कलकत्ता में यह सब करने के लिए सभी आधारभूत सुविधाएं प्राप्त हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी मरम्मत के बारे में आपका क्या विचार है?

श्री नारायण चौबे : इसकी मरम्मत हेतु किसी को बम्बई से आना पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय : आप और अधिक सुविधाएं चाहते हैं ?

श्री नारायण चौबे : और अधिक सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। अतः मेरे विचार से कलकत्ता विमानपत्तन की उपेक्षा करना प्रशासन के लिए उचित नहीं है। जैसा कि मेरे कामरेड श्री अजित कुमार साहा ने ठीक ही बताया है, कि कलकत्ता एक महानगर है और उनके पास तकनीकी ज्ञान है। आप उसका उपयोग मरम्मत सेवाओं के लिए क्यों नहीं करते हैं ? आप कलकत्ता विमान पत्तन से और अधिक सेवाओं को क्यों नहीं लेते हैं ? इससे भारत को लाभ होगा, हानि नहीं। मेरा निवेदन है कि यह किया जाना चाहिए।

हम समाजवाद के हिमायती हैं, पूंजीवाद के नहीं। कम से कम यह घोषित नीति है, यद्यपि उसके अन्तर्गत कुछ और हो रहा है।...

श्री जगदीश टाइटलर : नहीं।

श्री नारायण चौबे : आप केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की भूमिका को कम कर रहे हैं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनेक कर्मचारी विमान पत्तनों पर कार्य करते हैं। उनका क्या होगा ? उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी ? आपने अभी तक यह निर्णय नहीं लिया है कि उन्हें कहां लिया जायेगा ?

भर्ती के बारे में मैं कहूंगा कि आप संघलोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती क्यों नहीं करते हैं ? अन्य प्राइवेट संगठनों की तुलना में, जहां पर भाई-भतीजावाद का बोलबाला है, संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका कोई बहुत बुरी नहीं है। मेरे विचार में सरकारी अभिकरणों के बीच और अधिक समन्वय होना चाहिए।

जहां तक रोजगार, आदि की बात है, पहले से ही कार्यरत विभिन्न सरकारी अभिकरणों को कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। बनाये जा रहे नये प्राधिकरण को इस मामले में पूरी स्वतन्त्रता नहीं दी जानी चाहिए।

अन्त में मैं कहूंगा कि चूंकि इसमें कई त्रुटियां नजर आ रही हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाये, और उनका प्रतिवेदन मिलने के बाद विधेयक पर यहां चर्चा की जा सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री डालचन्द्र जैन (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण विधेयक प्रस्तुत हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इसमें जो निगम बनाने का सुझाव है, उसके बारे

[श्री डालचन्द्र जैन]

में मैं यह कहना चाहता हूं कि निगम के द्वारा हमने अपेक्षाएं की हैं कि सारे क्रियाकलापों में सुधार होगा लेकिन हमारा जो पूर्व अनुभव है, वह यह है कि इस तरह के बहुत से निगम आज भी मौजूद हैं और उन निगमों में जिस तरह से खर्च बहुत बढ़ गया है, उससे वे निगम घाटे में चलते हैं। इसलिए यह निगम बनाने से पहले हमको एक बात बहुत अच्छी तरह से विचार में ले लेनी चाहिए कि इस निगम का हाल भी दूसरे निगमों जैसा न हो और नुकसान न हो। जहां तक सुविधाओं का प्रश्न है और दूसरे जो उद्देश्य बताये गए हैं, उनका प्रश्न है, वे उद्देश्य पूरे हों लेकिन साथ ही साथ हमारे निगम को लाभ भी होना चाहिए।

वायुयान सेवाओं में बहुत ज्यादा लोगों की रुचि बढ़ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए वायुदूत सेवा शुरू की गई है, इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां पर एयरलाइन्स की सेवायें हैं, उनको कहीं-कहीं तो वायुदूत सेवा से जोड़ा गया है लेकिन जहां बहुत आवश्यक है, उन स्थानों को वायुदूत सेवा से नहीं जोड़ा गया है। मध्य प्रदेश हमारा एक ऐसा इलाका है जहां कि प्रत्येक संभाग को वायुदूत सेवा से या इन्डियन एयरलाइन्स की सेवाओं से जोड़ने की बहुत गुंजाइश है। अभी तो इन्डियन एयरलाइन्स की सेवा है, वह दिल्ली से भोपाल और भोपाल से जबलपुर होते हुए रायपुर तक जाती है और वही सेवा फिर रायपुर से जबलपुर और भोपाल लौटती है। इसके बीच में एक बहुत मुख्य शहर सागर है, जिसको एयर लाइंस की सेवा से जोड़ा जा सकता है। वहां डिफेंस का एक बहुत बड़ा सेन्टर है, यूनिवर्सिटी है और वह व्यापार का भी क्षेत्र है। इस ओर मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

साथ ही साथ यह जो निगम बनाया जा रहा है, इसका समर्थन करते हुए एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जितने भी हमारे कमिश्नरी टाउंस हैं या संभाग के टाउन हैं, उन सबको वायुदूत सेवा से जोड़ा जाना चाहिए। इससे हमारे निगम का भी फायदा होगा और हमारी जनता को भी इसका लाभ मिल सकेगा।

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस निगम के जो भी सदस्य बनाये जाएं उनके ऊपर इस बात की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि निगम में लाभ हो और किसी तरह का नुकसान न हो। नहीं तो निगमों में नुकसान होता रहता है, फायदा नहीं होता क्योंकि किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। अतः इस निगम के सदस्यों के ऊपर निश्चित रूप से यह जिम्मेदारी होनी चाहिए।

पिछली बार सतर्कता आयोग की रिपोर्ट यहां सदन में पेश की गई थी। यद्यपि वह रिपोर्ट इससे सम्बन्धित नहीं है लेकिन उसकी मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि सतर्कता आयोग ने बहुत से मामलों में सजाएं देने की सिफारिश की थी लेकिन डिपार्टमेंट ने उसकी सिफारिशों को नहीं माना। अगर डिपार्टमेंट सतर्कता आयोग की सिफारिशें नहीं मानते हैं तो फिर हमारे सतर्कता आयोग का उपयोग ही क्या रह जायेगा। यह होगा कि इसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश हो जाया करेगी, सदस्य उसको देख लिया करेंगे लेकिन उससे समस्या का निराकरण तो नहीं होगा। यह केवल कागजी

कार्यवाही होकर रह जायेगी। यह रिपोर्ट केवल कागजी कार्यवाही होकर न रह जाए, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने पेश होना चाहिए। अब हम जब 21वीं सदी में जाने की बात कर रहे हैं तो वास्तव में जिस तरह की हमारे नेता की कल्पना है, उस कल्पना को साकार करने के लिए हम सबको जुटना पड़ेगा। तभी वह कल्पना साकार हो सकेगी।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर अगले सदस्य को बोलने के लिए बुलाने से पहले मन्त्री महोदय श्री संगमा एक वक्तव्य देना चाहते हैं। मैं उनसे वक्तव्य देने का निवेदन करता हूं।

5.23 म० प०

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को रेल पास जारी करने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

राज्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : महोदय, यह स्मरण किया जा सकता है कि स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने लोक सभा में कहा था कि स्वतन्त्रता सेनानी अपने जीवन काल में एक रेलवे पास ले सकते हैं ताकि वे भारत में विभिन्न स्थान देख सकें। मामला विचाराधीन था। स्वतन्त्रता सेनानियों को निःशुल्क रेलवे पास देने की योजना को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अधीन केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों को प्रथम श्रेणी के कम्पलीमेंटरी चैक पास जारी किए जाएंगे। यह किन्हीं दो रेलवे स्टेशनों के बीच के लिए एक बार प्रयोग किया जाने वाला पास होगा जिसमें सरकुलर पास शामिल होगा जैसा कि रेलवे समय सारिणियों में दिया गया है। स्वतन्त्रता सेनानी की पत्नी/पति अथवा परिचारक को भी पास दिया जाएगा।

योजना पहली दिसम्बर, 1985 से कार्यान्वित होगी।

5.24 म० प०

राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण विधेयक (—जारी)

[अनुवाद]

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रारम्भ में युवा और कर्मठ मन्त्री को बधाई देता हूं। अपने वचन को पूरा करते हुए उन्होंने दो भ्रष्ट अधिकारियों को पद से हटा दिया है। मैं तो केवल यही कामना और प्रार्थना करता हूं कि वह इसी भावना को भविष्य में भी बनाए रखें।

महोदय, आज आप राष्ट्रीय विमान-पत्तन विधेयक लाए हैं। यह तो वास्तव में ही एक स्वागत योग्य कदम है। राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण विधेयक की गतिविधियां उन सभी विमान पत्तनों तक सीमित रहेंगी। जहां पर घरेलू विमान परिवहन सेवाएं परिचालित की जाती हैं। दूसरे शब्दों में, अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण के प्राधिकार को कम कर दिया गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण को चालू रखने की आवश्यकता है क्योंकि यह अक्षम हो गया है।

महोदय, मैं इस अवसर पर यह पूछना चाहता हूं कि प्राधिकरण में अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति का क्या औचित्य है। महोदय, मेरा सुझाव है कि इसमें पूर्णकालिक सदस्य ही होने चाहिए। केवल तभी कार्यकुशलता का प्रायः दोहराया जाने वाला नारा सार्थक होगा। इसी प्रकार मेरा यह भी सुझाव है कि प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल, जो 3 वर्ष का रखा गया है उनको अपनी कुशलता या योग्यता का ठोस परिणाम दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया जाए।

राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण को सातवीं योजना में 311.26 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसमें भारत के नियन्त्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा उसकी लेखा परीक्षा किये जाने का उपबन्ध भी होना चाहिए।

इससे पहले कि मैं उन मामलों का उल्लेख करूं जो विधेयक के लिए संगत हैं, मेरा सुझाव है कि विमान पत्तनों के कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि भी प्राधिकरण में होना चाहिए जिस प्रकार कि आपने एक कर्मचारी-प्रतिनिधि राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में रखा हुआ है। इससे आपको कार्य करने में काफी सुविधा होगी।

राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण को, इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के एजेन्टों पर नियंत्रण रखने का भी अधिकार मिलना चाहिए। इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के एजेन्ट सभी टिकटों को खरीद लेते हैं और वे अपनी गतिविधियां विमान-पत्तनों तक बढ़ा लेते हैं जहां पर टिकट कुछ विमान पत्तनों के कर्मचारियों की सहायता से उपलब्ध कराये जाते हैं। निःसंदेह पंजीकृत एजेन्सियां

भी हैं परन्तु ऐसी भी एजेंसियां हैं जो पंजीकृत नहीं हैं जो पंजीकृत एजेन्टों से टिकट खरीदकर यात्रियों को बेच देते हैं।

सलेम और तिरुनेलवेली में विमान पत्तन स्थापित करने की मांग बहुत समय से लम्बित पड़ी है। मैंने सलेम की जनता और वाणिज्य मंडल से प्राप्त ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया है तथा सलेम में एक विमान पत्तन स्थापित करने के लिए नक्शा भी दे दिया है। मन्त्री जी को इसे जल्दी करना चाहिए।

कोयम्बटूर और मदुरै हवाई अड्डे का वास्तव में विस्तार करने की जरूरत है। वेलोर में एक नागरिक हवाई अड्डा है जिसका उपयोग नहीं किया जाता है। भारत भर के हजारों मरीज सी० एम० सी० अस्पताल वेलोर में हृदय शल्य चिकित्सा तथा गुर्दा-प्रतिरोपण के लिए आते हैं। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि वेलोर हवाई अड्डे को पुनः चालू किया जाये तथा हवाई मानचित्र में इसे शामिल किया जाए। यहां के संसद सदस्य श्री ए० सी० षणमुख की भी इसमें रुचि है।

महोदय, महाबलीपुरम, कन्याकुमारी, कोदइकनाल, उडगामंडलम तथा होगानेकाल पर्यटन स्थलों पर हेलीपद बनाए जायें तभी वहां अधिक पर्यटक आ सकेंगे। मुझे संयुक्त राज्य अमरीका में ग्रांड केन्यान देखने का अवसर मिला था। वहां हेलीपद का रखरखाव बहुत अच्छी तरह किया जाता है जिसके कारण पर्यटक आकर्षित होते हैं और उन्हें वहां अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अतः मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि वह मेरे सुझाव पर गंभीरता से विचार करे।

'कारगो शेड' के प्रबन्ध में सुधार की जरूरत है, क्योंकि, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 'एयर-फ्रंट' पिछले एक दशक से मद्रास शहर में सामान का प्रबन्ध कुशलता से कर रहा है। अब इसे भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने अपने हाथ में ले लिया है। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं। मेरा दल सदैव राष्ट्रीयकरण के पक्ष में रहा है। अतः इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन मुझे चिन्ता कामगारों की है। कामगारों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। मंत्री जी कह सकते हैं कि वे अच्छे लोग नहीं हैं। लेकिन पांचों उंगलियां एक सी नहीं होतीं। आप सभी 88 कर्मचारियों को खपा लीजिये। अगर वे कुछ गलत काम करें तो आप उन्हें वैसे ही सजा दीजिए जैसी आपने आज सुबह भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के मामले में दी है। मैं बीच में नहीं आऊंगा और कोई सिफारिश नहीं लाऊंगा। ज्यादा नहीं केवल 88 व्यक्ति हैं। ऐसी ही स्थिति उस समय उपस्थित हुई थी जब मद्रास में 1952 में ट्राम सेवा रद्द करके तमिलनाडु सरकार ने बस सेवा शुरू की थी। ट्राम कम्पनी में काम करने वाले सभी ट्राम ड्राइवरों और कन्डक्टरों को खपा लिया गया था। कोई भी बाकी नहीं बचा था। इसी तरह के 'एयर फ्रंट' के कर्मचारियों के सम्बन्ध में मंत्री जी को अविलम्ब विचार करना चाहिए।

कर्नाटक के संसद सदस्यों ने आपको बंगलौर से दिल्ली सीधी विमान सेवा आरम्भ करने पर बधाई दी है। मालूम नहीं क्या यह विमान सेवा तमिलनाडु की जनता की कीमत पर शुरू की गई है। मैं इसका अर्थात बंगलौर से दिल्ली उड़ान का विरोध नहीं करता किन्तु मेरा आपसे यही अनुरोध है

[डा० ए० कलानिधी]

कि मद्रास से हैदराबाद होकर दिल्ली जाने वाली विमान की मौजूदा सेवा के अलावा सीधे मद्रास से दिल्ली के लिए विमान सेवा आरम्भ की जाए।

हाल ही में आई बाढ़ के कारण तमिलनाडु की सड़कों को बहुत नुकसान पहुंचा है। दक्षिण ट्रंक रोड पूरी तरह से नष्ट हो गई है। वहां वाहन-यातायात ठप्प है। चिंगलपट जिले के मदुरनटकम ताल्लुक में करुनधुली में रेल-पुल और रेल-लाइन पूरी तरह से बह गई हैं। रेल अधिकारियों का कहना है कि मद्रास और त्रिचनापल्ली के बीच रेल सेवा को पुन: शुरू करने में 2 और महीने लग जायेंगे। आजकल वे रेलों को लंबे मार्ग कट पडी, ईरोड से होकर तिरुची तक चला रहे हैं। अत: माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि मद्रास से तिरुची, मदुरै तथा कोयम्बटूर के लिए और विमान सेवा शुरू की जाय या ऐसा करने की सलाह इंडियन एयरलाइन्स अधिकारियों को दी जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले में मंत्री महोदय द्वारा लाए गए इस बिल का समर्थन करता हूं क्योंकि इससे नागर विमान सेवा को चुस्त और दुरुस्त बनाया जा सकेगा। यह तर्क ठीक नहीं है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता इसलिए भी है कि नागर विमान सेवा की स्थिति दिन-पर-दिन बढ़ती चली जा रही है। पुरानी व्यवस्था में कोई न कोई परिवर्तन करना आवश्यक है इसलिए इस प्रकार का स्वायत्तशासी प्राधिकरण बनाने की इस योजना का मैं स्वागत करता हूं। इस बिल में जल्दबाजी में कुछ बातें छूट गई हैं जिनकी ओर हमारे मित्र डागा जी और राजहंस जी ने भी ध्यान दिलाया है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की कमियों को दूर किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय ने यह कहा है कि तकनीकी मामला है लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आवश्यक मालूम पड़ती हैं। हमारे बहुत से मित्रों ने यह कहा है कि विभिन्न विमानपत्तनों की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बहुत गुंजाइश है। मैं कानपुर नगर की बात आपको बताना चाहता हूं। वहां पर विमान सेवा में बढ़ोत्तरी की बजाय कुछ कमी की गई है। पहले जो छोटा प्लेन था वह दिल्ली, कानपुर, गोरखपुर, पटना और कलकत्ता तक जाता था। जबसे बोईंग सेवा शुरू की गई है उसमें से राजनीतिक दबावों के कारण कलकत्ता का नाम कट गया है। बम्बई के लिए जो उड़ान शुरू की गई वह भी लखनऊ से शुरू की गई जबकि कानपुर से शुरू की जानी चाहिए थी। इस प्रकार का निर्णय उचित नहीं है। कानपुर के यात्रियों के लिए कानपुर से सेवा प्राप्त होनी चाहिए। एक दिन कानपुर और एक दिन लखनऊ कर दें तो भी अच्छा रहेगा। मैं समझता हूं कि जनसंख्या के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए विभिन्न विमानपत्तनों में इस बात की व्यवस्था करें, जिससे भीड़ कम हो सके। कई बार तो विमानपत्तन पर दो-दो या तीन-तीन हजार आदमी दिखाई पड़ते हैं जबकि बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं होती। हालत यह है, कि रेलों के समय में सुधार हो गया है लेकिन विमानों में जिनमें समय की बहुत बड़ी कीमत होती है पांच-पांच या छह-छह घन्टे लेट हो जाते हैं। इस प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि विमानों की सेवाओं में चुस्ती लाई जानी चाहिए। कुशल चेयरमैन और कुशल मैम्बर कैसे होंगे, इसकी

व्यवस्था मंत्री महोदय स्वयं देखें। अंशकालिक और पूर्णकालिक सदस्यों की बात भी कही गई है। मेरा निवेदन यह है कि विमानों की यात्रा करने वाले अधिकतर नागरिक हैं, कम से कम एक सदस्य उनमें से भी होना चाहिए ताकि इस प्रकार की दिक्कतों के बारे में ध्यान आकर्षित कर सकें। सामान के बारे में भी यहां पर कहा गया है। दो घन्टे की यात्रा प्लेन में होती है लेकिन एक घन्टा अपना सामान लेने के लिए खड़ा रहना पड़ता है। मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन तथा स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण का गठन सही दिशा में उठाया गया एक बुद्धिमत्तापूर्ण कदम है। माननीय मंत्री ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश करते समय इस प्राधिकरण से बहुत आशा व्यक्त की है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। वस्तुत: यह अधिक आशा करना नहीं बल्कि कम आशा करना है। अत: मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि उन्हें प्राधिकरण से बहुत आशाएं हैं क्योंकि वह कर्मठ हैं। मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक ही होगा। कुछ बातों पर ध्यान रखा जाना जरूरी है। विधेयक के खण्ड 12 में प्राधिकरण के कार्यों का उल्लेख है और इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसका काम विभिन्न हवाई अड्डों का निर्माण, रखरखाव तथा प्रबंध करना होगा। महोदय, घरेलू हवाई अड्डों के निर्माण, रखरखाव तथा प्रबंध का सुरक्षा से संबंध है। हमारे यहां एक और निदेशालय है— नागर विमानन (सुरक्षा) निदेशालय। अब समुचित समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन विभिन्न निकायों या यूनिटों की भूमिका क्या होगी। आप नागर विमानन (सुरक्षा) निदेशालय द्वारा किए जाने वाले सुरक्षा कार्यों से संबंधित उत्तरदायित्वों का निर्धारण किस प्रकार करेंगे। साथ ही विभिन्न हवाई अड्डों के निर्माण, रखरखाव तथा प्रबंध के लिए हमारे पास यह राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण भी है और इसके साथ भी सुरक्षा का प्रश्न जुड़ा हुआ है। अत: मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस संबंध में हमारे पास स्पष्ट मार्ग निर्देश होने चाहिए। जब भी नियम तथा विनियम बनाए जाएं तो प्राधिकार, उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण के बारे में स्पष्ट निर्देश होने चाहिए तथा समुचित समन्वय की भी व्यवस्था की जाए। नागर विमानन महानिदेशक (सुरक्षा) को भी इस बोर्ड का सदस्य बनाया जाए ताकि सही ढंग से समन्वय हो सके।

इस समय हम विधेयक पर विचार कर रहे हैं अत: उन्हें किसी न किसी रूप में इस बोर्ड में लिया जाए ताकि वह यह देख सकें कि समन्वय है या नहीं क्योंकि मैंने देखा है कि विभिन्न हवाई अड्डों पर समन्वय का अभाव है।

महोदय, कार्यों के लिए भी दोहरी व्यवस्था की गयी है। उदाहरण के लिए आप खण्ड 12 उप खण्ड (तीन) (च) देखिए जिसके अनुसार—

> 'हवाई अड्डों पर या उनके पास होटल, रेस्तरां तथा विश्राम-कक्ष बनाना तथा उनका रख-रखाव करना"

[श्री जी० एम० बनातवाला]

विश्राम कक्ष की बात तो समझ में आती है लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि यह प्राधिकरण होटल निर्माण तथा रखरखाव के लिए आगे क्यों आ रहा है। इसके लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम है ही और इससे प्रतियोगिता के लिए भारतीय होटल निगम भी है इन अंतसरकारी निगमों में काम के मामले में प्रतिस्पर्धा है जोकि व्यर्थ में ही है। हम सरकार से कहते रहे हैं कि भारतीय होटल निगम का विलय भारतीय पर्यटन विकास निगम में कर दिया जाए या इसका प्रबंध ग्रहण उसे सौंप दिया जाए। लेकिन हो क्या रहा है कि होटल और रेस्तरां चलाने के लिए, जबकि यह काम भारतीय पर्यटन विकास निगम को सौंपा जा सकता है, एक और प्राधिकरण बनाया जा रहा है। इसलिए मैं यह अवश्य कहूंगा कि इससे बचा जाए। इसी तरह कार्यों के अन्तर्गत हम देखते हैं कि इस प्राधिकरण का एक और काम देश तथा विदेश में हवाई अड्डों आदि की योजना तथा उनके विकास के बारे में परामर्शदात्री सेवा का विकास करना और उपलब्ध कराना है। अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण भी यही काम करता है। तब यह दोहरा काम क्यों? जहां तक विदेशों में स्थित हवाई अड्डों का संबंध है परामर्श सेवायें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के पास रहे और इसमें इसकी व्यवस्था न की जाये जिससे कार्य दोहरा हो जाये।

इस समय घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर प्रबन्ध ठीक नहीं है। अतः हमारे विमान-त्तपनों पर विद्यमान कुप्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं की जांच करने की बहुत जरूरत है। दिल्ली में भी, हवाई अड्डे पर बहुत सी एजेंसियां 40-50 एजेंसियां काम कर रही हैं और वे तथा उनके कर्मचारी इस बात को दर्शाते हैं कि वहां कितना कुप्रबंध है। अतः मैं हवाई अड्डों पर विभिन्न ऐजेंसियों के कार्यों को पुनर्गगिठत करने तथा उत्तरदायित्व और नियंत्रण के बारे में स्पष्ट निर्देश जारी करने के बारे में जोर देना चाहता हूं ताकि हवाई अड्डों पर माल तथा यात्री सेवा यथासंभव कार्यकुशलता के साथ चल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री जी० एम० बनातवाला : आपने घंटी पहले ही बजा दी है। वाद-विवाद के अंत में बोलने वाले सदस्यों की स्थिति तो देखिए।

मैं यह बात जोर देकर कहता हूं कि जहां तक हमारे हवाई अड्डों का संबंध है वहां अनेक कमियां हैं। उदाहरण के लिए हमें विभिन्न हवाई अड्डों पर 'बैगेज डिकम्प्रेशन यूनिट' बनाने की जरूरत है। सुरक्षा कार्यों के लिए पर्याप्त इलैक्ट्रानिक उपकरणों की हमें आवश्यकता है। मैं तो कहूंगा कि हमारे बहुत से हवाई अड्डों में इसकी सुविधा नहीं है।

मैं इस अवसर पर युवा और कर्मठ मंत्री से जोर देकर कहूंगा कि निर्माणाधीन हवाई अड्डों पर तेजी से काम करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए केरल में कालीकट के पास बन रहे हवाई अड्डे के निर्माण में पहले ही देरी हो चुकी है और अभी भी काम इतनी धीमी गति से हो रहा है कि सन्देह है कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार काम पूरा हो पाएगा। शिमला दूसरा उदाहरण है। वहां काम तेजी से होना चाहिए।

मैं इस बात पर भी जोर दूंगा कि नागर विमानन निदेशालय (सुरक्षा) को विशेष रूप से मजबूत किया जाना चाहिए। पर्यटन और नागर विमानन की संसदीय परामर्शदात्री समिति का एक उपदल बनाया गया था। मैं उस उप-दल का सदस्य था और इस दल ने सुरक्षा संबंधी विभिन्न पहलुओं पर विचार करके अपनी रिपोर्ट पेश की थी। मैं माननीय मंत्री से जोर देकर यह कहना चाहता हूं कि वह देखें कि इस उप-दल की विभिन्न सिफारिशें यथा शीघ्र लागू की जाएं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधान का समर्थन करता हूं और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। इस दिशा में उनकी सफलता देश में नागर विमानन की सफलता है।

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्र नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में हमने बहुत गरमागरम बहस सुनी विशेषकर नौकरीशाही व्यवस्था के पक्ष तथा विपक्ष में। मुझे 'पारकिन्सन नियम' की याद आ गई जिसके अनुसार नौकरशाही स्वयं बढ़ती जाती है और उसके लिए काम ढूंढना पड़ता है। लेकिन इस मामले मे मैं कहूंगा कि इस विधेयक में जो कुछ परिकल्पित किया गया है वह न केवल सही बल्कि जरूरी भी है। हम सभी को नौकरशाही का अनुभव है कि इसके कारण किस तरह विकास कार्यों में विलम्ब होता है। ऐसे गतिरोध को दूर करने के लिए एक मात्र उपाय इस तरह का स्वायत्त शासी निकाय ही है। इसलिए इस विधेयक को तैयार तथा प्रस्तुत करने के लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं और मुझे विश्वास है कि जिस उत्साह के साथ इसे पेश किया गया है उससे देश में परिवहन तथा पर्यटन के विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

इस चर्चा में एक अतिमहत्वपूर्ण और मूल बात रह गई है। मेरे विचार से हम उसे नजरअंदाज कर गए हैं। मुझे इंडियन एयर लाइन्स की सेवाओं के बारे में दिए गए सुझावों को सुनकर निराशा हुई है।

यह विधेयक इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कार्यकरण के बारे में नहीं है। हम विमान पत्तन प्राधिकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे देश के सभी हवाई अड्डे चाहे वे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या स्थानीय सेवाओं के लिए हों, आने वाले वर्षों में यातायात को सम्भालने में अपर्याप्त होंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है परिप्रेक्ष्य योजना जिसके अनुसार आप हवाई अड्डों की योजना बनायें ताकि अब से दस, पन्द्रह या बीस वर्षों बाद भी हमारे हवाई अड्डों की भूमि पर जबरन कब्जा करके कालोनियां व बस्तियां न बन जायें। जमीन बहुत मंहगी है और आप हवाई अड्डे को किसी और जगह स्थानान्तरित नहीं कर सकते। उसे तो वहीं रहना होता है। हर जगह हम यही देख रहे हैं तथा मैं ऐसे एक नहीं दसों मामले बता सकता हूं जहां ऐसा हो रहा है। चारों तरफ झुग्गियां, झोपड-पट्टियां बनी हुई हैं तथा आप हवाई-अड्डों का विस्तार नहीं कर सकते। आप रात में हवाई जहाज उतारने की सुविधा के बारे में बात कर रहे हैं। आप इस सुविधा को तब तक नहीं ला सकते जब तक कि आप टरमक (हवाई पट्टी) को लम्बा नहीं करते तथा हवाई जहाजों को उतारने के लिए फनल की व्यवस्था नहीं करते। परन्तु उस अतिरिक्त भूमि पर पहले ही कब्जा किया जा चुका है। मैं चाहता था कि श्री दत्ता सामंत यहां उपस्थित होते और झोपड़-पट्टी वालों के बारे में कही गयी बातें सुनते जोकि सभी जगह फैलते जा रहे हैं।

[श्री दिग्विजय सिंह]

मेरे विचार से इस बात को महसूस करने का यह सही समय है कि यह निगम हवाई अड्डों को बनाने की योजना अगले दस या पन्द्रह वर्षों को मद्दे नजर रखते हुए बनाये। आज अगर आप पाते हैं कि हवाई अड्डे के चारों तरफ इस तरह लोग बसे हुए हैं तो इसका कोई उपचार नहीं है। तब तो नया हवाई अड्डा बनाना अच्छा रहेगा। परन्तु आज से बीस वर्ष बाद इस कार्य के लिए जमीन ढूंढना एक नामुमकिन कार्य होगा। सम्पूर्ण भारत में सारे शहरों की आबादी अन्धाधुन्ध बढ़ती जा रही है।

एक और मुद्दा अत्यन्त महत्वपूर्ण परन्तु खतरनाक भी है, जिस पर इस चर्चा के दौरान रोशनी नहीं डाली गयी। वह है—हवाई जहाजों से पक्षियों का टकराना। मैंने व्यक्तिगत रूप में इस बात के लिए संघर्ष किया है। झोपड़-पट्टियों, जबरन कब्जा एवं इस तरह के लोगों के बसने से वहां पर गीध, कौवे, चील आदि आते हैं तथा ये ही हवाई-जहाजों से टकराते हैं। पूरे विश्व के किसी भी अन्य देश में गीध सड़ा-गला कूड़ा-करकट खाने वाले तथा मरे हुए जन्तुओं को खाने वाले पक्षी, आवारा कुत्ते या पक्षी, फालतू घूमते जानवरों की हवाई अड्डों के नजदीक इतनी समस्या नहीं है जितनी भारत में है तथा हवाई अड्डों के नजदीक जब तक इस तरह की आबादी बसी रहेगी तब तक इस तरह की और भी ज्यादा मुसीबतें पैदा होंगी। आपको पहले से ही इन बातों पर अच्छी तरह विचार करना चाहिए।

मैं आपको एक-दो सुझाव दूंगा। क्योंकि हम नये निगम का गठन करने की बात कर रहे हैं। इससे पहले कि हम नये हवाई-अड्डे बनायें हमें यह देखना चाहिए कि विद्यमान हवाई-अड्डों पर पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं उपलब्ध हों। यहां काफी हवाई-अड्डे हैं परन्तु किसी भी हवाई अड्डे पर सामान रखने की कोई सुविधा नहीं है। सामान रखने की सुविधा बम्बई हवाई-अड्डे पर भी समाप्त कर दी गई है। टेलीफोन सेवा का भी अभाव है। हवाई-अड्डे से शहर तक जाने-आने के लिए यातायात सुविधा एकदम खराब है। महोदय, यह और भी जरूरी है क्योंकि मुझे याद है अप्रैल में, इस वर्ष बजट अधिवेशन में मैंने एक सुझाव दिया था कि हमारे देश में ग्रुप में आने वाले पर्यटकों के लिए नियमों में ढील दी जाये। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि अप्रैल में दिये गये मेरे सुझाव को मान लिया गया है तथा हम आशा करते हैं कि हमारे देश में इस तरह के पर्यटकों के और भी ग्रुप (चार्टर्स) आयेंगे तथा इन पर्यटकों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जाने की जरूरत न रहे जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अत: भविष्य में जब इस तरह के पर्यटकों के दल जब ज्यादा संख्या में हमारे देश में आने लग जायेंगे तो हमें सभी बुनियादी चीजों की जरूरत होगी। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य परमिट, प्रवास परमिट तथा विदेश मंत्रालय से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए विभिन्न प्राधिकरणों के बीच समन्वय रखना तथा उनके बारे में भी देखना जो लोग यहां आ जाते हैं तथा वापस नहीं जाते। इन बातों के बारे में अत्यन्त सावधानीपूर्वक योजना बनायी जानी चाहिए।

मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि यह एक उत्कृष्ट एवं अच्छी तरह विचारा गया प्रस्ताव है तथा मैं इस बात से निश्चित हूं कि इस निगम को चलाने के लिए तथा हमारे देश के नागर विमानन को पूरी तरह मजबूत बनाने के तथा गैर-अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से हवाई यातायात में वृद्धि करने और उसे बेहतर बनाने के लिए गतिशील व्यक्ति उपलब्ध होंगे।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि वह नये मंत्री बनने के बाद अरंगल पधारे और हैदराबाद और वरंगल के बीच में 15 अक्तूबर को वायुदूत सेवा का उद्घाटन किया। मुझे इस अवसर पर जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि मुझे निमंत्रण-पत्र समय पर नहीं मिला। मैं उन दिनों दिल्ली में था, इसलिए मैं अब अपनी और वरंगल वासियों की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं।

अब मैं कुछ चन्द सुझाव देना चाहूंगा। हैदराबाद एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मांग काफी समय से चल रही है, इसलिए मेरी मांग है कि इसको शीघ्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाये और वहां पर कारगो का भी इंतजाम होना चाहिए ताकि अंडे, अंगूर और तरकारी आदि डायरेक्ट सऊदी अरब आदि देशों या गल्फ देशों में भेजी जा सके। आजकल यह सब चीजें बम्बई होकर भेजी जाती है जिससे वैस्टीड़ इंट्रस्ट वाले लोग पूरा फायदा उठा लेते हैं। इससे किसानों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह इस ओर अवश्य ध्यान दें। मुझे पूरा विश्वास है कि वह हमारे किसानों के हित के लिये कुछ-न-कुछ कदम अवश्य उठायेंगे।

कुछ दिनों पहले हैदराबाद के वासियों ने यह कहा था कि यह जो तरकारी का एक्सपोर्ट किया जाता है, उससे हमें खाने को तरकारी नहीं मिलती है, इसलिए यह एक्सपोर्ट बंद होना चाहिए। इससे भी किसानों को काफी नुकसान हो रहा है और फारेन एक्सचेंज भी नहीं मिल पा रहा है। एक्सपोर्ट होने से आप किसानों को ऊपर उठा सकेंगे और फारेन एक्सचेंज भी काफी मात्रा में आपको मिल जायेगा।

भारतवर्ष में जितने अंडे होते हैं उसमें से 50 प्रतिशत से ज्यादा आन्ध्र प्रदेश में होते हैं। इसलिए बीच में जो व्यापारी उनका शोषण कर रहे हैं पोल्ट्री फार्म वालों का या अंगूर पैदा करने वालों का, तरकारी पैदा करने वालों का उनसे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट के भी कारगो का इंतजाम हैदराबाद से करें तो बहुत ही अच्छा होगा। यह मैं मंत्री महोदय से आशा करता हूं।

साथ ही साथ आप जितनी वायुदूत सेवाओं का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं वह नजदीक वाले रूट्स के ऊपर कर रहे हैं। लम्बी दूरी वालों के बीच में भी इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हैदराबाद से आज आदिलाबाद जाने में 12 घंटे लगते हैं। बस से सफर करना पड़ता है। कोई रेल भी नहीं है। आपने हैदराबाद से नांदेड़ तक वायुदूत सेवा इंट्रोड्यूस की है। इसी प्रकार से आपको आदिलाबाद के लिए भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ऐसे ही हैदराबाद से वारंगल और वारंगल से राजामंडी यह वायुदूत सेवा होनी चाहिए। हैदराबाद से आदिलाबाद और आदिलाबाद से नागपुर के लिए भी इस वायुदूत सेवा को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। साथ ही इस वायुदूत का समय दिल्ली की फ्लाइट से लिंक होना चाहिए। यह उसकी टाइमिंग्स को ऐडजस्ट करके कर सकते हैं। यह फ्लाइट सुबह के वक्त ही होनी चाहिए जिससे कार्यालय जाने वालों को सुविधा हो। जैसे वारंगल का वायुदूत हैदराबाद से ढाई बजे निकलता है और वारंगल तीन बजे पहुंचता है। सवा तीन बजे वहां से चलकर हैदराबाद पौने चार बजे

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

पहुंचता है। तो इससे आफिस जाने वालों को कोई लाभ नहीं होता है, उनका इससे कोई काम नहीं बनता है। इसीलिए आने जाने वाले कम होते हैं। इसलिए इसको सुबह रखिए या सायंकाल रखिए जिससे आफिस आने जाने वालों का काम चल सके। इसके समय में परिवर्तन होना चाहिए।

मेरी तो यह अर्ज है और अन्तिम विनती यही है कि हैदराबाद को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना कर किसानों के लिए एक वरदान बनिए। सभापति महोदय ने मुझे समय दिया, उसके लिए उनको धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से हमें यह विधेयक आज ही समाप्त करना होगा।

कुछ माननीय सदस्य : क्यों?

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत से विधेयक हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कल क्यों नहीं?

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : अब सिर्फ मन्त्री जी का जवाब देना बाकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आधे घन्टे के अन्दर समाप्त हो जाएगा। हम सिर्फ आधा घन्टा बढ़ा रहे हैं। आधा घन्टा बढ़ाने के बाद हम आगे निर्णय लेंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : कभी-कभी तो ऐसा ठीक है। परन्तु हर रोज हम देर तक नहीं बैठ सकते।

नागर विमानन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाइटलर) : मेरे लिए आज आप देर तक बैठ जाइये।

सबसे पहले मैं उन सभी सदस्यों को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है एवं सुझाव दिये हैं। जहां तक मैं समझता हूं बहुत से सुझाव काफी लाभप्रद हैं। लेकिन मैंने माननीय सदस्यों के सभी सुझावों को नोट कर लिया है। काफी सारे सुझावों का इस विधेयक से सीधा संबंध नहीं है। परन्तु उन सुझावों के लिए यह अच्छा अवसर है। मैं आपको आश्वासन दूंगा कि सभी सुझाव चाहे वे नई सेवाएं शुरू करने, वायुदूत या सीधी सेवाओं आदि के चलाने के बारे में हों, उन पर ध्यान दिया जायेगा।

दक्षिण से आने वाले कुछ सदस्यों ने बताया है कि धार्मिक स्थलों में सम्पर्क स्थापित करने के लिये हम हेलीकाप्टर निगम का उपयोग कर सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि

हमारा हेलीकाप्टर निगम अगले वर्ष अक्तूबर से अपनी सेवाएं प्रारंभ करेगा। इसका निर्णय हम पहले ही कर चुके हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए भी हम इनकी सेवाओं का उपयोग करेंगे। परन्तु मैं समझता हूं कि अगर इस हेलीकाप्टर निगम की सेवाओं को वृद्ध लोगों तथा अन्य व्यक्तियों के लिए जो धार्मिक स्थलों पर जाना चाहते हैं पर अन्य साधनों से वहां जा नहीं सकते, उनके लिये उपयोग में लाया जाये तो अच्छा होगा।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : जैसे कि हमारा इलाका है।

श्री जगदीश टाइटलर : जी हां, आपके इलाके जैसे ही।

6.00 म० प०

आज जो शिकायतें सदन में बताई गईं वे ट्रेवलिंग एजेन्टों, टिकटों की अनुपलब्धता, कम्प्यूटरों का काम न करना तथा हवाई अड्डों पर विभिन्न दिक्कतों के बारे में थीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ इस बात से सहमत होंगे कि सुरक्षा सबसे पहली चीज है, यह बात न सिर्फ सदस्यों को ही ध्यान में रखनी चाहिये अपितु सारे राष्ट्र को, सभी व्यक्तियों को जो कि हवाई जहाजों में यात्रा करते हैं, इस बारे में सोचना चाहिये। चूंकि मैं इस विभाग में अभी-अभी आया हूं, मैंने आदेश दिये हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई गलती नहीं होनी चाहिये। वे इस मामले से कठोर (सावधान) हो गये हैं परन्तु इसमें उनका व्यवहार रूखा होने का कोई कारण नहीं है। मेरे पास भी कुछ ऐसे मामले आये हैं जिनमें न सिर्फ संसद सदस्यों के साथ अपितु जन साधारण के साथ भी रूखा बर्ताव किया गया है। परन्तु हमने इस बारे में उचित कार्यवाही की है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जब कभी भी कोई उदाहरण मेरे पास लाया जायेगा तो मैं यह पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर कार्यवाही की जाये।

मुझे खुशी है कि डा० दत्ता सामंत यहां मौजूद हैं। सरकारी जमीन पर झुग्गी-झोंपड़ियों के बारे में मैं अपना अनुभव बताऊंगा। किसी भी व्यक्ति को बेघर करने का हमारा इरादा नहीं है। गरीब व्यक्ति को बेघर करने वाला मैं अन्तिम व्यक्ति हूं। परन्तु आप कब तक इन गन्दी बस्तियों को पनपने देंगे? कब तक आप इन लोगों को गन्दी बस्तियों में रखे रखेंगे? आपको एक सुव्यवस्थित योजना बनानी होगी जिसमें ये अपनी भूमि के मालिक हो सकें, जहां ये अच्छी तरह रह सकें, इनके बच्चों के लिये उचित स्कूल, रोजगार, परिवहन सुविधाएं हों ताकि वे जीवन में आगे बढ़ सकें। मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र का अनुभव है जहां पर एक पाकेट में 5 से 10 हजार तक व्यक्ति रहते हैं। वे वहां पर पिछले 30 वर्षों से रह रहे हैं। मैंने उनके लिए निश्चित योजना बनाई। उनके पास 25 वर्ग गज भूमि है। परन्तु योजना के अनुसार सभी सुविधाओं के साथ मैंने उन्हें वहां स्थानान्तरित करवाया तथा जो भूमि हमने उन्हें दी है उसके लिए अगले 15 वर्षों में उन्हें 2000 रुपये का भुगतान करना है। उस जमीन को आज आप 50,000 रुपये में भी नहीं खरीद सकते।

अत: जब मैं बम्बई गया, यह बात हमारे सदस्यों द्वारा बताई गई थी। मुझे मालूम है समाचार-पत्रों में इस बात को छापा जा रहा है। स्थानीय प्राधिकरण उन्हें वहां से हटा रहे हैं। उनका कहना था कि हम उन्हें यहां प्रवेश नहीं करने देंगे। एयर इण्डिया तथा एयरलाइन्स के अपने कार्यालय में जाने

[श्री जगदीश टाइटलर]

के बजाय मैंने अपना ज्यादातर समय 6000 झुग्गी-झोंपड़ियों वाले लोगों के बीच गुजारा। मैंने नेताओं से बात की। मैंने कहा, देखिये आप कितने दिनों तक इन गन्दी बस्तियों में अपने बच्चों को रख सकते हैं ? आप एक ही जगह पर खाना पकाते हैं उसी जगह पर खाते हैं तथा अन्य कार्य भी उसी स्थान पर करते हैं। आपकी बड़ी-बड़ी लड़कियां हैं वे रात को उठकर बाथरूम तक भी नहीं जा सकतीं। अतः मैंने उनकी हालत देखी है। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है परन्तु नैतिक कर्त्तव्य की वजह से मुझे दुःख है। मुझे उस भूमि से भी मतलब नहीं है जो कि विमान पत्तन प्राधिकरण के कब्जे में नहीं है।

डा० दत्ता सामन्त : इस तरह के 50 लाख लोग हैं।··· (**व्यवधान**)

श्री जगदीश टाइटलर : नैतिक तौर पर मुझे उन लोगों के लिए बहुत दुःख है जो कि सरकारी जमीन पर नहीं अपितु प्राधिकरण की जमीन पर रह रहे हैं; यह विमान पत्तन प्राधिकरण की भूमि है। अब हमें हवाई-अड्डे का विस्तार करना है। आपकी हर बात के लिए मेरे पास जवाब है क्योंकि मैं इन लोगों के लिए काफी चिन्तित हूं, राजनैतिक रूप में कम किन्तु मानवीय तौर पर ज्यादा। क्योंकि मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए यह कार्य किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि ऐसा बम्बई में भी किया जा सकता है। अत: जब मैं वहां गया था तो मैंने कहा आपको टैक्सी मार्ग बनाना होगा, हमें टैक्सी मार्ग की अत्यन्त आवश्यकता है। इसको बनाने के लिए मार्ग में 3000 झुग्गियां हैं। मैंने महाराष्ट्र सरकार से सम्पर्क किया। मैंने नागर विमानन के सचिव को साथ लिया मेरे साथ आवास मन्त्री, श्री सुब्रह्मण्यम भी थे। मैंने कहा कोई भी व्यक्ति यहां पर बुलडोजर नहीं चलायेगा। यह हमारा नैतिक कर्त्तव्य है कि उनका उचित ढंग से सम्मानपूर्वक पुनर्वास किया जाये। निर्धन व्यक्तियों की भी इज्जत होती है। उन्हें उस जगह पर बसाया जाये जो विकसित क्षेत्र हो न कि अन्य गन्दी बस्ती में। हम एक और नई गन्दी बस्ती नहीं बनाना चाहते। अन्यथा यह जिम्मेदार व्यक्ति के सोचने का ढंग नहीं होगा। परन्तु हम उन्हें इस तरह से बसायें ताकि बम्बई में उनके पास 25 वर्ग गज की भूमि हो वे उसके मालिक हों।

उन्हें समझना चाहिए कि यह तलवार उन पर नहीं लटक रही है। अगर कोई व्यक्ति जाता है और कहता है कि वह कुछ करेगा, अथवा एक दल कहता है कि वह कुछ करेगा, तो यही सब कुछ नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि अगला चुनाव पांच वर्ष बाद होगा। मैं किसी बात का वायदा नहीं कर रहा हूं। जो मैं कहता हूं वह सोचकर कहता हूं और वह मुझे करना चाहिए। इसे अभी करना है। मैंने उन्हें कहा कि जहां भूमि की आवश्यकता है, हम 25000 लोगों के लिए भूमि तैयार करेंगे। एक स्थान पर हमें भूमि की जरूरत है। हम हवाई पट्टी को बढ़ाना चाहते थे। हम वहां पर आधुनिकतम सुविधायें उपलब्ध कराना चाहते थे। हम वहां पर एक मार्ग बनाना चाहते थे जहां पर विमान मुख्य विमान क्षेत्र में जा सके।

उस स्थान का विकास करने के बाद हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वहां पर स्कूल हों, कुछ लघु उद्योग वहां पर हों, औद्योगिक भूखंड वहां पर हो, ताकि वे कुछ काम पा सकें। मैंने अक्सर महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि उसे इन लोगों के लिए रियायती दर पर परिवहन का प्रबन्ध करना चाहिए, ताकि वे नगर को वापस जा सके अथवा जहां पर वे काम करते हैं और आप देखेंगे कि समय आयेगा

जब वे सभी खुश होंगे और वे कहेंगे कि "ये हमारे घर हैं; यह मेरा घर है।" हमने दिल्ली में ऐसा किया था जब सात लाख लोगों को भेजा गया था। निस्संदेह शोरगुल मचाया गया था। आप उनसे पूछिये। दिल्ली में ऐसे लोग हैं। बड़े गांवों पर प्रभाव पड़ा था। यह हो सकता है कि इसे सरलता से करना सम्भव न हो। वे अब कह सकते हैं कि "हम प्रतिष्ठित स्थानों में रह रहे हैं जहां हम कह सकते हैं कि यह जमीन का टुकड़ा हमारा है।" हम चाहते हैं कि गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग अब गन्दी बस्तियों में न रहें। परन्तु यह जिम्मेदारी आपकी है। श्रम नेताओं को यह करना होगा। उन लोगों का भविष्य सुधारने में आप मेरी मदद करें।

डा० दत्ता सामंत : कोई भी वहां पर उनके लिए मकान नहीं बना रहा है। वहां पर विभिन्न वर्गों के 55 लाख लोग हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : किसी ने भी हमें ठीक योजना नहीं दी।

डा० दत्ता सामंत : उस भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दीजिए। सांता क्रूज के पास बहुत जमीन पड़ी है। अब आप जो प्रस्ताव कर रहे हैं वह आप कहीं और कर सकते हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : मैं उनके लिए आवश्यक बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने की आशा रखता हूं। दिल्ली में हमने ऐसा ही किया था। प्रत्येक संबंधित व्यक्ति आपकी तरह से चिल्ला रहा था : वैसा ही अब आप कर रहे हैं। मैं आपसे मिलकर बात करूंगा। हमने उनसे भी कहा था कि हम वहां पर जाकर उनसे बात करेंगे। परन्तु उस समय हमारी सरकार सत्ता से हट गई थी। आपको मालूम है कि क्या हुआ है। परन्तु अब स्थिति को देखिए। वे बहुत खुश हैं। हमें यह मानवोचित तरीके से करना होगा। बीस वर्ष बाद वे खुश होंगे। इसके बिना क्या होगा? मैं आपकी मदद चाहूंगा।

डा० दत्ता सामंत : भूखंड होटलों के लिए दिये जाते हैं। परन्तु इसकी आवश्यकता हवाई अड्डे को है।

श्री जगदीश टाइटलर : जो मैं कहना चाहता था उनमें से एक बात यह है। श्री बनातवाला ने कहा है कि वहां पर एक सुरक्षा कार्य निदेशक होना चाहिए। मुझे भी मालूम है कि सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि जो लोग विमानों में यात्रा कर रहे हैं उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि वे सुरक्षित हैं। परन्तु सुरक्षा महानिदेशक स्थानीय पुलिस के अधीन कार्य कर रहा है। वे हमारी अधीन नहीं है। परन्तु वे भी हमारे साथ समन्वय तथा सहयोग कर रहे हैं। मैंने यह सुझाव नोट कर लिया है कि उन्हें भी इस प्राधिकरण का सदस्य बनाया जाना चाहिए। मैं इस पर विचार करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि यह काम हो।

अब दूसरे भाग के बारे में, सुरक्षा सम्बन्धी उप-दल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और कार्य-वाही की जा रही है और मुझे आशा है कि समिति की सिफारिशें—जिन पर हमने विचार कर लिया है—स्वीकार कर ली जायेंगी।

[श्री जगदीश टाइटलर]

श्री नरेश जी ने खातों के लेखा-परीक्षा के बारे में उल्लेख किया है। हमने खण्ड 24 में उल्लेख किया है कि यह काम महालेखापरीक्षक द्वारा किया जायेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि ये महा-लेखा परीक्षक के कार्यक्षेत्र से बाहर हो जायेंगे।

एक माननीय सदस्य दिल्ली से मद्रास सीधी विमान सेवा चाहते थे। इसे शुरू किया जा सकता है। मैं आपको अभी आश्वासन दे सकता हूं। परन्तु पर्याप्त यात्री जुटाने होंगे। यह अब पहले से ही चालू दो एयर-बस की उड़ानों के अतिरिक्त है।

एक माननीय सदस्य : अभी भी एक उड़ान पहले से ही है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक लम्बी दूरी है। उन्हें चार घटे व्यतीत करने पड़ते हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : फिर भी जो उड़ान आप चाहते हैं मैं उसकी जांच करा सकता हूं परन्तु हमें देखना होगा कि पर्याप्त यात्री उसके लिए उपलब्ध हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि प्रत्येक सदस्य निवेदन कर रहा है इसीलिए मैं भी मद्रास से दिल्ली के लिए सीधी उड़ान का निवेदन कर रहा हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला : अध्यक्ष पीठ से यह निवेदन नहीं बल्कि एक निर्देश है।

श्री जगदीश टाइटलर : मैं इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा। मेरे विचार में ऐसा किया जाना चाहिए।

एक प्रश्न परामर्श संबंधी शक्तियों पर उठाया गया था। इसे विमान संचालन जैसी सेवाओं के लिए रखा गया है जो अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध नहीं की जाती हैं। इसी कारण इसे रखा गया है।

कलकत्ता विमान पत्तन के बारे में यह कहा गया है कि यह पूर्ण रूप से सुसज्जित नहीं है। एक बड़ा टर्मिनल भवन उपलब्ध है। हवाई अड्डा सभी तरह के मौसम में कार्य करने के लिए पूर्णतया सुसज्जित है। 'इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग प्रणाली' तथा राडार उपलब्ध है तथा सभी सुव्यवस्थित हैं। परन्तु कुछ एयरलाइनों, जो प्रत्यक्ष रूप से भारत सरकार अथवा डी० जी० सी० ए० अथवा नागर विमानन के नियन्त्रणाधीन नहीं है, का यह निर्णय है कि कौन से हवाई अड्डों को वे अपने विमान भेजने के लिए चुनें। जब समझौता किया जाता है तो यह उल्लेख नहीं किया जाता कि आपको दिल्ली अथवा बम्बई से विमान संचालन करना होगा। मैं पहले से ही इसके बारे में बहुत चिंतित हूं क्योंकि मेरे दल के कई सदस्य पहले ही मिल चुके हैं और उन्होंने मुझसे कहा था कि कुछ एयरलाइनों को राजी करने की कोशिश करें। कलकत्ता विमान पत्तन को प्रयोग करने के लिए हमारी एक या दो एयरलाइनों से बात-चीत चल रही है।

श्री मोहन चाहते थे कि विमान पत्तनों में सुरक्षा की और सुविधायें सम्मिलित की जायें। उन्होंने ट्रैवल एजेंटों के बारे में भी चर्चा की है जिसका मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। मैं सुनिश्चित करूंगा कि जिन कठिनाइयों का उन्होंने उल्लेख किया है वे भविष्य में न हों।

मैं देख रहा हूं कि वित्त मन्त्री चले गये हैं। मैं चाहता हूं कि वह मुझे और अधिक धन दें ताकि हम और अधिक विमान खरीद सकें, अधिक सुविधायें दे सकें तथा,कुछ विमान पत्तनों में जिन सुविधाओं की कमी है उनमें सुधार कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : यह जानकर कि आप धन की मांग करेंगे वह चले गये हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : श्री नामग्याल ने लेह में हवाई अड्डे के सम्बन्ध में कहा है। वायु सेना ने एक अभ्यावेदन दिया है जिस पर मैं पहले ही विचार करने जा रहा हूं। लेह में जो नया भवन बनाया गया है। उसका वे क्यों प्रयोग नहीं कर रहे हैं उसका कारण पूरे भवन का तैयार न होना है। हवाई अड्डे को जोड़ने वाली कोई सड़क नहीं है। चूंकि हवाई अड्डा वायु सेना के अधीन है मैं इस पर उनसे बातचीत करूंगा।

श्री पी० नामग्याल : एयर टर्मिनल भवन तथा जहां पर सामान्य तौर पर विमान खड़े होते हैं, उसके बीच अधिक दूरी नहीं है। यह मुश्किल से 50 मीटर है अतः कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी अधिकारी को यह दूरी पता लगाने के लिए प्रतिनियुक्त करें···

श्री जगदीश टाइटलर : इस बात को मैंने पहले ही नोट कर लिया है और हम इसे कर देंगे।

श्री नारायण चौबे ने खंड 34 का उल्लेख किया था। इस खंड का प्रयोग केवल तभी किया जायेगा जब सरकार इस बात से संतुष्ट होगी कि बड़ी अव्यवस्था है। ऐसा खंड पहले से ही अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम में है जिसे अभी तक प्रयोग में नहीं लाया गया है। मैं नहीं समझता कि इसका भी गलत इस्तेमाल किया जायेगा। यह विधेयक वैसा ही है जैसा कि 1971 का अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम है जो कसौटी पर खरा उतरा है। अतः इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अतः, मैं समझता हूं कि मैंने लगभग पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित बात को छोड़कर सभी बातों का उत्तर दे दिया है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : मैं शिमला के एयरपोर्ट के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री जगदीश टाइटलर : शिमला के बारे में मैं जवाब दे देता हूं। वह एयरपोर्ट 6-7 महीने में तैयार होगा। उसको भी हम चालू कर देंगे।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला : कालीकट के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री जगदीश टाइटलर : उसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मैं इसका पता लगा कर आपको बता दूंगा··· (**व्यवधान**)। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यात्री काफी नहीं मिलते हैं परन्तु मैं इस बात से अधिक चिन्तित हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए। माननीय प्रधान मन्त्री भी यह चाहते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी और अधिक संख्या में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को मुख्य धारा में शामिल किया जाये। इस हेलिकाप्टर कारपोरेशन का एक यह फायदा है कि यह उन क्षेत्रों में अपनी सेवायें उपलब्ध करा सकता है जहां हवाई अड्डे बनाना कठिन है। जैसे ही हमें कुछ डोनियर विमान तथा उनकी प्रौद्योगिकी मिल जायेगी और जैसे ही हमें बंगलौर में स्वदेश निर्मित डोनियर विमान मिलने शुरू हो जायेंगे हमारा पहला काम होगा कि उन सभी की गई मांगों को जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र की मांग भी शामिल है पूरा किया जाये।

श्री पी० नामग्याल : और जम्मू तथा काश्मीर की मांग भी।

श्री जगदीश टाइटलर : हां। कारगिल के बारे में हम पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : नागपुर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा देने के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री जगदीश टाइटलर : मुझे खेद है, हैदराबाद के बारे में उल्लेख किया गया था। प्रधानमंत्री ने पहले ही वायदा किया है कि इस वर्ष के अन्त तक हैदराबाद हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ा दिया जायेगा और अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें वहां से होंगी। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि वहां पर पहले ही एक दल जा चुका है। वह दल वापस आ चुका है और सम्भवतः मैं कुछ सदस्यों को भी आमंत्रित करूंगा कि वे बम्बई से होकर जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय उड़ान करें ताकि हम सभी बम्बई में एकत्र हो सकें तथा हैदराबाद जा सकें, शायद 19 या 20 तारीख तक··· (**व्यवधान**)

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : महोदय, नागपुर के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री जगदीश टाइटलर : अच्छा, मैंने पहले ही कहा है कि सभी बातों को नोट कर लिया गया है। जैसे ही हमारे पास पर्याप्त विमान होंगे तथा हमारे अपने डोनियर विमान निर्मित होने शुरू हो जायेंगे, मैं भी विस्तार में इतनी ही रुचि रखता हूं जितनी कि आप··· (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ऐसे विमान क्षेत्रों और सिविल अन्तःक्षेत्रों के, जिन पर देशी वायु परिवहन सेवाएं चलाई जाती हैं या चलाई जाने के लिए आशयित हैं, और वैमानिक संचार स्टेशनों के प्रबन्ध के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का तथा उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी। खंड 2 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 3, श्री मूलचन्द डागा। वह यहां नहीं हैं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 4, खंड 4 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 5, श्री मूल चन्द डागा यहां नहीं हैं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 6, खंड 6 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 से 11

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 11, प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 से 11 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 से 11 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 12 (प्राधिकरण के कृत्य)

संशोधन किये गये :

पृष्ठ 6

पंक्ति 39 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त.स्थापित किया जाए—

"(4) अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 या इस अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) या किसी अन्य उपबन्ध के होते हुए भी यदि केन्द्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस प्रकार का निदेश दे तो, प्राधिकरण उन विमान-पत्तनों पर, जिन पर अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 लागू होता है उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के परन्तुक में संदर्भित वायु दिक्चालन सुविधाएं प्रदान करने के कार्य का निर्वहन करेगा। (1)

पृष्ठ 6

पंक्ति 40 "(4)" के स्थान पर "(5)" प्रतिस्थापित किया जाये। (2)

पृष्ठ 7

पंक्ति 1 "(5)" के स्थान पर "(6)" प्रतिस्थापित किया जाये। (3)

पृष्ठ 7

पंक्ति 4 "इस धारा के अधीन कृत्य या कर्त्तव्य" के स्थान पर "कृत्य या कर्त्तव्य [उपधारा (4) में दिये गये कृत्यों और उनसे उत्पन्न कर्त्तव्यों को छोड़कर]" प्रतिस्थापित किया जाये। (4)

(श्री जगदीश टाइटलर)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 13 से 16 चूंकि खंड 13 से 16 में कोई संशोधन नहीं है इसलिए मैं 13 से 16 के खंडों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 13 से 16 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 से 16 विधेयक में जोड दिये गये।

खंड 17 (प्राधिकरण की फीस, किराया, आदि प्रभारित करने की शक्ति)

संशोधन किए गये :

पृष्ठ 9

पंक्ति 22 "17" के स्थान पर "17 (1)" प्रतिस्थापित किया जाये। (5)

पृष्ठ 9

पंक्ति 42 के पश्चात निम्नलिखित जोड़ा जाये।

"(2) जिन विमानपत्तनों पर अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन

प्राधिकरण अधिनियम, 1971 लागू है उन पर प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से धारा 12 की उपधारा (4) में संदर्भित वायु दिक्चालन सुविधायें प्रदान करने के लिए शुल्क प्रभारित कर सकता है।" 1971 का 43

(6)

(श्री जगदीश टाइटलर)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 17, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 17, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 18 से 42

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 18 से 42, प्रश्न यह है :

"कि खंड 18 से 42 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18 से 42 विधेयक में जोड़ दिए गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।"

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.24 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 20 नवम्बर, 1985/29 कार्तिक, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, दिल्ली-53.